जिला मानव विकास प्रतिवेदन

चित्तौड़गढ़

2009

योजना आयोग, यू.एन.डी.पी. एवं राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना
''स्टेंथनिंग स्टेट प्लान्स फॉर ूमन डेवलपमेंट'' के अन्तर्गत निर्मित

डॉ. आरूषी ए. मलिक
आई.ए.एस.

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्राक्कथन

अरावली की पर्वतीय उपत्यकाओं से आच्छादित, शोणित की धारा से सिंचित, गोरा–बादल और जयमल–फत्ता की हुँकारों से ऊर्जस्वित, भक्तिमती मीरा, वीरांगना पद्मिनी, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्ना की पावनधरा चित्तौड़गढ़ की विरासत सृजन पथ पर अग्रसर है। नवनवोन्मेष प्रज्ञा स्फोट की प्रतिध्वनि के मध्य हम अभिनव रूप में मानव विकास की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। उक्त मानव विकास प्रतिवेदन स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका को केन्द्र में रखकर मानव विकास सूचकांक के आधार पर मापन का प्रयास है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य के 8 बिन्दुओं की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों का मानव विकास प्रतिवेदन तैयार हो रहा है। मानव के सम्पूर्ण विकास अन्तर्गत बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तथा संतोषप्रद आय आवश्यक हेतु है। मानव विकास सूचकांक अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका का सम्मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी अन्तर्गत विकास योजना प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है। इस दृष्टि से उक्त प्रतिवेदन दिशा बोध का अभिनव प्रयास है।

चित्तौडगढ़ जिला आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से विभिन्नताएँ लिये हुए है, जहाँ क्षेत्रवार अन्तर्जिला अंसतुलन को दूर कर समान रूप में परिणत कर मानव विकास की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका को दृष्टिगत रखकर तथा क्षेत्रीय अंसतुलन का विश्लेषण कर अपनी सामर्थ्य, सीमाओं, अवसर, एवं चुनौतियों को गहन चिन्तन द्वारा समाविष्ट किया गया है, जिससे जिले मे पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा भविष्य में तैयार की जाने वाली विकासोन्मुख योजनाओं को नई दिशा प्राप्त होगी।

दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन, जीवन स्तर एवं शिक्षा सूचकांक की प्राप्ति हेतु क्रमशः जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय तथा साक्षरता, नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को केन्द्रीय फलक पर रखा गया है, जिसमें जिले की वर्तमान स्थिति को यथार्थ परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिम्बित कर भविष्य की रूपरेखा को प्रतिभाशित करने की चेष्टा की गई है। मानव विकास प्रतिवेदन को तैयार करने में संलग्न समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है भविष्य स्वप्निल चित्तौड़गढ़ नई संभावनाओं को सदैव लक्ष्य में पूर्ण कर प्राप्त करता रहेगा।

धन्यवाद!!

डॉ. आरूषी ए. मलिक
जिला कलक्टर, चि ौड़गढ़

आभार

चित्तौड़गढ़ जिले के प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है। मैं डॉ. आरूषी ए. मलिक (जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस प्रतिवेदन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया। डॉ. समित शर्मा (पूर्व जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) का भी अत्यन्त आभारी हूं, जिन्होंने जिले में अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिवेदन को तैयार करने की योजना एवं अधिकारियों के अभिमुखीकरण में मार्गदर्शन प्रदान कर इस कार्य को दिशा प्रदान की।

मैं श्री सूरजमल रेगर (निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने सतत् रूप से कार्य करने हेतु मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया। यू.एन.डी.पी. का आर्थिक सहयोग हेतु आभार प्रकट करता हूं।

मैं इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए मेरे सह समन्वयक श्री कुमार विक्रम, जिला कन्वर्जेन्स फेसिलिटेटर, भारत सरकार–संयुक्त राष्ट्र संस्था की परियोजना (यूनिसेफ) के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने प्रत्येक स्तर पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया।

मैं कोर ग्रुप, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका क्षेत्र के कार्य समूहों के निम्नांकित सदस्यों का हार्दिक आभार करता हूं। जिन्होंने अपने नियमित विभागीय दायित्वों के निर्वहन के साथ–साथ अपना सतत् सहयोग प्रदान करते हुए प्रतिवेदन तैयार करने के प्रति कृत संकल्प रहै :–

कोर ग्रुप –

1. डॉ. आरुषी अजेय मलिक, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
2. डॉ. समित शर्मा, पूर्व जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
3. श्री भेरु शंकर गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़
4. श्री भेरुलाल मेनारिया, जिला सांख्यिकी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
5. श्री कुमार विक्रम, जिला फेसिलिटेटर, युनिसेफ, चित्तौड़गढ़
6. श्री मुकेश शर्मा, जिला सहयोग अधिकारी, यू.एन.डी.पी., चित्तौड़गढ़

िक्षा क्षेत्र –

7. श्री सुरेश चंन्द्र शर्मा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, चित्तौड़गढ़
8. श्री मुन्ना लाल डाकोत, प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चित्तौड़गढ़
9. श्री सुभाष शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अरनिया पंथ, चित्तौड़गढ़
10. श्री रामस्वरूप वर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पारसोली, चित्तौड़गढ़
11. श्री अमित चौधरी, केन्द्र प्रमुख, कट्स–मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़

स्वास्थ्य क्षेत्र –

12. श्री विनायक मेहता, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, चित्तौड़गढ़
13. डा. सुरेन्द्र श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोसुंडा, चित्तौड़गढ़
14. श्री जितेन्द्र ओझा, खंड कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, चित्तौड़गढ़
15. डा. नरेन्द्र गुप्ता, सचिव, प्रयास, चित्तौड़गढ़
16. श्रीमती अंशु भटनागर, उपनिदेशक, समेकित बाल विकास परियोजना, चित्तौड़गढ़
17. श्री रमेश चन्द्र जोशी, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़
18. श्री राहुल व्यास, एम.आई.एस सहायक, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, चित्तौड़गढ़

आजीविका क्षेत्र –

19. श्री अजय सिंह शेखावत, सहायक निदेशक, उद्यान, चित्तौड़गढ़
20. श्री पंकज यादव, जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड, चित्तौड़गढ़
21. प्रोफेसर राकेश भट्टड़, महाराणा प्रताप राजकीय स्नात्तकोतर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़
22. श्री आलोक शुक्ला, जिला रोजगार अधिकारी, चित्तौड़गढ़
23. श्री तेजेन्दर सिंह मारवाह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़
24. श्री लक्ष्मी शंकर पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्वमंगल ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, चित्तौड़गढ़

भाषा सहयोग –

25. डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंघवी, वरिष्ठ व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चित्तौड़गढ़

प्रतिवेदन को त्रुटि रहित बनाने का प्रयास किया गया है, फिर भी कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा चाहते हुए पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराने का श्रम करावें।

भेरुलाल मेनारिया
जिला सांख्यिकी अधिकारी
एवं मुख्य समन्वयक, जि.मा.वि.प्र., चि ौड़गढ़

जिला मानव विकास प्रतिवेदन निर्माण - प्रक्रिया एवं क्रियाविधि

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के पत्रांक 4995 दिनांक 20.02.09 द्वारा मानव विकास एडवोकेसी हेतु जयपुर में 18 से 20 मार्च को आयोजित प्रशिक्षकों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण/ कार्यशाला में जिले से तीन अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कार्य योजना जिला सांख्यिकी अधिकारी द्वारा बनाई जाकर जिला कलेक्टर से अनुमोदन उपरान्त पत्रांक 735 दिनांक 09.06.09 से निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर को भिजवाई गई। शासन सचिव, आयोजना के पत्रांक 3650 दिनांक 02.03.2009 के द्वारा कोर ग्रुप के गठन एवं प्रमुख समन्वयक चयन हेतु निर्देश प्राप्त हुए जिसके तहत कोर ग्रुप का गठन कर पत्रांक 848–852 दिनांक 09.07.2009 द्वारा जिला सांख्यिकी अधिकारी को प्रमुख समन्वयक बनाया गया, जिसकी सूचना पत्रांक 832–33 दिनांक 02.07.2009 द्वारा सूचना भिजवाई गई। कोर ग्रुप निम्नानुसार है :–

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य
3.	मुख्य आयोजना अधिकारी	सदस्य
4.	जिला सांख्यिकी अधिकारी	प्रमुख समन्वयक
5.	जिला फेसीलेटर, युनिसेफ	सदस्य

जिला सांख्यिकी अधिकारी प्रमुख समन्वयक एवं जिला फेसीलेटर यू.एन. मानव विकास के प्रति उत्तरदायी समस्त जिला अधिकारियों के साथ प्रतिवेदन की संकल्पना एवं कार्य समूह के सदस्य मनोनयन हेतु विचार विमर्श कर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पत्रांक 928–1007 दिनांक 10.07.2009 द्वारा जिले का मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कार्य समूहों का गठन किया गया। जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में 14, शिक्षा क्षेत्र में 10 तथा आजीविका क्षेत्र में 27 सदस्यों का मनोनयन किया गया। दिनांक 09.7.09 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास योजना, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रमुख शासन सचिव विद्यालय शिक्षा ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मानव विकास प्रतिवेदन की प्रक्रिया एवं प्रगति पर जिला कलेक्टर महोदय से विस्तृत चर्चा की।

दिनांक 17.07.09 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में जन प्रतिनिधियों यथा जिला प्रमुख/उपप्रमुख, प्रधान, जिला योजना समिति के सदस्य, अध्यक्ष नगरपालिकाएँ एवं जिला स्तरीय अधिकारियों तथा कार्य समूह के समस्त सदस्यों को आमन्त्रित किया गया। कार्यशाला में कुल 93 व्यक्तियों ने भाग लिया । जिला कलेक्टर ने मानव विकास प्रतिवेदन वास्तविक एवं तथ्यपरख बनाने हेतु निर्देशित किया। जन प्रतिनिधि, उप जिला प्रमुख, प्रधान पंचायत समिति, एवं योजना समिति के सदस्यों द्वारा सक्रिय रूप से विचार विमर्श कर अपने सुझाव रखे। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ प्रो. श्री महामलिक, सामाजिक अध्ययन संस्थान, जयपुर एवं श्री अखिलेश केकड़े, प्रोजेक्ट ऐसोसिएट, यू.एन. डी.पी., श्री भेरुलाल मेनारिया, जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला फेसीलेटर, युनिसेफ श्री कुमार विक्रम द्वारा विस्तार से मानव विकास प्रतिवेदन की आवश्यकता एवं इसके विभिन्न पहलुओं पर विवेचन किया। कार्यशाला में अपराह्न बाद प्रतिवेदन का खाका संबधित कार्य समूहों द्वारा तैयार कर सदन में प्रस्तुत किया।

कोर समूह द्वारा कार्य समूह के कार्य के सरलीकरण हेतु अध्याय लेखन हेतु प्रपत्र उपलब्ध करवाये गये जिसमें जनमानस को केन्द्र में मानते हुए योजना निमार्ण हेतु सहस्त्राब्दी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्षेत्र का परिचय एवं विभिन्न तालिकाओं एवं ग्राफ के माध्यम से क्षेत्र वार आकड़ें जो जिले तथा ब्लॉक वार वर्तमान स्थिति का परिदृश्य प्रस्तुत करते हों एवं इन आकडों अथवा ग्राफ का विश्लेषण यह क्या कहते हैं ? साथ ही वर्तमान स्थिति के कारण सामाजिक भौगोलिक वित्तीय राजनैतिक एवं परम्परागत तथा हम कहा जाना चाहते हैं ? हमें कहाँ पहुँचना है ? उसके लक्ष्य एवं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अग्र–पथ के रूप में सुझाया गया है।

जिला स्तर से प्रतिवेदन का प्रथम प्रारूप तैयार कर 11.08.09 को निदेशालय को आवश्यक सुझाव हेतु भिजवाया गया, तदुपरान्त दिनांक 20.8.09 एवं 21.8.09 को राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिवेदन प्रारूप का प्रस्तुतीकरण टीम लीडर द्वारा किया जाकर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यशाला के अनुभवों को समाहित करते हुए कोर समूह द्वारा प्रतिवेदन के अन्तिम प्रारूप निर्माण पर विचार विमर्श कर अपेक्षित सहयोग दिया गया। कार्यदल द्वारा सामूहिक कार्य करते हुए प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया गया जिसे कोर ग्रुप से अनुमोदन करा निदेशालय को भिजवाया गया।

अनुक्रमणिका

	प्राक्कथन	.....	i
	आभार	.....	ii
	क्रियाविधि	.....	iv
अध्याय 1:	जिले का परिचय	.....	01—09
अध्याय 2:	आजीविका	.....	10—52
2.1	कृषि क्षेत्र	.....	18—39
2.2	गैर कृषि क्षेत्र	.....	40—52
अध्याय 3:	शिक्षा	.....	53—100
3.1	शालापूर्व शिक्षा	.....	57—59
3.2	प्रारंभिक शिक्षा	.....	60—80
3.3	माध्यमिक शिक्षा	.....	81—89
3.4	साक्षरता	.....	90—100
अध्याय 4:	स्वास्थ्य	.....	101—157
4.1	स्वास्थ्य	.....	101—117
4.2	पोषण	.....	118—131
4.3	पेयजल एवं स्वच्छता	.....	132—157

अध्याय - 1

जिले का परिचय

चित्तौड़गढ़ जिला मानचित्र

(अविभाजित)

चित्तौड़गढ़ जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

चित्तौड़गढ़ चित्रकूट शब्द का अपभ्रंश है। चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रगुप्त मौर्य द्वारा सातवीं शताब्दी में कराया जाना बताया है। चित्तौड़गढ़ नगर के नाम पर जिले का नाम रखा गया है, जो जिला प्रशासन का मुख्यालय है। इसका वर्तमान आकृति में विनिर्माण विभिन्न भूतपूर्व रियासतों के भू–भाग को मिला कर किया गया है। इसमें मेवाड़ तथा प्रतापगढ़ रियासतों के क्षेत्र, टोंक रियासत का निम्बाहेड़ा जिला, भूतपूर्व मध्यभारत राज्य के 79 ग्राम तथा रियासत झालावाड़ के 5 वन ग्राम सम्मिलित हैं। यह जिला जिसका मुख्यालय निम्बाहेड़ा था, अगस्त 1948 में बनाया गया था, जिसमें निम्बाहेड़ा, डूँगला, भदेसर, कपासन, राशमी चित्तौड़गढ़ एवं कनेरा तहसीलें सम्मिलित थीं। राजस्थान के विनिर्माण के समय प्रतापगढ़, अरनोद एवं छोटीसादडी तहसीलों को मिलाकर जिलें का पुनर्गठन किया गया एवं इसका मुख्यालय निम्बाहेड़ा रखा गया, जिसे सन् 1950 में चित्तौड़गढ़ स्थानान्तरित कर दिया गया।

सन् 1951 में जिले में 5 उपखण्ड तथा पाँच तहसीलें थीं। दशक 1951 से 1961 के मध्य अन्तः तहसील अन्तरणों सहित तहसील कनेरा के समस्त ग्राम निम्बाहेड़ा में अन्तरित कर दिये गये। इसके अतिरिक्त अन्तर्जिला समायोजन के परिणामस्वरूप सेथुरिया 10.1 वर्ग किमी. का, राशमी तहसील का भीलवाड़ा तहसील में एवं ग्राम दोवनी 4.9 वर्ग किमी का बेगूँ तहसील से कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में अन्तरण हुआ। इसके साथ ही ग्राम बोरखेड़ा, पीपल्दा तथा देलारा का भैंसरोड़गढ़ तहसील से मानपुरा तहसील जिला मन्दसौर में अन्तरण हुआ। दशक 1961 एवं 1971 के मध्य भैंसरोड़गढ़ एवं अचनेरा तहसीलें विघटित कर दी गई तथा इनके ग्राम बैगूँ तथा प्रतापगढ़ तहसीलों में अन्तरित कर दिये गये। इसके अतिरिक्त 399.1 वर्ग किमी. क्षेत्रफल के 77 ग्रामों का भूपालसागर तहसील, जिला उदयपुर से तहसील कपासन में अन्तर जिला अन्तरण हुआ। दशक 1971 से 1981 के मध्य तीन ग्राम कहारा–ए–जागीर, कहारा–बी–चक्र तथा कहारा–सी–जागीर का अन्तरण तहसील धरियावद, जिला उदयपुर से बड़ीसादड़ी तहसील में हुआ। फरवरी 1974 में कुँआखेड़ा तहसील भी स्थानान्तरित कर दी गयी। बाद में एक नई तहसील गंगरार बनायी गयी। 1983 को प्रतापगढ़ तहसील को विभाजित कर एक नई तहसील स्थापित हुई, जिसका मुख्यालय अरनोद रखा गया।

1986 में राशमी एवं चित्तौड़गढ़ का पुनर्गठन कर एक नई पंचायत समिति स्थापित की गई जिसका मुख्यालय गंगरार रखा गया इसमें चित्तौड़गढ़ की पाँच व राशमी तहसील की 14 पंचायतें सम्मिलित की गई। वर्ष 1999 में जिले में रावतभाटा तहसील सृजित की गई। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प–9(17)राज्य 197/071/1,2,3 व 4 दिनांक 25–01–2008 के द्वारा प्रतापगढ जिले का नवसृजन कर जिला चित्तौड़गढ़ से तहसील/पंचायत समिति प्रतापगढ,अरनोद एवं छोटीसादडी को प्रतापगढ़ जिले में सम्मिलित किया गया।

चित्तौड़गढ़ जिला जहाँ एक और त्याग, तपस्या और बलिदान के लिये प्रसिद्ध है, वहीं गौरवमयी ऐतिहासिक विरासत और कला एवं संस्कृति से भी बेजोड़ है सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से इस जिले का विशेष महत्त्व है।

चित्तौड़गढ़ मेवाड़ जैसे विशाल एवं शक्तिशाली राज्य की राजधानी था, जिसे महाराणा कुभा, सांगा, प्रताप, पद्मिनी, पन्नाधाय व मीरा जैसी महान विभूतियों की जन्म भूमि व क्रीड़ा–स्थली कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ स्थित विशाल दुर्ग व स्थापत्य कला के श्रेष्ठ स्मारक इस जिले के प्राचीन वैभव की पुष्टि करते हैं।

भौगोलिक स्थिति

चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में 24'13'' से 25' 13'' उत्तरी अक्षांश और 74'04'' से 75'53'' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके पूर्वी भाग में कोटा जिला ओर मध्यप्रदेश का नीमच जिला, दक्षिण में प्रतापगढ़ जिला, पश्चिम में उदयपुर एवं राजसमन्द जिले तथा उत्तर में भीलवाड़ा और बूंदी जिले स्थित हैं।

यह जिला समुद्री तल से एक हजार छह सौ फीट औसतन उँचाई पर स्थित है। जिले का धरातल सामान्यतः लहरदार है, किन्तु प्रसिद्ध अरावली श्रेणी की पहाड़ियाँ सम्पूर्ण क्षेत्र में छितरी हुई है। जिले के पश्चिम, दक्षिणी तथा उत्तरी भाग कुछ–कुछ मैदानी हैं, परन्तु वह भी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जिला दक्षिण से उत्तर की ओर हलका ढलानदार है। इसकी उँचाई समुद्रतल से 317 मीटर से (पालखेड़ा में) अधिकतम 617 मीटर तक है। पहाड़ियों के ढलान हलके एवं खड़े हैं तथा जंगल से आच्छादित हैं। जिले में होकर बहने वाली नदियाँ चम्बल, बनास, बेड़च हैं तथा वागन, गम्भीरी, ब्राह्मणी व गुंजली उनकी सहायक नदियाँ हैं।

भूमि, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधन

जिले के पश्चिमी भाग में प्राचीनतम सेल पाये जाते हैं, जिनमें स्लेट, फाइलाइट, डोलोमाइट की पट्टियों से अंतरविष्टित अभ्रक की स्तरित चट्टाने हैं, जिसमें ढलवा पत्थर, ग्रिटस पोसिलेन्टर, चूना पत्थर तथा स्लेटी पत्थर शामिल हैं।

जिले की भदेसर, भैंसरोडगढ़, बेगूं की मृदायें पहाड़ी ढलाने वाली व कम गहरी हैं। राशमी, गंगरार, कपासन, डूंगला, भूपालसागर पंचायत समिति की मृदायें हल्के भूरे रंग की हैं। शेष पंचायत समिति बड़ीसादड़ी, निम्बाहेड़ा व चित्तौडगढ़ पंचायत समिति की मृदायें गहरी मध्यम भूरे रंग की है।

मानव संसाधन

1. तहसीलवार जनसंख्या

क्र.स.	तहसील	जनगणना वर्ष 2001			अनुमानित जनसंख्या 01.01.2009		
		पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
1	राशमी	37282	38044	75326	44291	45196	89487
2	गंगरार	44978	43662	88640	53433	51870	105303
3	बेगूं	60740	58284	119024	72159	69241	141400
4	चित्तौड़गढ़	135985	128194	264179	161550	152294	313844
5	कपासन	88281	87588	175869	104877	104054	208931
6	भदेसर	54257	53136	107393	64457	63125	127582
7	निम्बाहेड़ा	96311	92407	188718	114417	109779	224196
8	बड़ीसादड़ी	52134	51711	103845	61935	61432	123367
9	डूँगला	44919	45056	89975	53363	53526	106889
10	रावतभाटा	61678	55713	117391	73273	66187	139460
	योग	676565	653795	1330360	803755	776704	1580459
11	प्रतापगढ़	121265	115386	236651	144062	137078	281140
12	अरनोद	60826	59011	119837	72261	70105	142366
13	छोटीसादड़ी	59407	57269	116676	70575	68035	138610
	योग	241498	231666	413164	286898	275218	562116
	महायोग	918063	885461	1803524	1090653	1051922	2142575

जनगणना 2001 के अनुसार जिले की कुल जनंसख्या 1803524 है जिनमें से 918063 पुरूष एवं 885461 स्त्रियाँ हैं। जिले की ग्रामीण जनसंख्या 1514255 एवं शहरी जनसंख्या 289269 है। कुल जनसंख्या का 83.96 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में एवं 16.04 प्रतिशत शहरी क्षेत्र की है। जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से 1981 से 1991 के मध्य 20.43 प्रतिशत थी, जबकि 1991 से 2001 के मध्य 21.52 प्रतिशत रही, जो 1.1 प्रतिशत अधिक रही। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 166 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. था, जो राज्य की जनसंख्या घनत्व 165 के लगभग समान है। जिले में लिंगानुपात 1000 पुरूषों के मुकाबले 964 महिलाएं हैं। 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के 311367 बच्चे हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत है। जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 250762 एवं जनजाति की 388311 है, जो क्रमशः 13.90 प्रतिशत एवं 21.53 प्रतिशत बनती है। जिले की कुल जनसंख्या 1803524 में से 749689 व्यक्ति कार्यशील, 180650 सीमान्त कार्यशील तथा 873185 व्यक्ति अकार्यशील है । जिले में 313203 पुरूष एवं 306774 स्त्रियाँ काश्तकार एवं 37109 पुरूष एवं 61852 स्त्रियाँ खेतीहर मजदूरी में कार्यरत हैं। इसके अलावा 10401पुरूष एवं 7138 स्त्रियां पारिवारिक उद्योगों एवं शेष अन्य कार्यों में व्यवसायरत हैं।

2. नगरवार कुल जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2001)

क्र.स.	नगर	कुल जनसंख्या		
		पुरूष	स्त्री	योग
1	बेगूं	10016	9319	19335
2	रावतभाटा	18258	16432	34690
3	चित्तौड़गढ़	50440	45779	96219
4	कपासन	9561	9102	18663
5	निम्बाहेड़ा	27537	25790	53327
6	बड़ीसादड़ी	7702	7302	15004
	योग	123514	113724	237238
7	प्रतापगढ़	18477	16945	35422
8	छोटीसादड़ी	8517	8092	16609
	योग	26994	25037	52031
	महायोग	150508	138761	289269

3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (जनगणना वर्ष 2001)

क्र.स.	तहसील	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
1	राशमी	7894	7965	15859	2199	2212	4411
2	गंगरार	8255	7867	16122	3103	3068	6171
3	बेगूं	10318	9709	20027	5704	5407	11111
4	चित्तौड़गढ़	20971	20343	41314	12738	11925	24663
5	कपासन	15606	15358	30964	9307	9151	18458
6	भदेसर	9091	8946	18037	4263	4106	8369
7	निम्बाहेड़ा	14382	13806	28188	9899	9624	19523
8	डूँगला	6940	6861	13801	6055	6158	12213
9	बड़ीसादड़ी	6277	6165	12442	8755	8827	17582
10	रावतभाटा	7279	6411	13690	15975	14861	30836
	योग	**107013**	**103431**	**210444**	**77998**	**75339**	**153337**
11	प्रतापगढ़	10147	9651	19798	59095	56541	115636
12	अरनोद	3137	2869	6006	40659	39918	80577
13	छोटीसादड़ी	7352	7162	14514	19664	19097	38761
	योग	**20636**	**19682**	**40318**	**119418**	**115556**	**234974**
	महायोग	**127649**	**123113**	**250762**	**197416**	**190895**	**388311**

पशुधन एवं कुक्कुट :–

क्र.सं.	वर्ग	ईकाई	वर्ष	कुल संख्या
1.	गाय/बैल	संख्या	2007	508359
2.	भैंस	संख्या	2007	371698
3.	भेड़	संख्या	2007	71962
4.	बकरी	संख्या	2007	538126
5.	घोड़े,टट्टू,गधे एवं खच्चर	संख्या	2007	2092
6.	ऊँट	संख्या	2007	2642
7.	सूअर	संख्या	2007	6194
8.	खरगोश	संख्या	2007	57
9.	बतख	संख्या	2007	120
10.	मुर्गा/मुर्गी	संख्या	2007	58392
	योग			1559382

कृषि संपदा :–

1. भूमि उपयोग वर्गीकरण

क्र.स.	मद	इकाई	वर्ष 2007–08 (अवि.)	वर्ष 2008–09 (विभा.)
1	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	हैक्टेयर	1035826	750761
2	वन	हैक्टेयर	196084	120136
3	गैर कृषि उपयोग	हैक्टेयर	50414	41241
4	ऊसर तथा कृषि अयोग्य	हैक्टेयर	84389	73232
5	अन्य पड़त	हैक्टेयर	24134	20288
6	स्थायी चारागाह	हैक्टेयर	91017	73702
7	कृषि योग्य खाली भूमि	हैक्टेयर	137294	100588
8	वृक्ष एवं कुंज	हैक्टेयर	645	2295
9	चालू पड़त	हैक्टेयर	16526	12789
10	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टेयर	435323	306481

2. प्रमुख फसलों का उत्पादन

क्र.स.	फसल	इकाई	वर्ष 2007–08 (अवि.)	वर्ष 2008–09 (विभा.)
1	गेहूँ	मै.टन	395915	277333
2	ज्वार	मै.टन	9429	6736
3	मक्का	मै.टन	358667	382789
4	जौ	मै.टन	14753	12676
5	मूंगफली	मै.टन	23751	21293
6	सोयाबीन	मै.टन	168193	54840
7	चना	मै.टन	27925	7894
8	तिल	मै.टन	3075	3357
9	राई/सरसों	मै.टन	121161	128269

3. सिंचाई

क्र.स.	मद	इकाई	वर्ष	विवरण
1	सिंचाई के लिए उपयोग में लिए पम्पसेटों की संख्या	संख्या	2008–09	74627
2	सामान्य वर्षा	सेमी.	2008–09	77.23
3	वास्तविक वर्षा	सेमी.	2008–09	81.59
4	जोत का औसत आकार	हैक्टेयर	2006–07	2.31

खनिज संपदा

खनिजों की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ जिले का राजस्थान में महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिले में प्रधान व अप्रधान खनिज संपदा का वर्ष 2007–08 में उत्पादन निम्नानुसार है –

(अ) प्रधान खनिज

क्र.स.	मद	उत्पादन (लाख रुपयों में)
1.	लाईमस्टोन	8260
2.	चाइना क्ले	231
3.	रेड ऑफर	757
4.	सिलीकासेण्ड	102
5.	क्वार्ट्ज	18

(ब) अप्रधान खनिज

1.	लाईमस्टोन बर्निंग	215.71
2.	ईंट मिट्टी	21.74
3.	चिप्स पाउडर	0.869
4.	कंकर बजरी	507.69
5.	लाईमस्टोन (डाईमेशनल)	1689.38
6.	मार्बल	34.53
7.	मेसनरी स्टोन	1827.66
8.	मुरम	1630.66
9.	पट्टी कातला	0.10

स्रोत : खान एवं भूगर्भ विभाग, राजस्थान, उदयपुर

जल संपदा

जिले में जल संपदा संसाधन की विपुलता है। जिले से गुजरने वाली मुख्य नदियाँ चंबल, बनास, बेड़च, गंभीरी, कदमाली एवं वागन प्रमुख हैं। जिले में मुख्य बांध/तालाब गंभीरी, वागन, बस्सी, ओराई, बडगांव, भूपालसागर, डिण्डोली, बाड़ीमानसरोवर, सांवरिया सरोवर, मुरलिया, बनाकियां, कपासन, बोरदा, सोनियाना, राजगढ, सरोपा, डोराई, रूपारेल आदि हैं।

मत्स्य संपदा

चित्तौड़गढ़ जिले में बहने वाली चंबल, बनास, बेड़च एव गंभीरी नदी के अतिरिक्त सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु निर्मित राणाप्रताप सागर, गंभीरी, वागन, ओराई, मेजा फीडर आदि बड़े बांध एवं अनेक छोटे जलाशय मत्स्य पालन हेतु विस्तृत स्रोत उपलब्ध कराते हैं। जिले के मत्स्य विकास कार्यक्रम हेतु तीन फिश फार्म हैं– गंभीरी फिश फार्म, राणा प्रताप सागर व चंबल वेली फिश फार्म।

वन संपदा

जिले में मुख्य रूप से धोकरा, बबूल, आम, बरगद,गुलर, जामुन, खेर, खेजड़ी, बांस आदि वृक्ष हैं। टिंबर, बबूल जलाऊ लकड़ी जिले की मुख्य उपज हैं तथा गौण वन उपज– घास, आरेठा, तेंदु पत्ता, शहद, मोम, महुआ, सीताफल आदि हैं। जिले में वन्य जीव अभयारण्य बस्सी, जवाहरसागर, भैंसरोड़गढ, डियरपार्क किला चित्तौड़गढ़ तथा सीतामाता क्षेत्र में हैं, जो घने वन क्षेत्र हैं।

पर्यटन

राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ जिले का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक मन्दिर, किले, महल एवं प्राकृतिक छटाएँ प्रतिवर्ष कई देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्रमुख रूप से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बने विजय स्तम्भ, कीर्ति स्तम्भ, कुंभा महल, मीरा मंदिर, पद्मिनी महल, फतहप्रकाश महल, कालिका मंदिर, गौमुख, असावरा में आवरी माता मंदिर, मंडफिया में सावंरिया जी का मंदिर, पांडोली में झांतला माता जी मंदिर, बेगूं तहसील में जोगणिया माता जी का मंदिर, राशमी में मातृकुण्डिया, कपासन में दीवानाशाह दरगाह, निंबाहेडा में कल्ला बावजी का स्थान एवं बिड़ला मंदिर दर्शनीय स्थल हैं। मेनाल, गंभीरी बांध, बस्सी, डोराई, घोसुंडा बांध अच्छे पिकनिक स्थल हैं।

प्रशासनिक संरचना

जिले की वर्तमान प्रशासनिक संरचना निम्न प्रकार हैं :–

उपखण्ड	तहसील	पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों की संख्या
चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	39
गंगरार	गंगरार	गंगरार	21
राशमी	राशमी	राशमी	23
कपासन	कपासन	कपासन	23
		भूपालसागर	19
बेगूं	बेगूं	बेगूं	31
रावतभाटा	रावतभाटा	भैंसरोड़गढ़	23
निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	35
भदेसर	भदेसर	भदेसर	25
बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	23
डूंगला	डूंगला	डूंगला	26
योग	**10**	**11**	**288**
नवसृजित प्रतापगढ़ जिले में			
प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	49
छोटीसादड़ी	छोटीसादड़ी	छोटीसादड़ी	24
अरनोद	अरनोद	अरनोद	30
योग	**3**	**3**	**103**
महायोग	**13**	**14**	**391**

स्थानीय प्रशासन ढांचा

अ. पंचायत समिति

क्र.स.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या	वार्डो की संख्या
1.	राशमी	23	15	219
2.	गंगरार	21	15	230
3.	बेगूं	31	15	299
4.	भैंसरोड़गढ	23	15	229
5.	चित्तौड़गढ़	39	21	433
6.	कपासन	23	15	239
7.	भूपालसागर	19	15	207
8.	भदेसर	25	15	279
9.	निम्बाहेड़ा	35	17	365
10.	बड़ीसादड़ी	23	15	245
11.	डूंगला	26	15	258
योग		**288**	**173**	**3003**
नवसृजित प्रतापगढ़ जिले मे				
1.	प्रतापगढ़	49	23	517
2.	छोटीसादड़ी	24	15	268
3.	अरनोद	30	15	306
योग		**103**	**53**	**1091**
महायोग		**391**	**226**	**4094**

ब. नगर पालिका

क्र.स.	नाम नगरपालिका	वार्डों / पार्षदों की संख्या
1.	चित्तौड़गढ़	40
2.	बड़ीसादड़ी	20
3.	बेगूं	20
4.	रावतभाटा	25
5.	कपासन	20
6.	निम्बाहेड़ा	30
योग		**155**
1.	प्रतापगढ़	25
2.	छोटीसादड़ी	20
योग		**45**
महायोग		**200**

क्षेत्रफल एवं प्रशासनिक व्यवस्था

क्षेत्रफल ¼हैक्टेयर्स में½	उपखण्ड	तहसील	उप तहसील	भू अभिलेख निरीक्षक वृत	पटवार वृत	ग्राम पंचायत	नगर पालिका	पंचायत समिति
चित्तौड़गढ़ 750639	7	10	3	44	318	288	6	11
प्रतापगढ़ 285094	3	3	1	14	114	103	2	3
योग 1035733	**10**	**13**	**4**	**58**	**432**	**391**	**8**	**14**

अध्याय - 2

आजीविका

2.1 परिचय

विभिन्न आर्थिक मापदण्डों के आधार पर चित्तौड़गढ़ जिला राज्य के निचले पायदान पर ठहरता है। किसी भी विकास के मापदण्ड पर क्षेत्र में लोगों की आजीविका की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। आजीविका के स्रोत ही–क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को बनाने एवं सुरूचिपूर्ण जीवनचर्या में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इस अध्याय को आजीविका के विभिन्न स्रोत, कार्यप्रवृत्ति, संरचना एवं स्तर तथा इसके संभावित विभिन्न दृष्टिकोणों पर केन्द्रत किया गया है।

इस अध्याय को आर्थिक स्तर एवं आजीविका के तरीके, जल ग्रहण विकास, कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, वन एवं श्रम शक्ति के उपयोग पर केन्द्रित करते हुए विभाजित किया गया है।

2.2 जिले का आर्थिक इतिहास

जिले के निवासियों का मुख्य धन्धा पुरातन समय से कृषि ही रहा है। चितौड़गढ़ जिला पूर्व मेवाड़ रियासत का भाग रहा है। जिले का क्षेत्र पहाड़ी है तथा जिले के अधिकतर निवासी पिछड़ों में शुमार किये जाते हैं, जिले में कोई प्राचीन उद्योग नहीं हैं। सन् 1851 में 6.5% लोग ही उद्योगों पर आधारित थे। सूती कपड़े के बुनाई एवं बांस तथा लकडी के विभिन्न प्रकार के छोटे धन्धे क्षेत्र में प्रचलित रहे हैं, जिनसे उत्पादित सामान पड़ोस के रियासती क्षेत्र–कोटा, बूंदी, मारवाड़ एवं अन्य स्थानों पर भेजे जाते रहे हैं।

रियासत काल के समय में सन् 1910 में कपास बेलने की तीन फेक्ट्रियाँ– चित्तौड़गढ़, छोटीसादड़ी एवं कपासन में स्थापित की गई थी। सन् 1937 में जिले के भूपाल सागर क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना की गई थी। ये सभी उद्योग अब बंद हो चुके हैं। जिले के बेंगूं एवं आकोला क्षेत्र में कपड़े की छपाई, घोसुण्डा में कागज बनाना तथा बस्सी में लकड़ी के खिलौने एवं अन्य उत्पादन क्षेत्र के प्रमुख धन्धे रहे हैं।

वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिला सिमेंट उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता हैं। इसके अतिरिक्त लकड़ी के उत्पादन एवं खिलौने, कृषि यंत्र, कपड़ा छपाई, चटाई, बुनाई, चूना उद्योग, मिट्‌टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन आदि महत्त्वपूर्ण छोटे एवं कुटीर उद्योग हैं।

2.3 आर्थिक एवं आजीविका पेटर्न

चित्तौड़गढ़ कृषि प्रधान जिला हैं। यदि शुद्ध घरेलु उत्पादन (NDP) की दृष्टि से जिले की आर्थिक संरचना में कृषि की भूमिका पर दृष्टि डालें तो प्रतीत होता हैं कि वर्ष 1999–2000 के विपरीत वर्ष 2004–05 में जिले के शुद्ध घरेलु उत्पाद (NDP) में कृषि का हिस्सा 25.71% रहा है। इसी समय के अन्तराल में पशुपालन क्षेत्र का शुद्ध घरेलु उत्पाद (NDP) 7.61% हिस्सा रहा है। कृषि आधारित जनसंख्या की दृष्टि से वर्ष 2001 की गणना के अनुसार 75% जनसख्या कृषि पर आधारित रही है। कृषि क्षेत्र में इस समय में –2.56 ऋणात्मक विचलन दृष्टिगोचर रहा है, और यही जिले की कमजोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कारण रहा है। शुद्ध घरेलु उत्पाद में (NDP) कृषि का अंश बिठाने के लिये कृषि के रूपान्तरण एवं बदलाव की आवश्यकता प्रतिपादित होती हैं। इसके साथ ही कृषि एवं संम्बन्धित क्षेत्र पर ग्रामीण जनसंख्या का आधार कम किये जाने का प्रयास किया जाना उपयुक्त रहेगा ।

सारणी 2.1: चित्तौड़गढ़ जिले की शुद्ध घरेलु उत्पाद (NDP) में विभिन्न आजीविका क्षेत्र का योगदान, 1999 से 2005 (वर्तमान कीमतों के आधार पर)

Sector	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	Variation
Agriculture	28.27	16.62	24.07	14.66	24.88	25.71	-2.56
Livestock	7.03	8.80	8.45	9.06	7.79	7.61	0.58
Forestry	3.45	4.52	4.07	4.93	4.37	4.31	0.85
Fishing	0.04	0.07	0.07	0.20	0.19	0.21	0.17
Mining	2.28	2.41	1.59	4.86	2.21	1.49	-0.79
Mfg. Regd. Unregd.	8.17	8.60	7.94	8.31	6.91	7.65	-0.52
Construction	7.41	8.39	7.53	8.53	8.92	8.70	1.29
Electricity, Gas and water supply	4.93	5.19	3.37	3.58	3.29	2.97	-1.96
Railways	0.59	0.75	0.76	0.92	0.79	0.79	0.20
Other transport	1.13	2.52	2.24	2.60	2.79	2.94	1.81
Storage	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	-0.01
Communication	0.72	1.01	1.05	1.13	1.12	1.17	0.45
Trade, Hotel & Restaurent	14.60	13.98	14.88	14.67	13.72	14.27	-0.34
Banking & Insurance	2.17	2.79	2.70	3.46	3.07	2.86	0.69
Real estate ownership of dwelling	6.81	8.85	7.96	8.95	7.59	7.13	0.32
Pub. Adm.	4.10	5.10	4.33	4.54	3.97	3.84	-0.27
Others & Misc.	8.26	10.34	8.95	9.55	8.36	8.33	0.07
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**

Source: Directorate of Economics & Statistics, GoR

सारणी 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि जिले की कुल जनसंख्या 18 लाख 3 हजार 524 में से 10,12,725 लोग 15 से 59 वर्ष के आयु समूह में हैं तथा 930339 कार्यकारी (Worker) हैं। रोजगार स्थिति पर दृष्टि डालें तो प्रतीत होता हैं कि 66.64 प्रतिशत कृषि कार्य करते हैं एवं 10.64% कृषि श्रमिक हैं। अकृषि क्षेत्र में घरेलु उद्योगों में 1.89% तथा अन्य रोजगार पर 20.84% जनसंख्या लगी हुई है।

2001 की जनगणना अनुसार जनसंख्या का कार्य सहभागिता अनुपात (51.6%) है, जिसमे से 56.6% पुरूष एवं 44% महिलाएँ हैं। कृषि क्षेत्र में 51.27% महिला श्रमशक्ति हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का कार्य सहभागिता अनुपात राज्य के अनुपात से अधिक हैं, जिसका मुख्य कारण महिलाओं की अधिक भागीदारी होना हैं। इस तरह की स्थिति साधारणतया: अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में दृष्टिगत होती है।

सारणी 2.2 :– कार्यकारी जनसंख्या विवरण, चित्तौड़गढ़

Total workers	**930,339**
Total Main workers	749,689
Total Marginal workers	180,650
Work Participation Rate (in %)	51.6%
No. of Cultivators	619,977
No. of Agricultural Labors	98,961

Source: BRGF Diagnostic Study cum Baseline Survey 2007

ग्राफ 2.1: Tehsil wise workers population trends (1991 Vs 2001)

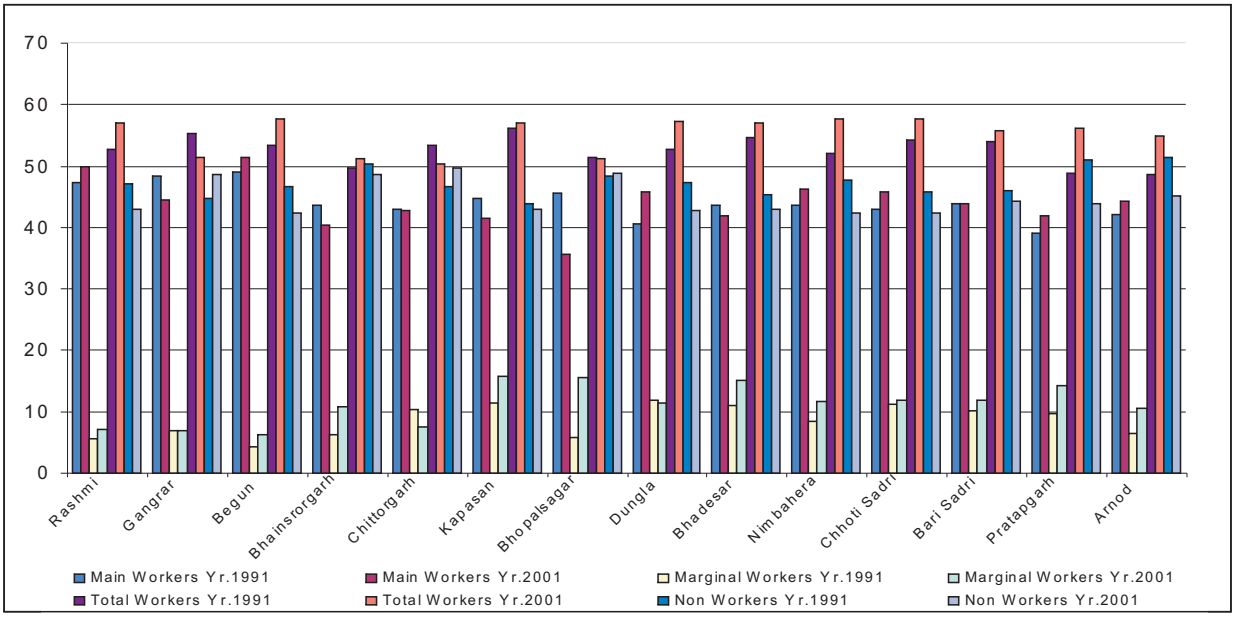

यदि कार्यशील जनसंख्या की तहसील अनुसार विवेचना की जाये तो यह परिलक्षित होता है कि गंगरार एवं चित्तौड़गढ़ तहसील को छोड़कर शेष सभी तहसीलों में वर्ष 1951 से 2001 के बीच के अन्तराल में त्वरित बढ़ोतरी हुई हैं। वास्तविकता यह है कि 44.8% जनसंख्या गैर–कार्यकारी हैं, यद्यपि वर्ष 1991 के मुकाबलें स्थिति में सुधार हुआ है।

सारणी 2.3 : तहसील पर कार्यकारी, सीमांत कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी जनसंख्या प्रतिशत (1991–2001)

S. No.	Tehsil	Main Workers		Marginal Workers		Total Workers		Non Workers	
		1991	2001	1991	2001	1991	2001	1991	2001
1	राशमी	47.22	49.9	5.59	7.2	52.81	57.1	47.19	42.9
2	गंगरार	48.46	44.5	6.81	6.9	55.27	51.4	44.73	48.6
3	बेगूं	49.00	51.4	4.37	6.2	53.37	57.6	46.63	42.4
4	भैंसरोड़गढ़	43.58	40.4	6.18	10.9	49.76	51.3	50.24	48.7
5	चित्तौड़गढ़	43.08	42.8	10.34	7.6	53.42	50.4	46.58	49.6
6	कपासन	44.66	41.4	11.47	15.7	56.13	57.1	43.87	42.9
7	भोपालसागर	45.66	35.6	5.84	15.6	51.50	51.2	48.50	48.8
8	डूंगला	40.68	45.9	11.94	11.4	52.62	57.2	47.38	42.8
9	भदेसर	43.56	42.0	11.01	15.1	54.57	57.1	45.43	42.9
10	निम्बाहेड़ा	43.62	46.2	8.53	11.6	52.15	57.7	47.85	42.3
11	छोटीसादड़ी	43.01	45.9	11.20	11.8	54.21	57.7	45.79	42.3
12	बड़ीसादड़ी	43.87	43.9	10.16	11.9	54.03	55.8	45.97	44.2
13	प्रतापगढ़	39.21	42.0	9.71	14.2	48.92	56.2	51.08	43.8
14	अरनोद	42.16	44.2	6.39	10.6	48.55	54.8	51.45	45.2
	जिला	**43.69**	**44.0**	**8.76**	**11.2**	**52.45**	**55.2**	**47.55**	**44.8**

Source: Census Data 1991 and 2001

ग्राफ 2.2 : जिले में कार्यकारी जनसंख्या का चलन (1991–2001)

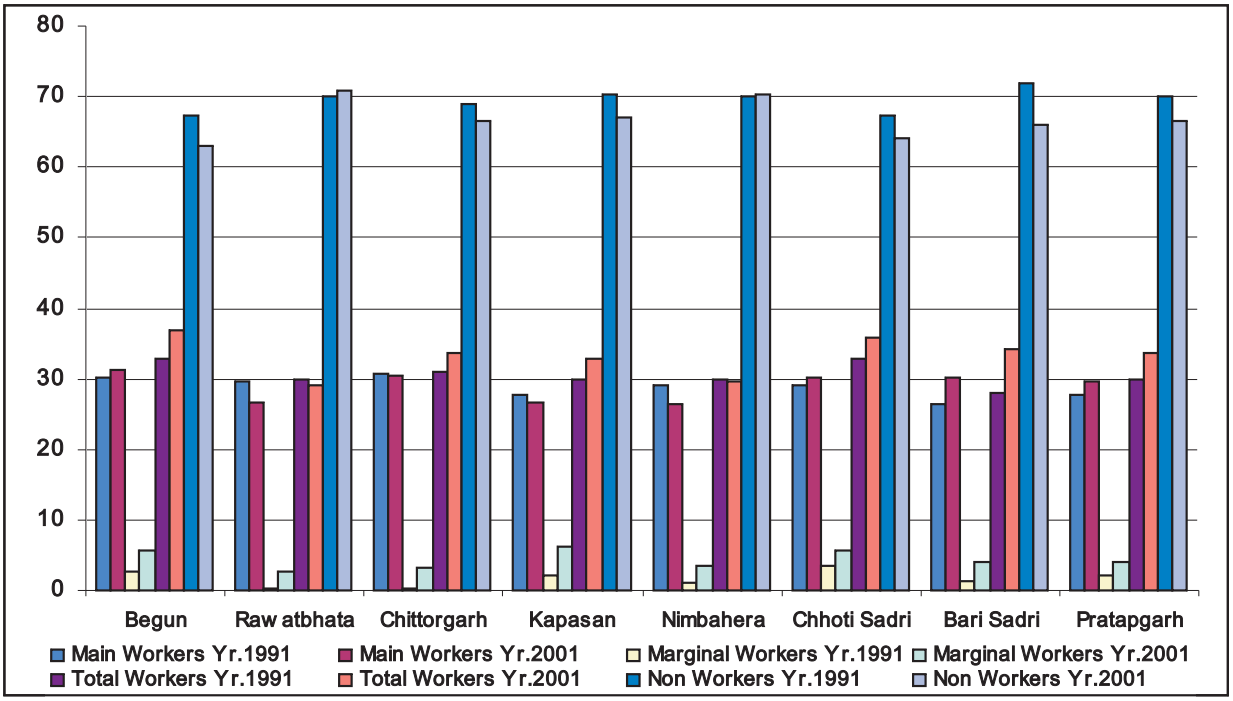

Source: Census data 1991 and 2001

सारणी 2.4 : जिले के विभिन्न कस्बों में कार्यकारी/सीमांत कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी जनसंख्या का प्रतिशत (1991–2001)

S.No.	Town	Main Workers		Marginal Workers		Total Workers		Non Workers	
		1991	2001	1991	2001	1991	2001	1991	2001
1	बेगूं	30.04	31.2	2.72	5.7	32.76	36.9	67.24	63.1
2	रावतभाटा	29.66	26.6	0.32	2.6	29.98	29.2	70.02	70.8
3	चित्तौड़गढ़	30.76	30.4	0.31	3.3	31.07	33.6	68.93	66.4
4	कपासन	27.63	26.7	2.19	6.1	29.82	32.8	70.18	67.2
5	निम्बाहेड़ा	29.04	26.4	0.98	3.4	30.02	29.7	69.98	70.3
6	छोटीसादड़ी	29.22	30.2	3.55	5.7	32.77	35.9	67.23	64.1
7	बड़ीसादड़ी	26.52	30.1	1.43	4.0	27.95	34.1	72.05	65.9
8	प्रतापगढ़	27.77	29.6	2.10	4.0	29.87	33.6	70.13	66.4
	जिला	**29.33**	**28.9**	**1.22**	**3.8**	**30.55**	**32.7**	**69.45**	**67.3**

Source: Census Data 1991 and 2001

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि जिले के विभिन्न कस्बों में निम्बाहेड़ा को छोडकर गैर–कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात इस दशाब्दी में कम हुआ है। यद्यपि कार्यकारी संख्या का चलन विभिन्न कस्बों में अलग–अलग हैं, परन्तु कुल कार्यकारी जनसंख्या वर्ष 1991 की 30.5% से बढकर वर्ष 2001 में 35.7% हो गई हैं।

ग्राफ 3 में वर्ष 1991 से 2005 तक के प्रतिव्यक्ति आमदनी के आंकडे प्रस्तुत किये गये हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि इस जिले में इस अवधि के दौरान 4.28% आमदनी की बढ़ोतरी हुई हैं। यह बढ़ोतरी राज्य के प्रति व्यक्ति आमदनी की बढ़ोतरी 4.93% के पास ही है। यह भी उल्लेखनीय है कि चित्तौड़गढ़ जिले में प्रति व्यक्ति आमदनी राजस्थान के औसत से अपेक्षाकृत अधिक है।

ग्राफ 2.3 : चित्तौड़गढ़ जिले में प्रति व्यक्ति आय (वर्तमान दरों पर)

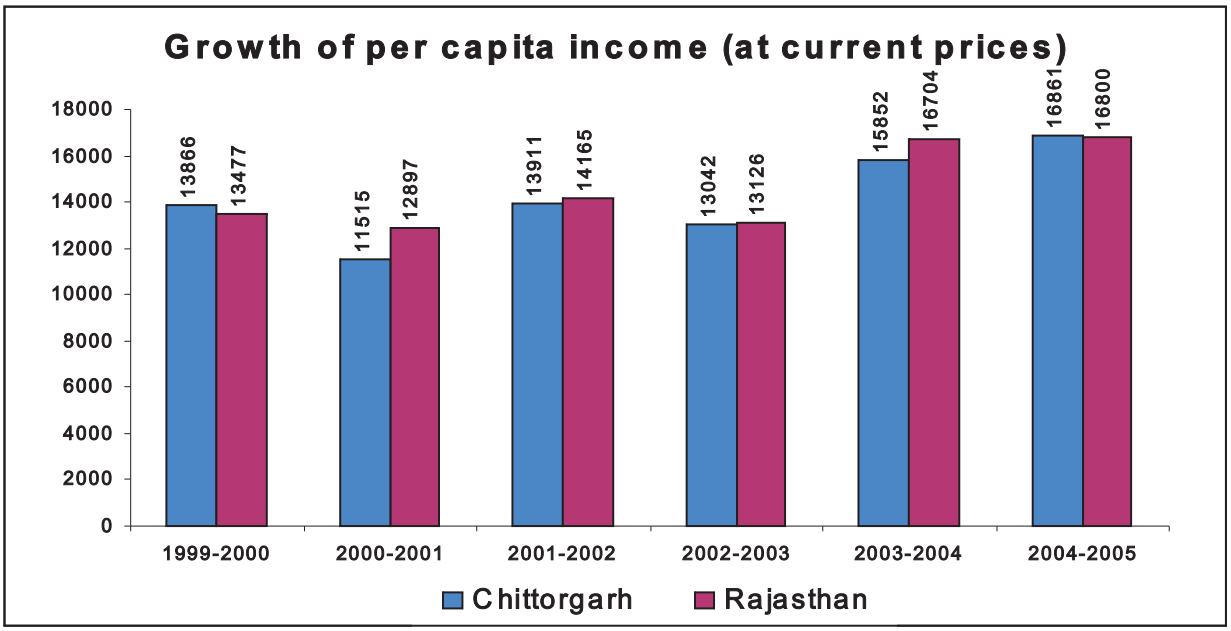

Source: Directorate of Economics and statistics, GoR

जिले की जातिगत संरचना पर दृष्टि डालें तो प्रतीत होता है कि जिले में अनुसूचित जाति का बाहुल्य है। वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत 21.63 है, जो जिले के दक्षिणी भाग की अरनोद, प्रतापगढ एवं छोटी सादड़ी तहसीलों में केन्द्रित है, इसी वर्ष की जनगणना में विदित होता है कि कुल कृषि श्रमिकों में अनुसूचित जन जाति, श्रमिक संख्या 77% हैं, जो कुल जनसंख्या में उनकी भागीदारी से भी अधिक है। इसका प्रमुख कारण अनुसूचित जन जातियों का अपेक्षाकृत अधिक गरीब होना है।

सारणी 2.5 : तहसीलवार गरीबी का आकलन

Tehsil	Total Rural HH with Social Group					BPL Family with Social Group				
	Total	ST	SC	OBC	Others	Total	ST	SC	OBC	Others
राशमी	18210	1238	4180	9707	3085	2202	350	774	873	205
गंगरार	22433	1624	4381	12390	4038	4093	597	965	2075	456
बेगूं	22891	3948	13511	2537	2895	1841	398	640	99	704
भैंसरोड़गढ़	17499	6616	2273	6915	1695	4506	2785	637	958	126
चित्तौड़गढ़	38749	7460	19494	6664	5131	4821	1076	1848	509	1388
कपासन	21199	2270	4444	11388	3097	2161	501	599	875	186
डूंगला	22431	2718	3755	11363	4595	3250	816	707	1308	419
भदेसर	24212	2026	4701	12401	5084	1659	439	441	620	159
निम्बाहेड़ा	32518	4769	6216	17000	4533	6589	1583	1750	2558	698
छोटीसादड़ी	24510	9979	3101	8174	3256	2804	1550	468	566	220
बड़ीसादड़ी	22724	6748	3044	8591	4341	3169	1391	490	904	384
प्रतापगढ़	46007	25865	3624	10825	5693	9034	6569	612	1377	476
अरनोद	27066	18269	1620	4559	2618	5499	4526	348	407	218
भोपालसागर	18456	2644	3884	9047	2881	4513	1458	1174	1514	367
योग	**358905**	**96174**	**78228**	**131561**	**52942**	**56141**	**24039**	**11453**	**14643**	**6006**

Source: BRGF Diagnostic Study cum Baseline Survey 2007

ग्राफ 2.4 : पंचायत समितिवार गरीबी रेखा से नीचे (**BPL**) के परिवारों कुल परिवारों में अनुपात

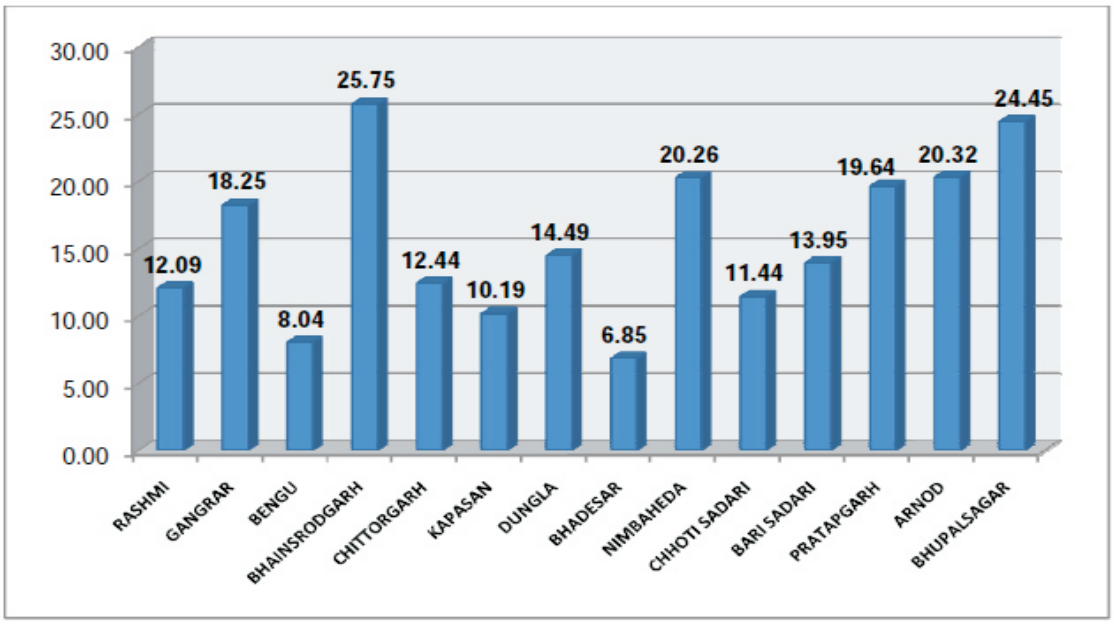

Source: BRGF Diagnostic Study cum Baseline Survey 2007

ग्राफ 2.4 में पंचायत समितिवार BPL परिवारों का कुल परिवारों के साथ अनुपात दर्शाया है। इस अनुसार भैंसरोड़गढ़ एवं भूपालसागर में BPL परिवार सबसे अधिक हैं, जबकि भदेसर एवं बेगूं में गरीब परिवारों की संख्या न्यूनतम हैं।

जैसा कि ग्राफ 2.5 में विदित होता हैं कि बेगूं पंचायत समिति में 58% कार्यकारी जनसंख्या हैं, जबकि भूपाल सागर पंचायत समिति में यह प्रतिशत सबसे न्यूनतम 29% हैं। महिला कर्मियों की संख्या राशमी एवं बड़ी सादड़ी में 78% हैं, जबकि भूपालसागर में न्यूनतम 12% महिला कार्यकारी हैं।

ग्राफ 2.5: पंचायत समितिवार कार्यसहभागिता दर (**Work Participation Rate**)

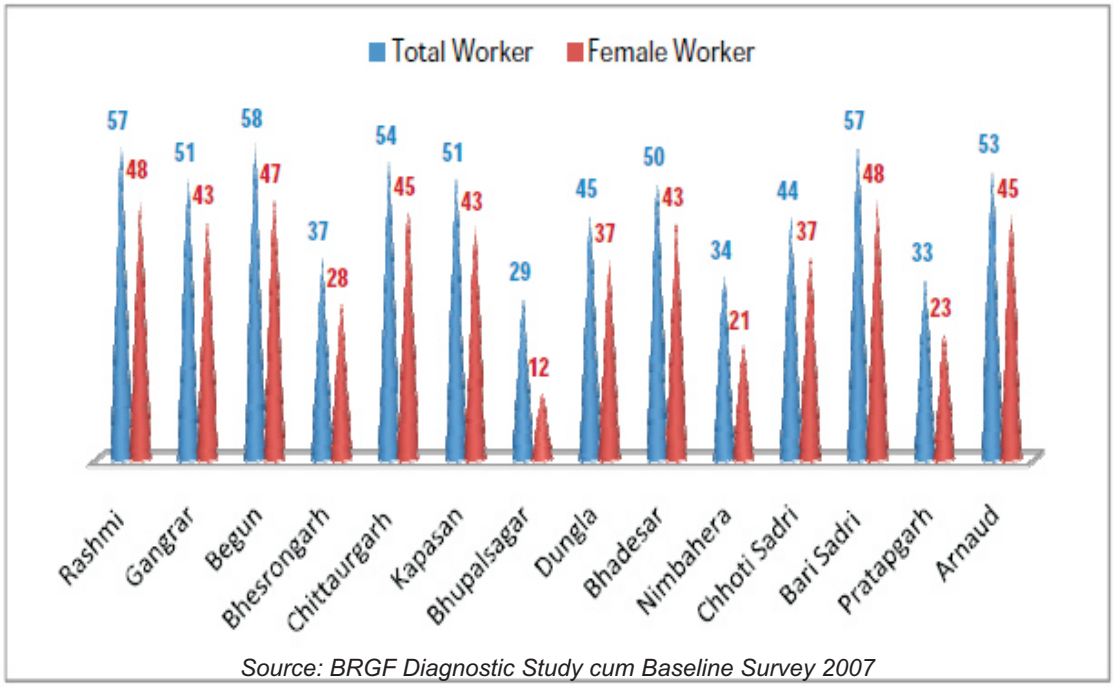

Source: BRGF Diagnostic Study cum Baseline Survey 2007

ग्राफ 2.4 के अनुसार 63.31% ग्रामीण जनसंख्या के लिए सीमांत कृषि ही आजीविका का साधन हैं, जनसंख्या का 17.48% भाग आजीविका के लिए आकस्मिक श्रम पर आधारित है। वेतन भोगी कर्मियों का अनुपात अत्यन्त न्यूनतम 4.67% है, जिससे यह विदित होता हैं, कि जिले में विकास की संरचना अपेक्षाकृत कमजोर हैं।

सारणी 2.6 : जिले में ग्रामीण परिवारों के आजीविका के वर्तमान साधन

Block	Casual Labor	Subsistence Cultivation	Artisans	Salary	Others	Total
राशमी	3120 (17.13)	9926 (54.51)	1154 (6.34)	1091 (5.99)	2919 (16.03)	18210 (100)
गंगरार	3445 (15.36)	14484 (64.57)	760 (3.39)	1711 (7.63)	2033 (9.06)	22433 (100)
बेगूं	2199 (9.61)	15938 (69.63)	490 (2.14)	684 (2.99)	3580 (15.64)	22891 (100)
भैंसरोड़गढ़	6734 (38.48)	8292 (47.39)	403 (2.30)	665 (3.80)	1405 (8.03)	17499 (100)
चित्तौड़गढ़	7094 (18.31)	21259 (54.86)	2016 (5.20)	3631 (9.37)	4749 (12.26)	38749 (100)
कपासन	2751 (12.98)	14300 (67.46)	1057 (4.99)	888 (4.19)	2203 (10.39)	21199 (100)
डूँगला	5448 (24.29)	11982 (53.42)	1077 (4.80)	1008 (4.49)	2916 (13.00)	22431 (100)
भदेसर	2576 (10.64)	16518 (68.22)	705 (2.91)	1133 (4.68)	3280 (13.55)	24212 (100)
निम्बाहेड़ा	9172 (28.21)	16791 (51.64)	803 (2.47)	911 (2.80)	4841 (14.89)	32518 (100)
छोटीसादड़ी	4247 (17.33)	17527 (71.51)	649 (2.65)	518 (2.11)	1569 (6.40)	24510 (100)
बड़ीसादड़ी	3029 (13.33)	15819 (69.61)	818 (3.60)	1130 (4.97)	1928 (8.48)	22724 (100)
प्रतापगढ़	5845 (12.70)	34911 (75.88)	824 (1.79)	1242 (2.70)	3185 (6.92)	46007 (100)
अरनोद	2600 (9.61)	20040 (74.04)	993 (3.67)	792 (2.93)	2641 (9.76)	27066 (100)
भोपालसागर	4471 (24.23)	9426 (51.07)	710 (3.85)	1348 (7.30)	2501 (13.55)	18456 (100)
योग	**62731 (17.48)**	**227213 (63.31)**	**12459 (3.47)**	**16752 (4.67)**	**39750 (11.07)**	**358905 (100)**

*Source: BRGF Diagnostic Study cum Baseline Survey 2007. *(Figures in parentheses represent percentage of the total)*

कृषि क्षेत्र

2.4 भू–उपयोगिता पद्धति

जिले का कुल औद्योगिक क्षेत्र 10,35704 हैक्टेयर है, जिसमें से 564564 हैक्टेयर कृषि योग्य तथा 381873 हैक्टेयर अकृषि योग्य क्षेत्र है। वर्ष 2007 के आकड़ों के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्र 411082 हैक्टेयर है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 39.69% है, एवं कुल बोया गया क्षेत्र 561917 हैक्टेयर तथा कुल सिंचित क्षेत्र 213705 हैक्टेयर है। इस वर्ष के आकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र 194743 हैक्टेयर में विस्तारित है। साधारणया खरीफ में 400000 हैक्टेयर तथा रबी में 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। भूमि उपयोग की इस निम्न सघनता पर कृषि आधारित जनसंख्या की आजीविका को गति देना सम्भव नहीं है।

अतः वर्तमान परिस्थितियों में जबकि अतिरिक्त भूमि को कृषि जोत में लाने की, गिरते हुए भू–जल अनुसार सम्भावनाएँ न्यून रह जाती हैं। इसी प्रकार गंगरार व कपासन तहसील क्षेत्रों में एक बडा भू–भाग कृषि योग्य होते हुए भी फसल उत्पादन हेतु काम में नहीं जा रही है, जिसे आधुनिक कृषि के अन्तर्गत लाना अत्यन्त आवश्यक है।

शुष्क–जलवायु क्षेत्र के अनुसार यह जिला क्षेत्र IV A एंव IV B के अन्तर्गत आता है। जिनको पुनः IV शुष्क–वानस्पतिक क्षेत्रों में भूमि के प्रकार, उगाये जाने वाली वनस्पति एवं जलवायु मापदण्डों के अनुसार निम्नानुसार बाँटा गया है।

सारणी 2.7 :– जिले के शस्य वानस्पतिक क्षेत्र

क्र. सं.	कृषि जलवायु खण्ड़ का नाम	नाम ए.ई.एस.	ए.ई.एस. का प्रकार	पंचायत समिति	कुल भौगोलिक क्षेत्र **(ha)**	प्रमुख फसलें	
						खरीफ	रबी
1	चतुर्थ–ए	ए.ई.एस**–I**	Medium to deep texture plain soil medium rainfall & irrigated soil	चित्तौड़गढ़,निम्बाहेड़ा, भदेसर,डूँगला	271904	मक्का,मूँगफली व सोयाबीन	गैहूँ,सरसौं व चना
2		ए.ई.एस **–II**	Medium to heavy & deep soil, grey brown average rainfall area	कपासन,भोपाल सागर, राषमी व गंगरार	191499	मक्का व मूँगफली	गैहूँ व सरसौं
3		ए.ई.एस **–III**	Deep to very deep plain & high elevation medium to high rainfall	बैगूँ व भैंसरोड़गढ़	240515	मक्का,मूँगफली व सोयाबीन	गैहूँ, चना व सरसों
4	**IV-B**	ए.ई.एस **–IV**	Medium brown black soil medium to high rainfall & high elevation	प्रतापगढ़,अरनोद,छोटी सादड़ी व बड़ीसादड़ी	46721	मक्का, सोयाबीन व उड़द	गैहूँ व चना

Source: SREP report, DD Agriculture, Chittorgarh

सारणी 2.8: जिले के भू–उपयागिता पैटर्न (हैक्टेयर में)

क्र. सं.	कृषि जलवायु खण्ड़	ए.ई.एस. नाम	पंचायत समिति का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल	बुआई योग्य क्षेत्र	बोया जाने वाला क्षेत्र	खेती योग्य अकृषि क्षेत्र	चालु पड़त	वन		चरागाह	अकृषि क्षेत्र	अन्य उपयोग भूमि	बंजर व कृषि अयोग्य भूमि
									संरक्षित	खुला				
1	चतुर्थ ए	ए.ई.एस I	चित्तौड़गढ़	85041	**59097**	36309	1311	867	0	10487	7240	6974	22788	8483
2			निम्बाहेड़ा	83364	64476	41938	1645	690	0	6898	13676	4716	22538	7274
3			भदेसर	54076	43343	27481	1223	681	0	3135	5860	2217	15862	5381
4			डूंगला	49423	43142	28640	986	791	0	2	5679	2581	14502	3698
6		ए.ई.एस II	कपासन	90825	79964	47915	4611	1443	0	104	9289	6192	32049	4565
7			भोपालसागर											
8			राषमी	44925	38783	22322	3329	1415	0	314	4793	2874	16461	2954
9			गंगरार	55749	47633	21767	1110	695	0	1647	8008	3487	25866	2982
10		ए.ई.एस III	बेगूं	96291	50463	25837	1423	874	0	35985	8587	3285	24626	6558
11			भैंसरोड़गढ़	144224	49221	21898	2096	2494	0	56686	5457	5347	27323	32970
12	चतुर्थ बी	ए.ई.एस IV	प्रतापगढ़	144578	85172	57576	2729	1155	0	49915	8078	4249	27596	5242
13			अरनोद	70090	54397	41470	1512	1411	0	11286	3875	1872	12927	2535
5			बड़ीसादड़ी	46721	37254	25390	1050	494	0	4343	4752	1780	11864	3344
14			छोटीसादड़ी	70397	49469	30389	1053	554	0	14452	5042	3101	19080	3375
कुल योग				1035704	702414	420932	24078	13564	0	195254	90336	48675	273482	89361

Source: DD Agriculture, Chittorgarh

राज्य औसत की तुलना में जिले की भूमि की जोत का आकार (size of land holding) अपेक्षाकृत छोटा है। 65% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं, जिनकी कुल जोत योग्य भूमि 27.9% ही है। छोटी जोत से कृषि सुधार एवं उत्पादकता बढाना है, तो सामूहिक खेती या चकबंदी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

अकृषि योग्य बंजर जमीन कुल क्षेत्र का 13.66% है, जो पहाड़ी एवं असमतल है। इस भूमि का उपयोग अच्छे चारागाह एवं वन संवर्धन में किया जा सकता है, जिससे रोजगार बढ़ने की सम्भावना के साथ पशुपालन की सम्भावना भी बढ़ सकती हैं।

2.5 सिंचाई

जिले में कुल कृषि क्षेत्र 7,02,414 हैं, जिसमें से 2,13,705 हैक्टेयर (34.83%) क्षेत्र सिंचित हैं, शेष वर्षा आधारित है, भूमिगत जल ही जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं, जिससे कुए व नलकूप के माध्यम से कुल सिंचित क्षेत्र का 89.41% क्षेत्र संतृप्त किया जा रहा हैं, तालाब एवं बांध दूसरा महत्त्वपूर्ण स्रोत महत्त्वपूर्ण हैं। सिंचित क्षेत्र का मात्र 5.52% नहरों द्वारा सिंचित किया जा रहा हैं। शुद्ध बोये गये क्षेत्र (नेट सोन एरिया) सिंचाई के वर्तमान साधनों सें मात्र 30.83% क्षेत्र ही सिंचित होता हैं

इस प्रकार जिले में सिंचाई व्यवस्था में सुधार की अविलम्ब आवश्यकता है, जिससे कृषि पर निर्भर लोगों को कृषि उत्पादन बढ़ाकर अधिक उत्थान किया जा सके । जिले में गंभीरी, बनाकिया, बस्सी,वागन, ओराई, ओराई एवं भूपाल सागर महत्त्वपूर्ण बांध हैं, जिनसे नहरें निकाल कर सिंचाई की जा रही हैं। जिले में सिंचित क्षेत्र विकसित करने की प्रबल सम्भावनाएं अभी हैं, जिनके विस्तार से एवं उपलब्ध पानी के समुचित उपयोग से, आधुनिक सिंचाई प्रणालियों यथा बूंद–बूंद एवं फव्वारा सिंचाई के उपयोग से तथा फसलों की महत्त्वपूर्ण आंतरिक अवस्थाओं (Critical Stage) पर सिंचाई कर अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता हैं।

सारणी 2.9 : वर्षा एवं सिंचाई आकड़ें

क्र सं	पंचायत समिति	असिंचित क्षेत्र (ha)	सिंचित क्षेत्र (स्त्रोत के अनुसार)				
			कुएँ/नलकूप	तालाब/नहरें	बाँध	अन्य	कुल
1	चित्तौड़गढ़	36309	21924	0	3895	87	25906
2	निम्बाहेड़ा	41938	30507	1016	54	0	31577
3	भदेसर	27481	14161	553	70	110	14894
4	डूंगला	28640	9401	846	96	0	10343
5	कपासन	25390	13644	897	5	0	14546
6	भोपालसागर	47915	16135	15	2103	0	18253
7	राशमी						
8	गंगरार	22322	4138	395	356	309	5198
9	बेगूं	21767	10324	301	552	333	11510
10	भैंसरोड़गढ़	25837	15540	3568	83	640	19831
11	प्रतापगढ़	21898	10067	40	230	1790	12127
12	अरनोद	57576	20646	0	721	268	21635
13	बड़ीसादड़ी	41470	11128	312	50	0	11490
14	छोटीसादड़ी	30389	16153	0	133	109	16395
कुल योग		**428932**	**193768**	**7943**	**8348**	**3646**	**213705**

Source: Irrigation Department, Chittorgarh

2.6 कृषि आदान प्रबन्ध

जिले में उर्वरकों का औसत उपयोग राज्य के औसत उपयोग से कम हो रहा है। यद्यपि यह अन्तराल कम ही रहा है। वर्ष 1999–2000में जिले में उर्वरक उपयोग 23 किग्रा/हैक्टेयर था जो 2003–04 में 27.0% घटकर 8.84 किग्रा./हैक्टेयर रह गया है, जिसका विपरीत प्रभाव विभिन्न फसलों की उत्पादकता पर पड़ा है। कृषि उत्पादकता बढाने के लिए पोषक तत्वों की मात्रा (उर्वरक उपयोग) बढ़ाने के साथ साथ पोषक तत्वों का प्रबन्धन, अनुसंधान के परिणाम के आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत/संकर बीजों का उपयोग फसल उत्पादकता बढ़ाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे बीज उर्वरक , पौध संरक्षण रसायनों एवं सिंचाई आदि आदानों के समुचित उपयोग होने पर उत्पादन बढ़ाने की विपुल संभावनाएँ प्रदर्शित करते हैं। बी.आर.जी.एफ. चित्तौड़गढ़ द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर यह स्पष्ट हुआ हैं, कि जिले के केवल 77% किसान ही अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत बीजों का उपयोग करते हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि किसानों को ऐसे बीजों की क्षमता की जानकारी नहीं हैं, उनको कृषि तकनीक का ध्यान नहीं हैं, वे ऐसे बीजों का उपयोग करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, या ऐसे बीज ही उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। अतः किसानो को अधिक उत्पादन वाले उन्नत बीज उपलब्ध करा कर एवं कृषि उन्नत तकनीक के प्रदर्शन लगाकर तथा सम–सामयिक प्रदर्शन देकर कृषि उत्पादन एवं तदनुसार उनकी आय बढ़ाया जाना सम्भव है।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं, जो कृषक सदस्यों को कृषि ऋण तथा कृषि आदान उपलब्ध कराती हैं, तथा गैर सदस्य कृषकों को नकद पर कृषि आदान उपलब्ध कराती हैं। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन किया हुआ है, जो अपने क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आदान की आपूर्ति करती हैं। ये संस्थाएँ जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक के साथ संबंधित हैं। जिले में 188 ग्राम पंचायतों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यरत नहीं है, अतः इन क्षेत्रों में कृषि आदानों की आपूर्ति निजी व्यापारियों द्वारा की जाती हैं। जिले में कुल निजी कृषि आदान विक्रेता जिसमें 550 उर्वरक, 475 पौध संरक्षण रसायन, 575 उन्नत बीज विक्रय हेतु लाइसेंसधारी हैं।

जिले में 5 कृषि उपज मंडियाँ हैं, जो कपासन, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बेगूं एवं प्रतापगढ़ में कार्यरत हैं। इन मंडियों में कृषि उत्पादों के विपणन की व्यवस्था है। जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ पर फल एवं सब्जी मंडी भी है, जहाँ फल एवं सब्जियों के विपणन की व्यवस्था हैं। इन मंडियों के माध्यम से कृषि उत्पादों का विपणन होने से कृषकों को उनके उत्पादन की उचित कीमत मिलती है। जिले के अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों पर कृषि उत्पादों के विपणन की समुचित व्यवस्था न होने से कृषक व्यापारियों के चंगुल में उलझ जाते हैं, और उनको अपने उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिलती है। राशमी, गंगरार, बस्सी, बिजयपुर, रावतभाटा ऐसे स्थान हैं, जहां पर कृषि उत्पादों के विपणन हेतु रेगुलेटेड मंडी की आवश्यकता प्रतीत होती हैं।

किसानों की आय मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन से होती हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में उन्नत बीजों, उर्वरकों, पौध संरक्षण रसायनों के उपयोग एवं सिंचाई क्षेत्र से विस्तार से 1970 एवं 1980 के दशकों में कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय बढ़ी थी, परन्तु कई कारणों से उत्पादन वृद्धि में स्थायित्व आ जाने के कारण पिछले कई वर्षों से उनकी आय में भी स्थायित्व आ गया है। मानसूनी वर्षा के असमान वितरण, विलंब से आने या शीघ्र चली जाने एवं कम होने से कृषि उत्पादन पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा है। भूजल की स्थिति भी शोचनीय हो रही है।अब समय है, जब कृषकों को अल्प समय में पकने वाले बीजों के उपयोग एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यथा बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि के लिए प्रेरित किया जाए। यदि आवश्यक हो तो इन प्रयोगों के लिए राज्य अनुदान बढ़ाया जाए एवं कृषि ऋण सस्ते ब्याज दरों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है, कि जिले में वर्ष 2003–05 में प्रति हैक्टेयर क्षेत्र पर फसली–ऋण मात्र 1430 रु. ही था जो राज्य औसत 1700 रु. से कम हैं।

2.7 फसल पद्धति

जिले में अन्न वाली फसलें ही बहुतायत से उगाई जाती हैं। जिले में कुल फसली क्षेत्र का 47.13% क्षेत्र में अन्न वाली फसलों की खेती होती है। वर्ष 2003–04 में जिले में लगभग 4.00 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ था जो एक रिकार्ड है। जनसंख्या में लगातार होने वाली वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति अन्न का उत्पादन एवं उपलब्धि भी कम से कमतर होती जा रही है। जिले में दलहनी फसलों की उत्पादकता अत्यंत कम होकर चिंताजनक है, अतः पौष्टिकता की दृष्टि से भी इन फसलों की उत्पादन वृद्धि पर ध्यान देना आवश्यक है। अच्छे बीज, संतुलित उर्वरक, पौध संरक्षण एवं कल्चर के उपयोग को प्रोत्साहित कर दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

जिले में अफीम एवं कपास की खेती नकदी फसलों के रूप में की जाती है, वर्तमान में 3000. हैक्टेयर में अफीम तथा 5977. हैक्टेयर में कपास की खेती की जा रही है।

2.8 कृषि–प्रसार

कृषि उत्पादन बढाने में कृषि–प्रसार–तकनीक का उपयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न फसलों की उन्नत कृषि विधियों के प्रसार के लिए जिला स्तर पर उपनिदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय स्थित हैं। जिले में कपासन, चित्तौड़गढ़, बेगूं एवं प्रतापगढ में सहायक निदेशक के कार्यालय हैं, जिनके अधीन कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र भ्रमण कर कृषि– विधियों का प्रसार करते हुए कृषकों को आदान उपलब्ध कराने में भी सहायक होते हैं। शोचनीय यह है, क्षेत्र में कार्य करने वाले कृषि अधिकारियों, सहायक कृषि अधिकारी तथा कृषि पर्यवेक्षकों के अधिकतर रिक्त हैं, अतः कृषि की नवीनतम तकनीक के प्रसार में कठिनाई एवं विलम्ब होता हैं। जिले के दक्षिणी भाग (प्रतापगढ़ एवं अरनोद क्षेत्र) में यह स्थिति और चिन्ता जनक है, क्योंकि इस अनुसूचित जन जाति क्षेत्र के निवासी जो अधिकतर आदिवासी और मीणा हैं, आधुनिक संचार साधनों एवं शिक्षा अपेक्षाकृत दूर होने के कारण कृषि ज्ञान से संपन्न नहीं हैं। राज्य सरकार स्तर पर इस संबंध में कार्यवाही शीघ्र ही अत्यंत आवश्यक हैं।

2.9 जल संसाधन

चित्तौड़गढ़ जिले में प्रमुखतः तीन नदी बेसिन यथा– बनास, चम्बल और माही हैं, जो क्रमशः 52 प्रतिशत, 27 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत जल उपल्बध कराते हैं। जिले की वार्षिक औसत वर्षा 772 मि.मी. हैं। जिससे जिले को 72413 मिलियन क्यूबीक फिट पानी प्राप्त होता है। इसमें से 57930 मिलियिन क्यूबीक फिट पानी उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। जबकि सिंचाई बांधों, तालाबों, एनिकटों आदि के द्वारा केवल 13500 मिलियन क्यूबीक फिट पानी ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार जिले में औसत वर्षा से 17378 मिलियिन क्यूबीक फिट अतिरिक्त पानी उपयोग किया जा सकता हैं।

यद्यपि बीसलपुर बांध के कारण बनास नदी के पानी को बांधकर रोकना संभव नहीं है, परन्तु चम्बल एवं माही के पानी के उपयोग की संभावनाओं का आंकलन कर तद्नुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

सरणी 2.10: जिले में भू जल संसाधन क्षमता

जिले का नाम	शुद्व वार्षिक भूजल उपलब्धता (मि.क्यू.मी.)	वास्तविक वार्षिक भूजल उपयोग (मि.क्यू.मी.)	वर्तमान भूजल अवशेष (मि.क्यू.मी.)	भूजल विकास स्थिति (प्रतिशत)
चित्तौड़गढ़	460.11	519.48	-59.37	112.9

Source : BRGF Diagnostic Study cum Baseline Survey 2007

2.9.1 जल स्तर विचलन

जिले में पानी का स्तर क्षेत्र की भूमि संरचना पर निर्भर करता है। मानसून से पूर्व कुओं में पानी का स्तर ग्रेनाइट रॉक स्ट्रक्चर क्षेत्र में 3.73 से 13.77 मीटर, फाईलाइट एवं शिष्ठ स्ट्रक्चर क्षेत्र में 3.47 से 16.04 मीटर तथा अल्ट्रा बेसिक स्ट्रक्चर चट्टानों में 4.90 से 11.70 मीटर गहराई पर रहता है। मानसूनी वर्षा के बाद जिले में पानी का स्तर पर लगभग 4 मीटर तक बढ़ जाता है। पानी के स्तर पर किये गये अध्ययनों से प्रतिपादित होता है कि प्रतिवर्ष औसत रूप से 0.25 मीटर पानी का स्तर कम हो रहा है।

2.9.2 भू–जल विकास

जिले के 14 पंचायत समितियों में 13 में भूजल विकास 100 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। जिससे प्रमाणित होता है कि कमी वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। जिले के औसत भूजल विकास 142.44 प्रतिशत है। अतः जिले में भूजल विकास की संभावना अब नहीं है।

2.9.3 जल संरक्षण एवं कृत्रिम पुर्नभरण

भू–जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण जल का पुर्नभरण करने की संभावनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। इसके साथ ही वर्षा जल को अधिक संरक्षित करना होगा। इस हेतु उपलब्ध सतही एवं भूजल के उपयोग में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। जल संरक्षण हेतु तालाब एनिकट तथा जोहड निर्माण पर ध्यान देना होगा तथा रिहायशी एवं अन्य भवनों पर उपलब्ध होने वाले छत के पानी को टांकों में संचय कर उपयोग करने की प्रवृति को जाग्रत करना होगा।

2.9.4 जल ग्रहण विकास

चित्तौड़गढ़ जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र 7,13,182 हैक्टेयर में से 5,76,959 हैक्टेयर क्षेत्र ही उपचार योग्य हैं। वर्ष 2008–09 तक 1,64,337 हैक्टेयर जो उपचार योग्य क्षेत्र का 28.24 है, उपचारित किया जा चुका है। शेष 3,50,677 हैक्टेयर क्षेत्र अभी उपचारित करना बाकी है।

जिले में भू एवं जलसंरक्षण का कार्य निजी एवं सार्वजनिक भूमि पर भू एवं जल जल संरक्षण विभाग द्वारा तथा वन भूमि में वन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का अभी और तीव्र गति देने के लिए तद्नुसार संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

सारणी 2.11: तहसील वार जल–ग्रहण क्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	भौगोलिक क्षेत्र	ट्रिटमेन्ट के लिये चिन्हित एरीया	जल ग्रहण योजना में 31.03.09 तक विकसित क्षेत्र	वर्तमान में विकास हेतु स्वीकृत क्षेत्र			शेष क्षेत्र जिसको लिया जाना हैं
						IWDP	**NWDPRA**	**Total**	
1	चित्तौड़गढ़	बड़ीसादड़ी	48132	40500	14683	4508	1679	6187	19630
2	चित्तौड़गढ़	बेगूं	76383	46334	14877	0	2342	2342	29115
3	चित्तौड़गढ़	भदेसर	54710	51494	15661	6225	1332	7557	28276
4	चित्तौड़गढ़	भैसरोड़गढ़	132886	70039	4790	7234	1277	8511	56738
5	चित्तौड़गढ़	भोपालसागर	37572	37572	13191	0	2310	2310	22071
6	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	94196	70792	21899	0	2528	2528	46365
7	चित्तौड़गढ़	डूंगला	51104	51104	13496	0	2288	2288	35320
8	चित्तौड़गढ़	गंगरार	51398	49680	16385	5897	927	6824	26471
9	चित्तौड़गढ़	कपासन	50783	50681	22219	0	1621	1621	26841
10	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	73903	66851	14171	18476	779	19255	33425
11	चित्तौड़गढ़	राशमी	42115	41912	12965	0	2522	2522	26425
महायोग		**11**	**713182**	**576959**	**164337**	**42340**	**19605**	**61945**	**350677**
				80.8%	**28.4 %**				**60%**
1	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	145860	97933	15057	0	1533	1533	81343
2	प्रतापगढ़	अरनोद	67678	51292	13193	0	2307	2307	35792
3	प्रतापगढ़	छोटीसादड़ी	79238	63340	15648	0	1957	1957	45735
महायोग		**3**	**292776**	**212565**	**43898**	**0**	**5797**	**5797**	**162870**
योग		**14**	**1005958**	**789524**	**208235**	**42340**	**25402**	**67742**	**513547**

Source: Executive Engineer, Zilla Parishad, Chittorgarh

2.10 उद्यान

जिले में उद्यानिकी फसलों के अर्न्तगत वर्ष 2005–06 के अनुसार कुल क्षेत्र के 20140 हैक्टेयर हैं, जो कि कृषि योग्य क्षेत्र का मात्र 4.6% है। वर्तमान में वर्ष 2008–09 के अनुसार फल बगीचों का क्षेत्र लगभग 2500 हैक्टयर है। जिले में मुख्य रूप से उद्यानिकी फसलें विवरण अनुसार उगाई जाती हैं।

मसाला – अजवाईन, लहसून, मैथी, मिर्च।
सब्जी फसलें – बैगन, टमाटर, भीण्डी, फूलगोभी, मटर, कूकरविट्स, मिर्च।
फल – आँवला, अमरूद, संतरा, अनार, नीम्बू।

सारणी 2.12: उद्यानिकी फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल

वर्ष 05–06	क्षेत्र फल हैक्टेयर में
मसाला फसलें	17300
सब्जी फसलें	995
फल बगीचे	1845
योग	20, 140

(स्रोतः– सहायक निदेशक उद्यान के अनुसार)

इस जिले में आँवला का उत्पादन काफी अच्छा हो रहा हैं, लेकिन विपणन एवं प्रसंस्करण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इस फसल के रूझान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिले में जलवायु एवं भूमि उद्यानिकी फसलों के उत्पादन हेतु काफी उपयुक्त हैं, साथ ही कृषि उत्पादन में आ रही अस्थिरता के कारण कृषकों का रूझान उद्यानिकी फसलों पर विशेष कर कम पानी में उत्पादन देने वाली फसलों की ओर ज्यादा बढा है, जैसे अजवाईन। साथ ही अच्छी पैदावार एवं बाजार भाव अच्छा मिलने से सब्जी फसलों की ओर कृषक अग्रसर हैं, ।

इस जिले में कृषकों के पास काफी कम भूमि हैं। अधिकतर कृषक लघु/सीमांत कृषकों की श्रेणी में आते हैं, साथ ही वित्तीय स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होने के कारण फल बगीचा लगाने के पश्चात बाउण्ड्री वाल या फेनसींग नहीं कर पाते हैं, चूंकि इस हेतु लागत बहुत ज्यादा आती है, यदि सरकार की ओर से इस मद में सहायता दी जाती हैं, तो फल बगीचों का क्षेत्र काफी बढ़ सकता है।

जिले में उद्यानिकी फसलों की मुख्य समस्याएँ :–

1 अच्छी गुणवत्ता के पौधे एवं पौध सामग्री का अभाव।

2 उद्यानिकी फसलों में प्रारम्भिक लागत ज्यादा ।

3 उद्यानिकी उत्पाद के विपणन की समुचित व्यवस्था का अभाव ।

4 बाजार भाव की अस्थिरता ।

5 उत्पाद की ग्रेडिंग एवं छँटनी की व्यवस्था का अभाव ।

6 उद्यानिकी उत्पाद के परिवहन की समुचित व्यवस्था का अभाव।

7 खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित उद्योगों का अभाव।

8 उत्पादन के संग्रहण हेतु शीत गृहों एवं भण्डारण व्यवस्था का अभाव।

2.11 पशुपालन

जिले में ग्रामीण विकास एवं समाज के आर्थिक विकास में पशुपालन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर 15 से 20 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं, तथा लगभग 80 प्रतिशत परिवार सीमांत कृषक हैं, जिनकी आजिविका का मुख्य साधन पशुपालन हैं। कुछ ही सम्पन्न कृषकों के पास उपजाऊ व सिंचित भूमि हैं। इसके अलावा रोजगार के स्रोत बहुत कम हैं, अधिकतर ग्रामीण परिवार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के पशु पालन से जीवनयापन करते हैं, जिन कृषकों के पास भूमि हैं, वे गौवंश एवं भैसवंश एवं भूमिहीन कृषक भेड़ बकरी एवं मुर्गीपालन करते हैं, जिले में पशुपालन की स्थिति (संख्या) निम्नानुसार हैं, :–

सारणी 2.13: जिले में पशुपालन की स्थिति (संख्या में)

क्र.सं.	तहसील	दुग्ध पशु			दुध विहीन पशु	भेड़	बकरी	मुर्गियाँ	सूअर	अन्य	योग
		गाय वंश		भैंस वंश							
		देशी	संकर	देशी							
1	चित्तौड़गढ़	47580	8397	26209	21397	7864	74920	20128	2940	22232	231667
2	निम्बाहेड़ा	33108	5843	21855	14188	9726	45262	7971	512	17904	156369
3	भदेसर	18164	3205	19342	13881	10503	55352	7804	353	16928	145532
4	डूँगला	12603	2224	16385	12893	9996	40855	3228	210	14628	113022
5	बड़ीसादड़ी	18624	3286	14424	13567	5553	38630	5950	451	12875	113360
6	कपासन	31006	5472	29498	22912	14540	74203	7707	665	23429	209432
7	राशमी	14374	2536	12353	7208	10343	31225	2251	269	9744	90303
8	गंगरार	29461	5199	11951	11305	14233	48456	6015	138	10064	136822
9	बैगूँ	39719	7009	15881	22170	7037	54202	7847	753	15017	169635
10	भैंसरोड़गढ़	41540	7331	10703	16306	1815	39719	8622	509	8886	135431
11	प्रतापगढ़	56942	10049	23473	37830	4089	63048	41580	58	19745	256814
12	अरनोद	28413	5014	10676	18891	3922	28667	24339	137	9104	129163
13	छोटीसादड़ी	25657	4528	13217	14216	5130	43426	12386	386	10801	129747
	कुल योग	397191	70093	225967	226764	104751	637965	155828	7381	191357	2017297

Source: Livestock Census 2007

उपर्युक्त आंकड़ों से ज्ञात होता हैं, कि केवल 17.84 प्रतिशत ही संकर नस्ल गौवंश हैं, जबकि भैसवंश अधिकतर स्थानीय नस्ल की हैं, । यद्यपि पिछले 17 वर्षो में 1.12 लाख पशुधन की वृद्धि हुई हैं, जिसमें भैसवंश वर्ष 16.4 प्रतिशत तथा गौवंश 3.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं, । पशु पालकों द्वारा भैसवंश, गौवंश की अपेक्षा अधिक पसंद की जाती हैं, ।

सारणी 2.14: पशुधन का तुलनात्मक विश्लेषण

	पशुधन जनगणना 2003(लाख)		पशुधन जनगणना 2007(लाख)		: अन्तर	
	राज्य	जिला	राज्य	जिला	राज्य	जिला
गाय	108.53	6.94	124.10	7.20	14.35	3.87
भैंस	104.13	4.08	115.42	4.74	10.83	16.07
भेड़	100.54	1.04	112.83	0.79	12.23	-23.68
बकरी	168.08	6.37	218.81	6.86	30.18	7.59
Swine	3.37	0.07	2.17	0.21	-35.54	-5.66
ऊंट	4.98	0.04	4.30	0.28	-13.57	-36.71
Poultry	61.92	1.55	26.49	1.16	-57.21	-25.01

स्रोत–पशुगणना 2003 व 2007

पूर्व पशुगणना के अध्ययन पश्चात ज्ञात हुआ कि 2003 एवं 2007 के दौरान बकरियों की संख्या में अच्छी बढोतरी हुई हैं, इसकी वजह भूमि की कमी एवं अकाल की स्थिति रही हैं, इसकी वजह से बहुतायत कृषकों ने बड़े पशुओं के बजाय छोटे पशुओं का पालन पसन्द किया है, दूसरी ओर भेड़ों की संख्या में 24 प्रतिशत कमी हुई है।

अवर्गीकृत नस्ल में देशी नस्ल को जिसे मावली में वर्गीकृत किया जा सकता है, वहीं भैंसवंश को सूरती एवं सूरती की तरह स्थानीय, भेड़ों में रोनाड़ी एवं मालपुरा हैं। गौवंश का बहुत बड़ा हिस्सा 60% गौवंश उत्पादन नहीं देता हैं या फिर कम देता हैं, ।

देशी एवं संकर नस्ल के गौवंश एवं भैसवंश का जिले में अनुपात 3.06 तथा 1.16 हैं और राज्य में यह अनुपात 4.3 व 1.1 हैं, संकर नस्ल की कमी यह इंगित करती है कि पशुपालकों में जागरूकता का एवं इससे होने वाले फायदे (अधिक उत्पादन) की जानकारी का अभाव हैं, जहाँ संकर नस्ल के पशु पाले जा रहे हैं, उन पशुपालकों को उचित प्रबन्धन की भी जानकारी नहीं हैं। इसकी वजह से उत्पादकता में कमी आई हैं।

मुर्गीपालन व्यवसाय के लिये जिले में पूरी–पूरी संभावना उपलब्ध हैं, यहाँ पर बैकयार्ड पोल्ट्री (घर के पिछवाडे में) पालन किया जाता है। जिले में एक भी आदर्श पोल्ट्री फार्म नहीं है। यह निम्न सारणी द्वारा ज्ञात होता है :–

सारणी 2.15: मुर्गीपालन का विवरण

क्र.सं.	ब्लॉक	परिवार संख्या बैंकयार्ड पोल्ट्री सहित	संख्या बैंकयार्ड पोल्ट्री
1	चित्तौड़गढ़	2022	10912
2	बेंगूं	1514	8339
3	रावतभाटा	1829	9218
4	कपासन	1102	6279
5	राशमी	918	5638
6	गंगरार	449	3917
7	भोपालसागर	838	5229
8	भदेसर	1927	10738
9	बड़ीसादड़ी	1017	5217
10	छोटीसादड़ी	1619	8320
11	प्रतापगढ़	1915	10918
12	अरनोद	1942	10373
13	निम्बाहेड़ा	2622	13505
14	डूंगला	1512	7675
	योग	**21226**	**116278**

Source: DD-AH, Chittorgarh

जहाँ तक कृत्रिम गर्भाधान का प्रश्न हैं, पशुपालकों में और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। पशुपालन विभाग उसके ब्रिडिंग पॉलिसी के अनुसार कार्य कर रहा है, इसका उद्देश्य दुग्ध क्षमता वाले पशुओं की जेनेटिक मेरिट बढाना हैं, । कृत्रिम गर्भाधान शुल्क 25/रू. लिया जाता है।

उपकरणों एवं कुशलता के अभाव में कभी–कभी कृत्रिम गर्भाधान विश्वसनीय नहीं होता हैं। उक्त कार्यक्रम जिले में यशस्वी नहीं है, नस्ल सुधार की वर्तमान स्थिति नीचे की सारणी में दर्शाई गई हैं, :–

पशु	क्षेत्र
भैंस	26.17%
गाय	9.54%
बकरी	39.8%

Source: DD-AH, Chittorgarh

BRGF के अंर्तगत हुए सूक्ष्म अध्ययन के अनुसार 16% पशुपालन को कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की जानकारी का अभाव दर्शाता हैं, ।

ग्रामीण पशुपालन को उनके उत्पादों के मूल्य की पूरी जानकारी नहीं हैं, चूंकि यह उत्पाद शीघ्र खराब हो जाते हैं, अतः व्यवस्थित तरीके से रखने पड़ते हैं, एवं इन्हें जल्दी उपयोग में लेना पड़ता है। डेयरी में उचित रख रखाव कि पूर्ण सुविधा नहीं होने के कारण एवं परिवहन व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पाद पर सीधा प्रभाव पड़ता हैं।

BRGF के रिपोर्ट के अनुसार 1/6 पशुपालकों ने बताया कि क्षेत्र में चारे की कमी हैं, चारागाह भूमि के क्षेत्र में निरन्तर कमी आ रही हैं, चारा विकास के लिये फिलहाल कोई योजना नहीं है, उससे आगामी समय में चारे की कमी आ सकती है। गांवों में चारागाह पर अनधिकृत अतिक्रमण के चलते चारागाह भूमि में कमी आ रही है, जिले में पर्वतीय क्षेत्र एवं अतिक्रमण, चरनोट भूमि नहीं होने के कारण हैं। जैसे ही पशु संख्या बढ़ेगी यह समस्या गम्भीर रूप ले सकती हैं। उपलब्ध चारा केवल 35.40% पूर्ति ही कर पायेगा इससे यह जाहिर होता है कि बहुतांश पशुओं के लिए चारे की कमी हो जायेगी ।

सूखा चारा, फसल से बचे हुये अवशेष उत्पाद से लिया जाता है। सूखी घास पड़त भूमि एवं जंगलों से इकट्ठी की जाती है, जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। इसी तरह बाटा भी पशुओं को पूरी मात्रा में नहीं खिलाया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा दूध देने वाले पशुओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। उत्पाद कम हो रहा है, एवं पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल रहा है।

जहाँ पर पशुपालन पशुपालको की आय का मुख्य स्रोत हैं, वहां पर 3.4% से भी कम भूमि का उपयोग चारे की फसल उगाने में किया जाता है, इसका बढ़ावा तब ही होगा जब उच्च गुणवत्ता वाले पशु पालें ।

2.12 वानिकी

जिले में वन क्षेत्र 2766.62 वर्ग कि.मी. हैं, जो कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 25.48ः होता है, परन्तु इसमें से सघन वन क्षेत्र केवल 1675 वर्ग कि.मी. हैं। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.15 हैक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत 0.08 हैक्टेयर एवं राज्य औसत 0.06 हैक्टेयर से अधिक है।

सारणी 2.16 : जिले में वन क्षेत्र

क्र. सं.	सूचक	जिले में	राज्य में	देष में
1	कुल भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	10856	342239	3287263
2	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	2766.62	32639	765253
3	कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	25.48	9.54	23.38
4	सघन वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	1675	15836	678333
5	कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	5.43	4.62	20.63
6	प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र (हैक्टेयर)	0.15	0.06	0.08

स्रोत : बी. आर. जी. एफ. स्टडी 2007

राजस्थान में राज्य सरकार ने राजस्थान अनुसूचित जन जाति सहकारी संग को (RCDF) को जन जाति क्षेत्र में वन–उपज को एकत्र कर विपणन के सर्वाधिकार दिए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अनुसूचित जन जाति क्षेत्र में पंचायत प्रसार (PRSA) हेतु लघु वन उपज (MFP) सहित सभी स्थानीय स्रोतों के उपयोग के निश्चित करने के अधिकार पंचायत को दिए गए हैं। जन जाति समुदाय के शोषण को रोकने के लिए तथा उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान अनुसूचित जन जाति संघ की ग्राम स्तरीय इकाइयाँ (LAMPS) भी स्थापित की हैं, परन्तु राजस्थान अनुसूचित जन जाति सहकारी संघ इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण में बहुत प्रभावी नहीं हुआ है। राज्य सरकार को इस प्रकार के मामले में स्वयं सहायता समूहों (SGH) पंचायतों एवं गैर सहकारी संस्थाओं (NGO) को भी प्रक्रियारत होने के निर्देश प्रसारित करने चाहिए। नए क्षेत्र में वन संवर्धन के साथ–साथ संवर्धित वनों को बचाने के लिए भूक्षरण एवं प्रदूषण से बचाव, अन्य जीव का संरक्षण आदि कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। इन सब कार्यों को संपादित करने के लिए वन विभाग का वित्तीय एवं मानवीय सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।

यद्यपि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम बहुत अधिक सफल नहीं रहा है, परन्तु पिछले वर्षों में ग्राम वन समितियों ने वन संवर्धन/सुरक्षा क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। जिले में 349 ग्राम वन समितियाँ बनाई गई हैं, जिनमें से 329 समितियाँ प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं तथा शेष अभी निर्माण एवं विकास के दौर में हैं। जिले में इन समितियों की सदस्य संख्या 41388 हैं, जिनमें से 4998 अनुसूचित जाति, 25784 अनुसूचित जन जाति तथा 14166 महिला सदस्य हैं। राज्य सरकार को इस तरह की समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

वनों के पुनः वनस्पतिकरण में कई समस्याएं हैं, जिनमें प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक वन्य जीव एवं पशु होना, जंगल में आग लग जाना, ऊंची–नीची (असमतल) भूमि होने से पानी का बहकर चला जाना, चट्टानी भू–भाग होने से पानी जमीन में न रिसना तथा जानवरों एवं पशुओं के भूमि विचरण करने से भूमि का कठोर हो जाना, वर्षा से भूक्षरण होना आदि मुख्य हैं।

वन–संसाधन सामाजिक एवं आर्थिक विकास के पूरक बन सके, इस हेतु विभिन्न समस्याओं का निराकरण विभिन्न स्तरों पर किया जाना आवश्यक हैं। मुख्य समस्याएं निम्न हैं, :–

1 सामाजिक उत्थान में वनों की भूमिका का प्रभावी मूल्यांकन न करना।
2 वन संवर्धन में पर्याप्त वित्तीय एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध न होना।
3 क्षेत्र के निवासियों (आदिवासी) का प्राचीन समय से ही गरीब होना।
4 वन क्षेत्रों में विभिन्न संस्थानिक उपायों की कमी होना।
5 विभिन्न विकास संबंधित विभागों में तालमेल का अभाव होना।
6 वन विभाग के कर्मियों को कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन न होना।
7 सामुदायिक–लाभ के विभिन्न कार्यक्रमों को सुदृढ़ एकता में न जोड पाना।
8 वन क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO) का अभाव होना।
9 वनों के स्थायित्व एवं संवर्धन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शोध का अभाव।
10 वन क्षेत्र के निवासियों, लाभार्थियों तथा संबंधित कार्यकारियों का वांछित प्रशिक्षण न होना आदि हैं।

राज्य सरकार को उपर्युक्त समस्याओं को हल करने हेतु प्राथमिकता से निर्णय लेना चाहिये।

जिले में चार वन्य–जीव अभयारण्य–बस्सी, जवाहर सागर, सीता माता तथा भैसरोड़गढ़ हैं। इन अभयारण्यों में धेक, सालर, ढाक(खाखरा), चुरैल, जामुन, बांस इत्यादि पेड़ बहुतायत में हैं। सांभर, चीतल, पैंथर, चिंकार, मगरमच्छ, सियार, जंगली सूअर इत्यादि वन्य जीव इन क्षेत्रों में बहुतायत से पाए जाते हैं। जिले में वन पनपने की अत्यधिक संभावनाएं हैं, जिनमें बांस के सामान, बीड़ी बनाना, कोयला बनाना, औषधियों, गोंद,महुआ फूल, शहद, जंगली बैर, टीमर, जामुन, खजूर एकत्र करना मछली पालन आदि मुख्य हैं। इन वन क्षेत्रों की नैसर्गिक सुन्दररता के कारण पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सकता है। वन क्षेत्रों में चारा उत्पादन कर एकत्रित करने से क्षेत्र के पशुओं को उत्तम गुणवत्ता का पोषण दिया जा सकता है।

2.13 बैकिंग

भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र का इस देश की अर्थ व्यवस्था पर बहुत प्रभावशाली असर हुआ हैं, परन्तु फिर भी चित्तौड़गढ़ जिले में बैंकिंग सेवाओं का ग्रामीण कृषि एवं सामान्य व्यक्तियों पर उतना सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा है, जितना कि अपेक्षित है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी व्यक्तिगत देनदारों से बहुत अधिक कर्जे में डुबे हुए हैं, तथा बैंक से लिंकेज नहीं होने से उनका उनका शोषण बहुत अधिक साहूकारों द्वारा किया जा रहा हैं। नीचे वर्णित तालिका बेंकिग सम्बन्ध में कुछ सूचक प्रदान करती हैं।

सारणी 2.17: चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के बैंकिग सूचक

सूचक	राशि
कुल जमाएं राशि (लाखों में)	138200
कुल अग्रिम राशि (लाखों में)	73900
जमा नामे अनुपात	53.47
उधार दर	–
प्राथमिकता क्षेत्र (प्रतिशत)	73
कृषि (प्रतिषत)	42
निर्धन वर्ग (प्रतिशत)	48

स्रोत : बीआरजीएफ स्टेडी, 2007

कम जमा नामे अनुपात यह प्रदर्शित करता हैं, कि जनसामान्य बैंक अथवा अन्य मान्यता प्राप्त ऋण दायी संस्थाओं से ऋण लेने में रूचि नहीं रखते हैं। निरक्षरता का प्रतिशत कम होने की वजह से इन योजनाओं का लाभ जनसामान्य नहीं उठा पा रहा है। बी. आर. जी. एफ. स्टेडी 2007 के अनुसार 87 प्रतिशत जन सामान्य लोगों को बैंकिंग क्षेत्र की जानकारी होना नहीं पाया गया। इस जिले में लगभग 131 बैंकिंग सेवा केन्द्र हैं, (निजी राष्ट्रीय एवं अन्य) जबकि जिले में 2395 गाँव हैं। निष्कर्ष यह है कि औसत 18 गाँवों पर एक बैंक हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत इससे कहीं बेहतर हैं। (लगभग 4 गाँव प्रति बैंक) अतः इस जिले में बैंकिंग क्षेत्र के विकास की प्रबल सम्भावनाएँ हैं। इसके अलावा यह अपेक्षित हैं, कि प्रत्येक गाँव में एक कृषक क्लब होना चाहिए, जबकि इस जिले में मात्र 40 कृषक क्लब हैं।

ग्रामीण वर्ग से जुड़े जनसामान्य को कृषि एवं मौसम में आये बदलाव के असर को तरीके से सामान्य करने हेतु नकद राशि की आवश्यकता होती है। चूंकि ऐसे क्षेत्रों के अधिकांश कृषकों को मदद ऋण राशि एवं जमा बचतों की आवश्यकता की राशि कम होती हैं, अतः ग्रामीण वर्ग से जुडे व्यक्तियों को विद्या अर्जन भोजन सामग्री रहने के मकान एवं अन्य घरेलू जरूरतों के लिए साख मदद की जरूरत पड़ती है। इस बात की आवश्यकता है कि ग्रामीण वर्ग से जुड़े लोगों की पहुँच के अन्तर्गत ऋण प्राप्त होवे ताकि वे परम्परागत साहूकारों के ब्याज चक्रों से निजात पा सके।

2.14 पलायन

इस जिले की आबादी का काफी बड़ा प्रतिशत पलायन करता है, भले ही वह सीजन के आधार पर हो अथवा किसी अन्य कारण से। यहां कि आबादी राजस्थान के अन्य जिलों एवं गुजरात राज्य में कार्य करने के लिए जाती हैं। पूर्व में ऐसा देशान्तरगमन पुरूषों द्वारा किया जाता था, परन्तु अब स्त्रियाँ एवं बच्चे भी देशान्तरगमन करते हुए पाये जा रहे हैं। देशान्तरगमन की वजह से इन लोगों की आय में वृद्धि भी हुई हैं, परन्तु जन जातियों में इसका विपरीत प्रभाव भी दृष्टिगोचर हो रहा है।

सारणी 2.18 : चित्तौड़गढ़ में ऋतु आधारित पलायन
(वे कुटुम्ब जिनमें एक या अधिक सदस्य ऋतु आधारित गमन करते)

ब्लॉक	प्रतिशत
राशमी	20.87
गंगरार	19.75
बेगूं	7.89
भैसरोड़गढ़	7.23
चित्तौड़गढ़	8.20
कपासन	15.87
डूंगला	22.27
भदेसर	9.62
निम्बाहेड़ा	7.67
छोटीसादड़ी	10.67
बड़ीसादड़ी	9.51
प्रतापगढ़	17.96
अरनोद	18.87
भोपालसागर	22.74
योग	14.23

स्रोत : जी. ओ. आर 2005

सारणी 2.19: खण्डवार पलायन के कारण

ब्लॉक	केजुअल वर्क	ऋतु आधारित रोजगार	जीविका की अन्य पद्धति	नॉन माईग्रेन्ट	अन्य कारण
राशमी	977	1819	644	14407	359
गंगरार	2381	1078	627	18002	345
बेगूं	1046	222	458	21086	79
भैसरोड़गढ़	906	247	78	16234	34
चित्तौड़गढ़	1340	929	539	35564	367
कपासन	1644	870	506	17836	343
डूंगला	2209	1448	1113	17435	224
भदेसर	758	882	554	21883	135
निम्बाहेड़ा	1470	580	363	30024	80
छोटीसादड़ी	1399	648	462	21889	106
बड़ीसादड़ी	858	607	503	20563	193
प्रतापगढ़	3803	3488	773	37742	200
अरनोद	1141	3426	318	21958	218
भोपालसागर	2062	933	840	14255	360
योग	21994	17177	7778	308878	3043

स्रोत : बी. आर. जी. एफ. रिपोर्ट 2007

जीविका के लिए आदिवासी वर्ग के लोगों का परम्परागत आधार कृषि पशुपालन एवं जंगलात रहा है। औसत स्तर पर उनके स्वयं की खेती से मात्र उनके परिवार का 3 महिने का ही भरण–पोषण हो पाता है। जंगलातों के फैलाव एवं जंगलातों के स्तर में गिरावट की वजह से उनकी जीविका खतरे में पड़ जाती हैं। अतः इन वर्गों के कामगारों को पलायन कर मजदूरी कमानी पड़ती हैं। अकाल के समय पलायन में वृद्धि पाई जाती हैं। दैनिक मजदूरी पाने वाले इन कामगारों में से कइयों ने विभिन्न अन्य प्रकार के कार्य सीख लिये हैं, जैसे कि बढ़ई कार्य, शटरिंग, दिवालों पर प्लास्टरिंग एवं मिस्त्री का कार्य तथा मकानों की पुताई एवं होटलों में कार्य जिसमें खाना बनाना भी शामिल हैं।

पलायन के कोई नियम अन्तर्गत आकड़ें नहीं हैं। अप्रत्यक्ष आंकलन यह बताता है कि ऐसा गमन प्रतिवर्ष कई हजारों में होता है। नरेगा योजना के आने के बाद पिछले दो वर्षो में ऐसे गमन कर्ताओं में से कई कामगार नरेगा योजना में 100 दिवस माह फरवरी से मई के मध्य कार्यरत पाये गये (प्रति परिवार के 2 से 3 सदस्य) तत्पश्चात् गुजरात राज्य की ओर गमन कर गये। जी. ओ. आर. 2005 के एक सर्वेक्षक के अनुसार ऐसा ऋतु आधारित पलायन ग्रामीण क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से 14 प्रतिशत रहा है। जिला चित्तौड़गढ़ में नरेगा योजना माह फरवरी 2006 में प्रारम्भ हुई थी। वर्ष 2007–08 में 213092 जोब कार्डस् जारी किये गये तथा रोजगार 119815 द्वारा ही चाहा गया। सभी जोब कार्ड धारकों को रोजगार 100 प्रतिशत मिला उनमें से एक 1.4 प्रतिशत (1713) परिवारों ने 100 दिवस कार्य अगले वर्ष में किया। कुल पर्सनडेज 33.36 रहा (लाखों में) इसमें से अनुसूचित जाति 8.2 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति 12.09 प्रतिशत एवं महिला 25.20 प्रतिशत रहा है। (लाखों में) एक परिवार को औसत रूप से 28 दिवस कार्य मिला। वर्ष 2008–09 में 309669 जोब कार्ड जारी किये गये तथा रोजगार की मांग 240010 रही। अतः रोजगार सभी जोब कार्ड धारकों को मिला (100 प्रतिशत) उनमें से 78.90 प्रतिशत परिवारों (24672) ने अगले वर्ष पूरे 100 दिवस कार्य किया। कुल पर्सनडेज (लाखों में) 117.91 रहे जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत 26.71, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 26.91 एवं महिलाओं का पर्सनडेज 85.26 रहा। इन आकड़ों को अधिक नहीं कहा जा सकता,

क्योंकि ऑफ सीजन की चरम सीमा पर आधे से ज्यादा कामगारों ने भोजन/रोकड़ की कार्य योजनाओं में कार्य किया, जबकि इस जिले में कुल कार्य क्षमता 900–950 हजार रहती हैं। इतनी अधिक उपस्थिति यह दर्शाती है कि ऑफ सीजन में कार्य की कितनी अधिक मांग रहती है।

वर्ष 2008–09 में पंचायत समिति प्रतापगढ़ में अधिकतम अर्थात् 17881 परिवारों ने श्रमिकों के रूप में कार्य किया, क्योंकि यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है अतः गैर कृषि श्रमिकों के पास जीवन यापन का मजदूरी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जबकि पंचायत समिति डूंगला में न्यूनतम 5430 परिवारों ने ही श्रमिकों के रूप में कार्य किया।

सारणी 2.20.2: नरेगा प्रगति विवरण वर्ष 2008.09

क्र. सं.	जिला/पंचायत समिति	परिवारों की संख्या जिन्हें जोब कार्ड जारी किये गए	परिवारों की संख्या जिनके द्वारा जोब कार्ड मांगे गए	परिवारों की संख्या जिन्हे रोजगार उपलब्ध करवाया गया	श्रम दिवस सृजित लाखों में	मजदुरी पर व्यय (लाख में)
1	बड़ीसादड़ी	19100	14391	14391	9.86	886.00
2	बेगूं	20896	20404	20404	8.76	876.00
3	भदेसर	21346	18999	18999	11.33	1047.74
4	भैंसरोड़गढ़	15129	9850	9850	6.40	538.00
5	भूपालसागर	14794	12340	12340	10.90	1062.27
6	चित्तौड़गढ़	27915	22370	22370	8.10	746.62
7	डूंगला	19728	11237	11237	7.51	650.00
8	गंगरार	19765	16703	16703	13.35	1285.39
9	कपासन	16350	12438	12438	12.26	1055.20
10	निम्बाहेड़ा	31574	20043	20043	11.19	1035.60
11	राशमी	15600	10875	10875	7.63	510.00
	योग	**222197**	**169650**	**169650**	**107.29**	9692.82
1	अरनोद	24590	23985	23985	12.78	1001.07
2	छोटी सादड़ी	21150	20535	20535	10.80	1036.80
3	प्रतापगढ	45818	39024	39024	21.97	2102.81
	योग	**91558**	**83544**	**83544**	**45.55**	4140.68
	महायोग	**313755**	**253194**	**253194**	**152.84**	13833.50

स्रोत – जिला परिषद, चित्तौड़गढ़

वर्ष 2008–09 में पंचायत समिति प्रतापगढ में अधिकतम अर्थत् 39024 परिवारों ने श्रमिकों के रूप में कार्य किया, क्योंकि यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है अतः गैर कृषि श्रमिकों के पास जीवन यापन का मजदूरी के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं, । जबकि पंचायत समिति भैंसरोडगढ में न्यूनतम 9850 परिवारों ने ही श्रमिकों के रूप में कार्य किया क्योंकि इस क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र में खनन एवं परमाणु ऊर्जा परियोजना में काफी श्रमिकों का नियोजन होता है।

वर्ष 2008–09 में अधिकतम अर्थात 39024 परिवारों ने कामगारों के रूप में इस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में रोजगार पाया तथा उनके पास इसके अलावा जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था। इसके विपरीत न्यूनतम अर्थात 9850 परिवारों ने भैंसरोड़गढ़ क्षेत्र में कामगारों के रूप में रोजगार पाया क्योंकि कई परिवार के सदस्य इस क्षेत्र में गैर–कृषि कार्य जैसे– खनन कार्य एवं परमाणु उर्जा इकाइयों एवं उससे सम्बद्ध कार्य किया।

इस राज्य में सरकार द्वारा एक अन्य वृहद् योजना स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत जिले एवं राज्य में बहुत सारे स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में निम्न आय वर्ग (बी.पी.एल.) के कुल 89803 परिवार हैं। स्वयं सहायता समूहों की संख्या 2214 हैं। यदि हम एक एसएचजी में 12 सदस्य माने तो 25568 परिवार एसएचजी से सम्बन्ध पाये जाते हैं। जो कि कुल बी.पी.एल. परिवारों का 29 प्रतिशत होता है। उक्त में से मात्र 9 प्रतिशत जो कि 8515 परिवार होते हैं, को ही इन समूहों से जुड़ाव का लाभ मिल पाया है। निष्कर्ष यह है, कि इस योजना में अभी काफी कार्य एवं विकास की सम्भावनाएं हैं।

सारणी 2.21: जिले में तहसीलवार स्थिति स्वयं सहायता समूह

क्र. सं.	ब्लॉक	बीपीएल परिवारों की संख्या	एसएचजी के गठन की संख्या	वे एसएचजी जिन्होंने ग्रेड–1 तक पहुँचें	वे एसएचजी जो ग्रेड–2 तक पहुँचें	वे एसएचजी जो आर्थिक कार्य से जुड़े	लाभान्वित परिवारों की संख्या	ऋण वितरण
1	राशमी	3908	186	58	5	2	349	118.97
2	गंगरार	6528	236	70	21	14	492	142.56
3	बेगूं	3699	145	32	5	4	497	153.87
4	भैंसरोड़गढ़	5437	101	44	17	13	405	126.92
5	चित्तौड़गढ़	5115	212	63	9	7	877	253.27
6	कपासन	3821	131	73	21	17	594	162.16
7	भोपालसागर	5085	188	84	29	24	450	135.93
8	डूंगला	2533	109	59	47	35	549	145.48
9	भदेसर	3135	125	35	8	3	352	169.91
10	निम्बाहेड़ा	8334	175	41	13	12	1032	314.07
11	छोटीसादड़ी	6236	99	41	23	15	483	139.97
12	बड़ीसादड़ी	4892	121	53	32	29	594	180.67
13	प्रतापगढ़	21204	248	57	46	36	1461	416.88
14	अरनोद	9876	138	20	4	4	380	107.28
	योग	89803	2214	760	280	215	8515	2505.57

स्रोत : जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़

2.15 प्रबन्धकीय संक्षिप्तीकरण

जिला चित्तौड़गढ़ को आजीविका हेतु कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चूंकि इसका स्थानापन्न अर्द्ध उपजाऊ मौसम में जटिलता लिये हुए है तथा यहाँ कमजोर आर्थिक स्रोत होना तथा प्राकृतिक स्रोतों की उपलब्धता की मात्रा कम होना भी है। यह परिस्थिति कई सामाजिक–आर्थिक स्थिति आंकलन बिन्दु जैसे कृषि की स्थिति, जंगलात पशुधन, पानी की उपलब्धता, देशान्तरगमन एवं बैंकिंग क्षेत्र का स्तर है, जिसे विस्तार से इस अध्याय में समझाया जा चुका है।

कृषि क्षेत्र का प्रतिशत डोमस्टिक प्रोडक्ट में मात्र 25.71 प्रतिशत रहा हैं, जबकि पशुधन का प्रतिशत 7.61 पाया गया हैं। इसके विपरीत रोजगार का अनुपात जो कि कृषि आधारित है, वह 2001 में 75 प्रतिशत से अधिक था। यह इंगित करता हैं, कि यह जिला कितना पिछड़ा हैं। इस जिले में वास्तविक मजदूरों का रोजगार पोर्ट फोलियो यह बताता है कि मुख्य भाग कृषि उत्पादन कर्ताओं का (66.64) एवं कृषि श्रमिकों का 10.64 प्रतिशत रहा है। इस जिले के जातीय समीकरण यह प्रदर्शित करते हैं कि जिले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का बाहुल्य हैं, जो कि अन्य जातियों से बहुत गरीब हैं। कृषि उत्पादन के लिए मदद मिलना इस जिले में ग्रामीण परिवारों की आजिविका का मुख्य जरिया है।

फसलों की गुणवत्ता बढ़ाये जाने की यहाँ अत्यधिक चुनौतियां भी हैं, तथा वर्तमान में मात्र सतही भूमि को कार्य में लिये जाने की वजह से उत्पादन सुधार के प्रचुर अवसर हैं। इस जिले में प्रति कृषक जमीन अत्यधिक कम हैं। स्वयं के साधनों से सिंचित क्षेत्र मात्र 34.83 प्रतिशत हैं, तथा शेष भूमि पर सिंचाई पूर्णतया वर्षा पर आधारित हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में खाद का उपयोग राज्य स्तर के औसत से भी कम हैं। हालांकि राज्य स्तर से कमी का स्तर लगातार कम होता जा रहा है। इस जिले के मात्र 17 प्रतिशत कृषक एचवाईवी बीज (प्रमाणित बीज) का उपयोग करते हैं, जो यह प्रदर्शित करता है, कि उनमें कृषि उत्पादन का वैज्ञानिक ज्ञान की कमी हैं तथा उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कृषि सम्बन्धित आधारभूत संरचनाओं की कमी भी इस जिले को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जिनका निराकरण इस जिले के कृषि क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास के लिए आवश्यक है।

इस जिले में जल ग्रहण क्षेत्र (वॉटर शैड) के विकास की प्रचुर सम्भावनाएँ हैं। भविष्य में जल ग्रहण क्षेत्र के विकास के लिए सम्भावित क्षेत्र का 60 प्रतिशत हिस्सा उपचार हेतु उपलब्ध हैं। वर्तमान में उद्यानकी वर्ष 2005–06 में मात्र 20140 हेक्टेर पर की गई जो कि कुल सिंचित क्षेत्र का मात्र 4.6 प्रतिशत हैं। इस स्थिति को यदि भविष्य में सुधारा जाता हैं, तो जिले में जमीन से उत्पादन के स्रोंतों में बढ़त होगी, जिससे कि बेहतर आर्थिक नतीजे प्राप्त होंगे।

इस जिले में ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पशुधन सम्पदा ने भी प्रमुख योगदान दिया है। इस जिले के वे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ 15 से 20 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं, तथा खेतीहर कृषकों में से 80 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक हैं, आजीविका के लिए पशुधन मुख्य स्रोत का कार्य करता है। इस जिले में स्थाई चरागाह भूमि में यकायक गिरावट आई हैं। इसके बावजूद ऊपर से यहां ऐसी कोई योजना नहीं है, जिससे पशुधन के लिए चारा एवं चरागाह की मात्रा बढ़े/विकास हो। इस वजह से चारे की भारी कमी है।

इस जिले के जंगलात क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति जंगलात क्षेत्र 0.15 हैं, जोकि राष्ट्रीय औसत 0.08 है. एवं राज्य औसत 0.06 से अधिक हैं। जिले में जंगलात क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.48 प्रतिशत हैं। जिसमें से मात्र 15.43 प्रतिशत घने जंगलात का क्षेत्र हैं। जंगलात क्षेत्र पर अतिक्रमण था अतिक्रमण के बाद राज्य सरकार द्वारा उसका नियमितीकरण करना जंगलात के कम होने का मुख्य कारण हैं। इस जिले में सामाजिक वानिकी अधिक सफल नहीं रही हैं। जंगलों पर निर्भर करने वाली आजीविका उपार्जन के लिए इस जिलें में काफी साधन हैं। चूंकि यहां उच्च स्तर के जंगल एवं काफी वन्य जीव अभयारण्य हैं। इस जिले में प्राकृतिक पर्यटन के ऐसे कई स्थान हैं, जिनमें विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं।

इस जिले के भूजल संरक्षण विकास के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हैं, तथा भूजल में कमी होने के चिह्न प्रदर्शित होने लगे हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले में ग्रामीण कृषि जन्य एवं जनसामान्य लोगों को बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ाव का स्तर का सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक नहीं हैं। इस जिले में 131 बैंक (निजी एवं राष्ट्रीयकृत एवं अन्य) हैं, जबकि जिले में 2395 गाँव हैं। निष्कर्ष यह है, कि हर 18 गाँव पर औसतन एक बैंक हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत इससे कहीं बेहतर हैं। अतः बैंकिंग क्षेत्र में विकास की इस जिले में भरपूर सम्भावनाएँ हैं।

ऋतु आधारित अथवा अन्य कारणों से इस जिले में व्यापक तौर पर देशान्तरगमन् राज्य के अन्य जिलों अथवा गुजरात में जीविकोपार्जन के लिए होता है। राजकीय योजनाएँ जैसे नरेगा एवं एसजीएसवाई के द्वारा इस जिले में कुछ विकास अवश्य हुआ है, परन्तु प्रक्रियात्मक बाधाएँ एवं कमियों की वजह से वांछित परिणाम जिले को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। समस्त बिन्दुओं को समेकित करते हुए यह कहा जा सकता है कि आर्थिक एवं जीविकोपार्जन में कमियों की वजह से वांछित मानवीय विकास नहीं हो पा रहा है। इस जिले में सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में विकास की प्रबल सम्भावनाएँ हैं। यदि यहाँ के निवासियों, सरकार, गैर सरकारी संगठन एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की इच्छाशक्ति एवं सहयोग हो जावे तो यह कार्य सम्भव हो सकेगा।

2.16 मत्स्य पालन

जिले में मत्स्य पालन हेतु 36787 हैक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध हैं। जिस में से राणाप्रताप सागर का जल क्षेत्र 20000 हैक्टेयर्स हैं। जिसका नियन्त्रण मत्स्य परियोजना अधिकारी राणाप्रतापसागर का हैं। इस कार्यालय के अधीन चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ जिलों में मत्स्य विकास हेतु विभागीय एवं पंचायती राज की दो समान्तरण यूनिटे कार्य कर रही हैं। विभागीय यूनिट ''ए'' श्रेणी के जलाशय एवं पूर्व में लीज कर चल रहे जलाशयों के विकास व नदियो ंके मत्स्य विकास एवं देख–रेख का दायित्व है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित जलाशयों के विकास एवं ठेका/आवंटन का कार्य जिले में ''बी'' श्रेणी के जिला परिषद ''सी'' श्रेणी के संम्बन्धित पंचायत समितियों एवं ''डी'' श्रेणी के पंचायतों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इनकी स्थिति निम्नानुसार हैं–

सारणी 2.22: मत्स्य पालन हेतु जलाशयों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का प्रकार	संख्या	जल क्षेत्र हैक्टेयर में
1	विभागीय ''ए''	5	6771
2	विभागीय ''बी''	2	430
3	विभागीय ''सी''	5	567
योग			7768
4	पंचायती राज ''बी''	7	3595
5	पंचायती राज ''सी''	38	3557
6	पंचायती राज ''डी''	20	1055
7	पंचायती राज ''डी''पंचायतों के	30	1158
योग			9365

इस प्रकार पूरे जल क्षेत्र के विकास हेतु 428 लाख फ्राई मत्स्य बीज (मेजर कार्पस) आवश्यकता हैं।

2.16.1 आय

- मत्स्य ठेके से वर्ष 2009–10 में लगभग 85 लाख की वर्तमान आय हैं। यह आय विभागीय जलाशयों की हैं।
- पंचायती राज जलाशयों से वर्तमान में आय लगभग 12 लाख हैं।

2.16.2 मत्स्य उत्पादन

इस जिले के लिए वर्ष 2009–10 के लिए 3200 एम. टी. माह जून 2009 तक अर्जित कर लिए व फरवरी 2010 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिए जावेंगे।

2.16.3 मत्स्य बीज उत्पादित एवं आयातीत

जिले के लिए 150 लाख फ्राई के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अभी तक 39.88 लाख फ्राई मत्स्य बीज के लक्ष्य अर्जित किये हैं।

2.17 कृषि क्षेत्र की विभागवार भावी योजना की रूपरेखा

क्र. स.	मुख्य क्षेत्र	प्रमुख समस्याएँ एवं सुधार क्षेत्र	समस्या समाधान हेतु मुख्य व्यूह रचना	विशिष्ट प्रक्रियाऐं /इनपुट
1	कृषि	1 कृषकों द्वारा उन्नत कृषि तकनीकी एवं आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को कम प्रयोग में लेना। 2 कृषि आदानों – खाद, बीज, दवाइयों का समय पर उपलब्धता का अभाव। 3 ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का अभाव। 4 किसानों को कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलना एवं भण्डारण व्यवस्था का अभाव।	1 आधुनिक कृषि तकनीकी के उपयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना। 2 कृषि आदानों की समय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर उपलब्धता सुनिचित करना। 3 उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए कृषि मण्डियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण करना। 4 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों एवं भण्डार गृहों की उचित व्यवस्था करना।	उन्नत कृषि तकनिकी के प्रभावी प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कृषक भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन एवं अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना।
2	उद्यान	1 उच्च गुणवता के पौधों एवं पौध सामग्री का अभाव। 2 उद्यानिकी उत्पादों के विपणन की समुचित व्यवस्था का अभाव। 3 उत्पाद की ग्रेडिंग एवं छँटनी की व्यवस्था का अभाव। 4 बाजार भाव की अस्थिरता। 5 खाद्य प्रसंस्करण, शीतगृहों, भण्डारण व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था का अभाव।	1 कृषकों को उच्च गुणवता के पौधे एवं पौधरोपण सामग्री हेतु आधुनिक नर्सरियों एवं ग्रीन हाऊसों की स्थापना करना। 2 उद्यानिकी उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने के क्रम में आधुनिक फल व सब्जी की मण्डियों की स्थापना। 3 खाद्य प्रसंस्करण, शीतगृहों, भण्डारण व्यवस्था एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था करना। 4 पोस्टहार्वेस्ट प्रबन्धन की व्यवस्था। 5 नये बगीचों की स्थापना, मसाले औषधीय एवं फूलों की खेती को प्रोत्साहन करना।	कृषकों को आधुनिक कृषि विधियों एवं उद्यानिकी फसलों की खेती के क्रम में अधिक से अधिक जानकारी हेतु प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों का आयोजन।
3	भूमि एवं जलग्रहण संरक्षण	1 क्रियान्वयन स्तर पर संसाधनों की कमी। 2 नरेगा योजना के कारण आवश्यक श्रम शक्ति का उपलब्ध न होना।	1 मानव संसाधनों की मांग अनुसार व्यवस्था करना। 2 श्रम शक्ति का योजनाओं में उचित विकेन्द्रीकरण। 3 प्राकृतिक संसाधनों का उनके उपयोग के क्रम में उचित संरक्षण, विकास एवं प्रबन्धन। 4 कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में सतत् वृद्धि करना। 5 ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। 6 भूमि की श्रेणी के अनुसार विकास करना जिससे पारिस्थितिकी तन्त्र में संन्तुलन कायम रखा जा सके।	1 आवश्यकता अनुसार पदों की व्यवस्था एवं पद स्थापन। 2 कार्य में संशोधन करना।

4	पशुपालन	1 देशी नस्ल के पशुओं की बहुतायत। 2 कृषकों को पशुओं के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अभाव। 3 पशुओं हेतु अच्छे हरे चारे की व्यवस्था का अभाव।	1 कृत्रिम गर्भाधान का व्यापक प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन। 2 पशुओं के लिए संतुलित आहार एवं वैक्सीनेशन की पशुपालकों को जानकारी देना। 3 उच्च गुणवत्ता के पशु प्रजनन हेतु उपलब्ध कराना।	1 विविध प्रदर्शन प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण कायक्रमों का आयोजन। 2 उच्च गुणवता के चारे के बीजों की उपलब्धता एवं चरागाहों का विकास करना।
5	सहकारिता	1 अप्रशिक्षित एवं अपर्याप्त मानव संसाधन। 2 सहकारी संस्थाओं के बारे में कृषकों को कम जानकारी होना। 3 ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर बड़े किसानों की पहुंच छोटे किसानों का कम जुड़ाव । 4 पर्याप्त संख्या में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का अभाव।	1 ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर पर्याप्त एवं प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था करना। 2 प्रत्येक ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों की स्थापना एवं कृषकों को उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की अधिक से अधिक जानकारी दें।	1 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को उचित प्रशिक्षण। 2 उचित मात्रा एवं समय पर कृषि ऋण एवं कृषि आदानों का वितरण सुनिश्चित करना। 3 संस्थाओं का आधुनिकीकरण जैसे कम्प्यूटराइजेशन आदि। 4 पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था।
6	मत्स्य	1 उच्च गुणवता के मत्स्य बीजों की अनउपलब्धता। 2 कृषकों को मत्स्य पालन के बारे में कम जानकारी होना। 3 प्रशीतन गृहों का अभाव।	1 उच्च गुणवता के मत्स्य बीजों की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करना। 2 कृषकों को मत्स्य पालन के क्रम में अधिक से अधिक जानकारी एवं प्रशिक्षण देना। 3 भण्डारण हेतु प्रशीतन गृहों की व्यवस्था करना।	कृषकों को मत्स्य पालन पर प्रशिक्षण एवं समय पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

7	सिंचाई	1 सिंचाई साधनों के रखरखाव एवं संचालन हेतु पर्याप्त बजट का अभाव। 2 विभाग में पटवारियों का अभाव जिससे सिंचित क्षेत्र के बारे में उचित जानकारी के संधारण का अभाव। 3 तकनीकी स्टाफ की कमी। 4 किसानों को फसल पद्धति एवं पानी की मांग की जानकारी न होना।	1 विभाग में आवश्यकतानुसार तकनीकी स्टाफ एवं बजट की व्यवस्था। 2 सिंचाई विभाग में पटवारियों की नियुक्ति किया जाना। 3 कृषकों को उपलब्ध पानी के आधार पर फसल पद्धति अपनाने एवं फसल की मांग के अनुसार आधुनिक सिंचाई प्रणाली अपनाने हेतु प्रेरित करना।	1 विभाग की आवश्यकता के क्रम में मानव संसाधन एवं वित्तीय व्यवस्थाओं की पूर्ति करना। 2 कृषकों को पानी की उपलब्धता के आधार पर फसलों के चयन एवं आधुनिक सिंचाई विधियां अपनाने हेतु प्रशिक्षण देना।

आजीविका क्षेत्र से जुड़े सभी राजकीय, अर्द्ध–राजकीय एवं सहकारी विभागों में एक प्रमुख समस्या मानवीय संसाधनों की कमी अर्थात् वांछित संख्या में स्टाफ नहीं हैं, या अपर्याप्त हैं, साथ ही वित्तीय संसाधन भी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसकी मानव संसाधन विकास के क्रम में समीक्षा करना अतिआवश्यक है।

गैर कृषि क्षेत्र

चित्तौड़गढ़ जिले को भौतिक संसाधन, कृषि, उन्नत कौशल का वरदान मिला है, जिससे निर्माण, प्रसंस्करण, सेवाकार्य आदि पर्याप्त मात्रा में किये जा सकते हैं। हस्तकला और विरासत के लिये यह विश्व प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त हैं। उद्योगों के लिये पर्याप्त कच्चा माल खनिज उपलब्ध हैं। मुख्य व्यवसायों में खनिज आधारित उद्योग पर्यटन हस्तशिल्प आभूषण निर्माण हैं। राज्य की 30.56% आय (सकल घरेलू उत्पाद) प्राथमिक क्षेत्र (खेती व इससे जुडे व्यवसाय) 27.26% निर्माण एवं उत्पादन से तथा 42.18% सेवाओं से आती हैं। अतः गैर कृषि, क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है, औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के लिए नीतिगत निर्णय गत वर्षों में लिये गये हैं, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर आधारभूत विकास के लिए भी प्रयत्न किये गये हैं। ऊर्जा क्षेत्र के लिये भी प्रयासरत हैं। उत्पादन प्रसंस्करण संरक्षण, विपणन गैर कृषि, के प्रमुख अंग हैं।

गैर– कृषि क्षेत्र क्यों?

1. कृषि क्षेत्र संतृप्त हो चुका हैं, और बढ़ती जनसंख्या को काम नहीं दे सकता है।
2. 65 प्रतिशत के करीब आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और जी.डी.पी. का मात्र 20 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से मिल रहा हैं।
3. रोजगार की हालत काफी खराब है, सरकारी क्षेत्र में रोजगार की कमी निजी क्षेत्र में वेतन अल्पता से भी गैरकृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ हैं।
4. किसानों की बडी संख्या के पास आनुपातिक रूप से छोटे जोत हैं, 75 प्रतिशत किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हैं।
5. यान्त्रिकीकरण से श्रमिकों का विस्थापन हो रहा है व संगठित क्षेत्र में श्रमशक्ति का केवल 7 प्रतिशत समायोजन हो पा रहा है।
6. शहरी विस्थापन की समस्याएँ बढ़ रही हैं।
7. गैर कृषि क्षेत्र में कम पूँजी में अधिक श्रमिक नियुक्त किये जा सकते हैं तथा स्थानीय संसाधन और स्थानीय कौशल का उपयोग हो सकता हैं।
8. विकसित राष्ट्रों का अनुभव बताता है कि गैर कृषि क्षेत्र के विकास से उन्नति तीव्रतर हो सकती है।
9. कृषि में रोजगार वृद्धिदर से जनसंख्या वृद्वि दर से काफी कम हैं।
10. भारत में ग्रामीण श्रमिक वृद्धिदर 0.96 प्रतिशत वार्षिक हैं, जबकि कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्विदर 0.20 प्रतिशत हैं।
11. देश में हस्तशिल्प से काफी विदेशी मुद्रा कमाई जा रही हैं, जो वर्तमान में लगभग 12000 हजार करोड रूपये वार्षिक हैं।

इस प्रकार स्वरोजगार अवसरों में वृद्वि और आय वृद्वि की अपार क्षमता गैर कृषि क्षेत्र में हैं। अतः ''गैर कृषि क्षेत्र को अपनाना अपरिहार्य है, विकल्प नहीं''

2.18 उद्योग

गैर कृषि क्षेत्र में उद्योगों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। उद्योगों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग। उद्योग का अर्थव्यवस्था में जहाँ एक ओर पूंजी विनियोजन का योगदान रहता है, वहीं उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन भी होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, मानव शक्ति एंव आधारभूत संरचना औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाओं को इंगित करता है। चित्तौड़गढ़ जिला खनिज सम्पदा के कारण एक महत्त्वपूर्ण जिला है। यहां पशुधन, कृषि उत्पादन एंव वन क्षेत्र काफी अच्छी स्थिति में हैं।

चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1999 में 4824 सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकृत थी जिनका 6150.79 लाख रूपये का पूंजी विनियोजन हुआ और इसके फलस्वरूप 13957 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगर उपलब्ध रहा। पंजीकृत सूक्ष्म एंव लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या वर्ष 2009 में 7378 हो गई। इन इकाइयों में 10149.72 लाख का पूंजी विनियोजन हुआ और 25634 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।

2.18.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की स्थिति

सारणी – 2.23

क्र.स.	वर्ष	संख्या	रोजगार	पूंजी विनियोजन
1.	1999	4824	13957	6150-79
2.	2009	7378	25634	10149-72

सूक्ष्म एंव लघु उद्योगों के अतिरिक्त जिले में 8 वृहद औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। इन इकाइयों में 556718.09 लाख रूपये का पूंजी विनियोजन हैं। इन इकाइयों के माध्यम से 5653 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हैं।

2.18.2 वृहद एवं मध्यम उद्योग की स्थिति

सारणी – 2.24

क्र.सं.	नम	उत्पादन	विनियोजन (रू. लाख में)	श्रोजगार
1.	आदित्य सीमेंट (I)	सीमेंट	61940	470
2.	आदित्य सीमेंट (II)	सीमेंट	134600	280
3.	बिड़ला सीमेंट वर्क्स	सीमेंट	4688514	1444
4.	चंदेरिया सीमेंट वर्क्स			
5.	जे.के सीमेंट वर्क्स	सीमेंट	61015-81	1718
6.	जे.के सीमेंट मांगरोल	सीमेंट	24032-75	471
7.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	जिंक एंव लेड	228861-00	1208
8.	खैतान कैमिकल्स लि.	सिंगल सुपर फॉस्फेट	1382-39	54

खादी एंव ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग की जिले में स्थित 8563 इकाइयों के माध्यम से 25689 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हैं।

राज्य सरकार के कलस्टर विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में दस्तकारी कलस्टर्स के विकास हेतु दो कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य हैं, :–

- कौशल विकास करना
- तकनीक में विकास करना
- नवीन डिजाईन प्रदान करना
- विपणन में सहायता करना
- कलस्टर के दस्तकारों का आर्थिक विकास करना
- उद्यमीयता विकास करना

2.18.4 रीको औद्योगिक क्षेत्र

सारणी – 2.26

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र	नियोजित भूखण्ड	आवंटित भूखण्ड
1.	चित्तौड़गढ़	140	140
2.	निम्बाहेड़ा	185	183
3.	कपासन	81	72
4.	चित्तौड़गढ़ पुराना	54	54
5.	आजोलिया का खेड़ा	215	210
6.	मानपुरा–गोपालनगर	71	64
7.	चित्तौड़गढ़ विस्तार	67	67

इसके अतिरिक्त जिला उद्योग केन्द्र के 6 अविकसित औद्योगिक क्षेत्र भी जिले में हैं।

2.18.5 जिला उद्योग केन्द्र के औद्योगिक क्षेत्र

क्र.स.	औद्योगिक क्षेत्र	नियोजित भूखण्ड	आवंटित भूखण्ड
1.	शंभूपुरा	08	08
2.	मांगरोल	17	17
3.	बड़ीसादड़ी	40	40
4.	मंगलवाड़ (I)	09	09
5.	मंगलवाड़ (II)	24	16
6.	मंडलाचारण	31	09

उद्योगों के महत्व को समझने के लिये यहां जिले में उपलब्ध आधारभूत संसाधनों की चर्चा किया जाना आवश्यक हैं। आधारभूत संसाधन ही औद्योगिक गतिविधि को निर्धारित करते हैं।

चित्तौड़गढ़ मुख्यालय ब्रॉडगेज से देश के अन्य भाग से जुड़ा हुआ हैं।

- जिले में सड़क मार्ग सदृढ़ हैं।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 76 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 79 जिले से गुजरते हैं।
- स्वर्णिम चतुर्भुज का पूरब–पश्चिम कॉरिडोर का संगम चित्तौड़गढ़ के समीप होता हैं।
- विद्युत उपलब्धता के लिये 87 सब स्टेशन कार्यरत हैं।
- जिले में 120 वित्तीय संस्थाएँ कार्यरत हैं।

स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिये जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्यमीयता विकास कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं में उद्यमीयता का विकास करना है, जिससे कि वे स्वरोजगार को प्रारम्भ कर सके। विगत पांच वर्षों में संचालित उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों का विवरण सारणी–6 में उपलब्ध हैं।

2.18.6 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम

सारणी – 2.28

क्र.स.	कार्यक्रम	प्रशिक्षित संख्या	रोजगार
1.	उद्यमीयता विकास कार्यक्रम	182	113
2.	तकनीकी उद्यमीयता विकास कार्यक्रम	184	122
3.	गृह उद्योग योजना	1523	1066

चित्तौड़गढ़ में कलस्टर विकास कार्यक्रम का संचालन रंगाई–छपाई कलस्टर आकोला, पंचायत समिति भूपालसागर एवं काष्ठ कला कलस्टर, बस्सी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ में किया जा रहा हैं।

2.18.3 कलस्टर विकास कार्यक्रम

सारणी – 2.25

क्र.स.	कलस्टर	लाभान्वित परिवार
1.	रंगाई–छपाई कलस्टर, आकोला	50
2.	काष्ठ कला कलस्टर, बस्सी	126

रंगाई छपाई कलस्टर, आकोला के दस्तकारों के लिये एक सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण करवाया जा रहा हैं। इस सामान्य सुविधा केन्द्र में दस्तकारों को उन्नत मशीन एवं औजार, तकनीक, डिजाईन इत्यादि उपलब्ध रहेगें।

औद्योगिक विकास के लिये आधारभूत सुविधाओं का होना आवश्यक हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में रीको द्वारा 7 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किय गये हैं।

2.18.7 विश्लेषण

→ जिले में रोजगार सृजन की दृष्टि से गैर कृषि क्षेत्र का योगदान 1.89 प्रतिशत है। कार्यबल का 20.84 प्रतिशत भाग अन्य कार्यों में लगा हुआ है। यह कार्य कृषि कार्य के अतिरिक्त हैं।

→ जिले में उपलब्ध संसाधन एवं उपलब्ध मानवशक्ति के आधार पर यह तथ्य प्रकट होता हैं, कि उद्योग क्षेत्र रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध हैं।

→ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत परम्परागत दस्तकारों को नियोजित विकास की धारा से जोड़ कर उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाया जा सकता हैं।

→ जिले में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड उपलब्ध नहीं हैं, इसके कारण नये उद्योग स्थापना की संभावना प्रभावित हो रही हैं। यह स्थिति रोजगार सृजन के अवसरों को भी प्रभावित करती हैं।

→ जिले में दस्तकारों के दो समूहों के लिये चलाई जा रही विकास योजना अन्य दस्तकार समूहों के लिए भी संचालित की जानी चाहिये।

→ जिले में उपलब्ध खनिज भण्डार पर आधारित उद्योगों की प्रबल संभावनाओं के कारण सहायक उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र का महत्त्व बढ़ जाता है।

2.18.8 पहल

औद्योगिक विकास को गतिशील बनाने के लिये चिह्नित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक हैं। ये क्षेत्र हैं :–

- आधारभूत ढांचा
- वित्तीय प्रबंधन
- स्वरोजगार
- कलस्टर विकास
- कौशल उन्नयन

2.18.8.1 आधारभूत ढांचा

जिले में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में सभी भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं। अतः इन क्षेत्रों में नए उद्योगों की संभावना नगण्य हैं। रीको द्वारा भीलवाड़ा मार्ग पर ग्राम सोनियाना में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा हैं। इसके लिये रीको को 268 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका हैं। रीको द्वारा अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। रीको के पास ग्राम सोनियाना में उपलब्ध भूमि का प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के अनुमोदन उपरान्त 286 औद्योगिक भूखण्ड उद्योग स्थापना के लिये उपलब्ध हो सकेंगे। इनके माध्यम से लगभग 2000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

जिले के निम्बाहेड़ा में रीको का एक औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है, इसके लिए रीको द्वारा कार्यवाही की जा रही है। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय के आस पास भी रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की संभावनाओं का आंकलन किया जा रहा है।

2.18.8.2 वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन औद्योगिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। जिला मुख्यालय पर राज्य वित्त निगम का कार्यालय है। राज्य वित्त निगम उद्योगों की आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध करवाता है। जिले में विभिन्न बैंकों लगभग 120 शाखाएँ कार्यरत हैं। इन बैंकों के माध्यम से उद्योगों को ऋण उपलब्ध होता है। जिला मुख्यालय पर स्थित अग्रणी जिला बैंक वार्षिक साख योजना तैयार करता है।

2.18.8.3 स्वरोजगार

स्वरोजगार के अवसर सृजन करने के लिए युवाओं को उद्यमीयता का ज्ञान उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्यमीयता विकास कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में भी उद्यमीयता विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने के लिए गृह उद्योग योजना का संचालन किया जाता है। इसके माध्यम से महिलाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाकर स्वयं का उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।

स्वरोजगार स्थापना के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बैंकों के माध्यम से उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये तक की सीमा तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

2.18.8.4 कलस्टर विकास

जिले में रंगाई–छपाई एंव काष्ठ कला कलस्टर के अतिरिक्त बंधेज, चमड़ा, पत्थर, बांस टोकरी, मार्बल के कलस्टर भी हैं। इन कलस्टर में परम्परागत दस्तकार एवं उद्यमी कार्यरत हैं। इन दस्तकारों एवं उद्यमियों को कौशल उन्नयन, नए डिजाईन, तकनीक, औजार, बाजार की आवश्यकता रहती है। इन क्षेत्रों में कलस्टर विकास कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार सृजन की अधिक संभावनाएँ विकसित की जा सकती हैं।

2.18.8.5 कौशल उन्नयन

कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योगों की मांग अनुसार कुशल तकनीकी कार्मिक तैयार किये जाने चाहिये, जिससे कि स्थानीय युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध हो सके।

तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को भी स्थानीय एवं आस–पास के जिलों में स्थित उद्योगों की मांग अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करने चाहिए। इससे उद्योगों की मांग की पूर्ति भी होगी और तकनीकी मानव शक्ति को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।

रोजगार के अवसरों में हो रही लगातार कमी और अर्थव्यवस्था की मांग के कारण उद्यमीयता विकास एक आवश्यकता बन गई हैं।

2.18.9 रोजगार सृजन के अवसर

सारणी – 2.29

क्र.स.	क्षेत्र	संभावित रोजगार
1.	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	6000
2.	वृहद उद्योग	2000
3.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	7200
4.	उद्यमीयता विकास कार्यक्रम	125
5.	तकनीकी उद्यमीयता विकास कार्यक्रम	100
6.	गृह उद्योग योजना	750
7.	कलस्टर विकास कार्यक्रम	300
8.	आर्टीजन्स क्रेडिट कार्ड	1000

2.19 जिला रोजगार केन्द्र

जिला रोजगार कार्यालय की जीवित पंजिका पर वर्ष अगस्त 2009 तक उपलब्ध आशार्थियों की संख्या पुरूष–13332 महिला–3227 कुल–16559 हैं। वर्ष 2007 में आयोजित रोजगार सहायता शिविरों में 3267 आशार्थियों का कपड़ा मिलों में श्रमिकों के रूप में प्रारम्भिक चयन किया गया । वर्ष 2008 में आयोजित रोजगार सहायता शिविरों में 1322 एवं वर्ष 2009 में 295 आशार्थियों का निजी सुरक्षा एजेन्सियों ने सिक्यूरिटी गार्डस हेतु प्रारम्भिक चयन किया गया।

इस कार्यालय को प्राप्त होने वाली सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र के उद्योगों में छः बड़ी एवं एक छोटी इकाई है, एवं इनमें कुल मिलाकर 4586 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया है। इसमें इकाइयों द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से रखे गये कार्मिक एवं परोक्ष रोजगार पाये हुए व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं। कार्यरत कर्मचारियों के इकाईवार एवं वर्षवार विवरण की सूची संलग्न हैं। विवरण को देखने से ज्ञात होता है, कि आदित्य सीमेन्ट शंभूपुरा के नियोजन में प्रति वर्ष (2005 से 2009 तक) 10% की वृद्धि हुई हैं। इस प्रकार जे.के. सीमेन्ट वर्क्स मांगरोल के नियोजन में लगभग 150% की वृद्धि हुई हैं। जे.के. सीमेन्ट निम्बाहेड़ा के नियोजन में इसी दौरान लगभग 10% की कमी हुई हैं। इसी प्रकार चन्देरिया सीमेन्ट के नियोजन में कमी हुई हैं। हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर के कुल नियोजन में उक्त अवधि के दौरान 10% की वृद्धि हुई हैं एवं यह वृद्धि संस्थान के निजीकरण के बाद हुई हैं। जे.के थर्मल पावर बामनिया के नियोजन में उक्त अवधि में 10% से अधिक की कमी हुई हैं, ।

जिले में निकट भविष्य में तीन नये बडे सीमेन्ट उद्योग स्थापित होने की सम्भावना हैं, एवं इनके माध्यम से निकलने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी एवं विशेषकर अंग्रेजी स्टेनो एवं शॉर्ट हेण्ड के जानकार, I.T.I. डिप्लोमा होल्डर, इंजिनियर्स, ड्राईवर एवं कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों को मिलने वाले रोजगार के अवसर काफी बढ़ेंगे।

2.19.1 सुझाव

➔ रोजगार कार्यालय की जीवित पंजिका का कम्प्यूटरीकरण किया जाना आवश्यक है, यदि ऐसा होता हैं, तो पंजीकृत बैरोजगार आशार्थियों की सूची इच्छुक नियोजकों को पूरे भारत में कहीं भी ई–मेल के माध्यम से भेजी जा सकेगी । इससे जहाँ एक ओर पंजीकृत आशार्थियों को मिलने वाले अवसरों में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर नियोजकों को भी संतुष्टि मिलेगी एवं उक्त कार्य बहुत कम समय में एवं लगभग नहीं के बराबर पैसा खर्च करके किया जा सकता हैं। वर्तमान में उक्त कार्य रोजगार सहायता शिविरों के माध्यम से किया जाता हैं, जिसमें प्रति शिविर लगभग 1.50 से 2 लाख रूपये खर्च होते हैं, ।

➔ रोजगार विभाग विदेशों में, इस विभाग में पंजीकृत बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान कराने के लिए एक फोरेन प्लेसमेंट ब्यूरो के रूप में कार्य कर सकता है।

➔ वर्तमान में निजी ऐजेन्सियाँ विदेशों में जाने के इच्छुक व्यक्तियों के पासपोर्ट एवं वीजा बनवाने के लिए कमीशन के आधार पर कार्य करती हैं। उक्त कार्य रोजगार कार्यालयों द्वारा निःशुल्क किया जा सकता हैं एवं साथ में प्रिडिपार्चर ट्रेनिंग भी दिला सकती हैं।

2.19.2 कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

क्र. सं.	उद्योग का नाम	2005			2006			2007			2008			2009		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	आदित्य सीमेंट, शम्भूपुरा	475	01	**476**	511	01	**512**	578	01	**579**	745	01	**746**	754	01	**755**
2	जे.के. सीमेंट वर्क्स, मांगरोल	66	-	**66**	59	-	**59**	80	01	**81**	130	05	**135**	146	08	**154**
3	जे.के. सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेड़ा	1041	01	**1042**	1011	01	**1012**	978	01	**979**	954	-	**954**	954	-	**954**
4	बिड़ला सीमेंट वर्क्स, चितौड़गढ़	1195	05	**1200**	1155	05	**1160**	1131	06	**1137**	1062	05	**1067**	1031	04	**1035**
5	चन्देरिया सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़	403	-	**403**	389	-	**389**	375	-	**375**	367	-	**367**	357	-	**357**
6	हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर लि., चितौड़गढ़	1059	46	**1105**	1098	66	**1164**	1029	53	**1082**	1217	125	**1342**	1191	115	**1306**
7	जे.के. थर्मलपावर, बामनिया, शम्भूपुरा	30	-	**30**	30	-	**30**	29	-	**29**	29	-	**29**	25	-	**25**

2.20 पर्यटन

राजस्थान प्रदेश का चित्तौडगढ जिला इतिहास, कला, संस्कृति तथा पर्यटन की दृष्टि से सदैव महत्त्वपूर्ण रहा हैं। जिले के गौरवशाली ऐतिहासिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के दर्शनीय स्थलों सहित यहाँ की कला एवं संस्कृति, हस्तशिल्प उद्योग तथा रीति रिवाज स्थानीय मेला त्यौहार पर्यटन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं।

2.20.1 जिला चित्तौडगढ़ के पर्यटन स्थल एवं मुख्यालय से दूरी –

01. चित्तौड़गढ़ दुर्ग
02. नगरी 15 किमी.
03. मेनाल वाटर फाल एवं मन्दिर स्मारक 90 किमी.
04. जोगणिया माता 85 किमी.
05. बाड़ोली मन्दिर ग्रुप 130 किमी.
06. भैंसरोड़गढ़ दुर्ग 125 किमी.
07. बस्सी वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी 25 किमी.
08. सीता माता वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी 65 किमी.
09. राधा कृष्ण मन्दिर निम्बाहेड़ा 30 किमी.
10. आवरी माताजी 35 किमी.
11. सेठ सांवलिया जी मन्दिर 40 किमी.
12. झांतला माताजी मन्दिर 10 किमी.
13. शनि महाराज 42 किमी.
14. करेडा पार्श्वनाथ मन्दिर 46 किमी.
15. दीवान शाह की दरगाह 40 किमी.
16. मातृकुण्डिया मेवाड का हरिद्वार 60 किमी.
17. भदेसर भेरू 30 किमी.

2.20.2 चित्तौडगढ़ में पर्यटकों का आगमन –

चित्तौडगढ़ में प्रति वर्ष देशी–विदेशी पर्यटकों का आगमन तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसी कारण आरटीडीसी द्वारा पीओडब्ल्यू के अलावा रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स नामक ट्रेन सर्विस भी शुरू की गई हैं।

सारणी 2.30: पर्यटक आगमन का रुझान

वर्ष	देशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक
2002	230200	5312
2003	147829	7607
2004	261895	9827
2005	254988	12868
2006	289529	23663
2007	334901	25595
2008	324996	25791

स्रोतः जिला पर्यटन कार्यालय, चित्तौड़गढ़

2.20.3 चित्तौड़गढ में आवास सुविधाएँ

सारणी 2.31: पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाऐं

पन्ना होटल रा.प.वि.नि.	होटल भगवती	होटल प्रेसीडेन्ट
सर्किट हाउस	होटल कीर्ति प्लाजा	होटल आराधना
सांवरिया विश्रान्ति गृह किला रोड़	होटल चेतक	होटल लवकुश
होटल विशाल	होटल मीरा	होटल पण्डित
होटल पद्मिनी	होटल गौरव पैलेस	जैन धर्मशाला
होटल प्रताप पैलेस	बस्सी फोर्ट एवं पैलेस	बिड़ला धर्मशाला
होटल शालीमार	होटल नटराज	नुवाल धर्मशाला
होटल विनायक	विजयपुर केसल	माहेश्वरी धर्मशाला
		होटल आनन्द

2.20.4 पर्यटकीय विकास कार्यों का विवरण –

01. आरटीडीसी पन्ना होटल का निर्माण	वर्ष – 1973
02. केफेटेरिया का निर्माण चित्तौड़गढ़ किला	वर्ष – 1991–92
03. पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण	वर्ष – 1991–92
04. टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण चित्तौड़गढ़ किला	वर्ष – 1991–92
05. मेनाल केफेटेरिया का निर्माण	वर्ष – 1991–92
06. गौतमेश्वर महादेव परिसर विकास काम	वर्ष – 1991–92
07. मीरा मन्दिर चित्तौडगढ़ किला विकास	रूपये 16.39
08. फतह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ किला पर प्रकाश व्यवस्था	वर्ष – 1993 (रू.16 लाख 30 हजार)
09. मातृकुण्डिया धार्मिक स्थल का विकास	वर्ष – 1994–95 (रू.10 लाख)
10. चित्तौडगढ़ प्रकाश महल विकास कार्य	वर्ष – 1999–2000 (रू. 8.43 लाख)
11. चित्तौड़गढ़ दुर्ग दीवार पर प्रकाश व्यवस्था	वर्ष –1998–99 (रू. 19 लाख)
12. कालिका माता मन्दिर विकास कार्य	वर्ष – 2005–06 (रू. 30.50 लाख)
13. जोगणिया माता मन्दिर विकास कार्य	वर्ष – 2005–06 (रू. 30.50 लाख)
14. गौतमेश्वर महादेव मन्दिर विकास कार्य	वर्ष – 2005–06 (42.50 लाख)
15. मातृकुण्डिया तीर्थ स्थल का विकास	वर्ष – 2005–06 (48 लाख)
16. चित्तौडगढ़ किला प्रकाश व्यवस्था	रू. 54 लाख 84 हजार
17. लाईट एवं साउण्ड कार्यक्रम किला चित्तौडगढ	रू. 70 लाख 25 हजार
18. बस्सी पर्यटकीय स्थलों का विकास प्रस्तावित	रू. 50 लाख
19. शनि महाराज पर्यटकीय स्थल विकास प्रस्तावित	रू. 50 लाख
20. भदेसर भेरू धार्मिक स्थल परिसर का विकास प्रस्तावित	रू. 50 लाख

2.20.5 कला एवं संस्कृति –

चित्तौड़गढ़ जिला न केवल अपनी शौर्य कथाओं तथा त्याग और बलिदान के लिए याद किया जाता है, बल्कि कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी इसने अपनी अनूठी छाप छोडी हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ जिले की समृद्ध एवं गौरवस्थली परम्पराएँ रही हैं। यहाँ की वीर प्रसूता भूमि के कण–कण में कला और संस्कृति रची बसी हैं। जैसे–

01. प्रतापगढ़ की थेवा कला – कांच पर अत्यन्त सूक्ष्म कारीगरी का नाम थेवा कला
02. बस्सी की काष्ठ कला – काष्ठ कला का प्रमुख केन्द्र
03. आकोला की रंगाई–छपाई – कपड़ों पर रंगाई–छपाई का काम
04. तुर्रा कंलगी– लोक नाट्य (ख्याल)
05. भवई– प्रदर्शनकारी प्रमुख खेल

2.20.6 जिले के प्रमुख मेला त्योहार –

मीरा महोत्सव	चित्तौडगढ़ में भक्तिमती मीराबाई की जन्मतिथि पर प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा पर
जौहर मेला	जौहर की ज्वालाओं में जलने वाली वीरांगनाओं की स्मृति में जौहर मेला श्रद्धांजली समारोह, माह मार्च, अप्रेल में प्रति वर्ष
मेवाड उद्योग मेला	प्रति वर्ष उद्योग विभाग द्वारा
जलझुलनी एकादशी का मेला	मण्डपिया 40 किमी
निम्बाहेड़ा दशहरा मेला	30 किमी
दशहरा मेला चित्तौडगढ़	नवरात्रि में प्रतिवर्ष

2.20.7 पर्यटकीय विकास के सुझाव –

1. चित्तौड़गढ़ में टुरिस्ट बस सर्विस शुरू करना।
2. चित्तौड़गढ़ व किले में सड़कों का सौन्दर्यीकरण, मरम्मत एवं इनकी चौड़ाई बढाया जाना।
3. चित्तौड़गढ दुर्ग में पर्यटकों के लिए जगह–जगह पेयजल सुविधा, जनसुविधाएँ तथा बैठक व्यवस्था आदि का विस्तार।
4. चित्तौड़गढ़ में रेल सेवाओं का विस्तार व विद्युतीकरण।
5. स्टार होटल्स का निर्माण आवश्यक।
6. किला चित्तौड़गढ़ में सूरजपोल द्वार से सुरजपोल गाँव तक रास्ता निर्माण, सडक निर्माण
7. चित्तौड़गढ़ किले का मॉडल तैयार करना।
8. स्मारकों की मरम्मत।
9. चित्तौड़ दुर्ग पर तोपखाने की तोपों को व्यु पॉईन्ट पर स्थापित कराया जाना।
10. चित्तौड़गढ़ किला रोड व किले से अतिक्रमण हटाना।
11. चित्तौड़गढ दुर्ग पर गैस से चलने वाले वाहनों को अनुमति देना व पैट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगाना।
12. चित्तौड़गढ के राष्ट्रीयकृत बैंकों को देशी मुद्रा विनिमय करने हेतु निर्देशित करना।

13. पाडन पोल के बाहर स्थित भामाशाह भारती भवन को खाली कराकर इसके स्थान पर पर्यटकीय सुविधाएँ विकसित करना।
14. चित्तौड़गढ़ के फोटो ग्राफर को लाईसेन्स दिया जाना।
15. पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित सुरक्षित घोषित करना।
16. कला संस्कृति मेला त्योहारों कलाकारों को प्रोत्साहन देना।

चित्तौडगढ़ में आवागमन के साधनों का विस्तार, सडकों रेलों के विस्तार व होटलों के निर्माण के साथ देशी–विदेशी पर्यटकों का आवागमन भी तीव्र गति से बढ़ा हैं। चित्तौडगढ़ दुर्ग पर प्रवेश शुल्क लगने से केन्द्र सरकार को राजस्व की भारी आय हो रही हैं, जिससे स्मारकों का सौन्दर्यीकरण नवीनीकरण मरम्मत पौधारोपण बगीचे विकसित करने आदि पर ध्यान दिया जा रहा है।

पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि के कारण करीबन 45 टुरिस्ट गार्डो को गाईड कार्य हेतु लाईसेन्स दिया गया हैं व पर्यटकों की सुरक्षा हेतु 7 कार्मिक तैनात किये गये हैं व लगभग 100 फोटो ग्राफर इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। सैकडों की संख्या में टैक्सी ड्राईवर, दुर्ग भ्रमण का काम करा रहे हैं। टी स्टाल वाले, घोडा,ऊँट पालक आदि पर्यटक आवागमन के कारण पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं, यही नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों के लिए श्रमिकों के लिए पर्यटन उद्योग एक बेरोजगारी समाप्त करने वाला लोकप्रिय उद्योग हैं, व प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के रोजगार देने वाला पर्यटन उद्योग दिन–प्रतिदिन प्रगति करने वाला हैं, जिससे विश्व में आपसी भाईचारा संस्कृति पोशक को प्रोत्साहन मिलेगा।

2.21 गैर कृषि क्षेत्र एवं बैकिंग

बैकिंग द्वारा विभिन्न क्षेत्रो में ऋण उपलब्ध करा आर्थिक विकास में सहयोग किया जाता हैं, बैंक प्रशिक्षण देकर विभिन्न क्षेत्रो में ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे इकाइयाँ लगाई जा सके चित्तौडगढ जिले में 126 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं, अर्थात 11271 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा / 14 गाँव पर एक शाखा हैं, इनमें से एक ही स्थान पर अधिक शाखाऐं शहरी क्षेत्र में हैं। अतः एक शाखा पर ग्राम भार 14 से भी अधिक हो जाता हैं।

सारणी 2.31: गत 4 वर्षो में विभिन्न क्षेत्रो में बैकों द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋणों की स्थिति (हजारो में)

क्षेत्र / वर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
फसली ऋण	1453181	1963957	2349777	2241566
मियादी ऋण	340198	287370	493677	396441
कुल कृषि साख	1793379	2451327	2843484	2638007
गैर कृषि साख	86093	88532	66451	112002
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	447838	574735	355195	702780
योग प्राथमिकता क्षेत्र	2327310	3113594	3265100	3452789

स्रोत :– जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक

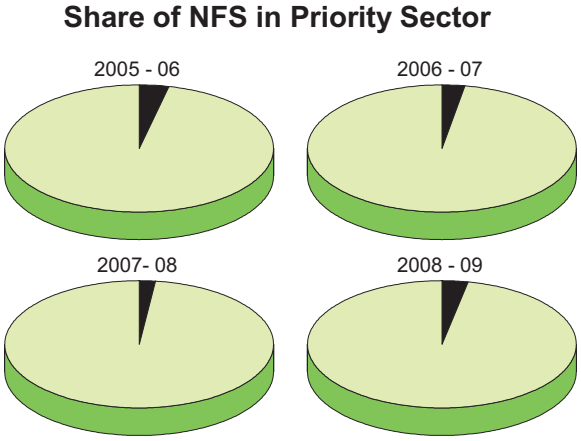

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ऋण की उपलब्धता कृषि क्षेत्र में अधिक रही हैं व गैर कृषि क्षेत्र में नगण्य रही हैं, अतः गैर कृषि क्षेत्र को गति देनी होगी तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढाने हैं, तो गैर कृषि क्षेत्र में बैकों द्वारा ऋण उपलब्धता बढानी होंगी।

2.21.1 जिले में विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण वितरण

गत तीन वर्षो में विभिन्न अभिकरणों द्वारा ऋण वितरित किया गया उनकी गैर कृषि क्षेत्र में उपलब्धता का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैं।

सारणी 2.32: गैर कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण (हजारों में)

क्र.स.	अभिकरण	2006–2007	2007–08	2008–09
1	व्यापारिक बैंक	40810	37237	80050
2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	9268	4376	2058
3	सहकारी बैंक	465	82	4683
4	भूमि विकास बैंक	4103	2956	7673
5	राज्य वित्त निगम	33886	21800	17578
	योग	88532	66451	112002

स्त्रोत :– जिला अग्रणी बैकं प्रबन्धक

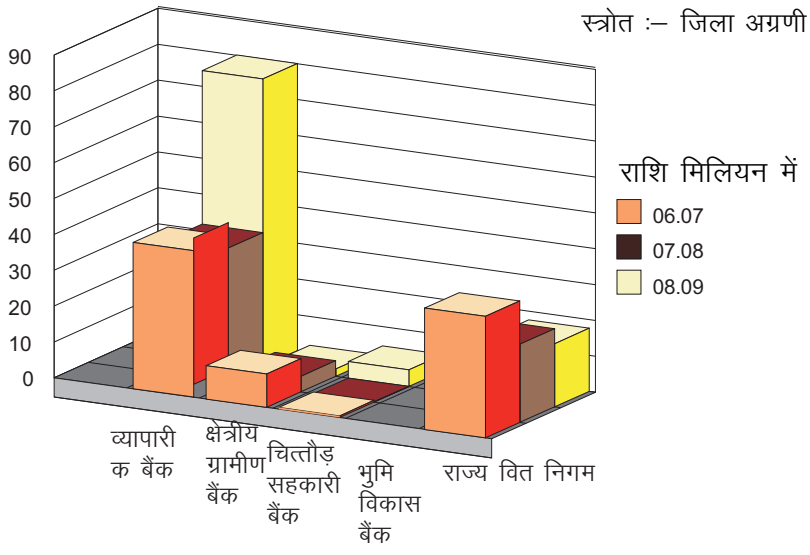

यद्यपि बैंकों ने राज्य प्रायोजित योजनाओं यथा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं पी.एम.ई.जी.पी. की ऋण योजनाओं शहरी क्षेत्र हेतु एस.जे.एस.आर.वाई. योजनाओं में ज्यादातर बैंकों ने लक्ष्य पूर्ति की हैं, लेकिन वास्तविक लाभार्थी बढाये जा सकते हैं, यदि सम्बन्धित विभाग अधिकाधिक लाभार्थी के आवेदन पत्र पूर्ण करा बैकों को प्रायोजित करावें। सामान्यतः आवेदन वर्ष के प्रारम्भ में बैकों को भिजवाये जाने चाहिये, ताकि उन पर समय पर ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण हो सके । विगत वर्षो में आवेदन पत्र को प्रायोजित एवं ऋण की स्वीकृति एवं वितरण अंतिम तीमाही में ही अधिक रहा है।

नाबार्ड द्वारा ही किसान क्लब, स्वयं सहायता समूह , लघु उद्यम विकास, क्रियाशील समूह को सम्बल कौशल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण हाट, बाजार विस्तार, महिला विकास वर्षा जल संरक्षण, मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग हेतु महत्त्वपूर्ण सेवाएँ दी जाती रही हैं।

2.21.2 निष्कर्ष

ग्रामीणों के लिए सभी क्षेत्रों में सम्पूर्ण विस्तार विविधता वाली योजनाएँ उपलब्ध हैं, इन योजनाओं में लाभान्वितों की कम संख्या बैकों से ऋण वितरण की कम राशि से यह परिलक्षित होता है कि ग्रामीण इन योजनाओं से अनभिज्ञ हैं।

बैकों को ऋण स्वीकृति के समय यह देखना चाहिए की जिस उद्यम पर ऋण दिया जा रहा हैं, उसमें पूर्ववर्तित एवं पश्चात वर्तित सम्बन्ध उपलब्ध हैं, साथ ही कौशल विकास/ नवाचार प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं ने भी उक्त चीजे देख ली हैं। इससे उद्यम इकाई भी जीवन्त बने और बैंक भी विश्वास कर सके।

2.21.3 अग्रपथ व भावी योजना

1. विस्तार सेवाओं को आदमियों के घर तक ले जाने की आवश्यकता है।
2. प्रशिक्षणों द्वारा कौशल विकास नवाचार किया जाना चाहिये।
3. विभिन्न योजनाओं का ध्रुवीकरण एवं कार्यक्रम आधारित समन्वयन।
4. बाजार के साथ सम्बन्ध सरकार विपणन के लिए केन्द्र खोले।
5. समूहो का विकास जिससे एक ही प्रकार के उद्यम कच्चा माल खरीद सके और उत्पादित वस्तु का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें।
6. वर्तमान में आधे से अधिक जनता वित्तीय अछूत हैं, उनकी ऋण तक पहुच प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नहीं हैं, बैंक इस और विशेष ध्यान देवें।
7. गैर कृषि क्षेत्र में पर्याप्त व समय पर ऋण उपलब्धता महत्त्वपूर्ण हैं। अतः किसान क्रेडिट कार्ड की तरह स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जारी किये जा सकते हैं।
8. स्वयं सहायता समूह को अधिकाधिक जोडा जावे।
9. किसान क्लबों की स्थापना अधिकाधिक की जावें।
10. पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप अपनाकर संयुक्त प्रयासों से ज्यादा फलदायी परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
11. मात्र इकाइयो की निजी क्षेत्र में स्थापना ताकि लघु नवाचार इकाइयों की आवश्यकता पूर्ण हो सकें।

अध्याय - 3

शिक्षा

भूमिका

मानव जीवन का विकास आदिम युग से आधुनिक जीवन तक विभिन्न रूपान्तरणों से हुआ है। यद्यपि मानव जीवन का इतिहास लिपि के विकास से पुरातन है, फिर भी सीखने की प्रक्रिया आरंभ से ही रही है। यह सीखने की प्रक्रिया अवलोकन व अनुकरण से थी। मान्यताएँ, मूल्य, तकनीकें और ज्ञान मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित होते थे। इनके हस्तान्तरण के माध्यम पूर्णतः अनौपचारिक व नियोजित ही होते थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तान्तरण कहानी कथन, लोकमेलों, लोकगीतों और लोक कविताओं के माध्यम से होता था। सीखने की प्रक्रिया अनौपचारिक रूप से जारी रही, व्यवस्थित रूप ग्रहण किया गया, जब समुदाय बड़ा होता गया तथा ज्ञान के विशिष्टीकरण की आवश्यकता जीवन को परिवर्तित रूप में देखने की रही तब मानव जीवन ने लिखित रूप को सूचनाओं के आदान–प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें संगृहीत रखना प्रारम्भ किया। इस प्रकार संसार की प्राचीन सभ्यताओं में विभिन्न लिपियों का विकास हुआ। लिपि ने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषण को बहुत सीमा तक बढ़ा दिया, उन्हें लेखन व पठन कौशल की आवश्यकता अनुभूत हुई। शिक्षा का प्रारम्भिक उद्देश्य ज्ञान का हस्तान्तरण मात्र ही था। ज्ञान एक व्यक्ति से संसार तक स्वाभाविक रूप से संप्रेषित हुआ, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति में उपस्थित था। शिक्षा की भाषा में यह सुनने में स्पष्ट था, जिसका मुख्य केन्द्र बिन्दु ज्ञान और शिक्षण था सीखने वाला नहीं। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान कौशल और व्यक्ति के चरित्र का विकास करना था।

भारत में शिक्षा का इतिहास बहुत समृद्ध और रोचक है। ईसापूर्व तीसरी शताब्दी में प्राचीन भारत की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करें तो शोध बताते हैं कि प्राचीन दिनों में ऋषि और मनीषी शिक्षा को मौखिक रूप से ही प्रदान करते थे, बाद में पत्रों का विकास हुआ, जिससे लेखन का विकास हुआ। भोजपत्रों एवं वृक्ष की छालों का शिक्षा में उपयोग होता था, जो लिखित साहित्य के विकास में सहायक बने। मन्दिर और सामुदायिक केन्द्र शिक्षा केन्द्रों की भूमिका में थे।

जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हुई। परिणाम स्वरूप विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थाओं यथा– नालंदा, विक्रमशीला, तक्षशीला की स्थापना हुई। ग्यारहवीं शती में मुगलों ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खोले। बाद में जब अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हुआ, यूरोपियन मिशनरीज के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, तत्पश्चात् पश्चिमी शिक्षा भारत में फैलती गई। वर्तमान में भारतीय शिक्षा तंत्र दुनिया का सबसे बड़े तंत्रों में से एक है फिर भी शिक्षा की गुणवत्ता गत दशक से वाद– विवाद का विषय बनी हुई।

3.0 पृष्ठभूमि और वस्तुस्थिति –

यह सार्वभौमिक सत्य है कि प्रगति में शिक्षा की गुणवत्ता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह देश की सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। यह आधारभूत सामाजिक सेवा है, जनता अपनी सरकार से जिसकी आशा कर सकती है। आर्थिक समृद्धि जहाँ देश के विकास में अपनी भूमिका निभाती है, वहीं शिक्षा आर्थिक समृद्धि को उन्नत करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, साक्षरता दर किसी भी राष्ट्र के विकास को सीधे ही प्रभावित करती है, साक्षरता दर के कारण ही आर्थिक रूप से प्रथम और तृतीय विश्व जैसी क्षेत्रीय विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं। 1990 में सभी विकसित और विकासशील देशों ने साक्षरता पर ध्यान देकर क्षेत्रीय विभिन्नताओं को दूर करने का प्रयास किया हैं।

विश्व के नेताओं ने 1990 में जोमटियन उद्घोषणा को स्वीकार करते हुए सत्र 2000 में निर्धारित EFA के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी प्रतिबद्धता दिखाई। भारत भी इस उद्घोषणा से दूर नहीं रहा। 1983 में E-9 की दिल्ली

बैठक के बाद यह महसूस किया गया कि विद्यालय परित्याग करने वाले बालकों को पुनः विद्यालय से जोड़ा जावे। 1990 से निरन्तर प्रयासों के कारण ही भारत सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा जैसे साहसिक कद्म उठाये। राजनीतिक इच्छाशक्ति व प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा के सार्वजनीकरण की शुरूआत हुई। सन् 2000 में जोमटियन उद्घोषणा का पुनरावलोकन दकार में किया गया और पाया कि शिक्षा के सार्वजनीकरण में बहुत बड़ा अन्तराल है। पुनः बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह समय सीमा 2015 निर्धारित की गई।

2015 तक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से भारत की प्रगति उत्साहवर्धक नहीं रही। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी। भारत 3.5 प्रतिशत तक सकल घरेलू उत्पाद का खर्च शिक्षा पर करता है। 1993 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार बनाने की घोषणा की। साक्षरता को बढाने, शैक्षिक गुणवत्ता के उन्नयन तथा परित्याग कर चुके बच्चों को पुनः स्कूल से जोड़ने के कई प्रयास भारत सरकार द्वारा किये गये। उन में से कुछ प्रयास इस प्रकार हैं :–

राष्ट्रीय तकनीकी मिशन, DPEP, LJP, शिक्षाकर्मी योजना राजस्थान, बिहार शिक्षा परियोजना, नेशनल औपन स्कूल, सर्वशिक्षा अभियान और राज्यों द्वारा किये गये प्रयास सम्मिलित हैं। निःसन्देह पिछले वर्षों में निरक्षरता दर निरन्तर कम होती गई है। यद्यपि एनरोलमेन्ट दर (कक्षा I-V) 94.90 है। ड्राप आउट दर 40.25 % काफी अधिक हैं। कक्षा VI – VIII तक एनरोलमेन्ट दर केवल 58.79 % हैं। ड्राप आउट दर कक्षा I – VII तक 54.33 है। कक्षा I – X तक ड्राप आउट दर 68.28% है। इसमे भी ड्राप आउट दर बालिकाओं की अधिक रही हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 347.54 मिलियन 0–14 वर्ष के बच्चें हैं जोकि कुल जनसंख्या का 33.8 प्रतिशत भाग हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 157.8 मिलियन हैं जो कि कुल जनसंख्या का 15.42 प्रतिशत हैं। 1991 की जनगणना अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 11.28 मिलियन हैं। स्वास्थ्य संगठन का अनुमान 23.2 मिलियन है, जबकि अनधिकारिक रूप से 100 मिलियन बच्चें बाल श्रमिक हैं, ऐसा अनुमान हैं।

तत्कालीन सांख्यिकी के आधार पर भारत में 17 मिलियन बाल श्रमिक हैं, जो कि दुनिया में सर्वाधिक हैं। अधिक से अधिक 54 प्रतिशत बच्चों की आबादी कृषि, 15.5 प्रतिशत आबादी निर्माण कार्य एवं 18 बच्चे बच्चे घरेलू कार्यों में संलग्न हैं। 5 प्रतिशत बच्चे उत्पादन कार्यों में और शेष लगभग 8 प्रतिशत बच्चों की आबादी रोजगार के अन्य कार्यों में बिखरी हुई हैं।

3.0.1 राजस्थान राज्य का शैक्षिक परिदृश्य :–

साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान में सुधार दर्शनीय हैं। विगत दशक में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में साक्षरता की दृष्टि से उच्चतम वृद्धि दर अंकित की गई हैं। विशेष रूप से अन्तर्राज्य व अर्न्तजिला दर अनुपात व कुल जनसंख्या की दृष्टि से 1991 के आंकड़ों के आधार पर इसकी प्रगति को रेखांकित करता हैं।

1981–91 के दशक में राजस्थान के पुरूषों की साक्षरता दर भारत की दर के समान थी लेकिन महिला साक्षरता दर भारत की दर से कम थी। फिर भी 2001 की जनगणना अनुसार विगत दशक में साक्षरता दर का प्रतिशत शेष भारत के औसत के समकक्ष है।

राजस्थान में सात वर्ष के आयु के बच्चों की साक्षरता दर 22.45 है, जोकि भारतीय दर 13.7 पाइन्ट से अधिक हैं। इसकी साक्षरता दर 2001 में 60.4 प्रतिशत हुई है जो कि 1991 में 38.55 प्रतिशत थी। यद्यपि भारत की औसत दर (64.08) से कम होते हुए भी राजस्थान ने अपनी स्थिति में तीव्र गति से सुधार किया है। 1991 में केवल

बिहार ही राजस्थान से कम साक्षरता वाला राज्य था, लेकिन 2001 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश (57.36), अरूणाचल प्रदेश (54.3), जम्मू एवं कश्मीर (55.5), झारखण्ड (53.6) और बिहार (47.0) से आगे है। लिंगानुसार साक्षरता दर में राजस्थान की तस्वीर अधिक चमकीली है। पुरूषों की साक्षरता दर राजस्थान में 75.7 है जो कि भारत की औसत दर 75.3 से अधिक हैं। राजस्थान 1991 में केवल तीन राज्यों बिहार, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश से आगे था, अब 12 राज्यों – कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, आसाम, नागालैण्ड, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, मेंघालय, जम्मू और कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश और बिहार से आगे हैं। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत 53.7 की तुलना में राजस्थान की 43.7 प्रतिशत है, जो कम हैं। तथापि 1991 में राजस्थान महिला साक्षरता दर की दृष्टि से सबसे नीचे था, लेकिन अब अरूणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर और बिहार से आगे हैं। अधिक संतोषप्रद तथ्य यह है कि महिला साक्षरता की वृद्धि दर राजस्थान में सर्वाधिक रही हैं। जिलेवार आंकड़ें 1991 तथा 2001 अनुसार प्रत्येक जिले ने पुरूष और महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि की हैं। पुरूषों की साक्षरता दर में अन्तर की दृष्टि से यद्यपि अधिक नहीं है, तथापि महिला साक्षरता दर में अपेक्षा से अधिक वृद्धि हुई हैं। यही स्थिति 1991 में विद्यमान रही।

महिला और पुरूष साक्षरता प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में बाड़मेर,बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली और नागौर जिलों में दर ऊँची रही। शेष 23 जिलों में से 9 जिले औसत से कम (पुरूष और महिला साक्षरता की दृष्टि से), चार जिले औसत से कम (केवल पुरूष साक्षरता की दृष्टि से) और 10 जिले केवल महिला साक्षरता की दृष्टि से औसत से पीछे रहे हैं। 1991 में दिखाये गये औसत से न्यून की दृष्टि से इस अवधि में सभी जिलों ने रिकार्ड वृद्धि की।

साक्षरता दर प्रत्येक जिले में बढ़ी, रेगिस्तानी जिले जिसमें बाड़मेर और चूरू ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रिकार्ड कायम किया। बाड़मेर ने 37.08 प्रतिशत तथा चूरू ने 28.22 प्रतिशत पुरूष साक्षरता दर में वृद्धि अर्जित की। सीकर ने महिला साक्षरता दर में 36.82 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि की। चूरू ने 36.55 प्रतिशत, बाड़मेर ने 36.23 प्रतिशत की वृद्धि सन् 1991 में अर्जित की। 27 जिलों में से इन 34 जिलों में ही पुरूष साक्षरता दर की तुलना में महिला साक्षरता दर अधिक रही। सन् 2001 में कुल 32 जिलों में से अधिक से अधिक जिलों ने पुरूष साक्षरता दर की तुलना में महिला साक्षरता दर में उपलब्धि अर्जित की। महिला और पुरूष साक्षरता की दृष्टि से न्यूनतम् वृद्धि दर अजमेर (11.21) और बांसवाड़ा (14.44) की रही, जिन्होंने 1991 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया था। यद्यपि 1991–2001 के मध्य की यह प्रगति उत्साहवर्धक है, तथापि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

1951 में एक वर्ष बाद कुछ राजघरानों के विलय पश्चात् राजस्थान अस्तित्व में आया। उस समय शिक्षा का स्तर काफी कम था। साक्षरता दर मात्र 8.02 प्रतिशत थी जो कि राष्ट्रीय औसत की आधी थी।

प्रतिशत की दृष्टि से अभी भी राजस्थान थोड़ा पीछे है, लेकिन प्रयासों के फलस्वरूप साक्षरता दर 3 से 6 बार विगत दशकों में राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। यद्यपि प्रथम 40 वर्षो में प्रगति की दर काफी कम रही है, 1991–2001 के मध्य की प्रगति में आशाओं को बढ़ा दिया है। सभी के लिए शिक्षा अथवा साक्षरता दर में वृद्धि, औपचारिक – अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत् शिक्षा ने सम्मिलित रूप से योगदान दिया हैं। वास्तव में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के असफल होने के पश्चात् आया। यदि प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतया सार्वजनीन कर दिया जाता तो साक्षरता की स्थिति कुछ और ही होती।

राजस्थान में सन् 1951 में 6–14 वर्ष के बच्चे मात्र 17 प्रतिशत ही विद्यालयों में नामांकित थे। स्वतन्त्रता के 50 वर्षों के पश्चात राज्यों के अथक प्रयासों से जनसंख्या के 70 प्रतिशत भाग को ही नामांकित किया जा सका है। इसके विपरीत अधिकाधिक दावों में 100 प्रतिशत नामांकन दर्शाया हैं। बालश्रम राज्यों की बड़ी चिन्ता का विषय है। बालश्रम के साथ कई घटक कार्य करते हैं। जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, सक्षम बाल श्रमिक हैं, उन्हें उसी रूप में देखा जा रहा हैं।

सन् 2001 की अद्यतन जनगणना के अनुसार, जिसके अगस्त 2005 में जारी हुए उसमें 226 मिलियन बच्चे जोकि 6–14 वर्ष की आयु के हैं , उनमे से 65.3 मिलियन बच्चे (29 प्रतिशत) किसी भी शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं। विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों में लड़कों का अनुपात 25 प्रतिशत है, जबकि लड़कियों का 33 प्रतिशत हैं। कक्षा 1 में प्रवेश की आधिकारिक उम्र 6 वर्ष की है, इसके बावजूद 60 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से जुड़े हुए नहीं हैं। औसतन 20–25 प्रतिशत बालक जो कि 7 से 10 वर्ष के हैं, विद्यालयों से जुड़े हुए नहीं हैं और बहुत बड़ा अनुपात जोकि 10–14 आयुवर्ग का है, वे विद्यालय से ड्राप आउट हैं। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सजगता के कारण बालक 7 से 10 वर्ष की आयु में विद्यालयों में प्रवेश तो ले लेते हैं, परन्तु बाद में वे शिक्षण की गुणवत्ताहीनता अथवा माता–पिता के काम के दबाव के कारण शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक ड्राप आउट दर 56.59 प्रतिशत है, वहीं कक्षा 1 से 10 तक 73.87 प्रतिशत हैं।

3.0.2 चित्तौड़गढ़ में शिक्षा की स्थिति :–

चित्तौड़गढ़ राजस्थान के पिछड़े जिलों की श्रेणी में आता है। बालशिक्षा और बालश्रम की स्थिति भी गंभीर है। चित्तौड़गढ़ जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीनीकरण की दृष्टि से जिला प्रशासन ने 45725 बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने का लक्ष्य रखा। अभी तक 23521 बच्चों को विद्यालय से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिनमे से 11174 लड़कियाँ हैं। ड्राप आउट दर लड़कों की तुलना में लड़कियों की दुगुनी है, अनामांकित बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या से तिगुनी हैं।

ICDS के ताजा आंकड़ों की दृष्टि से 52618 लड़के तथा 47850 लड़कियाँ चित्तौड़गढ जिले में कुपोषित हैं। पर्याप्त देखभाल के अभाव में बालश्रम की ओर अग्रसर हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल बालश्रमिकों की संख्या 774199 थी जो कि 2001 की जनगणना अनुसार 1262570 तक हो गई हैं। यह वृद्धि दर कुल बाल श्रमिकों की दृष्टि से राजस्थान में 1.79 प्रतिशत रही। श्रम मंत्रालय के अनुसार 5022 बालश्रमिक चित्तौड़गढ़ जिले में चिह्नित किये। अनधिकृत रूप से चित्तौड़गढ़ जिले में 20000 बच्चे बालश्रमिक होने की संभावना हैं। बालिकाएँ बालश्रम की दृष्टि से अधिक पीड़ित हैं। लड़कियों को यौन क्रिया–कलापों में धकेला जाता है। कुछ स्थानों पर माता–पिता बालिकाओं को धन कमाने की दृष्टि से यौन गतिविधियों में धकेल देते हैं। कुछ प्रकरणों में उन्हें मुम्बई, गुजरात, दिल्ली, जयपुर और अन्य पर्यटक अथवा औद्योगिक स्थलों पर भेज दिया जाता है। छोटी उम्र की इन लड़कियों को बड़ी मात्रा में परम्परागत रूप से यौन गतिविधियों में व्यावसायिक रूप से धकेल देने के बावजूद राज्य सरकारों के पास उन्हें पुनर्स्थापित करने और समाज की मुख्यधारा में लाने की कोई योजना नहीं है। यहाँ तक कि वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकार के पास इनके लिए सामान्य शिक्षा की दृष्टि से कोई योजना नहीं हैं। राज्य सरकार के पास अपराधियों, उनके परिवारों, ढाणियों में प्रभावी रूप से शिक्षा देने की योजना अथवा व्यूहरचना भी नहीं है, लगभग 10000 स्वयं सहायता समूह (SHG) चित्तौड़गढ़ जिले में हैं, लेकिन ये समूह सरकारी गंभीरता के अभाव के कारण ऐसे बच्चों को जोड़ने में असफल रहे हैं। ICDS के राजस्थान में लगभग सभी स्थानों पर आंगनवाड़ियाँ स्थापित हो चुकी है, किन्तु आंगनवाड़ियों की कार्यक्षमता एवं उनकी प्रभावशीलता पर अभी भी प्रश्नचिहन् हैं। जिले में औद्योगिक विस्तार के साथ बड़ी मात्रा में गरीब बच्चों की संख्या भी बढी हैं। गरीब बच्चों के लिए कार्य आसानी से उपलब्ध है, और वे स्कूल जाने के बजाय काम को प्राथमिकता देते हैं।

शालापूर्व शिक्षा

राज्य में महिलाओं एवं बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करने, इनके संविधान में प्रदत्त अधिकार के संरक्षण तथा विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से विभिन्न विभागों के माध्यम से जोड़ने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यरत हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग दो अलग–अलग योजना में कार्य सम्पादन करता है :–

1 समेकित बाल विकास परियोजना

2 महिला अधिकारिता

3.1.1 समेकित बाल विकास परियोजना :–

जिले में संचालित बाल विकास परियोजना :– 15

1. ग्रामीण परियोजना :– 14 (3 परियोजनाएँ प्रतापगढ़ जिले की हैं जो TSP है)

2. शहरी परियोजना :– 1

सारणी–3.1 उपरोक्त परियोजना में कार्यरत कार्मियों की सूचना

क्र. सं.	नाम परियोजना	बाल विकास परि. अधि.	महिला पर्यवेक्षक	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी सहायिका	आंगनवाड़ी सहयोगिनी	साथिन
1	भदेसर	1	6	118	24	118	118	25
2	बडीसादडी	1	5	92	48	92	92	23
3	बेगूं	1	5	137	21	137	137	31
4	भैंसरोड़गढ़	1	5	103	19	103	103	23
5	भोपालसागर	1	4	78	0	78	78	19
6	चित्तौड़गढ़(श.)	1	2	82	0	82	82	0
7	चित्तौड़गढ़(ग्रा.)	1	10	194	31	194	194	39
8	डूंगला	1	5	92	21	92	92	26
9	गंगरार	1	5	90	29	90	90	31
10	कपासन	1	5	99	23	99	99	23
11	निम्बाहेडा	1	5	136	15	136	136	35
12	राशमी	1	5	117	17	117	117	23
13	छोटीसादड़ी	1	7	136	13	136	136	24
14	प्रतापगढ़	1	15	320	15	320	320	49
15	अरनोद	1	8	160	17	160	160	30

ग्राम पंचायत द्वारा कार्यकर्ता/सहायिका/सहयोगिन का चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने बहुत जगह चयन सही नहीं कर अपने रिश्तेदारों का चयन कर दिये जाने से या कार्य करने से अयोग्य होने के कारण कार्य स्वीकृति नहीं दी गई। पुनः योग्य कार्यकर्ता चयन हेतु कहा गया है। एक बाल विकास परियोजना और खोलने एवं 2010 तक समस्त प्रकार के पद भरने की आशा हैं। महिला पर्यवेक्षक के साक्षात्कार मार्च 10 के पहले होने एवं ग्राम सभाओं से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के पद भर दिये जावेंगे। महिला एवं बाल विकास की सभी सेवाएँ सुव्यवस्थित रूप से दी जा सकेगी। बजट शत प्रतिशत पदों के लिये उपलब्ध हैं।

सारणी–3.2 आंगनवाडी भवन एवं कार्यालय भवनों की स्थिति

क्र.सं.	नाम	कार्यालय भवन	आंगनवाड़ी भवन	हैण्डपम्प	जहाँ शौचालय की सुविधा
1	चित्तौड़गढ़ (ग्रा.)	विभागीय	158	158	96
2	चित्तौड़गढ़ (श.)	किराया	0	0	0
3	गंगरार	विभागीय	90	90	74
4	बेगूं	विभागीय	52	52	132
5	भैंसरोड़गढ़	किराया	55	55	37
6	राशमी	विभागीय	79	79	88
7	कपासन	किराया	73	73	74
8	भोपालसागर	किराया	30	30	28
9	डूंगला	विभागीय	73	73	29
10	बड़ी सादड़ी	विभागीय	130	130	92
11	भदेसर	विभागीय	102	102	86
12	निम्बाहेड़ा	विभागीय	136	136	78
13	प्रतापगढ़	विभागीय	250	250	197
14	अरनोद	विभागीय	150	150	123
15	छोटीसादड़ी	विभागीय	130	130	103
	योग		1508	1508	1237

अभी तक पंचायतों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवन बनवाये जा रहे हैं, जिनकी निर्माण सामग्री एवं निर्माण कार्य घटिया है, अधिकतर केन्द्र भवनों की छतें टपकती है, फर्श उखड़ चुके हैं। लगभग 10 प्रतिशत आंगनवाड़ी भवन बैठ जाने से दिवारे फट चुकी हैं। अतः आगे से पंचायतों के द्वारा सही निर्माण सामग्री उपयोग में लेते हुए बढ़िया भवनो का निर्माण जिला परिषद द्वारा करवाया जावें। वर्तमान में 25 प्रतिशत भवन स्कूल के पास बने हैं, 75 प्रतिशत भवन गाँव के बाहर बनाये गये हैं। गाँव के बाहर बने भवनों का पुनः स्कूल के पास निर्माण करवाया जाना चाहिए। 1508 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवन में संचालित हैं, जो किराये के भवनों में संचालित हैं। किराया भवन से संचालित केन्द्र प्राथमिक स्कूल में रिक्त पड़े एक कमरे में संचालित कर दिये जावेंगें। 240 नवीन केन्द्र भी स्कूल भवनों में संचालित होंगे ताकि शौचालय व स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। अतः 1586+240=1626 केन्द्र शासकीय भवनों में संचालित होने पर खुला वातावरण बच्चों के विकास हेतु सहायक होगा। प्रति वर्ष केन्द्र भवन मरम्मत एवं पुताई हेतु राशि 1000 रूपये प्रति केन्द्र के हिसाब से प्राप्त करनी हैं।

3.1.2 शाला पूर्व शिक्षा

सारणी 3.3: शाला पूर्व शिक्षा का तुलनात्मक विश्लेषण

क्र.सं.	नाम परियोजना	मार्च 2005 की स्थिति			मार्च 2009 की स्थिति		
		लड़के	लड़कियाँ	प्रतिशत	लड़के	लड़कियाँ	प्रतिशत
1	भदेसर	1368	1356	57.71	1928	1990	93
2	बडीसादड़ी	1402	1408	76.36	1391	1348	50
3	बेगूं	2120	2138	77.70	3232	3214	100
4	भैंसरोड़गढ़	2236	2250	108.48	2265	2260	75
5	भूपालसागर	778	769	49.58	2640	2388	90
6	चित्तौड़गढ़(श.)	815	766	48.20	1332	1322	50
7	चित्तौड़गढ़(ग्रा.)	2419	2446	62.69	2792	3478	80
8	डूंगला	1304	1292	70.54	1901	1892	55
9	गंगरार	1220	1265	69.03	1604	1612	54
10	कपासन	1376	1391	69.87	2045	2032	60
11	निम्बाहेड़ा	1471	1490	54.43	2589	2508	70
12	राशमी	1567	1565	66.92	2362	2294	80
13	अरनोद	2769	2860	87.95	3599	3671	100
14	प्रतापगढ़	5846	5708	90.27	6751	6642	90
15	छोटीसादड़ी	2015	2017	74.12	3009	2886	85
	योग :–	28706	28721	73.47	39440	39537	

शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार बच्चा बोलने लगे एवं अंगुली पकड़ कर चल सकता हो ऐसे बच्चे को यदि माता–पिता स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहे तो स्कूल में नामाकंन कर दिया जावेगा। इस आदेश के तहत 3 वर्ष से भी छोटे बच्चे बड़े बच्चों के साथ स्कूल में प्रवेश ले लेने से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चे 2 प्रतिशत रहे।

कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा गतिविधि भी कम कराई जाती है, एवं ग्रामीणों का रूझान निजी शालाओं पर हो जाने से एवं गाँव–गाँव में निजी शालाएँ खुल जाने से भी बच्चे कम आते हैं।

अतः सुधार लाने हेतु पुनः प्रशिक्षण करा स्कूल पूर्व शिक्षा में सुधार लाया जावेगा, ताकि 100 प्रतिशत केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा दी जावें, तथा स्कूल के नजदीक आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित होने एवं स्कूल में केन्द्र संचालित होने पर ही शत प्रतिशत स्कूल पूर्व शिक्षा गतिविधियां करवाई जा सकती हैं।

निम्न गतिविधियां केन्द्रों पर करवाई जावेगी :–

1– प्रार्थना करवाना

2– छोटी व बडी मांस पेशियों के विकास हेतु शारीरिक खेल

3– मानसिक–बौद्विक विकास के खेल

4– नैतिक शिक्षा

5– पशु–पक्षी, फल–सब्जी की जानकारी

प्रारंभिक शिक्षा

3.2 चित्तौड़गढ़ में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की स्थिति –

जिला कलक्टर जिले में शैक्षणिक प्रबन्धन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक आदि संस्थाएँ जिले की शैक्षणिक गतिविधियों के निरीक्षण एवं उन्नत करने हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। डाईट प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि., जिला शिक्षा अधिकारी माशि. जिला स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु उत्तरदायी हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जिला परियोजना समन्वयक भी हैं। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी आदि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के निरीक्षण में सहयोग प्रदान करते हैं। जिले में समग्र रूप से शैक्षिक गतिविधियों के निरीक्षण आदि हेतु प्रशासनिक दृष्टि से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी एवं सहयोगी स्टाफ योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक है, जो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से गतिविधियां संचालन करते हैं।

व्यवस्थित प्रशासनिक ढ़ाँचे के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत, राजस्थान की 61.03 प्रतिशत थी, वहीं चित्तौड़गढ़ की 54.08 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम थी। पुरूष साक्षरता दर 71.54 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय औसत के निकट है तथापि महिला साक्षरता दर जो कि 36.03 प्रतिशत थी, राष्ट्रीय औसत लगभग आधी ही थी।

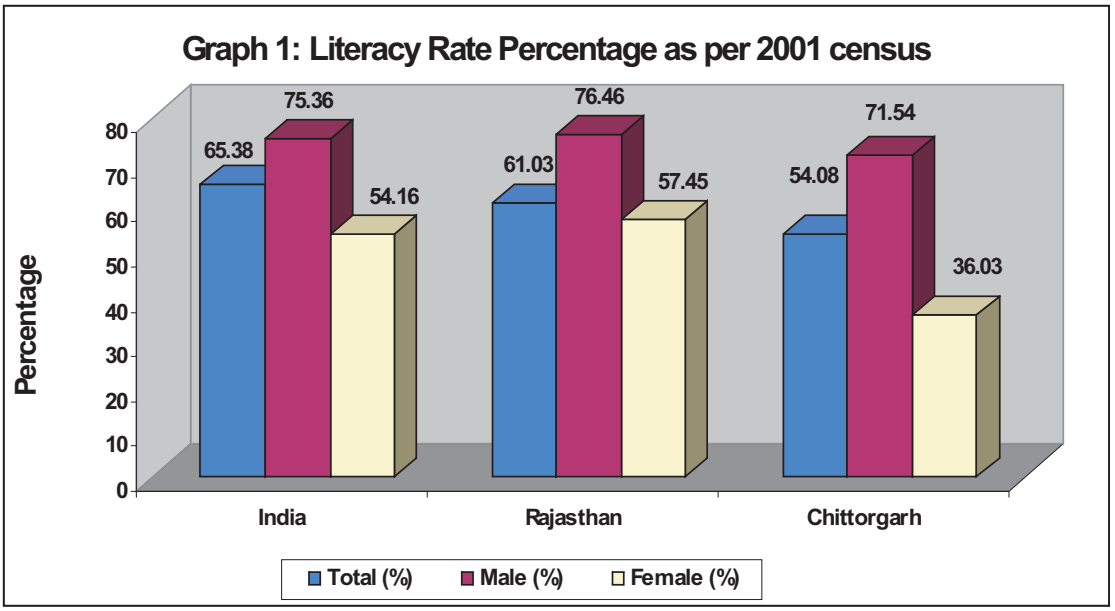

1952 से भारत में साक्षरता दर चार बार परिवर्तित हुई, जबकि राजस्थान में सात बार हुई। साक्षरता दर में 54 प्रतिशत तक ही वृद्धि हुई जो कि लगभग 8 बार थी। 1991 की तुलना में चित्तौड़गढ़ जिले में 2001 में साक्षरता दर में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई।

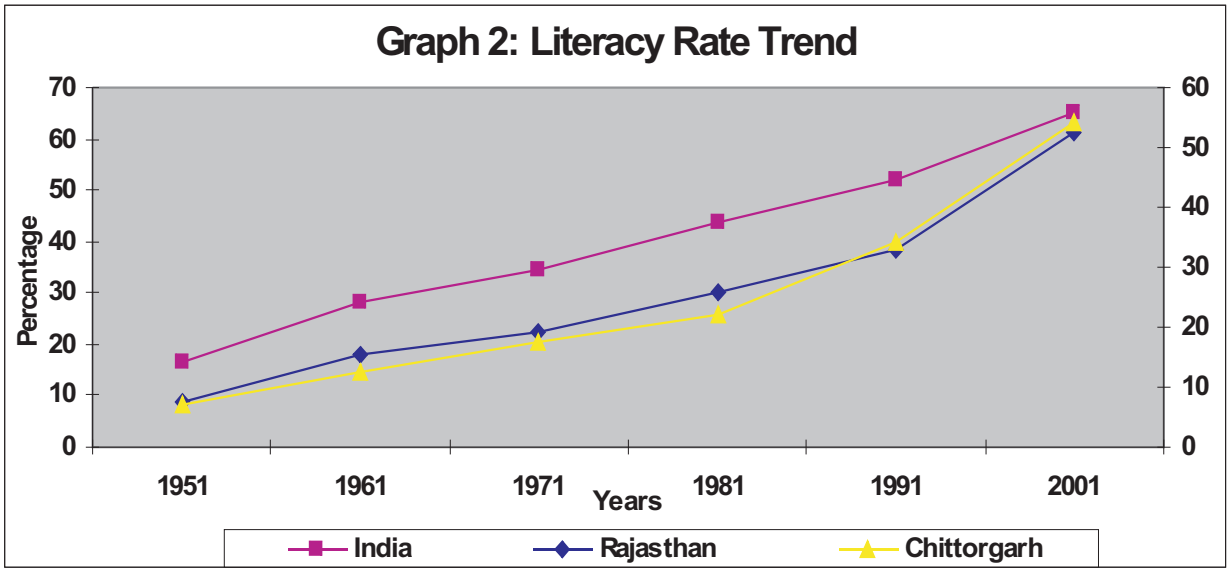

निम्बाहेड़ा और भूपालसागर को छोड़कर महिला साक्षरता की दृष्टि से जिले की सभी पंचायत समितियों के परिणाम निराशाजनक रहे हैं। यह दर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में और अधिक खराब है (ग्राफ–3) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर दयनीय है जो कि अरनोद और छोटीसादड़ी खण्ड को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 1 प्रतिशत से भी कम है। अनुसूचित जनजाति की तुलना में अनुसूचित जाति वर्ग की साक्षरता दर अधिक अच्छी हैं। 2001 की जनगणना अनुसार सबसे कम साक्षरता दर राशमी ब्लॉक में व सबसे अधिक साक्षरता दर भूपालसागर ब्लॉक में हैं।

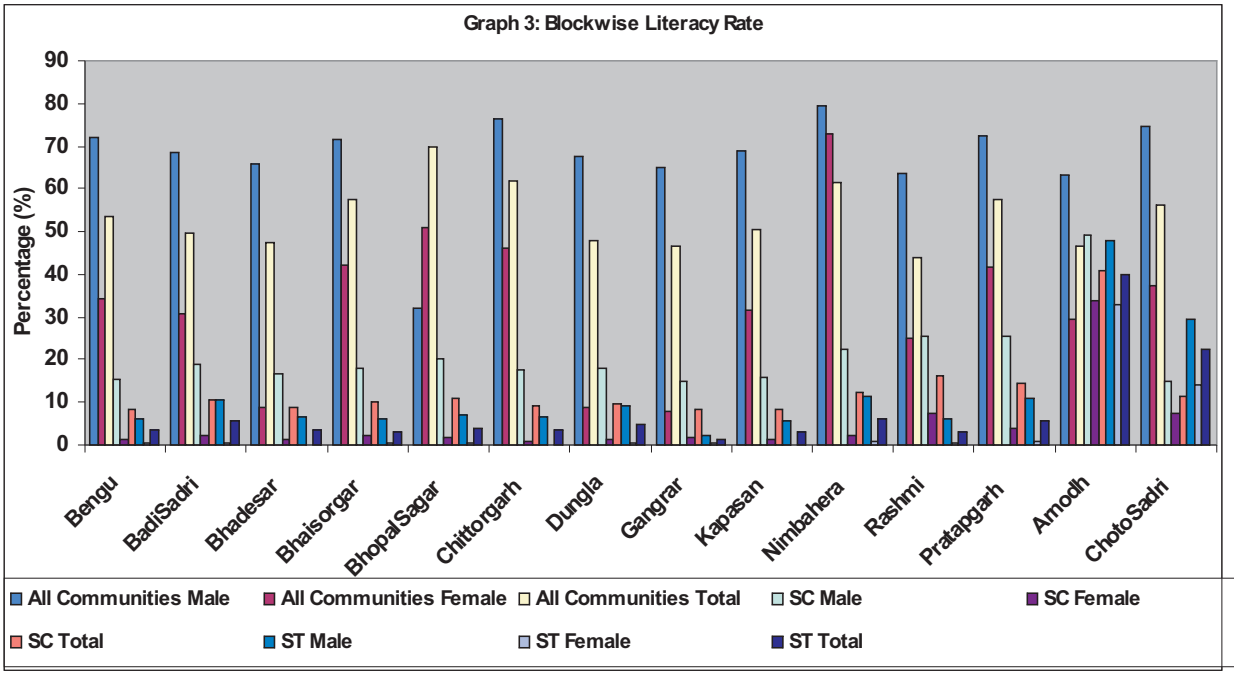

जिले में लिगांनुपात 960 हैं। राशमी (1021), डूंगला (1004) का लिंगानुपात भैंसरोड़गढ़ (907) की तुलना में काफी अच्छा है।

अविभाजित चित्तौड़गढ़ जिले में 2953 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इसी प्रकार से 630 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। लगभग सभी निजी विद्यालय गैर अनुदानित हैं। सभी राजकीय विद्यालय प्रशासनिक दृष्टि से शिक्षा विभाग के अधीन हैं।

2008 के डाइस अनुसार कक्षा 1 से 8 तक कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 247894 हैं। जिनमें 135447 बालक तथा 112447 बालिकाएँ हैं। निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक का नामांकन 69268 हैं। जिनमें 41701 बालक और 27567 बालिकाएँ हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिले में निजी शिक्षण संस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और माता–पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना पसंद कर रहे हैं।

जिले का शैक्षिक प्रशासन

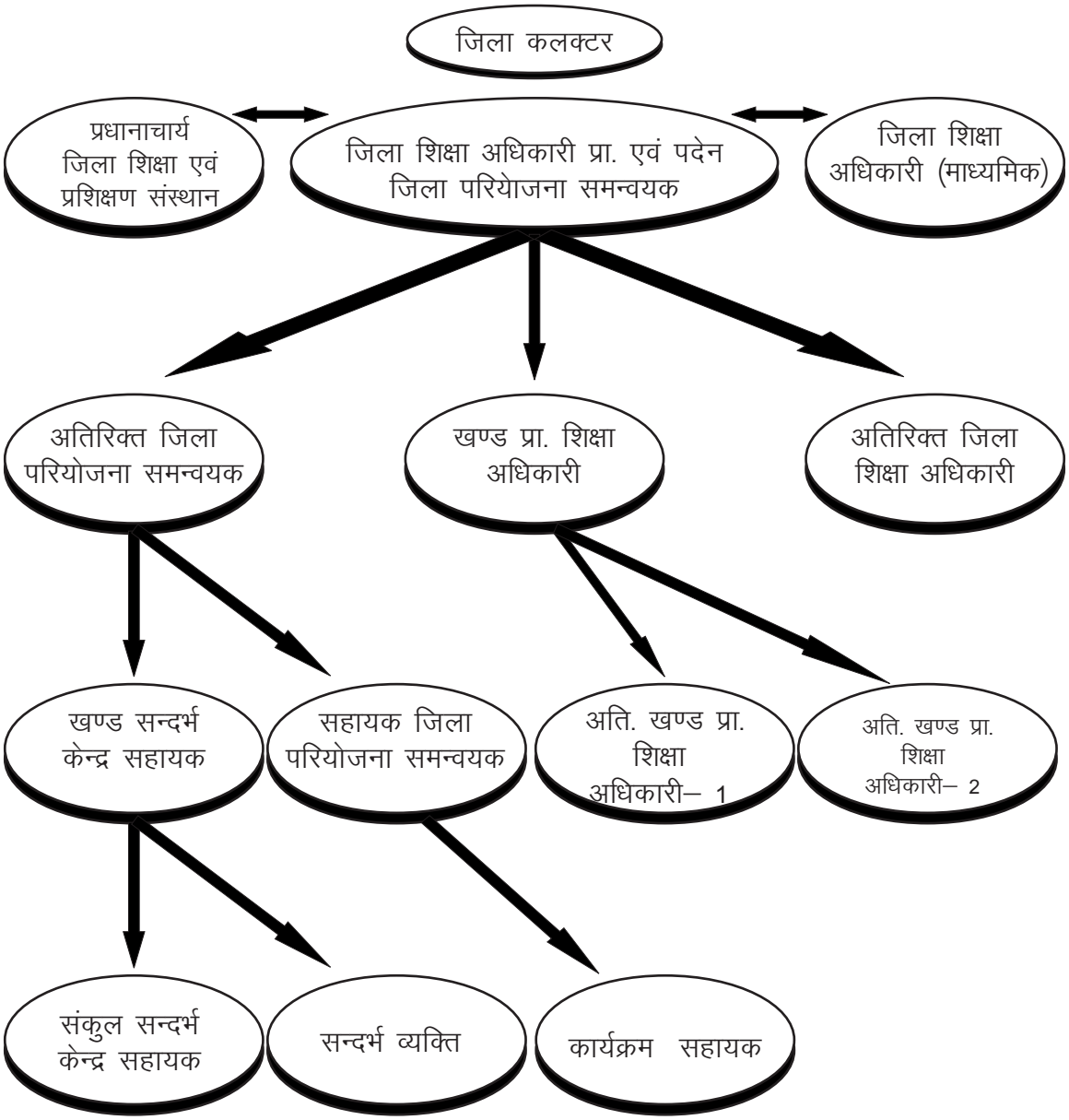

सारणी 3.4: राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्तरों के स्कूलों का ब्लॉक वार विवरण

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक जिसके संग प्राथमिक एवं उच्च	संस्कृत विभाग के विद्यालय	शिक्षाकर्मी विद्यालय	जनजाति विद्यालय	वैकल्पिक विद्यालय	मदरसा
1	बड़ीसादड़ी	67	69	1	19	2	22	0	0	0
2	निम्बाहेड़ा	78	106	1	29	2	3	0	0	0
3	भदेसर	105	62	1	19	1	20	0	0	0
4	डूंगला	108	42	0	18	4	6	0	0	0
5	चित्तौड़गढ़	142	117	2	41	3	0	0	0	3
6	गंगरार	80	73	1	17	4	0	0	0	0
7	राशमी	55	58	1	25	0	6	0	0	0
8	कपासन	69	68	1	22	4	0	0	0	1
9	भूपालसागर	71	42	0	19	0	3	0	0	0
10	बेगूं	159	68	1	24	4	0	0	0	2
11	भैंसरोड़गढ़	106	58	1	22	2	11	0	0	2
योग		**1040**	**763**	**10**	**255**	**26**	**71**	**0**	**0**	**8**
12	प्रतापगढ़	178	101	1	26	0	25	0	0	3
13	अरनोद	158	49	0	13	8	12	0	0	0
14	छोटीसादड़ी	105	70	0	15	3	0	0	0	0

स्रोत– डाईस डाटा 2008 चित्तौड़गढ़

राजकीय विद्यालयों की दृष्टि से जिले में 1040 प्राथमिक विद्यालय, 763 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 10 केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय, 255 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, 26 संस्कृत विद्यालय, 71 शिक्षाकर्मी विद्यालय तथा 8 मदरसा संचालित हैं।

सारणी 3.5: राजकीय विद्यालयों का कक्षावार नामांकन एवं जातिवार विवरण

कक्षा	सामान्य वर्ग		अनु. जाति		जनजाति		अन्य पिछडा वर्ग		सर्व योग			मुस्लिम	
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	T	B	G
I	1766	1869	3358	3367	3883	3732	7375	7989	16382	16957	33339	694	634
II	1558	1655	2748	2634	2942	2681	5931	6311	13179	13281	26460	557	574
III	1436	1497	2464	2171	2497	1998	5434	5714	11831	11380	23211	511	528
IV	1334	1522	2228	1879	1990	1474	5166	5040	10718	9915	20633	477	472
V	1317	1503	2040	1691	1690	1189	5175	4743	10222	9126	19348	413	520
योग I-V	**7411**	**8046**	**12838**	**11742**	**13002**	**11074**	**29081**	**29797**	**62332**	**60659**	**122991**	**2652**	**2728**
VI	1885	1918	2346	1668	1447	836	6149	4698	11827	9120	20947	473	525
VII	1676	1736	1820	1287	1091	629	5257	3974	9844	7626	17470	360	476
VIII	1787	1811	1834	1323	1039	570	5083	3771	9743	7475	17218	334	366
योग VI-VII	**5348**	**5465**	**6000**	**4278**	**3577**	**2035**	**16489**	**12443**	**31414**	**24221**	**55635**	1167	1367
महायोग **I-VIII**	**12759**	**13511**	**18838**	**16020**	**16579**	**13109**	**45570**	**42240**	**93746**	**84880**	**17862**	**3819**	**4095**

स्रोत– डाईस डाटा 2008 चित्तौड़गढ़

जिले में राजकीय विद्यालयों में कुल नामांकित बालक–बालिकाओं में से 52.48 प्रतिशत बालक तथा 47.52 प्रतिशत बालिकाएं अध्ययनरत हैं। जाति के अनुसार वर्गीकरण पर ज्ञान होता है कि अध्ययनरत कुल बालक–बालिकाओं में सामान्य वर्ग के 14.70 प्रतिशत ,अनुसूचित जाति के 19.51 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 16.62 प्रतिशत एवं अन्य पिछडा वर्ग के 49.15 प्रतिशत बालक–बालिकाएं अध्ययनरत हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की दृष्टि से 4.43 प्रतिशत बालक–बालिकाएं कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत हैं।

सारणी 3.6: चित्तौड़गढ़ जिले के समस्त राजकीय विद्यालय एवं विभिन्न प्रकार के निजी विद्यालयों में नामांकन

कक्षा	सामान्य वर्ग		अनु. जाति		जनजाति		अन्य पिछडा वर्ग		सर्व योग			मुस्लिम	
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	T	B	G
I	3875	3608	4449	4064	4456	4116	10693	10346	23473	22134	45607	1172	970
II	3523	3115	3622	3194	3386	2997	8748	8266	19279	17572	36851	1000	921
III	3369	2914	3297	2743	2896	2318	8342	7575	17904	15550	33454	938	853
IV	3171	2958	3036	2437	2397	1797	7800	6746	16404	13938	30342	892	759
V	3152	2818	2804	2156	2107	1492	7663	6229	15726	12695	28421	802	791
योग **I-V**	**17090**	**15413**	**17208**	**14594**	**15242**	**12720**	**43246**	**39162**	**92786**	**81889**	**174675**	**4804**	**4294**
VI	3540	2996	2895	1965	1689	943	7902	5648	16026	11552	27578	789	737
VII	3145	2688	2305	1560	1268	737	6796	4701	13514	9686	23200	635	662
VIII	3127	2689	2312	1542	1201	667	6481	4422	13121	9320	22441	586	528
योग VI-III	**9812**	**8373**	**7512**	**5067**	**4158**	**2347**	**21179**	**14771**	**42661**	**30558**	73219	2010	1927
महायोग **I-VIII**	**26902**	**23786**	**24720**	**19661**	**19400**	**15067**	**64425**	**53933**	**135447**	**112447**	**247894**	**6814**	**6221**

स्रोत– डाईस डाटा 2008, चित्तौड़गढ़

जिले में समस्त राजकीय एवं विभिन्न प्रकार के निजी विद्यालयों में 247894 बालक–बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इनमें 54.64 प्रतिशत बालक तथा 45.36 प्रतिशत बालिकाएं अध्ययनरत हैं। जाति की दृष्टि से 20.44 प्रतिशत सामान्य वर्ग के, 17.91 प्रतिशत अनुसूचितजाति के, 13.91 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के तथा 47.74 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग के बालक–बालिकाएं अध्ययनरत हैं। अल्पसंख्यक बालक–बालिकाओं का प्रतिशत मात्र 2.50 हैं।

सारणी 3.7: प्रतापगढ़ जिले के समस्त राजकीय विद्यालय एवं विभिन्न प्रकार के निजी विद्यालयों में नामांकन का विवरण

कक्षा	सामान्य वर्ग		अनु. जाति		जनजाति		अन्य पिछडा वर्ग		सर्व योग			मुस्लिम	
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	T	B	G
I	799	797	744	680	4838	4286	1575	1528	7956	7291	15113	232	219
II	774	703	620	611	4365	3770	1459	1327	7218	6411	13662	187	152
III	690	676	575	553	3929	3303	1346	1298	6540	5830	12390	172	186
IV	629	630	604	540	3235	2704	1309	1301	5777	5175	10925	170	147
V	656	588	516	475	2990	2247	1301	1254	5463	4564	10270	165	151
योग **I-V**	**3548**	**3394**	**3059**	**2859**	**19357**	**16310**	**6990**	**6708**	**32954**	**29271**	**62360**	**926**	**855**
VI	699	587	601	463	12845	1727	1530	1296	15675	4073	19748	166	120
VII	618	550	515	423	2218	1484	1401	1132	4752	3589	8341	128	115
VIII	677	571	478	422	2306	1418	1426	1171	4887	3582	8469	120	109
योग VI-III	**1994**	**1708**	**1594**	**1308**	**17369**	**4629**	**4357**	**3599**	**25314**	**11244**	**36558**	**402**	**344**
महायोग ए.टप्प	**5542**	**5102**	**4653**	**4167**	**36726**	**20939**	**11347**	**10307**	**58268**	**40515**	**98918**	**1328**	**1199**

स्रोत– डाईस डाटा 2008 चि त्तौड़गढ़

सारणी 3.8: 6 से 11 वर्ष के विद्यार्थियों के नामांकन का खंडवार विवरण

क्रं.	ब्लॉक / नगरपालिका का नाम	नामांकन (6–11 आयु समूह)											
		सामान्य (सभी)			अजा			अजजा			अल्पसंख्यक		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	बड़ीसादड़ी	7221	6635	**13856**	1077	1011	**2088**	2263	2031	**4294**	129	91	**220**
2	निम्बाहेड़ा	13580	11785	**25365**	2270	1900	**4170**	1989	1619	**3608**	1292	1140	**2432**
3	भदेसर	7028	5966	**12994**	1416	1379	**2795**	721	480	**1201**	0	0	**0**
4	डूंगला	5656	5090	**10746**	947	811	**1758**	1140	977	**2117**	66	20	**86**
5	चित्तौड़गढ़	17164	14998	**32162**	1350	1396	**2746**	852	734	**1586**	2080	1588	**3668**
6	गंगरार	4823	4315	**9138**	1012	951	**1963**	541	356	**897**	80	105	**185**
7	राशमी	5265	4653	**9918**	1246	1053	**2299**	508	408	**916**	4	4	**8**
8	कपासन	6294	5451	**11745**	1272	1050	**2322**	743	572	**1315**	379	293	**672**
9	भूपालसागर	4475	3813	**8288**	852	735	**1587**	762	565	**1327**	90	81	**171**
10	बेगूं	8342	8010	**16352**	1777	1552	**3329**	1047	905	**1952**	923	658	**1581**
11	भैंसरोड़गढ़	8386	7330	**15716**	1257	1100	**2357**	2935	2565	**5500**	917	806	**1723**
	योग	**88234**	**78046**	**166280**	**14476**	**12938**	**27414**	**13501**	**11212**	**24713**	**5960**	**4786**	**10746**

सभी जाति के 6–11 आयु समूह के 166280 बालक अध्ययनरत है उनमें से 53.06 प्रतिशत बालक व 46.94 प्रतिशत बालिकाएं अध्ययनरत है। जाति की दृष्टि से 16.48 प्रतिशत अनुसूचितजाति, 14.86 प्रतिशत अनुसूचितजनजाति एवं 6.46 प्रतिशत अल्पसंख्यक बालिकाएं अध्ययनरत हैं।

सारणी 3.8.1: 11 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के नामांकन का खंडवार विवरण

क्रं.	ब्लॉक / नगरपालिका क्षैत्र	नामांकन (11–14 आयु समूह)											
		सामान्य (सभी)			अजा			अजजा			अल्पसंख्यक		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	बड़ीसादड़ी	3453	2470	5923	475	366	841	901	644	1545	60	53	113
2	निम्बाहेड़ा	6819	5238	12057	1149	798	1947	1989	693	2682	674	684	1358
3	भदेसर	2694	1850	4544	526	356	882	175	149	324	0	0	0
4	डूंगला	2435	1713	4148	401	278	679	285	182	467	20	8	28
5	चित्तौड़गढ़	9329	6229	15558	1410	1005	2415	695	380	1075	830	700	1530
6	गंगरार	2405	1386	3791	353	218	571	82	62	144	38	56	94
7	राशमी	2366	1494	3860	471	271	742	100	52	152	1	0	1
8	कपासन	3281	2333	5614	581	469	1050	266	86	352	172	105	277
9	भूपालसागर	1854	1393	3247	336	275	611	158	79	237	37	28	65
10	बेगूं	3877	2465	6342	781	346	1127	227	52	279	284	140	424
11	भैंसरोड़गढ़	3402	2493	5895	510	373	883	1190	872	2062	374	261	635
	योग	41915	29064	70979	6993	4755	11748	6068	3251	9319	2490	2035	4525

उक्त सारणी के अनुसार 11–14 वर्ष समूह के 70979 बालक–बालिकाएँ अध्ययनरत थे उनमें से 59.05 प्रतिशत बालक एवं 40.95 प्रतिशत बालिकाएँ थीं। जाति के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इस आयु समूह में 16.55 प्रतिशत अनुसूचितजाति, 13.12 प्रति अनुसूचित जनजाति एवं 6.37 प्रतिशत अल्पसंख्यक बालक–बालिकाएँ विद्यालय में अध्ययनरत हैं।

सारणी 3.8.2 खंडवार सकल नामांकन तथा शुद्ध नामांकन अनुपात (6 से 11 आयु वर्ग)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	जनसंख्या			कक्षा 1 से 5 तक नामांकन			कक्षा 1 से 5 में आयु समूह 6 से 11 का नामांकन			सकल नामांकन			शुद्ध नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	बड़ीसादड़ी	7235	6774	14009	7260	6771	14031	7221	6635	13856	100.35	99.96	100.16	99.81	97.95	98.91
2	निम्बाहेड़ा	13580	11785	25365	13917	12039	25956	13580	11785	25365	102.48	102.16	102.33	100.00	100.00	100.00
3	भदेसर	7063	6059	13122	7193	6108	13301	7028	5966	12994	101.84	100.81	101.36	99.50	98.47	99.02
4	डूंगला	5656	5090	10746	6065	5725	11790	5656	5090	10746	107.23	112.48	109.72	100.00	100.00	100.00
5	चित्तौड़गढ़	17269	15540	32809	17164	14998	32162	17164	14998	32162	99.39	96.51	98.03	99.39	96.51	98.03
6	गंगरार	4823	4315	9138	7116	6302	13418	4811	4301	9112	147.54	146.05	146.84	99.75	99.67	99.71
7	राशमी	5300	4778	10078	5230	4484	9714	5265	4653	9918	98.68	93.85	96.39	99.34	97.38	98.41
8	कपासन	6315	5476	11791	6294	5451	11745	6294	5451	11745	99.67	99.54	99.61	99.67	99.54	99.61
9	भूपालसागर	4495	3865	8360	4475	3813	8288	4475	3813	8288	99.56	98.65	99.14	99.56	98.65	99.14
10	बेगूं	8401	8091	16492	8567	7838	16405	8342	8010	16352	101.98	96.87	99.47	99.30	99.00	99.15
11	भैंसरोड़गढ़	8451	7387	15838	9505	8360	17865	8386	7330	15716	112.47	113.17	112.80	99.23	99.23	99.23
योग		**88588**	**79160**	**167748**	**92786**	**81889**	**174675**	**88234**	**78046**	**166280**	104.74	103.45	104.13	99.60	98.59	99.12
12	प्रतापगढ़	14509	12371	27180	15257	13201	28458	15597	13481	29078	105.16	104.18	104.70	99.62	99.62	99.79
13	अरनोद	9199	8478	17677	9448	8682	18130	10285	9270	19555	102.17	102.71	102.56	99.87	99.62	99.58
14	छोटीसादड़ी	7196	6581	13777	8249	7387	15636	8249	7387	15636	114.63	114.63	113.49	99.45	99.45	99.36

स्रोत– डाईस डाटा 2008 एवं ब्लॉक प्लान चितौड़गढ़

उपर्युक्त सारिणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिले में 167748 बच्चों के मुकाबले 174675 बालक–बालिकाएं प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत थीं। सकल नामांकन अधिक होने का कारण 11 वर्ष से अधिक आयु अथवा पांच वर्ष से छः वर्ष तक के बालक–बालिकाओं का प्रवेश है। गंगरार पंचायत समिति में सर्वाधिक नामांकन हुआ है। संकल नामांकन कपासन, राशमी, भूपालसागर में सबसे कम हुआ हैं । सकल नामांकन की दृष्टि से गंगरार सर्वाधिक तथा शुद्ध नामांकन निम्बाहेड़ा एवं डूंगला में रहा है। जबकि राशमी पंचायत समिति में संकल नामांकन न्यूनतम रहा वही शुद्ध नामांकन चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में रहा है।

सारणी 3.8.3 खंडवार सकल नामांकन तथा शुद्ध नामांकन अनुपात (11–14 आयु वर्ग)

क्रं.	ब्लॉक का नाम	जनसंख्या			कक्षा 6 से 8 तक नामांकन			कक्षा 6 से 8 में आयु समूह 11 से 14 का नामांकन			सकल नामांकन			शुद्ध नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	बड़ीसादड़ी	3491	2512	6003	2882	2465	5347	3453	2470	5923	82.56	98.13	89.07	98.91	98.33	98.67
2	निम्बाहेड़ा	9819	5238	15057	6819	5238	12057	6819	5238	12057	69.45	100.00	80.08	69.45	100.00	80.08
3	भदेसर	2715	1885	4600	3271	2170	5441	2694	1850	4544	120.48	115.12	118.28	99.23	98.14	98.78
4	डूंगला	2435	1713	4148	2790	1998	4788	2435	1713	4148	114.58	116.64	115.43	100.00	100.00	100.00
5	चित्तौड़गढ़	9463	7843	17306	9329	6229	15558	9329	6229	15558	98.58	79.42	89.90	98.58	79.42	89.90
6	गंगरार	2405	1386	3791	2798	1706	4504	2343	1346	3689	116.34	123.09	118.81	99.71	97.11	97.30
7	राशमी	2596	1819	4415	2206	1623	3829	2366	1494	3860	84.98	89.22	86.73	91.14	82.13	87.43
8	कपासन	3295	2386	5681	3280	2332	5612	3281	2333	5614	99.54	97.74	98.79	99.58	97.78	98.82
9	भूपालसागर	1893	1442	3335	1854	1393	3247	1854	1393	3247	97.94	96.60	97.36	97.94	96.60	97.36
10	बेगूं	3937	2575	6512	3955	2746	6701	3877	2465	6342	100.46	106.64	102.90	98.48	95.73	97.39
11	भैंसरोड़गढ़	3431	2517	5948	3477	2658	6135	3402	2493	5895	101.34	105.60	103.14	99.15	99.05	99.11
योग		45480	31316	76796	42661	30558	73219	41915	29064	70979	93.80	97.58	95.34	92.16	92.81	92.43
12	प्रतापगढ़	6695	4869	11564	7091	5154	12275	7296	5241	12537	105.91	106.47	106.15	99.9	99.77	999.85
13	अरनोद	4336	3188	7524	4620	3349	7969	4944	3572	8516	106.55	105.05	105.91	100	100	100
14	छोटीसादड़ी	3016	2355	5371	3603	2711	6314	3603	2711	6314	119.46	115.12	117.56	99.42	98.98	99.23

स्रोत– डाईस डाटा 2008 एवं ब्लॉक प्लान चित्तौड़गढ़

11–14 वर्ष आयु समूह के संदर्भ में जिले का सकल नामांकन सर्वाधिक भदेसर एवं गंगरार में रहा। वहीं न्यूनतम सकल नामांकन निम्बाहेड़ा पंचायत समिति का 80.08 प्रतिशत रहा । शुद्ध नामांकन की दृष्टि से डूंगंला पंचायत समिति 100 प्रतिशत तथा न्यूनतम 80.08 प्रतिशत निम्बाहेड़ा पंचायत समिति में रहा है। इस प्रकार जिले का संकल नामांकन 95.34 प्रतिशत तथा शुद्ध नामांकन 92.34 प्रतिशत रहा है । ठोस प्रयास अपेक्षित है।

सारणी 3.8.4: खंडवार सकल नामांकन तथा शुद्ध नामांकन अनुपात (6–14 आयु वर्ग)

क्रं.	ब्लॉक का नाम	जनसंख्या			कक्षा 1 से 8 में नामांकन			6 से 14 आयुवर्ग के कक्षा 1 से 8 में नामांकन			सकल नामांकन			शुद्ध नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	बड़ीसादड़ी	10726	9286	20012	10142	9236	19378	10674	9105	19779	94.56	99.46	96.83	99.52	98.05	98.84
2	निम्बाहेड़ा	23399	17023	40422	20736	17277	38013	20399	17023	37422	88.62	101.49	94.04	87.18	100.00	92.58
3	भदेसर	9778	7944	17722	10464	8278	18742	9722	7816	17538	107.02	104.20	105.76	99.43	98.39	98.96
4	डूंगला	8091	6803	14894	8855	7723	16578	8091	6803	14894	109.44	113.52	111.31	100.00	100.00	100.00
5	चित्तौड़गढ़	26732	23383	50115	26493	21227	47720	26493	21227	47720	99.11	90.78	95.22	99.11	90.78	95.22
6	गंगरार	7228	5701	12929	9914	8008	17922	7154	5647	12801	137.16	140.47	138.62	98.97	99.05	99.00
7	राशमी	7896	6597	14493	7436	6107	13543	7631	6147	13778	94.17	92.57	93.45	96.64	93.18	95.07
8	कपासन	9610	7862	17472	9574	7783	17357	9575	7784	17359	99.63	99.00	99.34	99.64	99.01	99.35
9	भूपालसागर	6388	5307	11695	6329	5206	11535	6329	5206	11535	99.08	98.10	98.63	99.08	98.10	98.63
10	बेगूं	12338	10666	23004	12522	10584	23106	12219	10475	22694	101.49	99.23	100.44	99.04	98.21	98.65
11	भैंसरोड़गढ़	11882	9904	21786	12982	11018	24000	11788	9823	21611	109.26	111.25	110.16	99.21	99.18	99.20
	योग	134068	110476	244544	135447	112447	247894	130149	107110	237259	101.03	101.78	101.37	97.08	96.95	97.02
12	प्रतापगढ़	21204	17540	38744	22348	18385	40733	22893	18722	41615	105.4	104.8	105.13	99.8	99.5	99.70
13	अरनोद	13535	11666	25201	14068	12031	26099	15229	12842	28071	103.9	103.1	103.56	99.0	99	99.00
14	छोटीसादड़ी	10212	8936	19148	11852	10098	21950	11852	10098	21950	116.1	113.0	114.63	99.43	99.18	99.32

समग्र रूप से 6–14 वर्ष आयु समूह के संकल एवं शुद्धनामांकन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गंगरार पंचायत समिति में सर्वाधिक तथा राशमी पंचायत समिति में सबसे कम संकल नामांकन हुआ वही शुद्ध नामांकन की दृष्टि से डूंगला पंचायत समिति तथा सबसे कम निम्बाहेड़ा पंचायत समिति में हुआ हैं । सम्पूर्ण जिले की दृष्टि से सकल नामांकन 101.37 प्रतिशत शुद्ध नामांकन 92.07 प्रतिशत हैं ।

सारणी 3.9 ड्राप आउट एवं अनामांकित बालक–बालिकाओं का खंडवार विवरण

क्र.स.	ब्लॉक	ड्राप आउट			अनामांकित		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	बैगूं	111	191	302	7	13	**20**
2	बड़ी सादड़ी	70	155	**225**	14	25	**39**
3	भदेसर	41	68	**109**	1	0	**1**
4	रावतभाटा	84	77	**161**	53	74	**127**
5	चित्तौड़गढ़	415	531	**946**	20	65	**85**
6	डूंगला	27	46	**73**	1	0	**1**
7	गंगरार	159	297	**456**	60	125	**185**
8	कपासन	162	209	**371**	3	18	**21**
9	भूपाल सागर	128	220	**348**	18	60	**78**
10	निम्बाहेड़ा	12	21	**33**	7	0	**7**
11	राशमी	121	268	**389**	20	57	**77**
	योग	**1330**	**2083**	**3413**	**204**	**437**	**641**
12	अरनोद	108	213	321	30	55	85
13	छोटीसादड़ी	83	262	345	16	14	30
14	प्रतापगढ	283	402	685	40	49	89

सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि बालकों की तुलना में बालिकाएँ ज्यादा ड्राप आउट होती हैं। जिले में सबसे कम ड्राप आउट बालक–बालिका निम्बाहेड़ा पंचायत समिति में तथा सबसे अधिक बालक –बालिका चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में हं। इसी प्रकार अनामांकित बालक–बालिकाओं की दृष्टि से सबसे कम बालक –बालिका 1 भदेसर तथा सबसे अधिक 185 बालक बालिका गंगरार में है।

सारणी 3.10 ड्राप आउट एवं अनामांकित बालक–बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की कार्य योजना

क्रं.	ब्लॉक /नगर पालिका क्षैत्र	ड्रॉप आउट की संख्या	आगामी वर्ष में विभिन्न योजनाओं में ड्रॉप आउट बच्चें												
			विद्यालय में सीधे नामांकित बच्चें	ईजीएस में नामांकित बच्चे	ईजीएस केन्द्रों की संख्या	एनआरबी सी में नामांकित बच्चें	एनआरबी सी केन्द्रों की संख्या	आरबीसी में नामांकित बच्चें	आरबीसी में केन्द्रों की संख्या	मदरसा/ मकतब में नामांकित बच्चें	मदरसा/मक तब की संख्या	अन्य योजना में नामांकित बच्चें	अन्य योजनाओ की संख्या	कुल नामांकित बच्चे	कुल एसएमके केन्द्र की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	बैगूं	322	267	0	0	0	0	55	1	0	0	0	0	0	0
2	बड़ी सादड़ी	264	185	0	0	29	1	50	1	0	0	0	0	0	0
3	भदेसर	110	64	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	14	1
4	रावतभाटा	288	152	0	0	60	2	76	2	0	0	0	0	0	0
5	चित्तौड़गढ़	1031	864	0	0	42	1	100	2	0	0	0	0	25	1
6	डूंगला	74	44	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	2
7	गंगरार	641	426	0	0	80	2	85	2	0	0	0	0	50	3
8	कपासन	392	262	0	0	30	1	20	1	0	0	0	0	80	5
9	भूपाल सागर	426	346	0	0	0	0	50	1	0	0	0	0	30	2
10	निम्बाहेड़ा	40	18	0	0	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	राशमी	466	261	0	0	60	2	50	1	0	0	0	0	95	4
	कुल योग	4054	**2889**	**0**	**0**	**355**	**11**	**486**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324**	**18**
12	अरनोद	406	262	0	0	45	1	73	2	0	0	0	0	26	2
13	छोटीसादड़ी	375	176	0	0	62	2	84	2	0	0	0	0	53	3
14	प्रतापगढ	774	446	0	0	88	2	122	3	0	0	0	0	90	4
	कुल योग	1555	884	0	0	195	5	279	7	0	0	0	0	169	9

जिले में कुल 4054 ड्राप आउट एवं अनामांकित बालक –बालिकाओं में से 2889 बालक–बालिकाओं को औपचारिक विद्यालय में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा । शेष बालक–बालिकाओं के लिए 11 गैर आवासीय ब्रिर्ज कोर्स से 355, 11 आवासीय ब्रिज कोर्स 486, एवं 18 शिक्षा मित्र केन्द्रों से 324 कुल 1165 बालक –बालिकाओं को जोड़ने की कार्ययोजना बनाई गई ।

सारणी 3.11: ड्रापआऊट, जेण्डर गेप, ट्रान्जेक्शन रेट का गत वर्ष से तुलनात्मक विवरण

क.सं.	ब्लॉक का नाम	ड्रॉपआउट दर		जेण्डर गेप		ट्रान्जेक्शन रेट	
		2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	बड़ीसादड़ी	4.53	0.61	12.49	4.68	99.59	95.59
2	निम्बाहेड़ा	3.48	0.16	13.39	9.10	94.94	98.32
3	भदेसर	3.22	0.57	18.84	11.66	96.22	87.00
4	डूंगला	0.61	0.00	16.13	6.83	95.06	90.00
5	चित्तौड़गढ़	8.58	0.57	18.29	11.04	97.82	88.16
6	गंगरार	11.8	1.67	26.42	10.63	87.84	87.84
7	राशमी	13.09	1.15	22.59	9.81	92.07	90.39
8	कपासन	19.75	0.54	17.83	10.32	98.00	93.81
9	भूपालसागर	9.52	1.05	19.73	9.74	91.27	92.07
10	बेगूं	15.14	1.15	21.05	8.39	96.14	98.28
11	भैंसरोड़गढ़	9.32	0.70	17.60	8.18	78.29	79.21
	कुल योग	**9.57**	**0.67**	**18.00**	**9.28**	**94.98**	**95.59**
12	प्रतापगढ़				1.82		
13	अरनोद				1.85		
14	छोटीसादड़ी				1.85		
	कुल योग						86.8

गत दो वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि ड्राप आउट रेट घटी है, जबकि ट्रांजिशन रेट बढ़ी है जो शुभ संकेत है ।

सारणी 3.11: जिले में ठहराव दर का रुझान

क्र. सं.	ब्लॉक	2001 में ठहराव दर	वर्तमान ठहराव दर	वर्ष 2009–10 का लक्ष्य
1	बड़ीसादड़ी	74	89.92	95
2	निम्बाहेड़ा	69	84.99	95
3	भदेसर	80	95.74	98
4	डूंगला	83	98.47	99
5	चित्तौड़गढ़	76	91.00	96
6	गंगरार	68	83.17	94
7	राशमी	70	85.99	95
8	कपासन	71	85.44	96
9	भूपालसागर	74	89.00	95
10	बेगूं	60	74.52	89
11	भैंसरोड़गढ़	72	87.59	95
	कुल योग	72.57	**87.91**	**95**

स्रोत – ब्लॉक प्लान चित्तौड़गढ़

उक्त सारणी यह दर्शाती है कि जिले में ठहराव दर क्रमशः बढ़ रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप ही संभव हो रही है ।

सारणी 3.12: मौजूदा विद्यालयों में सरकारी बुनियादी सुविधाएं

क्र.	ब्लॉक/नगर पालिका क्षेत्र	कुल विद्यालय		कुल कक्षाकक्ष		बिना पेयजल सुविधा के विद्यालय की संख्या		बिना सामान्य शौचालय सुविधा के विद्यालय		बिना छात्रा शौचालय सुविधा के विद्यालय		बिना रैम्प सुविधा के विद्यालय		डाइस/वास्तविक सर्वे अनसार कक्षाकक्ष में गैप	बिना प्रधानाध्यापक कक्ष के विद्यालय
		P	UP	P	UP	P	UP	P	UP	P	UP	P	UP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बडीसादड़ी	89	72	298	377	0	0	0	1	1	2	61	29	2	12
2	निम्बाहेडा	78	111	171	669	18	18	12	14	11	24	47	39	52	35
3	भदेसर	121	68	301	338	21	0	3	5	3	5	40	5	40	18
4	डूंगला	114	46	279	173	16	6	4	4	16	8	25	4	22	18
5	चितौड़गढ़	142	125	295	492	12	5	8	5	38	2	40	80	22	0
6	गंगरार	80	78	162	214	7	0	3	4	3	6	0	0	25	40
7	राशमी	61	59	185	316	11	3	5	0	5	0	16	11	51	10
8	कपासन	69	74	162	275	10	12	0	0	0	0	10	7	41	30
9	भूपालसागर	71	45	154	230	4	0	8	8	9	8	51	15	11	13
10	बेगूं	159	75	502	435	0	0	44	4	36	8	111	31	63	36
11	भैसरोड़गढ	119	61	272	328	29	0	16	0	16	0	64	0	23	15
	कुल योग	1103	814	2781	3847	128	44	103	45	138	63	465	221	352	227

उक्त सारणी से ज्ञात होता है कि जिले में 1103 प्राथमिक विद्यालय एवं 814 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। जिनमें प्राथमिक विद्यालयों मे 2781 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3847 कक्षाकक्ष हैं। जिले के 128 प्राथमिक विद्यालय तथा 44 उच्च प्राथमिक विद्यालय में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। शौचालय एवं मूत्रालय की दृष्टि से 103 प्राथमिक व 44 उच्च प्राथमिक विद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। बालिकाओं के लिए 138 प्राथमिक एवं 63 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधा नहीं है। जिले के 465 प्राथमिक व 221 उच्च प्राथमिक विद्यालय में रेम्प नहीं है। 227 विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के लिए पृथक से प्रधानाध्यापक कक्ष नहीं हैं।

सारणी 3.13: तीन या तीन से अधिक कक्षाकक्ष वाले विद्यालयों की संख्या

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	राजकीय विद्यालय जिनमें तीन तक कक्षाकक्ष हैं	राजकीय विद्यालय जिनमें तीन से अधिक कक्षाकक्ष हैं
1	**2**	**3**	**4**
1	बड़ीसादड़ी	82	79
2	निम्बाहेड़ा	102	87
3	भदेसर	87	102
4	डूंगला	140	20
5	चित्तौड़गढ़	148	119
6	गंगरार	99	59
7	राशमी	63	57
8	कपासन	50	93
9	भूपालसागर	76	40
10	बेगूं	139	95
11	भैंसरोड़गढ़	129	51
	कुल योग	**1115**	**802**

जिले के 1917 कुल विद्यालयों में से 58.16 प्रतिशत विद्यालयों में तीन या तीन से कम कक्षाकक्ष है वहीं 41.84 प्रतिशत विद्यालयों में तीन से अधिक कक्षाकक्ष हैं।

सारणी 3.14: पत्र गुणवत्ता निष्पत्ति परीक्षण वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 का तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	ब्लॉक	A ग्रेड			B ग्रेड			C ग्रेड			D ग्रेड			E ग्रेड		
		2007-08	2008-09	अन्तर	2007-08	2008-09	अन्तर	2007-08	2008-09	अन्तर	2007-08	2008-09	अन्तर	2007-08	2008-09	अन्तर
1	बड़ीसादड़ी	38	18	-20	43	79	36	46	53	7	40	8	-32	19	1	-18
2	बेगूं	11	12	1	83	61	-22	92	87	-5	48	65	17	33	25	-8
3	भदेसर	4	12	8	112	66	-46	68	82	14	11	32	21	0	7	7
4	भैंसरोड़गढ़	2	14	12	11	100	89	66	50	-16	59	9	-50	20	1	-19
5	भूपालसागर	5	4	-1	42	36	-6	63	55	-8	9	38	29	0	2	2
6	चित्तौड़गढ़	0	7	7	21	70	49	104	119	15	132	66	-66	42	10	-32
7	डूंगला	2	5	3	37	49	12	61	62	1	46	52	6	19	9	-10
8	गंगरार	22	3	-19	35	92	57	50	39	-11	22	2	-20	16	17	1
9	कपासन	1	22	21	41	50	9	63	39	-24	8	21	13	1	13	12
10	निम्बाहेड़ा	4	2	-2	33	39	6	95	71	-24	59	48	-11	10	19	9
11	राशमी	1	1	0	18	18	0	51	48	-3	53	45	-8	14	25	11
कुल योग		90	100	10	476	660	184	759	705	-54	487	386	-101	174	129	-45
:		4.53	5.05	0.52	24.41	33.33	9.29	38.21	35.6	2.61	24.52	19.49	5.03	8.76	6.51	2.25

मूल्यांकित विद्यालय वर्ष 2008–09 1980
वर्ष 2007–08 1986

उक्त सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ग्रेड ए व बी में विद्यालयों की संख्या बढ़ी हैं वहीं ग्रेड सी, डी व ई में विद्यालयों की संख्या में कमी आई है, जो जिले की शैक्षिक गुणवत्ता की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

सारणी 3.14: बस्तियां और प्रवेश (प्राथमिक)

क्र सं.	ब्लॉक का नाम	कुल वासस्थान	वासस्थान क्षेत्र		प्रावि / ईजीएस के बिना वासस्थान	राज्य सरकार के मानदण्डानुसार प्रावि के लिये योग्य वासस्थान	प्रावि के लिये योग्य नहीं लेकिन ईजीएस के लिये योग्य वासस्थान	प्रावि और ईजीएस के लिये योग्य वासस्थान
			प्राथमिक विद्यालय	ईजीएस				
1	बडीसादड़ी	180	178	0	2	2	0	0
2	निम्बाहेडा	195	194	0	1	1	0	0
3	भदेसर	168	168	0	3	3	0	0
4	डूंगला	102	97	0	7	7	0	0
5	चितौड़गढ़	234	230	0	7	7	0	0
6	गंगरार	156	148	0	8	8	0	0
7	राशमी	107	106	0	0	0	0	0
8	कपासन	131	131	0	0	0	0	0
9	भूपालसागर	130	123	0	0	0	0	0
10	बेगूं	254	254	0	13	13	0	0
11	भैसरोड़गढ़	179	175	0	10	10	0	0
	कुल योग	**1836**	**1804**	**0**	**51**	**51**	**0**	**0**

स्रोत – डाईस 2008 चित्तौड़गढ़

जिले में 1836 वासस्थान है उनमें 1804 वासस्थान पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, 51 वासस्थान ऐसे हैं जिनमें मानदण्डानुसार संख्या नहीं होने के कारण शैक्षिक सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी 3.15: बस्तियां और प्रवेश (उच्च प्राथमिक)

क्रं.	ब्लॉक/नगर पालिका क्षेत्र का नाम	कुल वासस्थान	वासस्थान की संख्या जहाँ तीन किमी क्षेत्र में उप्रावि उपलब्ध	वासस्थान की संख्या जहाँ तीन किमी क्षेत्र में उप्रावि उपलब्ध नहीं	दूरी एवं मानदण्डानुसार उप्रावि विद्यालयविहीन वासस्थान की संख्या	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (सरकारी एवं सरकार द्वारा अनुदानित)	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (सरकारी एवं सरकार द्वारा अनुदानित)	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात	उप्रावि की संख्या 2:1 के अनुपात में	उप्रावि में गैप
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	बड़ीसादड़ी	180	180	0	0	89	72	1:1	0	0
2	निम्बाहेड़ा	195	195	3	0	79	111	1:1	0	0
3	भदेसर	168	168	10	0	121	68	2:1	0	0
4	डूंगला	102	87	15	15	115	46	2:1	0	7
5	चितौड़गढ़	234	230	8	4	143	125	1:1	0	0
6	गंगरार	156	149	0	0	80	78	1:1	0	0
7	राशमी	107	101	0	0	61	59	1:1	0	0
8	कपासन	131	111	13	1	69	74	1:1	0	0
9	भूपालसागर	130	81	2	0	71	45	1:1	0	0
10	बेगूं	254	235	13	0	159	75	2:1	0	3
11	भैसरोड़गढ़	179	175	13	0	119	61	2:1	0	0
	कुल योग	**1836**	**1712**	**77**	**20**	**1106**	**814**	**0**	**0**	**10**

स्रोत – डाईस 2008 चित्तौड़गढ़

जिले के कुल 1836 वासस्थानों में से 1712 वासस्थानों में तीन किलोमीटर की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। 77 वासस्थानों में तीन किमी. से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक की शैक्षिक सुविधा उपलब्ध है। 20 वासस्थान ऐसे हैं जिन पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा इससे अधिक दूरी पर उपलब्ध है।

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित चित्तौड़गढ़ जिला अपने गौरवमयी इतिहास, स्वतंत्रता, प्रेम व भक्ति के साथ–साथ अपने वनाच्छादित भू – भाग एवं उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ जिला मानव विकास सूचकांक 0.299 के साथ राजस्थान राज्य के जिलों के अनुसार 20वां स्थान रखता है। राजस्थान की औसत साक्षरता दर 61.0 प्रतिशत की तुलना में जिले की औसत साक्षरता 54.4 प्रतिशत है। राज्य की पुरूष साक्षरता दर 75.7 प्रतिशत के सापेक्ष जिले की पुरूष साक्षरता दर 71.82 प्रतिशत व राज्य की महिला साक्षरता दर 44.34 प्रतिशत के सापेक्ष जिले की महिला साक्षरता दर 36.46 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 30 प्रतिशत है। राजस्थान की नामांकन दर 67.06 प्रतिशत के सापेक्ष चित्तौड़गढ़ जिले की नामांकन दर 63.06 प्रतिशत है।

उक्त तथ्य चित्तौड़गढ़ जिले के मानव विकास सूचकांक एवं साक्षरता दर में वृद्धि के लिए सुनियोजित प्रयासों की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं।

जिले में विद्यालयी शिक्षा का प्रबंधन प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। साक्षरता तथा सतत् शिक्षा हेतु जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी का कार्यालय सृजित है। प्रारंभिक शिक्षा स्तर तक के शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चित्तौड़गढ़ द्वारा किया जाता है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु समग्र परियोजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार है :–

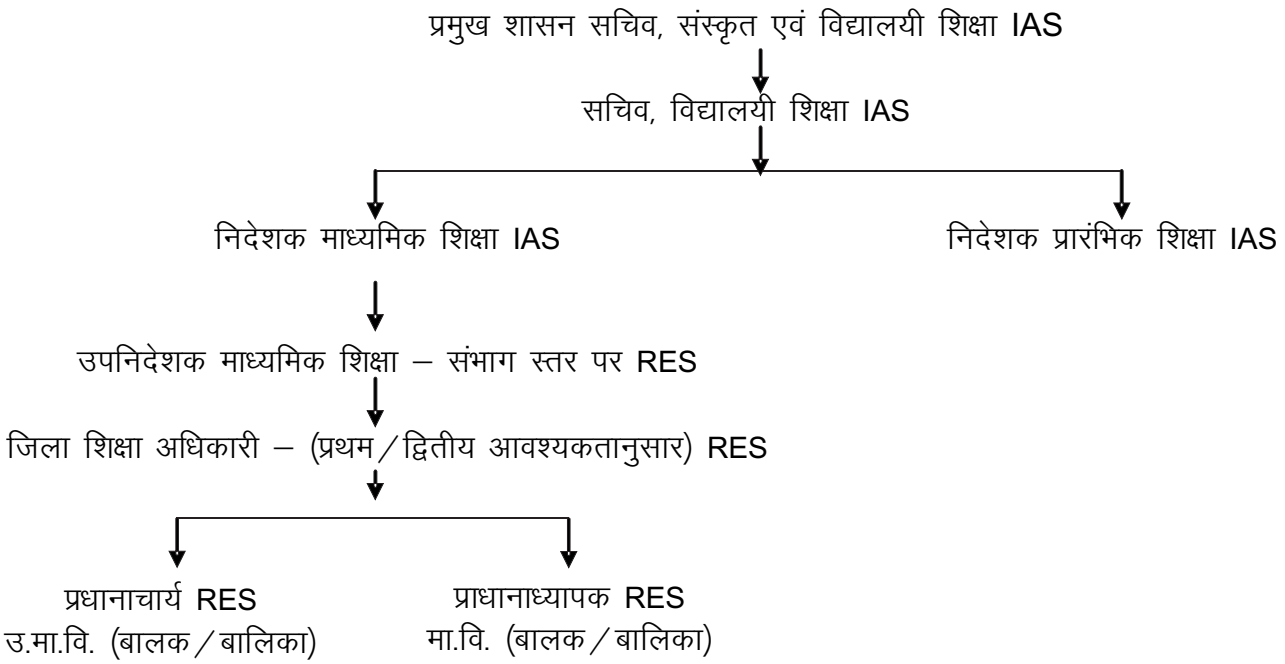

जिला शिक्षा अधिकारी, सचिव, संस्कृत एवं विद्यालयी शिक्षा द्वारा, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं प्राध्यापक निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा, वरिष्ठ अध्यापक, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा तथा अध्यापक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

3.3.1 माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

सारणी 3.16: माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

क्रं.	वर्ष	योग									ग्रामीण								
		सरकारी			निजी			योग			सरकारी			निजी			योग		
		मावि	उमावि	योग	मावि	उमावि	योग	मावि	उमावि	योग	मावि	उमावि	योग	मावि	उमावि	योग	मावि	उमावि	योग
1	2004 -05	109	80	189	32	7	39	141	87	228	105	61	166	3	1	4	108	62	170
2	2005 -06	122	86	208	32	7	39	154	93	247	116	67	183	3	1	4	119	68	187
3	2006 -07	132	93	225	40	10	50	172	103	275	127	73	200	6	1	7	133	74	207
4	2007 -08	114	111	225	48	14	62	162	125	287	109	91	200	8	1	9	117	92	209
5	2008 -09	223	116	339	54	15	69	277	131	408	218	96	314	10	1	11	228	97	325

(स्रोत– कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़)

जिले में कुल 277 माध्यमिक विद्यालय एवं 131 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, इनमें से 80 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हैं। 2004 – 05 में संचालित कुल माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 228 की संख्या में विगत चार वर्षों में 79 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। सत्र 2005–06 में विद्यालयों की संख्या में 8.3 प्रतिशत 2006–07 में 11.3 प्रतिशत सत्र 2007–08 में 4.36 प्रतिशत, किन्तु सत्र 2008–09 में 42.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं।

सर्वशिक्षा अभियान की सफलता के फलस्वरूप हुई नामांकन में वृद्धि तथा कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति अपेक्षित थी किन्तु क्रमोन्नति के मानदण्डों यथा गांव/शहर की आबादी/फीडिंग स्कूल्स की संख्या/विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कक्षावार एवं संकायवार संख्या/ उपलब्ध कक्षा कक्षों की संख्या एवं आकार/फर्नीचर व अन्य भौतिक संसाधनो की उपलब्धता /शिक्षकों व विषयाध्यापकों की उपलब्धता व पदस्थापन की अनदेखी करने से क्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षण की प्रभावी व्यवस्था नही हो पायी हैं। क्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानान्तरण के कारण पूर्व में संचालित विद्यालयों में भी शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा हैं। इसके परिणाम जन आक्रोश/तालाबंदी के साथ विभाग को भी व्यवस्था में कठिनाई आ रही है।

3.3.2 विद्यालयों की क्रमोन्नति में

1. विभागीय मानदण्डों की पालना
2. क्रमोन्नति से पूर्व भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना
3. क्रमोन्नति के साथ ही अध्यापकों के पदों का सृजन व पदस्थापन
4. समुचित वित्तीय प्रावधान करना
5. प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों सहित मंत्रालयिक स्टाफ का पदस्थापन
6. विद्यालयों में सुविधाओं के मानक निर्धारित कर उनकी कठोरता से पालना अपेक्षित है।

3.3.3 नामांकन (कक्षा 9 से 12)

सारणी 3.16: माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन

क्र.	सत्र	कक्षा 9			कक्षा 10			कक्षा 11			कक्षा 12			कुल योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	2004-05	10614	5063	15677	6960	3224	10184	3624	1745	5369	3782	1757	5539	24980	11789	39769
2	2005-06	11483	5652	17135	7728	3898	11626	3330	1764	5094	3712	1807	5519	26253	13121	39374
3	2006-07	11892	6392	18284	8488	4494	12982	3907	2160	6067	3286	1862	5148	27573	14908	42481
4	2007-08	13879	7441	21320	9226	5420	14646	4018	2031	6049	3824	2230	6054	30947	17122	48069
5	2008-09	14632	8390	23022	9426	5577	15003	4563	2767	7330	3860	2090	5950	32481	18824	51305

स्रोत – विद्यालय समंक

विगत पांच सत्रों में कक्षा 9 के नामांकन में लगभग 44.30 प्रतिशत की वृद्धि सर्वशिक्षा अभियान की उपलब्धि को इंगित करती है। सत्र 2006–07 में लगभग 16.06 प्रतिशत की वृद्धि इस अवधि में सर्वाधिक रही हैं। शेष वर्षों में यह वृद्धि 7 से 8 प्रतिशत रही है।

बालिका नामाकंन में वृद्धि हेतु गार्गी पुरुस्कार, आपकी बेटी योजना, अ.जा./ अ.ज.जा. वर्ग की बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय शिक्षण शिविर, छात्रावासों के ट्रांसपोर्ट वाउचर, साइकिलों एवं स्कूटी का वितरण, विकलांग बालिकाओं को आर्थिक सहायता, पूर्व मैट्रिक व उत्तर मैट्रिक छात्रवतियों का वितरण आदि प्रोत्साहनमूलक योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

कक्षा 10 के नामांकन में विगत 5 सत्रों में लगभग 47प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सत्र 2005–06, 2006–07, 2007–08 में यह मात्र 2.43प्रतिशत रही हैं। इन आंकडों से यह तथ्य भी उजागर होता है कि कक्षा 9 अनुत्तीर्ण होने वाले /अध्ययन छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ी हैं। बड़ी संख्या में विषयाध्यापकों के रिक्त पद होना इस प्रवृत्ति का कारण प्रतीत होता है।

कक्षा 11 के नामांकन में किसी स्पष्ट प्रवृत्ति का अभाव है। सत्र 2005–06 में नामांकन कम हुआ है। सत्र 2006–07 में इसमें लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2007–2008 में मामूली कमी हुई, वहीं 2008–09 में पुनः 21.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कक्षा 11 का नामांकन माध्यमिक परीक्षा के परिणाम पर निर्भर हैं। कक्षा 10 के पश्चात् शिक्षा/रोजगार की विविध शाखाएं बन जाती है, सत्र 11 के नामांकन में कमी /वृद्धि में कोई नियम बद्धता नहीं हैं।

कक्षा 12 के नामांकन में सत्र 05–06, 06–07, में कमी, 07–08, में 17.6प्रतिशत की वृद्धि, पुनः सत्र 08–09 में मामूली कमी हुई हैं। ये आँकड़ें विद्यार्थियों की स्वरोजगार अथवा व्यवसायों के प्रति बढी हुई रूचि की ओर संकेत करते हैं। सामान्य स्कूली शिक्षा के नामांकन में लगभग ठहरावसा दिखाई देता है। उक्त सारणी से स्पष्ट है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई हैं। सत्र 2008–2009 में 6प्रतिशत की गिरावट, ठहराव की स्थिति की ओर संकेत करता है।

सारणी 3.17: लिंग एवं जातिवर्ग वार नामांकन

क्र.	सत्र	अजा			अजा			अपिव			सामान्य			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	2004-05	3438	1271	4709	3012	799	3811	10255	3709	13964	8275	6010	14285	24980	11789	36769
2	2005-06	3441	1435	4876	3460	1106	4566	11271	4467	15738	8081	6113	14194	26253	13161	39374
3	2006-07	3657	1624	5281	3966	1469	5435	11744	5359	17103	8206	6456	14662	27573	14908	42481
4	2007-08	4124	2069	6193	4616	1915	6531	13504	6434	19938	8698	6704	15402	30947	17122	48069
5	2008-09	4427	2304	6731	4995	2261	7256	14341	7490	21831	8718	6769	15487	32481	18824	51305

स्रोत – विद्यालय संमक, चित्तौड़गढ़

विगत चार सत्रों में अनुसूचित जाति के बालकों के नामांकन में 28.76 प्रतिशत वृद्धि हुई है, वहीं बालिकाओं के नामांकन में 81.27 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जनजाति के बालकों में 65.83प्रतिशत व बालिकाओं के नामांकन में 182.97 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों में 39.84 प्रतिशत व बालिकाओं के नामांकन में 101.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। सामान्य जातिवर्ग के बालकों में 12 प्रतिशत व बालिकाओं के नामांकन में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। स्पष्ट है कि सभी वर्गों की बालिकाओं के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई हैं। अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग की बालिकाओं का नामांकन उल्लेखनीय रुप से बढ़ा है। सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं के नामाकंन में लगभग ठहरावसा आ गया है। अ.जा. /अ.ज.जा./ व पिछडा वर्ग के बालक बालिकाओं को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव रहा है। इन योजनाओं को जारी रखने व बढाने की आवश्यकता है।

सारणी 3.18: ग्रामीण क्षेत्र में नामाकंन (कक्षा 9 से 12)

क्र.	सत्र	अजा			अजा			अपिव			सामान्य			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा			छात्र
1	2004-05	2181	609	2790	2378	551	2929	6987	2210	9197	4047	2464	6511	15593	5834	21427
2	2005-06	2216	741	2957	2753	842	3595	7746	2769	10515	4147	2666	6823	16872	7018	23890
3	2006-07	2369	851	3220	3219	1148	4367	8105	3435	11540	4322	2947	7269	18015	8381	26396
4	2007-08	2754	1161	3915	3770	1491	5261	9315	4067	13382	4502	3267	7769	20341	9986	30327
5	2008-09	2988	1378	4366	4109	1778	5887	9890	4947	14837	4552	3362	7914	21539	11465	33004

विगत चार वर्षों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई हैं। कुल वृद्धि 54.02 प्रतिशत हुई हैं। जहाँ बालकों का नामांकन 38.15 प्रतिशत बढ़ा है, वहीं बालिकाओं के नामांकन में 96.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। उक्त तथ्यों से बालिका विद्यालयों को अधिक संख्या में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

सारणी 3.19: छात्र शिक्षण अनुपात 28 : 1

क्र. सं.	सत्र	योग		ग्रामीण			
		सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
1	2004-05	22:1	29-1	26:1	29:1	30:1	29:1
2	2005-06	25:1	28.8	27:1	33:1	30:1	32:1
3	2006-07	26:1	28.1	27:1	35:1	29:1	32:1
4	2007-08	25:1	29.1	27:1	31:1	32:2	32:1
5	2008-09	32:1	29.1	31:1	48:1	32:1	39:1

शैक्षणिक सत्र 2004–05 में ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 29:1 था जो सत्र 2008–09 में बढकर 40:1 हो गया हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का संयुक्त रूप से यह अनुपात 32:1 हैं। स्पष्ट है, ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों की उपलब्धता शहरी क्षेत्र की अपेक्षा काफी कम हैं। ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापक नियुक्त करने की महत्ती आवश्यकता हैं। ग्रामीण उच्च माध्यमिक विद्यालयो में भी यह अनुपात अधिक हैं।

3.3.4 मानवीय संसाधन

जिले में लगभग 60 प्रतिशत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 70 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के लगभग 46प्रतिशत व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। कई माध्यमिक विद्यालयों में तो वरिष्ठ अध्यापकों के पद सृजित ही नहीं हुए हैं, अतः रिक्त पद नहीं होते हुए भी विषयाध्यापक नहीं हैं। रिक्त पदों की पूर्ति तथा उपलब्ध मानवीय संसाधनों का न्यायसंगत (Judicious) वितरण अपेक्षित है।

सारणी 3.20: पदवार बालक/बालिका विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना

क्र.स.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
अ.	**मन्त्रालयिक कर्मचारी**			
1	सहायक कर्मचारी	357	341	16
2	जमादार	18	17	1
3	प्रयोग शाला सेवक	52	51	1
4	कनिष्ठ लिपिक	125	125	0
5	वरिष्ठ लिपिक	157	140	17
6	कार्यालय सहायक	19	19	0
7	कार्यालय अधीक्षक	1	0	1
ब.	**अधीनस्थ सेवा**			
8	वाहन चालक	1	1	0
9	अध्यापक ग्रेड तृतीय	333	262	71
10	शारीरिक शिक्षक तृतीय	85	83	2
11	पुस्तकालय अध्यक्ष	53	49	4
12	प्रयोग शाला सहायक तृतीय	39	33	6
13	वरिष्ठ अध्यापक	1022	805	217
14	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष	39	34	5
15	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक	50	37	13
16	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	14	8	6
17	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	0
स.	**शिक्षा सेवा**			
18	व्याख्याता	586	315	271 46%
19	शारीरिक शिक्षक प्रथम ग्रेड	3	3	0
20	शैक्षिक प्रकोष्ठ .अधिकारी	1	0	1
21	प्रधानाध्यापक मा.वि.	88	32	19 70%
22	प्रधानाचार्य	93	38	55 59%
23	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	1	1	0
24	उप जिला शिक्षा अधिकारी	1	0	1
25	जिला शिक्षा अधिकारी	1	1	0
ड.	लेखा सेवा			
26	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0
27	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1
	योग	**3142**	**2434**	**708**

स्रोतः कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़

3.3.5 ठहाराव एवं ड्रॉप आउट दर

कक्षा 9 व 10 के कम परीक्षा परिणाम तथा कक्षा 10 के पश्चात् स्वरोजगार एवं विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लेने के कारण कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले कुल विद्यार्थियों में से मात्र 34.72% विद्यार्थी ही अकादमिक शिक्षा क्षेत्र में रहते हैं। अकादमिक शिक्षा को छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या विगत पांच वर्षों में 64% बढ़ी हैं। व्याख्याताओं/विषयाध्यापकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त होना भी विद्यार्थियों द्वारा स्कूल छोड़ने का संभावित कारण हो सकता है।

सारणी 3.21: ठहाराव एवं ड्रॉप आउट दर

क्र.सं.	वर्ष	क्षा 9 से 12			ड्राप आउट दर कक्षा 9 से 12		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	2004-05	38.93	46.82	41.12	61.07	53.18	58.88
2	2005-06	39.68	48.84	42.28	60.32	51.16	57.72
3	2006-07	34.51	47.09	38.20	65.49	52.91	61.80
4	2007-08	36.03	4.05	38.60	63.97	55.95	61.38
5	2008-09	33.61	37.00	34.72	66.39	63.00	35.28

3.3.6 परीक्षा परिणाम

माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 2004 से 2008 तक लगभग 50% रहने के पश्चात् सत्र 2008–09 में 74% रहा है। उच्च माध्यमिक परीक्षा के कला संकाय का परीक्षा परिणाम लगभग 80%, विज्ञान संकाय का 69%, वाणिज्य संकाय का 79% व कृषि संकाय का लगभग 80% रहा है। सत्र 2008–09 में परीक्षा समय बढाने तथा सत्रांक 20% करने से परीक्षा परिणाम लगभग 20% बढ़े हैं।

विगत 5 वर्षों से विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से परीक्षा देने वाले विद्याार्थियों की संख्या स्थिर हैं। विज्ञान,तकनीकी एवं व्यापार के इस युग में यह ठहराव चिंताजनक हैं। विज्ञान व वाणिज्य शिक्षण की व्यवस्था में सुधार अपेक्षित हैं।

सारणी 3.22.1: बोर्ड परीक्षा परिणाम सत्र 2004–05

कक्षा –12	प्रविष्ट छात्र	उत्तीर्ण छात्र	प्रतिशत
कला	3568	2509	70.38
विज्ञान	937	487	51.97
वाणिज्य	585	444	75.90
कृषि	92	47	51.08

कक्षा 10	**प्रविष्ट छात्र**	**उत्तीर्ण छात्र**	**प्रतिशत**
	8900	**4032**	**45.03**

सारणी 3.22.2: बोर्ड परीक्षा परिणाम सत्र 2005–06

कक्षा –12	प्रविष्ट छात्र	उत्तीर्ण छात्र	प्रतिशत
कला	3594	3124	86.95
विज्ञान	1056	730	69.13
वाणिज्य	607	495	81.55
कृषि	153	110	71.89

कक्षा 10	**प्रविष्ट छात्र**	**उत्तीर्ण छात्र**	**प्रतिशत**
	11286	**5840**	**51.75**

सारणी 3.22.3: बोर्ड परीक्षा परिणाम सत्र 2006–07

कक्षा –12	प्रविष्ट छात्र	उत्तीर्ण छात्र	प्रतिशत
कला	3377	2822	83.57
विज्ञान	795	536	67.42
वाणिज्य	519	426	82.08
कृषि	118	99	83.89

कक्षा 10	**प्रविष्ट छात्र**	**उत्तीर्ण छात्र**	**प्रतिशत**
	10938	**4675**	**54.34**

सारणी 3.22.4: बोर्ड परीक्षा परिणाम सत्र 2007–08

कक्षा – 12	प्रविष्ट छात्र	उत्तीर्ण छात्र	प्रतिशत
कला	3899	3332	85.68
विज्ञान	935	627	67.06
वाणिज्य	619	395	63.81
कृषि	112	102	91.07

कक्षा 10	**प्रविष्ट छात्र**	**उत्तीर्ण छात्र**	**प्रतिशत**
	12499	**6124**	**49.00**

सारणी 3.22.5: बोर्ड परीक्षा परिणाम सत्र 2008–09

कक्षा – 12	प्रविष्ट छात्र	उत्तीर्ण छात्र	प्रतिशत
क्ला	2654	2579	97.17
विज्ञान	742	649	87.47
वाणिज्य	620	569	91.77
कृषि	108	108	100

कक्षा 10	**प्रविष्ट छात्र**	**उत्तीर्ण छात्र**	**प्रतिशत**
	11054	**8181**	**74.00**

3.3.7 प्रबोधन एवं परिवीक्षण –

विगत पाँच सत्रों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में लगभग 70 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं। परिवीक्षण अधिकारियों के रूप में 1 जिला शिक्षा अधिकारी एवं 1 अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हैं। प्रभावी प्रबोधन व परिवीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने व परिवीक्षण अधिकारियों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि अपेक्षित है।

3.3.8 आधारभूत संरचना – (Infra Structure)

अधिकांश माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्ष, अन्य कक्ष, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, मूत्रालय, पेयजल सुविधा, विद्युत कनेक्शन, चारदिवारी आदि उपलब्ध हैं।

उक्त भवन 30 से 50 वर्ष पुरानें होने के कारण इनमें मानक आकार के कक्षा कक्षों का अभाव है। इन भवनों की मरम्मत, रख रखाव, नवीनीकरण कार्यों आदि के लिए वित्तीय प्रावधान अपेक्षित हैं।

3.3.9 खेल के मैदान –

अधिकांश विद्यालयों में खेल के मैदानों के रुप में केवल अविकसित भूखण्ड हैं। इन्हें विकसित करने की आवश्यकता है।

3.3.10 प्रस्तुत चुनौतियां एवं प्रस्तावित निराकरण

माध्यमिक शिक्षा वर्तमान में निम्नलिखित कारणों से कठिनाई के दौर में हैं। इन कारणों को दूर करना अपेक्षित परिणाम अर्जित करने के लिए आवश्यक है।

1. विद्यालयों की क्रमोन्नति विभागीय मानदण्ड़ों के आधार पर की जावे।
2. विद्यालयों की क्रमोन्नति के साथ ही पदों का सृजन व भौतिक विकास हेतु वित्तीय प्रावधान किए जाए।
3. प्राध्यापकों एवं विषयाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन अपेक्षित है।
4. विद्यालय भवनों में मानक आकार के कक्षाकक्ष, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक कक्ष, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला कक्ष तथा चारदीवारी का निर्माण अपेक्षित है।
5. अधिकांश भवन 30 से 50 वर्ष पुराने हैं। इनके रखरखाव, मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु वित्तीय प्रावधान आवश्यक हैं।
6. प्रभावी प्रबोधन एवं परिवीक्षण अपेक्षित हैं।
7. सांस्कृतिक , साहित्यिक एवं सृजनात्मक गतिविधियों की समुचित व्यवस्था की जावे।
8. व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत करना व शिक्षण में कम्प्यूटर का उपयोग अपेक्षित है।
9. परीक्षा को तनाव मुक्त करने हेतु ग्रेडिंग प्रणाली का सरलीकरण एवं इसे लचीला बनाने के प्रयास अपेक्षित हैं।
10. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़ के पाठ्यक्रम , पाठ्पुस्तकों एवं परीक्षा प्रणाली को यथारुप अंगीकार कर राज्य व केन्द्रीय बोर्ड के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम समान स्तर कें करनें अपेक्षित हैं। इससे कॉलेज शिक्षा में दोनों ही धाराओं से निकले विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

साक्षरता

3.4.1 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान :–

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान पूरे राज्य में अभियान के रूप में प्रारम्भ किया गया। जिसके तहत जिला साक्षरता समिति, चित्तौड़गढ़ का गठन 1.9.94 को हुआ, एवं साक्षरता अभियान परियोजना का अनुमोदन 1 मार्च, 1995 से सम्पूर्ण जिले में प्रारम्भ किया गया। सम्पूर्ण साक्षरता की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रवेशिकाओं का अनुमोदन होकर स्वयं सेवकों द्वारा 20 हजार आखर देवरों पर प्रशिक्षित स्वयं सेवकों द्वारा 8.9.96 'विश्व साक्षरता दिवस' से पठन पाठन प्रारम्भ करवाया गया। सर्वे के दौरान इस जिले में कुल निरक्षरों की संख्या 3,19,069 पाई गयी। जिसमें 1,00,440 पुरूष एवं 2,18,629 महिलाएं सम्मिलित थीं। लगभग 2,60,000 निरक्षरों को नवसाक्षर बनाया गया। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का अन्तिम बाह्य मूल्याकंन दिनांक 29 व 30 सितम्बर, 97 को इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डानुसार सम्पन्न किया। परिणामस्वरूप 93 प्रतिशत शिक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मापदण्डानुसार तीनों प्रवेशिकाओं को पूर्ण करने के आधार पर परिणाम 49.00 प्रतिशत तथा द्वितीय प्रवेशिका पूर्ण करने वालों को सम्मिलित करने पर साक्षरता उपलब्धि 68.7 प्रतिशत रही।

राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण साक्षरता के क्षेत्र में श्रेष्ठ अर्जित उपलब्धियों के लिए इस जिले को 'सत्यैन मैत्रे' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

3.4.2 उत्तर साक्षरता कार्यक्रम :–

उत्तर साक्षरता कार्यक्रम दिनांक 17.3.98 से कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। शिक्षार्थियों के लिए जिले में कुल 1600 जनजागरण केन्द्र खोले गए, जिससे 256061 नवसाक्षर लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम का बाह्य मूल्यांकन माह अप्रैल 2000 में दिनांक 25 से 30 अप्रैल तक निदेशक प्रौढ़, सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग, पुणे विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। जिसमें नवसाक्षर परिणाम 18 प्रतिशत एवं मोपिंग–अप का 30 प्रतिशत रहा है।

3.4.3 सतत् शिक्षा कार्यक्रम :–

सतत शिक्षा कार्यक्रम को अप्रैल, 2003 में सुनियोजित तरीके से जन भागीदारी, पंचायती राज संस्थानों के सहयोग एवं ग्राम शिक्षा समिति के तत्वावधान में केन्द्रों के लिए गांव में ग्राम सभाएं, शिक्षा ध्वज यात्राएं, रैली एवं उत्सव मनाकर किया गया। जिसके निम्न 6 आयाम हैं–मोपिंग अप, समतुल्यता कार्यक्रम, आय अभिवृद्धि एवं कौशल विकास कार्यक्रम, जीवन की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ,व्यक्तिगत अभिरूचि कार्यक्रम, पी.आर.आई आदि।

3.4.4 केन्द्रों का निर्धारण –

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मानदण्डानुसार परियोजना प्रस्ताव में 52 नोडल केन्द्रों एवं संबद्ध 522 सतत शिक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया।

3.4.5 प्रेरकों का चयन –

सम्पूर्ण जिले में विशेष ग्राम सभा आयोजित करके चयन हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुरूप गाँव में योग्यतम बेरोजगार व्यक्ति का चयन नोडल प्रेरक, सह नोडल प्रेरक, प्रेरक एवं सह प्रेरक के रूप में चयनित कर सूचियाँ जिला साक्षरता समिति को प्राप्त हुईं। 574 सतत शिक्षा केन्द्र के लिए 52 नोडल, 52 सहायक नोडल प्रेरक 522 प्रेरक व 522 सहायक प्रेरक का चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया गया एवं ग्राम साक्षरता समितियों का गठन किया गया।

3.4.6 केन्द्रों पर सामग्री वितरण :–

समस्त नोडल व सतत शिक्षा केन्द्रों पर गुणवत्ता युक्त सामग्री /फर्नीचर यथा टेबल, कुर्सियाँ, ब्लेक बोर्ड, न्यूज पेपर स्टेण्ड, स्टूल, जाजम, लोहे की आलमीरा, बुककेश, रैक, टी.वी., आदि स्थाई सामग्री का वितरण किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मानदण्डानुसार केन्द्रों पर फर्नीचर, पुस्तकें, टी0वी0 उपलब्ध करवाये गये हैं, जिनमें दूरदराज के गांवों में प्रसार भारती, दूरदर्शन, डी.टी.एच. डिस्क उपलब्ध करावाई गई हैं। कई गाँवों में साक्षरता का टी.वी. गाँव का पहला सार्वजनिक टी.वी. हैं। सतत् शिक्षा केन्द्रों को सूचना–खिड़की के रूप में विकसित किया गया।

3.4.7 सतत् शिक्षा केन्द्रों के भवनों की स्थिति :–

ग्रामीणजनों की पहुँच को ध्यान में रखते हुए 112 सतत् शिक्षा केन्द्र ग्राम पंचायत के पृथक भवन में, 28 विद्यालयों के पृथक कक्ष में, 232 स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध कराये निजी भवनों में, 45 सामुदायिक भवनों में एवं 152 किराये के भवनों में (जिसका किराया ग्राम पंचायत देती है,) संचालित किए गए।

3.4.8 पंचायती राज की भागीदारी एवं समन्वयन के प्रयास :–

ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में प्रेरकों की भागीदारी महत्वपूर्ण असाक्षर महिला शिक्षण शिविरों का शुभारम्भ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवाया जाता है तथा 7 दिन जन सहयोग से शिविरों का संचालन किया जाता है, जिसमें पंचायत का समुचित सहयोग रहता हैं। असाक्षर जन प्रतिनिधियों के लिए आवासीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

3.4.9 सघन मोनिटरिंग :–

प्रतिमाह निर्धारित दिनांकों में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, नोडल स्तर पर समीक्षा एवं नियोजन बैठकें आयोजित की जाती हैं। सूचनाओं का दो तरफा आदान–प्रदान, समस्याओं की पहचान एवं समाधान हेतु प्रशासनिक सहयोग, आर.ए.एस. स्तर के प्रभारी अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के समय सतत शिक्षा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु जिला कलक्टर के द्वारा स्थाई निर्देश दिये गये हैं।

3.4.10 अल्प संख्यकों को सतत शिक्षा से जोड़ने के विशेष प्रयास :–

जिले के गाँवों में अल्प संख्यकों को साक्षरता से जोड़ने हेतु महिला शिक्षण शिविर लगाये गये, जिनमें महिलाओं को जोड़ा गया। जनजाति क्षेत्र की महिलाओं को सतत शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित किये गये। जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रति केन्द्र 5 असाक्षर का नामजद लक्ष्य देकर 5000 महिलाओं को साक्षर किया जा रहा हैं।

3.4.11 समतुल्यता कार्यक्रमः–

केन्द्रों से जुड़ाव एवं शिक्षा को निरन्तर रखने के इच्छुक व्यक्तियों हेतु समतुल्यता के अन्तर्गत स्तर 'ए' में 7449 स्तर 'बी' में 533 साक्षर व्यक्तियों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से कक्षा – 3 एवं 8 के समकक्ष योग्यता अर्जित कर सतत शिक्षा के आयाम को सम्बल प्रदान किया।

3.4.12 कम्प्यूटर साक्षरता :–

हिदुस्तान जिंक द्वारा 50 चयनित सतत् /नोडल केन्द्रों पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गये। जिससे नवसाक्षर /ग्रामवासी कम्प्यूटर से लाभान्वित हुए।

3.4.13 सतत शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नवाचारी पहल

हेण्डपम्प मरम्मत अभियान पेयजल समस्या का निदान, आँखों की रोशनी बचाओ कार्यक्रम, सतत शिक्षा केन्द्र एक दवा वितरण केन्द्र, जनमंगल जोड़ों का प्रशिक्षण, चारा प्रबंधन एवं यूरिया उपचारित चारा प्रशिक्षण, पर्यावरण चेतना प्रशिक्षण, मलेरिया लिंक वर्कर प्रशिक्षण, कृषि गाँव गोद योजना, सतत शिक्षा बनाम नोलेज सेन्टर, योग्यता बढ़ाओ योजना, वर्षा जल संग्रहण (आपदा प्रबन्धन), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से जुड़ाव आदि का सफल संचालन किया गया।

उक्त नवाचारी पहल एवं कम्प्यूटर साक्षरता के आधार पर इस जिले को एक बार पुनः विश्व साक्षरता दिवस 8 सितम्बर, 2007 को 'सत्यैन मैत्रैय' पुरस्कार से नवाज़ा गया।

भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 31.3.09 को सतत शिक्षा कार्यक्रम बन्द किया गया। आगामी प्रस्तावित योजना लोक तालीम सरकार के विचाराधीन हैं।

पी.आर.आई. : सतत शिक्षा कार्यक्रम के साथ–साथ शिक्षा दर्पण सर्वे 2000 के आंकड़ों के अनुसार इस जिले में पुनः 1,30,952 निरक्षर चिह्नित किये गए। जिनकों सतत शिक्षा के प्रेरकों, स्वयं सेवकों, असाक्षर महिला शिक्षण शिविरों आदि से नवसाक्षर करने की कई योजनाएँ क्रियान्वित की गई। दिनांक 31.3.08 के अनुसार कुल शेष निरक्षर 27,598 रहे, जिनको साक्षर करने की योजना निम्नानुसार प्रस्तावित है, –

3.4.14 सतत शिक्षा कार्यक्रम के आधार बिन्दु :–

जिले की समेकित साक्षरता दर में 10 वर्षों में राष्ट्रीय साक्षरता दर में वृद्धि 13.27 एवं प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि 22.48 से जिले की साक्षरता दर में वृद्धि 20.08 हैं। अर्थात जिला प्रदेश की साक्षरता दर के समान की उपलब्धि हासिल कर सका।

जिले की भौगोलिक स्थितियाँ, जातिगत संरचना, भौगोलिक बसावट, मौसमी पलायन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति चेतना की कमी से साक्षरता दर प्रभावित हुई हैं।

प्रदेश में जिले का समेकित साक्षरता दर में 26वां स्थान है। पुरूष साक्षरता में 24वाँ एवं महिला साक्षरता में 25वाँ स्थान है। 7 पंचायत समितियों में जनजाति की आबादी एवं 2 पंचायत समितियों में अनुसूचित जाति से जिले की साक्षरता दर प्रभावित हुई है।

जिले के अधिसंख्य 1114 गाँवों में 30 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता दर है। जो कि कुल गाँव की संख्या लगभग 47 प्रतिशत है। इन्ही गाँवों में महिला साक्षरता के शिविर, विद्यालयी छात्र–छात्राओं द्वारा साक्षर करने का प्रयास लक्ष्य, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सतत शिक्षा प्रेरकों के माध्यम से सघन साक्षरता अभियान संचालित किया जाना प्रस्तावित हैं। प्रतिवर्ष नॉन प्लान बजट से 100 महिला साक्षरता शिविर आयोजित करके 2500 महिलाओं को साक्षर किया जाना प्रस्तावित है।

उपलब्ध संसाधनों के अध्ययन से जिले की शैक्षिक समस्याओं की जानकारी मिलती है। यह कहना गलत होगा कि पूर्व में बालश्रम एवं बालकों की शिक्षा हेतु प्रयास नहीं किये गये। काफी योजनाएँ पूर्व में भी लागू की गई, लेकिन व्यय की तुलना में लाभ कम ही नजर आया। पूर्वानुभवों से स्पष्ट है, कि नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन में कहीं त्रुटि हुई है।

समीक्षा के बिन्दु :–

मंद शैक्षिक प्रगति के कारक

Actors responsible for slow education progress

Parents

- Uneducated parents
- Frail economic condition
- Apathy towards education
- Lack of awareness
- Big family

Students

- Few students have course books
- Engaged in livelihood activities
- Lack of motivation
- Ill health
- Uncertain future

Infrastructure and course curricula

- Unproductive and dull curriculum
- Lack of student driven curricula
- Lack of extracurricular activities
- Insufficient rooms
- Dilapidated school condition
- Inadequate furniture
- No library facilities
- Lack of favorable atmosphere for education

Teachers and school administration

- Weak school administration
- Frequent non-attendance of school teachers
- Backlog of teachers wages
- Appalling economic condition of school teachers
- Insufficient no. of teachers
- No incentives for teachers
- No punishment for non-performing teachers
- Lack of leadership

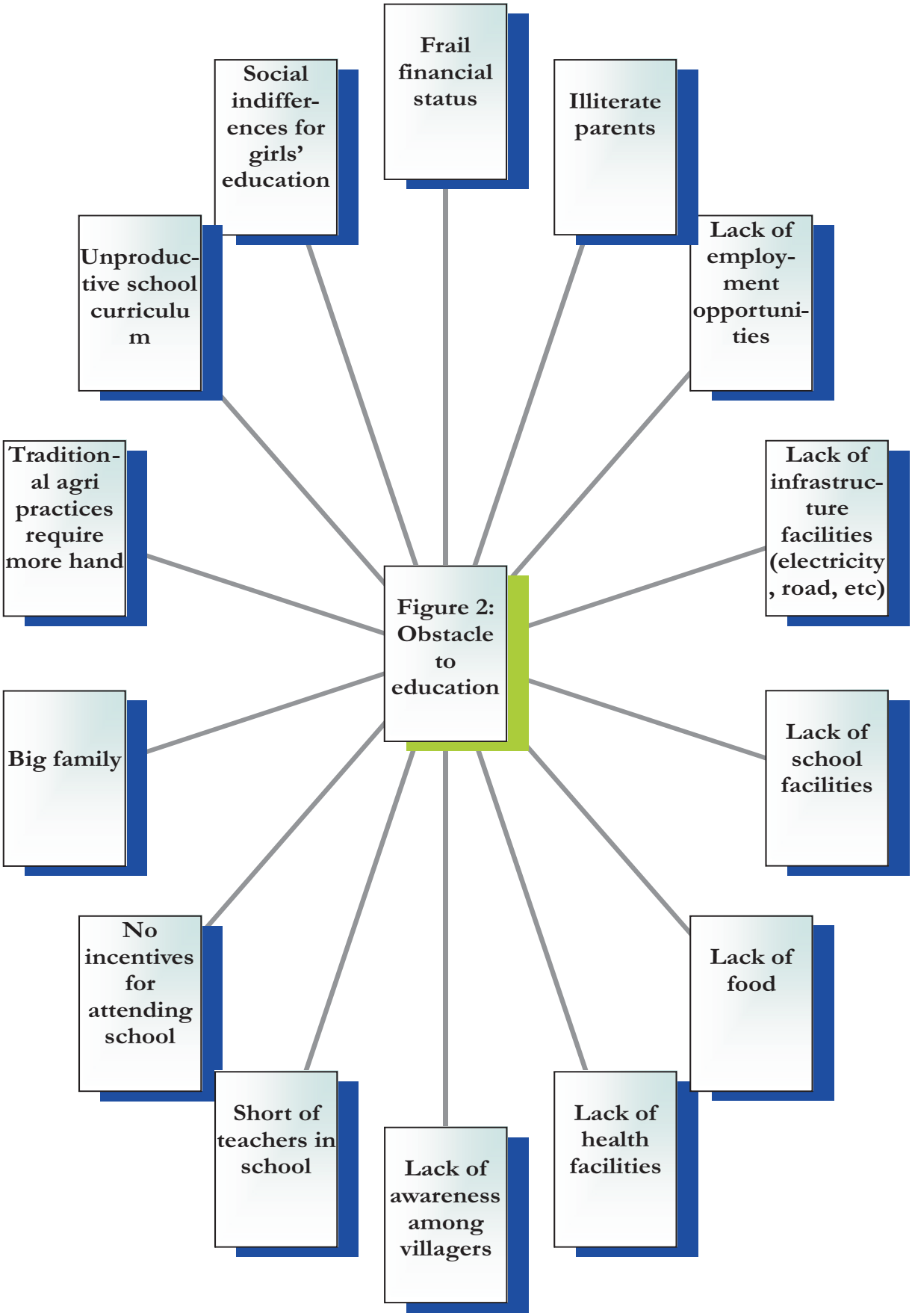
Frail financial status
Social indifferences for girls' education
Illiterate parents
Unproductive school curriculum
Lack of employment opportunities
Traditional agri practices require more hand
Lack of infrastructure facilities (electricity, road, etc)
Figure 2: Obstacle to education
Big family
Lack of school facilities
No incentives for attending school
Lack of food
Short of teachers in school
Lack of awareness among villagers
Lack of health facilities

सारणी 3.23: शैक्षिक विश्लेषण

विशेषताएँ	कमियाँ
1. युवाओं में अध्ययन के प्रति गहरी रूचि	1. शिक्षा को व्यवसाय रूप में देखना
2. निजी क्षेत्र में पर्याप्त अध्यापन क्षमता	2. बच्चों को स्कूल न भेजने पर अभिभावकों/समुदाय की जवाब देही में कमी
3. उद्योग जगत की बढती रूचि और निजी/व्यावसायिक/स्वयं सेवी संस्थाओं की सरकार के साथ सहयोग/साझेदारी	3. सक्षम एवं योग्य शिक्षकों का अभाव
4. नियोजन की बढती सम्भावनाएँ	4. कार्य के प्रति शिक्षकों की लापरवाही एवं जवाबदेही की कमी
5. विद्वान शिक्षकों/व्यावसायिक व्यक्तियों की उपलब्धता	5. शिक्षकों में नवाचारों की कमी
6. धनराशि की उपलब्धता	6. शिक्षकों में आपसी विचार विमर्श की कमी
7. शोध और परामर्श सेवाओं पर जोर व इस प्रकार शिक्षण एवं प्रशिक्षण में गुणवत्ता	7. शिक्षकों के आपसी विचार विमर्श के लिए उपयुक्त मंच का अभाव
8. सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का शैक्षिक गतिविधियों की ओर झुकाव जिससे पाठ्यक्रमों में विविधता	8. शिक्षा व व्यवसाय के बीच असन्तुलन
9. अनुभवी शैक्षिक व गैर–शैक्षिक स्टॉफ तथा इनका लगातार उन्नयन जिससे मानवीय संसाधन का विकास	9. पाठ्यक्रम का समय पर पुनरावलोकन का अभाव व नवाचारों की कमी
10. निःशुल्क पोषाहार	10. अंशकालिक अध्यापकों पर भारी निर्भरता
11. निःशुल्क पाठ्पुस्तकें	11. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों बी.एड/एम.एड. में गम्भीरता का अभाव
12. राजकीय विद्यालयों में शुल्क से मुक्ति	12. प्रशिक्षणों में शिक्षकों की गम्भीरता का अभाव
	13. बच्चों व शिक्षकों के अधिगम पर प्रभावी परिवीक्षण का अभाव
	14. पुस्तकालय दयनीय स्थिति
	15. आवागमन के साधनों का अभाव
	16. दूरस्थ स्थानों पर रह रहे शिक्षकों हेतु मूलभूत सुविधाओं का अभाव
	17. अच्छे कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन एवं कमजोर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को दण्डित करने का अभाव
	18. विद्यालय के लिए भूमि प्राप्त करने की समस्या
	19. छात्र कल्याण/उनकी सुविधाएँ/व्यावसायिक मार्गदर्शन का अभाव
	20. सीमित खेल संसाधन

अवसर	सावधानियाँ (खतरे)
1. योग्य शिक्षकों की उपलब्धता	1. चित्तौड़गढ़ जिले की भौगोलिक स्थिति
2. जिले में उद्यागों की उपलब्धता	2. युवाओं में शिक्षा की निरन्तरता में कम रूचि
3. सरकार का वांछित सहयोग	3. शिक्षा में विकास कभी राजनीति प्रेरित
4. सरकार में सक्षम प्रशासक	4. अनुभवी शिक्षक अन्य क्षेत्रों में जा रहे है
5. प्रचार/जागरूकता के लिए मीडिया का सहयोग	5. दूरस्थ स्थानों पर शिक्षकों की पदस्थापन में अरूचि
6. शिक्षा में उपलब्ध ढ़ाँचा	6. सामाजिक पूर्वाग्रह
7. शिक्षा में शोध की उपलब्धता	7. निजी क्षेत्रों का अपना आर्थिक लक्ष्य
8. राष्ट्रीय विकास एवं सम्पन्नता के लिए शिक्षा आवश्यक है, ऐसा ज्ञापित है।	8. राजनीतिक अस्थिरता ध्यान देने योग्य
9. धन राशि का शोध एवं विशेषज्ञ सेवा में बेहतर उपयोग	9. राजनितिक व्यवस्था में अचानक परिर्वतन से शिक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरा है,
10. शिक्षा में स्थानीय युवाओं की भागीदारी	10. नागरिक सम्बलन एवं सामुदायिक सहभागिता का अभाव
11. महाविद्यालयी छात्रों का स्वयंसेवक के रूप में उपयोग और वह भी ग्रामीण विद्यालयों में	11. विभिन्न राजनितिक दलों की परस्पर विरोधी अभिरूचियों से व्यवस्था को गंभीर खतरा
12. शिक्षा में नये आयामों ने अनन्त संभावनाएँ प्रदान की है, (शिक्षा एक अधिकार के रूप में)	12. सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सहयोग/तालमेल का अभाव
13. समुदाय बच्चों के प्रति जबाबदेह बने	13. शिक्षकों की अस्मिता दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है
14. विद्यालयी संसाधनों के प्रति भी समुदाय जबाबदेह हैं।	
15. विभिन्न संसाधनों के न्यायिक उपयोग हेतु विभाग एक मंच पर एकत्रित	

चित्तौड़गढ़ जिला वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से सुदृढ़ है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी संख्या में औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु औद्यौगिक संस्थान उनके वित्तीय संसाधनों के माध्यम से जिला प्रशासन को सहयोग देने को तैयार हैं, क्योंकि उद्योगों की उपस्थिति से युवाओं के रोजगार हेतु अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। औद्योगिक संगठनों की गहरी रूचि को देखकर और व्यावसायिक/निजी/स्वयं समूह के साथ मिलकर जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में सरकार ने भी सकारात्मक संकेत दिये हैं। अनुभवी अकादमिक और सहयोगी स्टाफ तथा मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग से एक व्यूहरचना बनाकर जिले में शैक्षिक विकास को सकारात्मक दिशा प्रदान की जा सकती है।

जिले की कई क्षमताएँ अपनी मजबूरियों के कारण समाप्त हो चुकी हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में बालश्रम को रोकने हेतु कठोर प्रावधान है, तथापि इन बच्चों के बचपन और उनके परिवार के लिए कोई विकल्पात्मक समाधान भी नहीं हैं। जो बच्चे बालश्रम में संलग्न हं, वे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कमाने वाले हैं। एक बार जब वे श्रम गतिविधि में उतार दिये जाते हैं,, उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं रहता। दूसरी ओर हमारा समाज भी

अभ्यास की दृष्टि से बालश्रम को प्रोत्साहित करता हैं। लोग अपने घरों में छोटे बच्चों को नौकर रखते हैं। गरीबी के कारण ये बच्चे थोड़ी–सी मजदूरी पर भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर कम मजदूरी देकर काम कराते हैं।

आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से अनियोजित क्षेत्रों में पुरूषों एवं महिलाओं के लिए काम के अच्छे अवसर मौजूद हैं,, ऐसी स्थिति में जैसे ही बच्चे कुछ बड़े होते हैं,, उन्हें आसानी से कम मजदूरी पर ले लिया जाता हैं। नियोजक भी उन्हें प्राथमिकता देते हैं,, सामाजिक अपराध लोगों की निरक्षरता के कारण नहीं, बल्कि उनकी अभिवृत्यात्मक समस्याओं के कारण हो रहे हैं। वे बालश्रम की समस्या को समझना नहीं चाहते।

जो कुछ भी पाठ्यचर्या के क्षेत्र में विद्यालयों में किया जाता है, वह अध्यापक केन्द्रित है, कक्षागत ढांचा विद्यालय प्रशासन अथवा अध्यापकों द्वारा तैयार किया जाता है। बच्चों की रूचि का उसमें कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कक्षाएं जेल की भांति होती हैं, जहाँ विद्यार्थियों को 6–7 घंटे बैठना पड़ता है, और अध्यापकों को सुनना पड़ता है। यहां तक कि घर आने पर भी उन पर गृहकार्य का भारी बोझ रहता है। बच्चों के पास अपने बचपन को आनन्द के साथ बिताने का बहुत कम अवसर होता है। पाठ्यक्रम –पाठ्चर्या सैद्धान्तिक अधिक है, प्रायोगिक तौर पर बच्चों को कार्य करने का बहुत कम अवसर मिलता है। इस तरह के पाठ्यक्रम से बच्चे अध्ययन आदि गतिविधियों से दूर हो जाते हैं। कामकाजी बच्चों को अपने जीवन का आनन्द उठाने का तो बहुत कम अवसर प्राप्त होता हैं।

बाल शिक्षा का असफल होना सबसे बड़ी समस्या है, इसका प्रमुख कारण योजना और क्रियान्वयन में समुदाय की सहभागिता नहीं हैं। (फिगर–3) सभी योजनाएँ तैयार कर लागू करने का कार्य बाहरी एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। स्थानीय लोग बडी मुश्किल से कुछ शिक्षा योजनाओं में अपना योगदान दे पाते हैं। शिक्षा में स्वामित्व के अभाव में समाज की निष्क्रिय प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप प्रकट हो रही है। इसके कारण समुदाय उन लोगों पर बच्चों को स्कूल भेजने का दबाव बनाने में विफल रहा हैं। हमारे पास कई अवसर हैं,, जिससे की आवश्यकताओं को पकड़ सकें, उस हेतु अच्छी योजनाओं के माध्यम से कमजोरियों को दूर कर उन्हे सामर्थ्य में बदल सके, जिससे कि कमियां अवसरों में परिणित हो सके। क्षेत्र में बहुत बडी संख्या में दक्ष एवं सक्रिय व्यक्तित्व हैं, जिनके अनुभव का लाभ उठाकर समस्या को हल करने में मदद ली जा सकती हैं लेकिन हमें आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता हैं। जिससे शिक्षा की प्रगति अवरूद्ध हो रही है। दोषपूर्ण सरकारी योजनाओं, भ्रष्ट सरकारी मशीनरीज और सही तरह से प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन नहीं होने से स्थिति और अधिक खराब हो रही हैं। जिले में शिक्षा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एसडब्लुओटी विश्लेषण एक श्रेणीबद्ध विचार प्रस्तुत करने में सक्षम है, जो हमारी जिला स्तर पर समस्या की गहराई को समझ सके।

कार्ययोजना :–

शिक्षा के लक्ष्यों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, – सामाजिक उद्देश्य, बौद्धिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, एवं राजनैतिक/सामाजिक उद्देश्य। तात्कालिक शैक्षिक मुद्दे सैद्धान्तिक अधिक प्रायोगिक कम हैं। ये बाल केन्द्रित होने की अपेक्षा शिक्षक केन्द्रित अधिक हैं। यह बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है, कि उन शिक्षण विधियों के बारे में सोचा जाये, जो बच्चों के ज्ञानवर्द्धन में प्रभावी हो तथा वे बचपन में उसका उपयोग करते हुए तात्कालिक भविष्य को खोज सके। हमें यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार का ज्ञान उन्हें देना चाहिए और कौनसा ज्ञान उनके क्रियाकलापों व वातावरण से ज्यादा सम्बद्ध है। यदि कुछ प्रावधान हो सके तो बालश्रम पर पूर्णतया रोक लगा देनी चाहिए। जिसमें उनकी गरीबी आदि कारकों का विशेष ध्यान रखा जावे, क्योंकि बिना पुनर्वास के बालश्रम पर रोक

लगायी जावेगी अथवा आर्थिक कारकों पर ध्यान नहीं दिये जाने पर ऐसे बच्चों एवं परिवार और सामाजिक विकारों को जन्म दे सकते हैं जैसे कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक अपराध। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में चारों लक्षणों में से एक भी प्राप्त करने में असफल रही हैं।

माता पिता बच्चों की शिक्षा के बारे में अधिक जागरूक नहीं रहते, यह हमेशा सच नहीं हैं। आर्थिक दबाव के कारण ये माता–पिता अपने बच्चों को धन कमाने की गतिविधियों में संलग्न कर देते हैं। धन की क्षणिक प्राप्ति के स्थान पर शिक्षा के दूरगामी फल को वे प्राथमिकता की दृष्टि से देख नहीं पाते। बाल श्रम व गरीबी पर अद्यतन शोध से यह प्रकट होता है, कि जैसे ही माता पिता अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लग जाते हैं। इस प्रकार बच्चों की शिक्षा में माता–पिता का शामिल होना बहुत आवश्यक हैं। दूसरी और जिनकी माताएँ थोड़ी बहुत पढी–लिखी हैं, उनके बच्चे स्कूल आते हैं।

शिक्षा की प्रगति के लिए गरीब परिवारों हेतु व्यावसायिक शिक्षा एक और विकल्प है। ब्रिज कोर्स स्कूल, वे बच्चे जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म हैं। ब्रिज कोर्स स्कूलों को उद्देश्य यह है, कि बच्चे पुनः श्रम बाजार की ओर प्रविष्ट नहीं हो, यह सुनिश्चित करना ताकि वे शिक्षा की मुख्यधारा में बने रह सके। यह ब्रिज कोर्स स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा पर निर्भर करता हैं। एक या दो सालों तक इन ब्रिज कोर्स स्कूलों में भेजकर यह सुनिश्चित करना कठिन है, कि वे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ गये हों। विशेष रूप से उन बच्चों के माता–पिता जो दूरस्थ ढाणियों में निवास करते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके लिए बच्चों को काम की ओर भेजना ज्यादा आकर्षक है। इसीलिए ब्रिज कोर्स स्कूलों की ओर ध्यान देने के साथ व्यावसायिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, जो कि बच्चों के भविष्य में उपयोगी हो तथा जो निकट भविष्य में उनको बेहतर रोजगार दिला सके। अनौपचारिक शिक्षा में ऐसे अनेक अवसर हैं। हस्तकला की शिक्षा, कृषि और गैर–कृषि गतिविधियाँ आदि कुछ ऐसे विकल्प है, जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा के आधार हो सकते हैं।

क्षमताओं की कार्यरूप में परिणति :–

बुहत ही समग्र और परिपूर्ण पैकेज उनके पुनर्वास, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के रूप में सम्भावितों की श्रेणी में शामिल करते हुए विकसित किया जा चुका हैं। हमें उनकी समस्या के मूल रूप में जाना होगा न कि सतही दृष्टि से दृष्टिपात करने से समस्या का हल होगा। शुद्ध अकादमिक अभ्यास और प्रायोगिक गतिविधियों के साथ उसे फलदायी अवसर देना होगा ताकि सम्पूर्ण विकास की और अग्रसर हो सके।

जो बच्चे अलग पृष्ठभूमि में आते हैं, उनके बारे में प्रविधि चाहे हों लेकिन बच्चों के समूह के साथ एक बात निश्चित रूप से समान होगी, वह यह कि शिक्षा पद्धति उनके बचपन को विकसित करने में एवं उसे आधार देने में मदद करे। बच्चों के बचपन की ओर ध्यान देने हेतु उनके माता–पिता पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि एक बार उनके माता–पिता के पास पर्याप्त आय के संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, तो उनके बच्चों को विद्यालय में भेजना आसान हो जायेगा। हमें अपने कार्य स्तर को विस्तारित करने की आवश्यकता है, जो शैक्षिक प्रगति की योजनाओं को स्वस्थ्य एवं बच्चों के लिए उपयोगी बना सके।

बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्यों को हमें सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए उनसे तादात्म्य स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा के पूर्ण सार्वजनीकरण में सफलता प्राप्त कर सके। बच्चों की सुरक्षा हेतु समय–समय पर विभिन्न नीतियों और वैधानिक प्रावधान बनाये गये। जिनमें सम्मिलित है–

- FactoriesAct of 1958
- HinduAdoptionAnd MaintenanceAct of 1956
- Probation of offendersAct 1958
- OrphanagesAnd other Charitable Homes (SupervisionAnd Control)Act of 1960
- Bonded Labor System (Abolitions)Act 1976
- Child MarriageAnd RestriantAct of 1979
- Immoral Traffic PreventionAct of 186
- Prenatal Dignostic Techniques (RegulationAnd Prevention of Misuse)Act of 1994
- Persons with disbilities (Equal Protection of RightsAnd Full Participation)Act of 1995
- Juvenile Justice (CareAnd Protection of Children)Act of 2000

बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बालश्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, बच्चों के लिए राष्ट्रीय घोषणापत्र 2004, बच्चों के लिए राष्ट्रीय योजना और क्रियान्वयन आदि महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय थे। अन्त में कानून और अधिनियमों का कोई अभाव नहीं है, समस्या केवल प्रभावी क्रियान्वयन की हैं। कानून बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में असफल रहे हैं।

निष्कर्ष :–

भारतीय संविधान के अनुसार 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा मूल अधिकार है। भारत में बहुत अच्छी संख्या में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय हैं। आकड़ों के अनुसार दो तिहाई स्कूल जाने योग्य बच्चे स्कूलों में नामांकित है, लेकिन वे नियमित रूप से स्कूल में नहीं ठहरते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के कम से कम आधे विद्यार्थी स्कूल शिक्षा पूर्ण करने से पहले ड्राप–आउट हो जाते हैं। प्रांरभिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं। कुछ योजनाएँ इस प्रकार है, जैसे – सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) , ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड, मिड–डे–मील आदि।

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य 2007 तक 6–11 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना है, और 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को आठ वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करवाना हैं। पूरे देश में यह योजना जिसमे बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जन–जाति वर्ग, विशेष आवश्यकता वालें बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए संभावित हैं। केन्द्र उन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से खोले गए हैं, जहाँ विद्यालय नहीं है, अथवा विद्यालय बहुत दूरी पर हैं। बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा में NPEGEL, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और महिला समर्थता योजना संचालित हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), 1994 में आरम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करना था। इसका लक्ष्य था कि प्रत्येक स्कूल जाने योग्य बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो। एक बार जो बालक नामांकित हों,वह विद्यालय में ठहरे। यह कार्यक्रम निश्चित लक्ष्य तक सफल रहा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) में शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन की दृष्टि से कई उद्देश्य निर्धारित किए, लेकिन इन सभी को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। जिसमें परीक्षा प्रणाली को इस प्रणाली से मुक्त करने पर जोर दिया गया, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है ? भारत में प्रयोग और प्रश्नोत्तर के स्थान पर कमजोर अधिगम को प्रोत्साहित किया जाना प्रतीत होता है, । सभी राज्यों के बोर्ड में शिक्षा के अलग–अलग स्तर हैं। जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण भी इस क्षेत्र में नकारात्मक बिन्दु हैं। कार्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक उन्नयन को केन्द्रित किया गया और 11 वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसे ज्यों का त्यों रखा गया।

इस समय जिला स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थित योजना की आवश्कता है, जिसमें प्राथमिकता के क्षेत्रों का निर्धारण हों। योजना निर्माता को विद्यालयी व्यवस्था तथा गुणवत्ता उन्नयन की और ध्यान देना आवश्यक हैं। अभी तक संख्यात्मक दृष्टि से ही शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, जैसे – नामांकन संख्या, प्राप्तांक आदि। बहुत कम ध्यान गुणवत्तापूर्ण लक्ष्यों की और दिया गया। जैसे कि अधिगम, पाठ्यचर्या की विषयवस्तु, आधार भूत कौशल, आदि। जो कि वैयक्तिक अभियोग्यता को चिह्नित करने में सक्षम हैं।

प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण समस्या गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण तथा अधिगम की हैं। प्राथमिक विद्यालयों में भाषायी कौशलों से संबन्धित समस्याएं है, जिनमें लेखन,उच्चारण,पठन और अवबोध जैसी शैक्षणिक समस्याएँ हैं।

शिक्षा की जड़ में कई गुनी समस्याएँ हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गंभीर समस्या गरीबी की हैं। गरीबी के कारण माता–पिता बच्चों को अधिगम सामग्री उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। इसके अलावा स्कूल से निकलने वाले बच्चों की बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। सामान्यतया माता–पिता की शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर विनियोग की अनिच्छा है। बड़ी मुश्किल से वित्तीय संसाधन प्राप्त करना उन्हें शिक्षा पर खर्च करना और तात्कालिक अथवा निकट भविष्य में उसका लाभ नहीं मिलना भी बड़ा कारण है।

दूसरा यह भी सत्य है, कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता संतोषजनक नहीं हैं। माध्यमिक शिक्षा में निष्णात शिक्षकों के अभाव के कारण अब सरकार का ध्यान इनके प्रशिक्षण पर गया है।

तीसरा शिक्षण की गुणवत्ता, जिसमें संवाद कौशल, सामाजिक कौशल, व्यावसायिक कौशल, अध्ययन एवं पठन कौशल आदि ऐसे कौशल है, जिनका प्रयोग शिक्षक प्राथमिक स्तर पर नहीं करते हैं।

यह सर्व मान्य तथ्य है, कि एक शिक्षित समाज अशिक्षित समाज की तुलना में अधिक प्रगति करता है, और कभी भी अशिक्षित समाज में आधुनिकता व प्रगति को प्राप्त किया है। हम अब इसको हस्तांतरित कर रहे हैं,, जिसकी गुणवत्ता और सह सम्बद्धता शिक्षा से हैं। जिस पर आर्थिक विकास निर्भर हैं।

शिक्षण–अधिगम की कमजोरी से न केवल सीखने वाले पर बल्कि समाज पर भी कई तरीकों से दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। जिले में शैक्षणिक स्तर को उन्नयन बनाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है–

- गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव।
- वर्तमान राजकीय विद्यालयों में भारी भीड़।
- विद्यालयी सुविधाओं की मांग और आपूर्ति में अन्तर।
- कक्षा–कक्षों की दयनीय स्थिति, विशेष रूप से किराये के भवनों में संचालित विद्यालय
- पुराने विद्यालय भवनों में पानी और प्रसाधन सुविधाओं का अभाव।
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता।
- शैक्षिक योजनाएँ (UEE) शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में विशेष ध्यान की आवश्यकता।
- परम्परागत तकनीकें शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधक।

अध्याय - 4

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

भूमिका

स्वस्थ जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ, जैसे पर्याप्त भोजन, शुद्ध जल, सुरक्षित आवास इत्यादि के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यन्त आवश्यक है। भारत में स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद से राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की स्थापना की गयी।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का गठन तो जनसंख्या के आधार पर किया गया, जिससे कि सभी को ये सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढाने से समुदाय में स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आने लगा। कुल मृत्यु दर के अतिरिक्त अल्प समय एवं अकारण मृत्यु जिनमें बाल आयु एवं मातृ मृत्यु दर में भी कमी आने लगी एवं अनेक महामारियों पर नियन्त्रण किया जाना सम्भव हुआ। किन्तु अभी तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राप्त सफलता अपूर्ण है एवं आगे अत्यन्त चुनौतीपूर्ण पथ की ओर अग्रसर होना है। विश्व स्तर पर स्थापित किये सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और भारत की सन् 2002 में रचित स्वास्थ्य नीति के अनुसार शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु एवं प्रजनन दर के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य से जुडे नियामकों को चुस्त करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति और उनसे प्रदत्त सेवाओं के आंकलन के लिए जिला स्तर पर मानव विकास प्रतिवेदन की रचना की जा रही है। इस तरह के प्रयास राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर ही किये गये थे।

जब हम चित्तौड़गढ़ जिले में जन स्वास्थ्य की स्थिति एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का परीक्षण करें तो पायेंगे कि जिले में स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने के लम्बी दूरी तय करनी हैं। निवारक स्वास्थ्य के लिए किये जाने वाले कार्य जैसे शिशुओं का सम्पूर्ण टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की सम्पूर्ण एवं नियमित जाँचें, संस्थागत प्रसव एवं प्रसव पश्चात् जाँच इत्यादि के शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसी प्रकार जल से सम्बन्धित एवं मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों पर भी असर कारक नियन्त्रण नहीं हो पाया है। इसी प्रकार अशुद्ध आहार एवं जल उपयोग से उत्पन्न रोग जिनमें बच्चों के पेट में कीड़े, दस्त एवं मोतीझरा जैसे रोग हैं पर भी प्रभावी नियन्त्रण नहीं पाया है। इसके फलस्वरूप जिले में साधारण संक्रामक रोग का रूग्ण भार और उसके साथ गैर संक्रामक रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप इत्यादि के बढने से रूग्ण भार निरन्तर बढ रहा हैं। इसके अतिरिक्त कमजोर स्वास्थ्य के सबसे चुनौतीपूर्ण कारक कम वजन के बच्चों का जन्म, शिशु एवं बाल्यकाल में कुपोषण एवं एनीमिया, किशोरावस्था एवं प्रजनन काल में एनीमिया हैं। इसी प्रकार अन्य चुनौतियाँ जो कि जिले के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में नल द्वारा जल की अनुपलब्धता घरों में शौचालयों का नहीं होना एवं अधिकतर परिवारों का कच्चे घरों में निवास जो कि स्वास्थ्य को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अतः स्वास्थ्य का स्तर सुधारने के लिए उन सभी परिस्थितियों को बदलना होगा जिनके कारण व्यक्ति अस्वस्थ हो सकते हैं।

सकल घरेलु उत्पाद प्रति व्यक्ति आय के आधार पर चित्तौड़गढ़ जिला आर्थिक रूप से कमजोर जिलों में सम्मिलित हैं, और अधिकतर परिवारों की आय का साधन मजदूरी अथवा खेती हैं। जिसमें अनेक अनिश्चितताएँ बनी रहती हैं। इस तरह के परिवार ही रोगों की चपेट में आसानी से आ जाते हैं एवं तुरन्त उपचार के नहीं मिलने से गम्भीर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं।

4.1.1 चित्तौड़गढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएँ :–

किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने में स्वास्थ्य संस्थानों का फैलाव महत्त्वपूर्ण कारक हैं। भारतीय मानक जनस्वास्थ्य सूचकांक (IPHS) के अनुसार 1 से 1.20 लाख तक की जनसंख्या को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु एक सामुदायिक केन्द्र की आवश्यकता होती हैं। वहीं 30,000 की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5,000 तक उप स्वास्थ्य केन्द्र (पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्र होने पर 3000 की जनसंख्या पर) होना आवश्यक हैं।

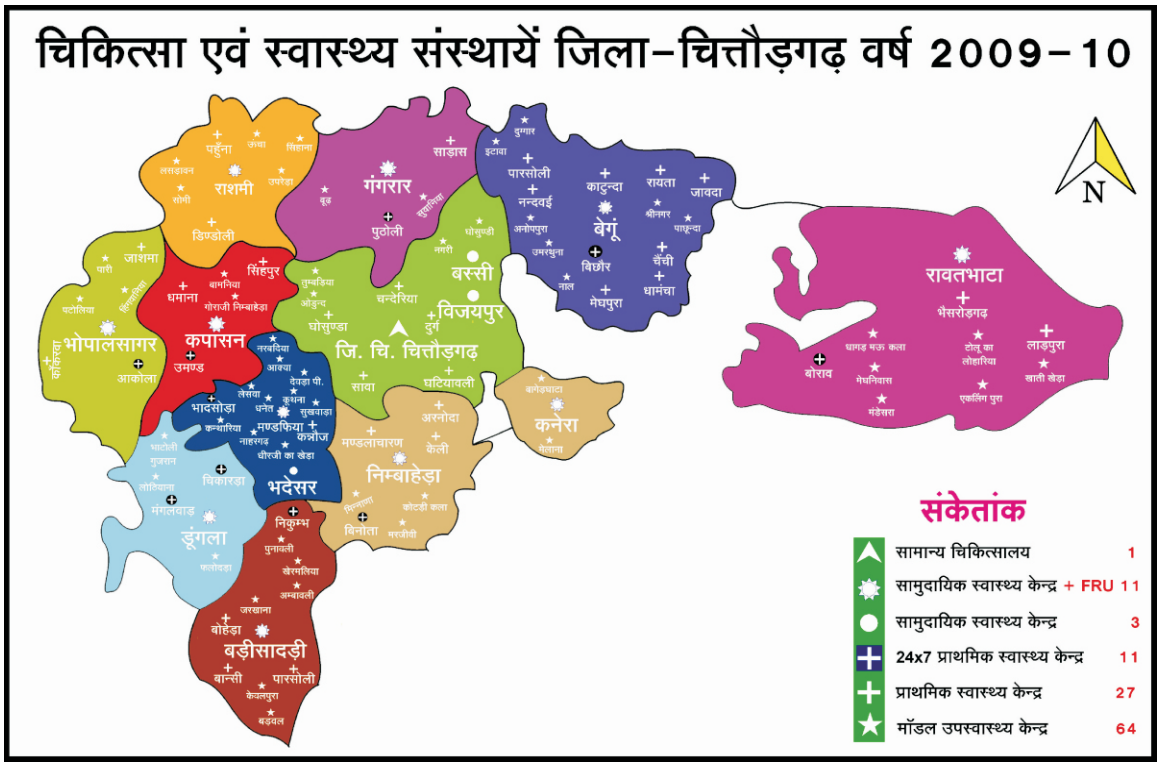

सारणी 4.1: जिले में चिकित्सा संस्थानों एवं मापदंडानुसार आवश्यकताओं की खण्डवार स्थिति

क्रम सं.	खण्ड	सामु. स्वा. के0	प्राथ0 स्वा0 के0	उप स्वा0 केन्द्र	कुल स्वास्थ्य संस्थाएं	एफ0 आर0 यू0[1]	24X7 प्राथ0 स्वा0के0[2]	मॉडल उप स्वा0 के0[3]	क श्रेणी आयुर्वेद चिकि0	ख श्रेणी आयुर्वेद चिकि0	होम्यो0 / यूनानी चिकि0
1	निम्बाहेडा	2	4	34	40	2	1	14	1	7	1
2	कपासन	1	3	22	26	1	1	7	–	6	1
3	भोपालसागर	1	3	20	24	1	1	6	–	7	–
4	राशमी	1	2	25	28	1	0	1	–	12	–
5	भदेसर	2	2	30	34	1	1	9	1	6	–
6	गंगरार	1	2	23	26	1	1	8	1	8	–
7	बेंगू	1	7	34	42	1	1	12	–	10	1
8	रावतभाटा	1	4	28	33	1	1	8	–	9	–
9	डूंगला	1	2	22	25	1	2	7	–	9	–
10	बड़ीसादड़ी	1	4	23	28	1	1	7	–	11	1
11	चित्तौड़गढ़ ग्रामीण	2	5	42	49	0	1	10	1	10	1
	योग	14	38	303	355	11	11	89	4	95	5
12	प्रतापगढ़	1	9	55	65	0	1	0	1	0	2
13	अरनोद	1	4	32	37	1	2	0	–	–	–
14	छोटी सादडी	1	2	22	25	1	1	0	–	–	–
	कुल	3	15	109	139	2	4	0	1	0	2

1. एफ.आर.यू. – जहां पर 24 घंटे सामान्य व सिजेरियन सेक्शन प्रसव की सुविधा उपलब्ध है।
2. 24X7 प्राथ.स्वा.के. जहां 24 घंटे सामान्य प्रसव की सुविधा उपलब्ध है।
3. मॉडल उपकेन्द्र ऐसे उप स्वा. के. जहां प्रसूति कक्ष है व प्रसव सुविधा उपलब्ध है।

(स्रोत– सीएमएचओ कार्यालय, चित्तौड़गढ़ / प्रतापगढ़ एवं जिला आयुर्वेद अधिकारी, चित्तौड़गढ़)

क्रम सं	खण्ड	खण्ड की अनुमानित जनसंख्या (01.01.09)	सीएचसी की आवश्यकता /1 लाख जनसंख्या	विद्यमान सीएचसी	कमी/ आधिक्य	पीएचसी की आवश्यकता/ 30000 जनसंख्या	विद्यमान पीएचसी	कमी/ आधिक्य	उप स्वा0 केन्द्र	उपकेन्द्र की आवश्यकता /50000 जनसंख्या	कमी/ आधिक्य
1	निम्बाहेडा	221194	2	2	0	7	4	–3	34	44	–10
2	कपासन	121382	1	1	0	4	3	–1	22	24	–2
3	भोपालसागर	84990	1	1	0	3	3	0	20	17	3
4	राशमी	87292	1	1	0	3	2	–1	25	17	8
5	भदेसर	123787	1	2	+1	4	2	–2	30	25	5
6	गंगरार	100991	1	1	0	3	2	–1	23	20	3
7	बेंगू	144039	1	1	0	5	7	2	34	29	5
8	रावतभाटा	125019	1	1	0	4	4	0	28	25	3
9	डूगंला	109217	1	1	0	4	2	–2	22	22	0
10	बडीसादडी	132276	1	1	0	4	4	0	23	26	–3
11	चित्तौड़गढ़ ग्रामीण	183511	2	2	0	6	5	–1	42	37	5
	योग		13	14	1	47	38	–9	303	286	17
12	प्रतापगढ़	240725	2	1	–1	8	9	1	55	49	6
13	अरनोद	132204	1	1	0	4	4	0	32	26	6
14	छोटी सादडी	119701	1	1	0	4	2	–2	22	23	–1
	कुल		4	3	–1	16	15	–1	109	98	11

(स्रोत– सीएमएचओ कार्यालय, चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़)

जिले में निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ व बेगूं जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक 3 बड़े खण्ड हैं। वर्ष 2008–09 में बस्सी, विजयपुर व भदेसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत होने के बाद जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का फैलाव जनसंख्या के अनुपात में संतुलित स्थिति में हैं। वहीं 47 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरूद्ध जिले में 38 ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। निम्बाहेड़ा, डूगंला, भदेसर, बेगूं में जनसंख्या के अनुपात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों की कमी हैं। निम्बाहेड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बडा ब्लॉक हैं, जहाँ सर्वाधिक उपकेन्द्रों की कमी हैं।

4.1.2 मानव संसाधन

मानक व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए अपरिहार्य हैं। जिले में विशेषज्ञ सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ तथा निश्चेतना रोग विशेषज्ञ के अधिकांश पद रिक्त हैं। हालांकि पेरामेडिकल सेवाओं के स्तर पर स्थिति अपेक्षाकृत कम गंभीर हैं।

चित्तौड़गढ़ में चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कुल 1254 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में इन स्वीकृत पदों के विरूद्ध 997 पद भरे हैं, तथा 257 रिक्त हैं। इस प्रकार जिले में 1:11600 अनुपात में राजकीय चिकित्सक उपलब्ध हैं। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है, कि जिले में विभिन्न श्रेणी के चिकित्सकों के 40 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं। इससे लोगों को विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है तथा कार्यरत चिकित्सकों पर कार्यभार अधिक होने से सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित है। यह ध्यान देने योग्य है कि पूरे जिले में कुल कार्यरत चिकित्सकों में मात्र 10 ही महिला चिकित्सक हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रबन्धकीय दक्षता लाने हेतु जिला एंव ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। ये इकाइयॉ वर्तमान में मिशन के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभाग को प्रबन्धकीय सहयोग प्रदान कर रही हैं। इन इकाइयों में 4 ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक व 1 लेखाकार का पद रिक्त हैं।

सारणी 4.2: खंडवार स्वास्थ्य सेवा हेतु मानव संसाधन का विवरण

जिला – चित्तौड़गढ़

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	भरे हुए पदों का प्रतिशत	रिक्त	रिक्त पदों का प्रतिशत
1	ब्लॉक सी एम ओ	11	8	72.7	3	27.3
2	वरिष्ठ विशेषज्ञ	2	1	50.0	1	50.0
3	कनिष्ठ विशेषज्ञ	47	28	59.6	19	40.4
4	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	07	04	57.1	3	42.9
5	चिकित्सा अधिकारी	61	35	57.4	26	42.6
6	नर्स प्रथम	34	21	61.8	13	38.2
7	नर्स द्वितीय	189	156	82.5	33	17.5
8	संविदा पर कार्यरत जीएनएम	187	153	81.8	34	18.2
9	संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सक	29	19	65.5	10	34.5
10	संविदा पर कार्यरत आयुष कम्पाउन्डर	25	15	60.0	10	40.0
11	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	47	31	66.0	16	34.0
12	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	357	331	92.7	26	7.3
13	लेब टेक्निशियन	59	49	83.1	10	16.9

(स्रोत– सीएमएचओ कार्यालय, चित्तौड़गढ़)

जिला – प्रतापगढ़

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	भरे हुए पदों का प्रतिशत	रिक्त	रिक्त पदों का प्रतिशत
1	ब्लॉक सी एम ओ	4	2	50.00	2	50.00
2	वरिष्ठ विशेषज्ञ	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ विशेषज्ञ	10	3	30.00	7	70.00
4	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	6	3	50.00	3	50.00
5	चिकित्सा अधिकारी	35	35	100	0	0
6	नर्स प्रथम	5	4	80.00	1	20.00
7	नर्स द्वितीय	62	57	91.93	5	8.07
8	संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सक	18	18	100.00	0	0
9	संविदा पर कार्यरत आयुष कम्पाउन्डर	18	04	22.22	14	71.78
10	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	26	22	84.61	4	15.39
11	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	24	19	79.16	5	20.84
12	लेब टेक्निशियन	26	13	50.00	13	50.00

(स्रोत– सीएमएचओ कार्यालय, प्रतापगढ़)

नीम हकीम खतरा ए जान – गैर–पंजीकत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सहज उपलब्धता

आदिवासी बाहुल्य दक्षिण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण सरकारी एवं निजी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की आम लोगों तक पहुंच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अशिक्षा, गैर–पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सहज उपलब्धता तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं व सेवा प्रदाताओं की अपर्याप्तता ऐसे कारण है, जिनकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बडा वर्ग अब भी नीम हकीमों पर निर्भर है। यह स्थिति अर्द्ध शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगभग एक जैसी है। चित्तौडगढ़ के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में 138 चिह्नित नीम हकीम हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ–साथ आर्थिक स्थिति के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। परन्तु इन पर कार्यवाही कर रोकने हेतु विभाग के पास पर्याप्त कानूनी प्रावधान नहीं हैं।

चित्तौड़गढ़ शहर के पास ही एक गाँव जहाँ सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कार्यरत हैं। एक 45 वर्षीय अधेड जो पेशाब रूकने (Acute Retention of Urine) की समस्या से ग्रसित था, इलाज के लिए गाँव स्थित नीम हकीम के पास चला गया। नीम हकीम ने उसे लेसिक्स (Lasix Inj.) इजेक्शन लगाया, जो किं पेशाब नहीं बनने की स्थिति में दिया जाता है, जबकिं उसे केथेटर लगाने की आवश्यकता थी। इसके फलस्वरूप अधेड की पेशाब की थेली और अधिक भर गई व उसे अधिक समस्या महसूस हुई। मरीज के परिजन लगभग 1 घंटे बाद उसे लेकर गंभीर स्थिति में प्राथ.स्वा.के. पर पहुंचे, जहाँ चिकित्सा अधिकारी ने तुरन्त उसे केथेटराईज किया व धीरे–धीरे वह सामान्य हुआ। नीम–हकीमो के कारनामों का यह एक उदाहरण मात्र है, कमोबेश यह स्थिति सभी स्थानों पर हैं।

4.1.3 संस्थाओं पर मरीजों का भार

किसी भी संस्था की क्रियाशीलता को नापने का महत्त्वपूर्ण पैमाना उस संस्था के बहिरंग व अन्तरंग मरीजों की संख्या (भार) का आंकलन हैं। चितौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिले के 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर माह जनवरी से दिसम्बर 2008 तक मरीजों का भार निम्नानुसार हैं।

सारणी 4.3: मरीज उपचार का खंडवार विवरण

क्र. सं.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	जिला	मरीजो की संख्या		कुल	
			ओ.पी.डी.	आई.पी.डी.		जिले के कुल भार का प्रतिशत
1	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़	66806	8017	74823	19.95
2	कपासन	चित्तौड़गढ़	30385	6857	37242	9.93
3	भोपालसागर	चित्तौड़गढ़	9306	715	10021	2.67
4	राशमी	चित्तौड़गढ़	34564	3277	37841	10.09
5	मण्डफिया	चित्तौड़गढ़	15646	1694	17340	4.62
6	गंगरार	चित्तौड़गढ़	25921	2944	28865	7.70
7	बेंगूं	चित्तौड़गढ़	57042	7945	64987	17.33
8	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	26131	2120	28251	7.53
9	डूंगला	चित्तौड़गढ़	20282	2418	22700	6.05
10	बड़ीसादड़ी	चित्तौड़गढ़	14944	1001	15945	4.25
11	भदेसर	चित्तौड़गढ़	11183	181	11364	3.03
12	विजयपुर	चित्तौड़गढ़	5700	132	5832	1.55
13	बस्सी	चित्तौड़गढ़	18271	1620	19891	5.30
	योग (चित्तौड़गढ़ जिला)		3,36,181	38,921	3,75,102	100
14	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	48438	1929	50367	38.15
15	अरनोद	प्रतापगढ़	30420	1576	31996	24.24
16	छोटी सादडी	प्रतापगढ़	46574	3078	49652	37.61
	योग (प्रतापगढ़ जिला)		125432	6583	132015	100

(स्रोत– सीएमएचओ कार्यालय, चित्तौड़गढ़ / प्रतापगढ़)

जिले में निम्बाहेड़ा, बेगूं, राशमी, कपासन मरीजों की दृष्टि से सर्वाधिक भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। गंगरार, रावतभाटा, डूंगला, बस्सी व मण्डफिया मध्यम भारित हैं। जबकि भोपालसागर, भदेसर, विजयपुर, के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों का भार काफी कम हैं। जिला अस्पताल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2009 के दौरान बहिरंग विभाग में आए महिला एवं बच्चों के प्रतिशत का आकलन करने पर स्पष्ट होता हैं, कि ऐसे जिले के दोनों जिला अस्पताल व समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में औसतन 50 से 60 प्रतिशत मरीज महिलाएँ व बच्चे हैं। सारणी से यह भी स्पष्ट हैं, कि ऐसी संस्थाएँ जहाँ स्त्री रोग एवं बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, वहां महिला एवं बच्चों का प्रतिशत अन्य संस्थाएँ जहाँ ये विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, से कम हैं।

सारणी 4.4: बहिरंग विभाग में महिला एवं बच्चों का प्रतिशत जनवरी से दिसम्बर 2008

क्रम सं	जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	जिला	विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता		बहिरंग में महिला एवं बच्चों का प्रतिशत
			स्त्री रोग विशेषज्ञ	बाल रोग विशेषज्ञ	
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़	हॉ	हॉ	41.00
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपासन	चित्तौड़गढ़	हॉ	हॉ	52.16
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालसागर	चित्तौड़गढ़	नहीं	नहीं	53.41
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राशमी	चित्तौड़गढ़	नहीं	नहीं	31.83
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,, मण्डफिया	चित्तौड़गढ़	नहीं	नहीं	60.66
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगरार	चित्तौड़गढ़	नहीं	नहीं	52.08
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,बेगूं	चित्तौड़गढ़	नहीं	हॉ	47.00
8	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	नहीं	नहीं	59.08
9	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डूंगला	चित्तौड़गढ़	नहीं	नहीं	59.66
10	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ीसादड़ी	चित्तौड़गढ़	नहीं	हॉ	46.41
11	जिला चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	हॉ	हॉ	60.08
12	जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	हॉ	हॉ	54.08
13	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरनोद	प्रतापगढ़	नहीं	नहीं	53.50
14	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,छोटी सादडी	प्रतापगढ़	नहीं	नहीं	59.08

(आर.एच.एस.डी.पी. कार्यालय, चित्तौड़गढ़ व सीएमएचओ प्रतापगढ़)

जिला अस्पताल का बदला स्वरूप

चित्तौड़गढ़ के जिला अस्पताल के बारे में शहर के लोगों की राय में अस्पताल सुविधाओं का अभाव व व्याप्त गन्दगी जनप्रतिनिधियों सहित आमजन के लिए एक बड़ा व गंभीर मुद्दा था, जिससे निबटने के लिए एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना व रणनीति की आवश्यकता महसूस की गई। जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में सहभागी तरीके से कार्ययोजना का दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों, सेवानिवृत्त कमर्चारियों, कार्यक्रम प्रबन्धक व नर्सिगं स्टॉफ के विचारों व सुझावों का समावेश किया गया। उपलब्ध संसाधनों व आर.एम. आर.एस. की आय के अतिरिक्त कॉरपोरेट क्षैत्रों व स्थानीय नगरपालिका से जनसहभागिता के अन्तर्गत सहयोग प्राप्त कर क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत अस्पताल परिसर में मरीजों व परिजनों के लिए पेयजल, ओ.पी.डी. व इन्डोर ब्लॉक में चिकित्सकों व मरीजो हेतु कुर्सियाँ, जाँच सुविधा के लिए उपकरणों का क्रय, जेनेरिक दवाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु जेनेरिक दवाई की दुकानों का निर्माण, अस्पताल सौन्दर्यीकरण हेतु उद्यान का विकास, अस्पताल का रंगरोगन, सेवाओं को प्रदर्शित करते हुए ग्लोसाईन साईन बोर्ड, केन्टिन का निर्माण, अस्पताल परिसर में पक्की सड़क, अतिक्रमण को रोकने हेतु खाली जगहों कर्व स्टोन व जाली से रक्षित करते हुए पौधारोपण, छाया धाम का विकास व ए.टी.एम. सुविधा उपलब्ध कराने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य किये गए। जिला अस्पताल के परिवर्तित स्वरूप के बाद अब जिला चिकित्सालय में मरीजों हेतु उपलब्ध सुविधाओं के बारें में आमजन एक सकारात्मक विचार रखते हैं।

4.1.4 लिंगानुपात, विवाह की औसत आयु व उत्पादकता

गत दस दशकों में जिले व राज्य में लिंगानुपात की स्थिति प्रत्येक दशक में सुधार की और अग्रसर हैं। प्रत्येक जनगणना के दौरान जिले में लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात से बेहतर स्थिति में रहा है। जिले में वर्ष 2001 की गणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात ब्लॉक राशमी (1020) व सबसे कम आदिवासी खण्ड़ भैंसरोड़गढ़ (903) हैं। वर्ष 2001 के अनुसार जिले में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 922 हैं, जो गत जनगणना के 889 से बेहतर है। बाल लिंगानुपात की दृष्टि से जिले में स्थिति गत जनगणना की तुलना में और खराब हुई हैं। वर्ष 2001 की जनगणना में जिले का बाल लिंगानुपात 929 राज्य के औसत 909 से 57 पॉईन्ट्स बेहतर हैं। यहां ध्यान देने योग्य बिन्दु है कि राज्य का औसत जो वर्ष 1991 में 916 था, की अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है, जबकि जिले के बाल लिंगानुपात में 21 पॉईन्ट्स की गिरावट हुई हैं। डी.एच.एच.एस.–3 में प्राप्त निष्कर्ष उत्साहित करने वाले हैं, जहाँ जन्म के समय कुल लिंगानुपात 104 हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति बेहतर हैं, जहाँ जन्म के समय लिंगानुपात 106 हैं।

ग्राफ 4.1: लिंगानुपात का तुलनात्मक विश्लेशण

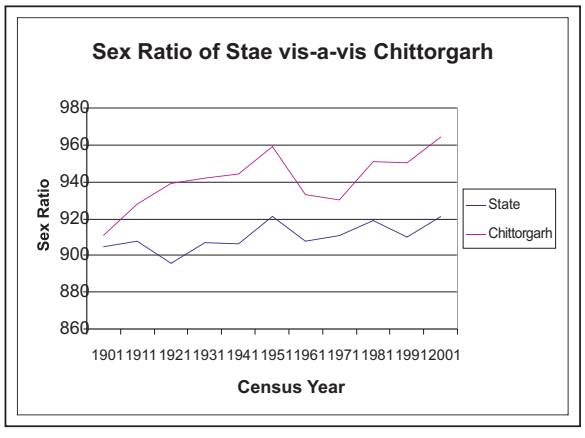

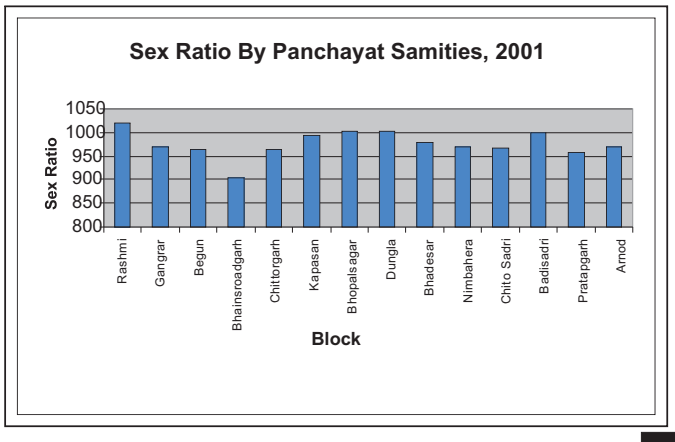

4.1.5 विवाह की औसत आयु

जिले में बाल विवाह एक प्रचलित सामाजिक समस्या है, जो अन्ततः जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे, शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को बढावा देती हैं। डी.एच.एच.एस.–3 के अनुसार जिले में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व विवाह करने वाली लड़कियों का कुल प्रतिशत 63.5 हैं, जो कि डी.एच.एच.एस.–2 की तुलना (62.3) में बढ़ा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर हैं, जहाँ यह प्रतिशत डी.एच.एच.एस.–3 के अनुसार 73.6 हैं, जिसमें समय व विकास के साथ अधिक वृद्धि हो रही हैं, क्योंकि डी.एच.एच.एस.–2 में यह 68.8 प्रतिशत ही था। इस प्रकार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग 5 प्रतिशत बढ़ा हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व विवाह करने वाली लड़कियों का अधिक प्रतिशत होने के बावजूद 15 से 19 वर्ष की आयु में जन्म देने वाली महिलाओं के बच्चों का प्रतिशत डी.एच.एच.एस.–3 के अनुसार कुल जन्म का 15 हैं, जो गत डी.एल.एच.एस. में 15.7 था।

4.1.6 उत्पादकता

महिला स्वास्थ्य की स्थिति महिलाओं की उत्पादकता के अनुपात में देखी जा सकती है। जिले में तीन व इससे अधिक जन्म का प्रतिशत 28.7 हैं। गत वर्षों में राज्य सरकार की परिवार कल्याण की नीतियों के फलस्वरूप गत सर्वे (42.2 प्रतिशत) से इसमें सुधार की स्थिति हैं।

4.1.7 मातृ स्वास्थ्य

प्रसव पूर्व जांच : मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के निर्धारक कारकों में प्रसव पूर्व जांच की महत्त्वपूर्ण भूमिका हैं। एन.आर.एच.एम. के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जोडा गया हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक समुदाय की पहुँच बढाने हेतु आशा सहयोगिनी को एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में गर्भधारण के प्रथम 3 माह में पंजीकरण कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत 27.1 हैं, जो जिले के प्रतिशत 30.9 से कम हैं, (डी.एच.एच.एस.–3)। ऐसी महिलाएँ जिन्हें प्रसव पूर्व 3 जाँच की सेवाएँ प्राप्त हुई का प्रतिशत 34.5 डी.एल.एच.एस.–2 की तुलना में (35.5) एक प्रतिशत कम हुआ हैं। यह प्रतिशत उन महिलाओं की स्थिति में जिन्होने अंतिम गर्भावस्था जीवित जन्म/मृत जन्म से पूर्व टी.टी. के टीके लगवाया, भी कम हुआ हैं। डी.एच.एच.एस.–3 में यह 58.7 प्रतिशत हैं, जबकि डी.एच.एच.एस.–2 में यह 69.9 प्रतिशत था। इस प्रकार जिले में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में गत वर्षों में गिरावट दर्ज की गई हैं।

संस्थागत प्रसव एवं घरेलू प्रसव :–

वर्ष 2005 में एन.आर.एच.एम. के प्रारम्भ व जननी सुरक्षा योजना लागू होने के साथ ही संस्थागत प्रसव में पूरे देश में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। जिले में संस्थागत प्रसव का कुल प्रतिशत 2002–04 के दौरान 22.4 प्रतिशत था जो किं वर्ष 2007–08 के दौरान बढ़ कर दुगुने से अधिक 45.1 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्र के इस सन्दर्भ में सर्वे में प्राप्त नतीजे अधिक उत्साहवर्द्धक हैं, जहाँ लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं। जननी सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व डी0एच0एच0एस0–2 के दौरान संस्थागत जन्म का प्रतिशत 22.4 था, जो डी.एच.एच.एस.–3 के समय बढ़ कर 40.8 प्रतिशत दर्ज किया गया। जिलां अस्पताल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बाहेड़ा, कपासन, बेगूं, राशमी, रावतभाटा, डूंगला, मंडफिया, बस्सी, गंगरार, कनेरा, में संस्थागत प्रसव अधिक तथा विजयपुर, भदेसर, भोपालसागर में कम होते हैं। जिले के 38 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों वर्ष 2008–09 के दौरान मात्र 2000 संस्थागत प्रसव (औसतन 53 प्रसव प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति वर्ष) हुए हैं, जो कि मानक स्तर (औसतन 120 प्रसव प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति वर्ष) का लगभग आधा हैं। इन संस्थाओं की तुलना में जिले के कुल 303 उपकेन्द्र व निजी चिकित्सालयों का योगदान कई गुना अधिक हैं। संस्थागत प्रसवों को राज्य सरकार के प्रोत्साहन के फलस्वरूप चिकित्सक/ए.एन.एम./एल.एच.वी. के सहयोग से घरेलू प्रसव कराने का ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की कमी आई हैं। वर्ष 2002–04 के दौरान जहाँ यह 17.3 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2007–08 के दौरान यह केवल 8 प्रतिशत पाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के चिकित्सा संस्थानों पर वर्ष 2007–08 व 2008–09 के दौरान हुए संस्थागत प्रसव का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होता हैं, कि जिले में कुल संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई हैं, परन्तु जिले में 6 संस्थाएँ ऐसी हैं, जहाँ संस्थागत प्रसव में गत वर्ष की तुलना में गिरावट हुई हैं।

ग्राफ 4.2: संस्थागत प्रसव का संस्थावार विवरण

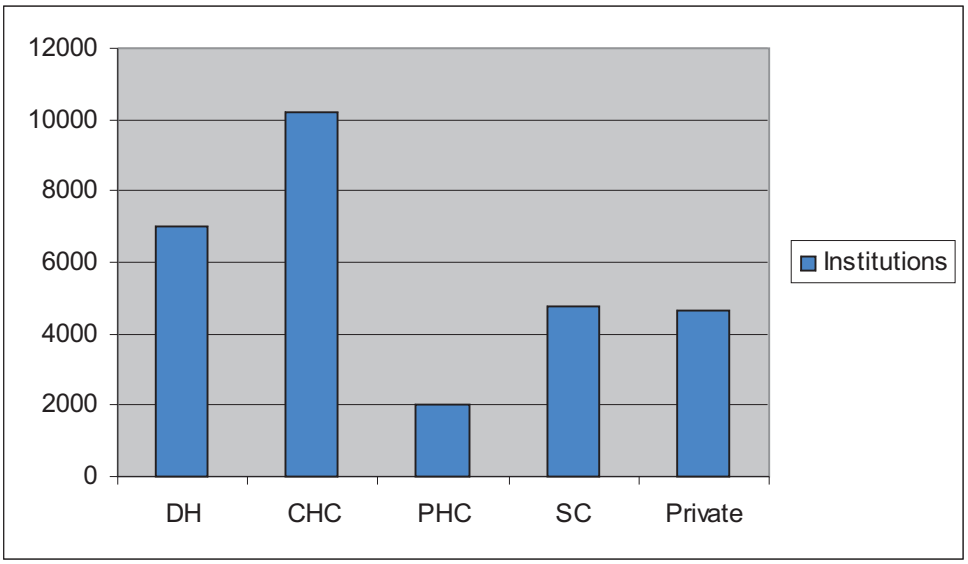

सारणी 4.5: जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संस्थागत प्रसव वर्ष 2007–09

क्रम सं	जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	ब्लॉक	जिला	वर्ष 2007–08 के दौरान संस्थागत प्रसव	वर्ष 2008–09 के दौरान संस्थागत प्रसव
1	सामु.स्वा.के., निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़	2444	3147
2	सामु.स्वा.के., कनेरा	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़	245	252
3	सामु.स्वा.के. कपासन	कपासन	चित्तौड़गढ़	1798	2209
4	सामु.स्वा.के. भोपालसागर	भोपालसागर	चित्तौड़गढ़	323	48
5	सामु.स्वा.के. राशमी	राशमी	चित्तौड़गढ़	828	1048
6	सामु.स्वा.के., मण्डफिया	भदेसर	चित्तौड़गढ़	375	357
7	सामु.स्वा.के. भदेसर	भदेसर	चित्तौड़गढ़	46	23
8	सामु.स्वा.के., गंगरार	गंगरार	चित्तौड़गढ़	227	341
9	सामु.स्वा.के. बेंगू	बेंगू	चित्तौड़गढ़	789	707
10	सामु.स्वा.के. रावतभाटा	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	405	512
11	सामु.स्वा.के. डूंगला	डूंगला	चित्तौड़गढ़	286	805
12	सामु.स्वा.के. बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	चित्तौड़गढ़	200	134
13	सामु.स्वा.के. बस्सी	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	749	537
14	सामु.स्वा.के. विजयपुर	चित्तौड़गढ	चित्तौड़गढ़	45	77
15	जिला चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	5740	7025
16	जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	7043	7291
17	सामु.स्वा.के. अरनोद	अरनोद	प्रतापगढ़	163	139
18	सामु.स्वा.के., छोटीसादड़ी	छोटीसादड़ी	प्रतापगढ़	1753	1424

(स्रोत – सीएमएचओ, चित्तौड़गढ. व सीएमएचओ प्रतापगढ़)

यौन रोगों का प्रचलन – आर.टी.आई. व एस.टी.डी.

यौन रोग न केवल महिलाओं की मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, वरन् उनकी प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में एम.एन.जी.ओ. (मदर स्वयंसेवी संस्था) कट्स द्वारा 3 एफ.एन.जी.ओ. (फील्ड स्वयंसेवी संस्था) के कार्यक्षेत्र के 7 ब्लॉक के 15 गांव में वर्ष 2006 में कराए गए स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार जिले में 53.25 प्रतिशत महिलाएँ तथा 36.33 प्रतिशत पुरूष आर.टी.आई./एस.टी.आई. रोगों से पीड़ित पाए गए। आर.टी.आई./एस.टी.आई. रोगों से पीड़ित होने वाले महिला–पुरूषों का प्रतिशत ब्लॉक अनुसार परिवर्तित देखा गया हैं।

सारणी 4.6: जिले में यौन जनित रोगों के प्रगति की स्थिति

क्रम सं	ब्लॉक का नाम	एफ.एन.जी.ओ. का नाम	आरटीआई/एसटीडी पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत	पूर्ण ईलाज प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	आरटीआई/एसटीडी पीड़ित पुरूषों का प्रतिशत	पूर्ण ईलाज प्राप्त करने वाले पुरूषों का प्रतिशत
1	बड़ीसादड़ी, डूंगला, छोटीसादड़ी	अरूणोदय	18.31	65.57	10.96	62.96
2	अरनोद, प्रतापगढ़	हेल्प संस्थान	79.22	53.85	70.78	44.44
3	बड़ीसादड़ी,, भदेसर, निम्बाहेड़ा	विकास संस्थान	62.22	15.58	27.44	23.68
	औसत		53.25	45	36.39	43.69

सारणी से स्पष्ट हैं, कि अरनोद, प्रतापगढ़, बड़ीसादड़ी, भदेसर व निम्बाहेड़ा ब्लॉक में महिलाएँ व अरनोद, प्रतापगढ़ ब्लॉक में पुरूष यौन रोगों से अधिक पीड़ित हैं। वहीं रोग होने पर पूर्ण ईलाज प्राप्त करने वाले महिला–पुरूषों का प्रतिशत बड़ीसादड़ी, डूंगला, छोटीसादड़ी ब्लॉक में सर्वाधिक हैं।

4.1.7 बाल स्वास्थ्य

ग्राफ 4.3: शिशु मृत्यु दर का राज्य में रुझान

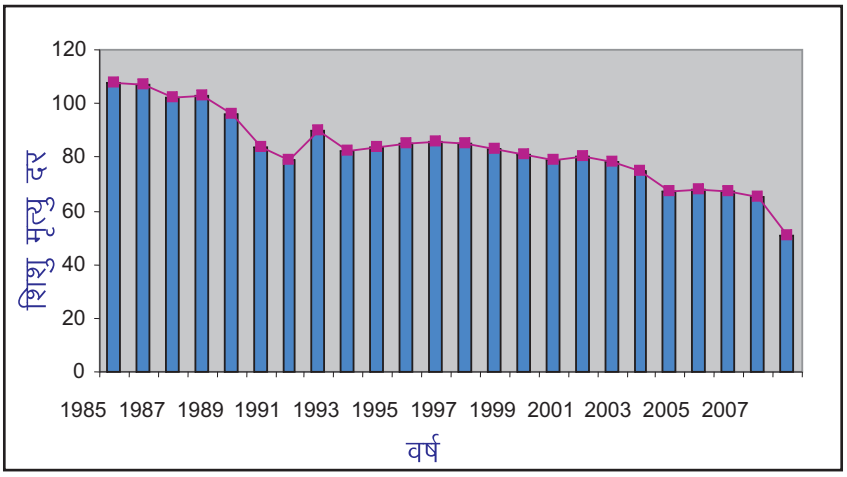

शताब्दी विकास लक्ष्यों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शिशु मृत्यु दर की स्थिति राजस्थान के सन्दर्भ में अधिक विकट हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व गुणवत्ता की प्रस्थिति को इस सूचकांक के माध्यम से आंका जा सकता हैं। शिशु मृत्यु दर एक सामाजिक–आर्थिक मुद्दा है, जिस पर अधिकारिक आंकडों की उपलब्धता का भी अभाव है। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर गत दो दशक में स्थिर होने के साथ–साथ कमी की और अग्रसर हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 2008–09 के दौरान शिशु मृत्यु दर राज्य के औसत 50.84 से कम 48.63 हैं। (स्रोत–परिवार कल्याण व एन.आर. एच.एम. की प्रगति बुलेटिन, अगस्त, 2008)। जिले में शिशु मृत्यु दर के उत्तरदायी कारकों में कम वजन के साथ बच्चों का पैदा होना, डायरिया, निमोनिया, प्रसव पश्चात उचित देखभाल का अभाव, बाल विवाह, अशिक्षा आदि हैं।

टीकाकरण

बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए विभाग द्वारा सघन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व डीएलएचएस से प्राप्त आंकडों में विरोधाभास देखने को मिलता है। जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 में लक्ष्य के विरूद्ध पूर्ण टीकाकरण किये गए बच्चों का प्रतिशत 90.90 हैं, जिसमें राशमी क्षेत्र में लगभग 107 प्रतिशत उपलब्धि हांसिल की गई हैं, काफी अच्छा प्रतीत होता हैं। जबकि डीएलएचएस तृतीय के अनुसार पूर्ण टीकाकरण 69 प्रतिशत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति थोड़ी बेहतर हैं, जहाँ यह 70.5 प्रतिशत बच्चों का कवरेज है। हालांकि डीएलएचएस – 2 की तुलना में स्थिति में अभूतपूर्व सुधार देखा जा सकता हैं। डीएलएचएस – 2 में टीकाकरण का कुल प्रतिशत 15.4 व ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 8 प्रतिशत रिपॉर्ट किया गया था। कुल टीकाकरण गत सर्वेक्षण से लगभग चार गुना व ग्रामीण क्षेत्र में आठ गुना से भी अधिक हैं। जिले में 12–23 वर्ष के बच्चों के लगे बीसीजी के टीके व पूर्ण टीकाकरण (बीसीजी, प्रत्येक डीपीटी व पोलियों की 3 डोज, मिजल्स) से तुलना करने पर यह देखा जा सकता हैं, कि बीसीजी का टीका लगने वाले प्रत्येक बच्चे का पूर्ण टीकाकरण नहीं होता हैं।

सारणी 4.7: वर्ष 2008–09 के दौरान टीकाकरण की उपलब्धि

क्र.सं.	खण्ड	जिला	वर्षिक लक्ष्य	पूर्ण टीकाकरण	प्रतिशत
1	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़	5538	5505	99.40
2	कपासन	चित्तौड़गढ़	3140	3080	98.09
3	भोपालसागर	चित्तौड़गढ़	2170	1963	90.46
4	राशमी	चित्तौड़गढ़	2304	2250	97.66
5	भदेसर	चित्तौड़गढ़	3251	3076	94.62
6	गंगरार	चित्तौड़गढ़	2533	2490	98.30
7	बेगूं	चित्तौड़गढ़	3534	3117	88.20
8	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	3458	3130	90.51
9	डूंगला	चित्तौड़गढ़	2740	2701	98.58
10	बड़ीसादड़ी	चित्तौड़गढ़	3336	3260	97.72
11	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	5071	4970	98.01
12	चित्तौड़गढ़(शहर)	चित्तौड़गढ़	3041	3015	99.15
	योग		39768	39221	98.62
13	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	9539	8949	93.93
14	अरनोद	प्रतापगढ़	3718	2774	75.00
15	छोटी सादड़ी	प्रतापगढ़	3601	3567	99.00
	योग		16858	15290	90.70
	महायोग		56626	54511	96.26

(स्रोत – आरसीएचओ कार्यालय, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़)

ग्राफ 4.4: DLHS 2 व 3 के अनुसार चित्तौड़गढ़ में टीकाकरण की स्थिति

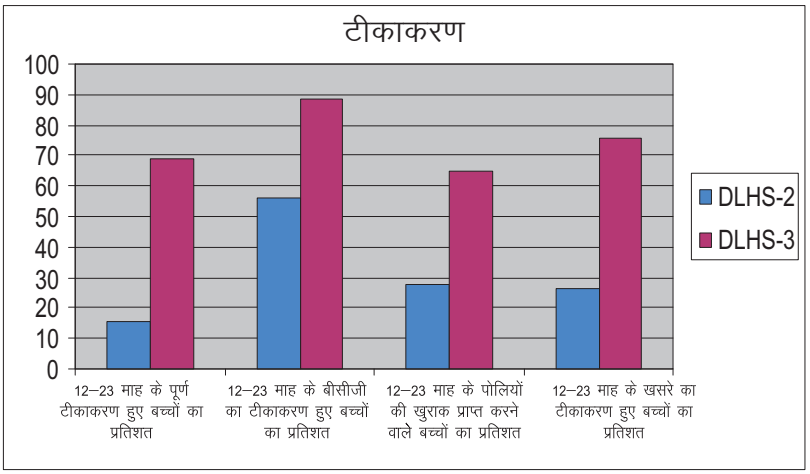

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस का आयोजन (अक्टूबर, 2008)

राजस्थान सरकार द्वारा एमसीएचएन दिवस की बाह्य मॉनीटरिगं करने हेतु आई.एच.एम.आर., जयपुर स्थित Extrenal Monitoring Cell, eMCI के माध्यम से रेण्डम आधार पर एमसीएच दिवस के आयोजन की मॉनीटरिंग की जाती है। अक्टूबर, 08 व फरवरी 09 में आयोजित क्रमशः 30 व 31 जिलो के एमसीएच दिवस के 789 सत्रों, जिसमें 39 सत्र चित्तौड़गढ़ जिले के थे, की मॉनीटरिगं से निम्न निष्कर्षों की प्राप्ति हुई।

सूचकांक	अक्टूबर, 08	फरवरी, 09
माह के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस का आयोजन	88.4 प्रतिशत	91.0 प्रतिशत
समस्त वेक्सिन की उपलब्धता वाले सत्रों का प्रतिशत	52.4 प्रतिशत	49.2 प्रतिशत
क्रियाशील बीपी मापक यन्त्र की उपलब्धता	57.2 प्रतिशत	65.2 प्रतिशत
गर्भवती माताएं जिनका ए.एन.सी. जांच के दौरान बीपी लिया गया।	47.9 प्रतिशत	55.1 प्रतिशत
सत्रों का प्रतिशत जहां क्रियाशील वजन मशीन उपलब्ध थी	84.6 प्रतिशत	86.2 प्रतिशत
गर्भवती माताएं जिनका ए.एन.सी. जांच के दौरान वजन लिया गया।	74.7 प्रतिशत	79.5 प्रतिशत
सोशल मॉबिलाईजेशन किये जा रहे सत्रों का प्रतिशत	78.8 प्रतिशत	80.3 प्रतिशत
तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के अतिकुपोषित बच्चों को रेफर कर रहे सत्रों का प्रतिशत।	27.5 प्रतिशत	–
सिरिन्ज को उपयोग पश्चात हब कटर से नष्ट किये जा रहे सत्रों का प्रतिशत।	37.7 प्रतिशत	44.3 प्रतिशत
टी.टी. की उपलब्धता वाले सत्रों का प्रतिशत	94.2 प्रतिशत	95.0 प्रतिशत
सत्र के दौरान आयरन की गोलियों का वितरण	89.7 प्रतिशत	92.4 प्रतिशत
सत्र स्थल पर ऑरल पिल्स की उपलब्धता	94.5 प्रतिशत	89.6 प्रतिशत
सत्र स्थल पर निरोध की उपलब्धता	91.8 प्रतिशत	88.8 प्रतिशत
अभिभावक जिन्हे आगामी टीकाकरण तिथी की जानकारी थी।	64.4 प्रतिशत	62.1 प्रतिशत

स्रोत – External Monitoring of MCHN Days, Core report – Oct 2008, IHMR, Jaipur

मातृ मृत्यु दर को कम करने में प्रसव पूर्व जांच की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सत्रों के दौरान आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता अथवा उपयोग में नही लेने के कारण संभावित जोखिम वाली प्रसूताओं को चिह्नित नही किया जा सकता। रिपॉर्ट के अनुसार जिले में शत–प्रतिशत एमसीएचएन दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जबकि मात्र 37.7 प्रतिशत सत्र स्थलों पर ही हब कटर से उपयोग ली गई सीरिन्ज का निस्तारण किया जा रहा है जो कि चिन्ताजनक है।

पल्स पोलियो को अभियान के रूप में प्रारम्भ करने के बाद पोलियो खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में महत्त्वपूर्ण इजाफा हुआ हैं। हालांकि पोलियो की खुराक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत डीपीटी के टीकों के साथ भी दी जाती हैं। लेकिन डीएलएचएस 3 के निष्कर्षो के अनुसार अभी भी 12 से 23 माह के 34.6 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जिन्हे पोलियो की तीनों खुराक नहीं मिल पाती हैं। वर्तमान में 65.2 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जिन्हे पोलियो की 3 खुराक प्राप्त हो रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में डीएलएचएस–2 के दौरान 12 से 23 माह के बच्चे जिन्हे पोलियो की तीनों खुराक के प्राप्त हुई का प्रतिशत मात्र 20 था, जिसमे दोनों सर्वेक्षण के मध्य 45.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं। कमोबेश यही स्थिति विटामिन ए की 3 खुराक की भी हैं, जिसमें 21 माह से अधिक उम्र के बच्चे जिन्हें विटामिन ए 3 की खुराक प्राप्त हुई का कुल प्रतिशत मात्र 19.3 हैं।

(डीएलएचएस–3)। ग्रामीणों में टीकाकरण के प्रति व्याप्त अंधविश्वास, बच्चों के स्वास्थ्य को कम प्राथमिकता व टीकाकरण सेवाओं की निम्न उपलब्धता जिले के ऐसे कारण हैं, जिनसे बच्चों के टीकाकरण का कवरेज कम हैं। पोलियो मुक्त देश के निर्माण हेतु इन वंचित बच्चों का कवरेज एक ज्वलन्त मुद्दा हैं।

बाल रोगों का उपचार

हमारे देश में डायरिया को शिशु मृत्यु दर के सर्वाधिक contributing कारकों में से एक माना जाता है। डायरिया की स्थिति में ओ.आर.एस. का घोल देना शिशु मृत्यु दर कम करने की एक महत्त्वपूर्ण रणनीति है। डीएलएचएस–3 के सर्वेक्षण के समय अंतिम 2 सप्ताह में डायरिया से ग्रसित बच्चों का कुल प्रतिशत जिन्हें जीवन रक्षक घोल (ओ.आर.एस.) प्राप्त हुआ, 27.3 हैं। अधिकांश स्थितियों में डायरिया से ग्रसित बच्चों को ओ.आर.एस. की त्वरित उपलब्धता नहीं हैं। घोल इन्हीं डायरिया ग्रसित बच्चों का कुल प्रतिशत, जिन्हें उपचार दिया गया, 76.4 हैं। सर्वेक्षण के समय अंतिम 2 सप्ताह में एक्यूट रेस्पीरेटरी इन्फेक्शन/फीवर (तीव्र श्वसन रोग/बुखार) से पीड़ित 89.4 प्रतिशत बच्चों को इलाज दिया गया, जो कि संतोषजनक हैं।

4.1.8 परिवार कल्याण

राज्य में चित्तौड़गढ़ जिला परिवार कल्याण के क्षेत्र में गत वर्षों में अग्रणी रहा है। जिला गत 3 वर्षों से परिवार कल्याण कार्यक्रम में राज्य में प्रथम 3 स्थानों पर रहा है। परिवार को सीमित रखने में समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। जिले में पुरूषों का नसबन्दी के प्रति तथा महिलाओं का अस्थाई तरीकों के प्रति कम प्रचलन। पुरूष नसबन्दी मात्र 0.5 प्रतिशत है, तथा किसी भी तरीके का परिवार नियोजन का साधन अपनाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 63.7 हैं। नसबन्दी के स्थाई साधन के रूप में महिला नसबन्दी का अधिक प्रचलन हैं। आई.यू.डी. (2.6 प्रतिशत) व कण्डोम (12.4 प्रतिशत) का उपयोग अब भी सीमित वर्ग द्वारा ही किया जा रहा है। गत 3 वर्षों से राज्य स्तर से दिये गए लक्ष्यों के विरूद्ध जिले की उपलब्धि उत्कृष्ट रही हैं।

सारणी 4.8: गत 3 वर्षों में जिले में परिवार नियोजन (नसबन्दी) कार्यक्रम की प्रगति

विवरण	2006–07	2007–08	2008–09 (चित्तौड़गढ़)	2008–09 (प्रतापगढ़)
लक्ष्य	13815	13815	11381	5904
उपलब्धि	13337	13848	11417	4120
प्रतिशत	96.53	100.23	100.31	69.8

(स्रोत – अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ व सीएमएचओ प्रतापगढ़)

4.1.9 रेफरल परिवहन सेवाएँ

चित्तौड़गढ़ जिला राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग पर स्थित हैं, जिससे जिले का कुछ हिस्सा दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं। विभाग से प्राप्त आंकडों के अनुसार जिले की 14 सामु. स्वा.के. व 38 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 14 सामु. स्वा. केन्द्र व 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आपातकालीन रेफरल परिवहन सेवा उपलब्ध हैं। इनमें से 8 स्थानों पर विभाग की तरफ से आपातकालीन परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि 12 संस्थाओं पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सांसद/विधायक मद से प्राप्त वाहन को आपातकालीन परिवहन सेवा के रूप में संचालित किया जा रहा है।

जनवरी, 2009 से जिला मुख्यालय व जून 09 से निम्बाहेड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर ई.एम.आर.आई. (108 एम्बूलेन्स सेवा) सेवा प्रारम्भ की गई हैं, जिसमें टोल फ्री नम्बर 108 पर कॉल कर निःशुल्क आपातकालीन परिवहन सेवा मुख्यालय के 35 किमी. दायरे तक प्राप्त की जा सकती हैं। गत 8 माह में 108 सेवा द्वारा जिला मुख्यालय व 35 किमी की परिधि में उपलब्ध कराई गई आपातकालीन सेवाओं के बारें में आंकडें यह प्रदर्शित करते हैं, कि अधिकांशतः इस सेवा का उपयोग गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु किया गया हैं। प्रसूति सहित औसतन प्रति दिवस प्रति माह न्यूनतम 3.16 व अधिकतम् 6.7 केस/ट्रिप 108 सेवा द्वारा प्रारम्भ से लेकर अब तक दर्ज किये गए हैं।

ग्राफ 4.4: वर्ष 2009 में रेफरल सेवा के प्रगति का विवरण

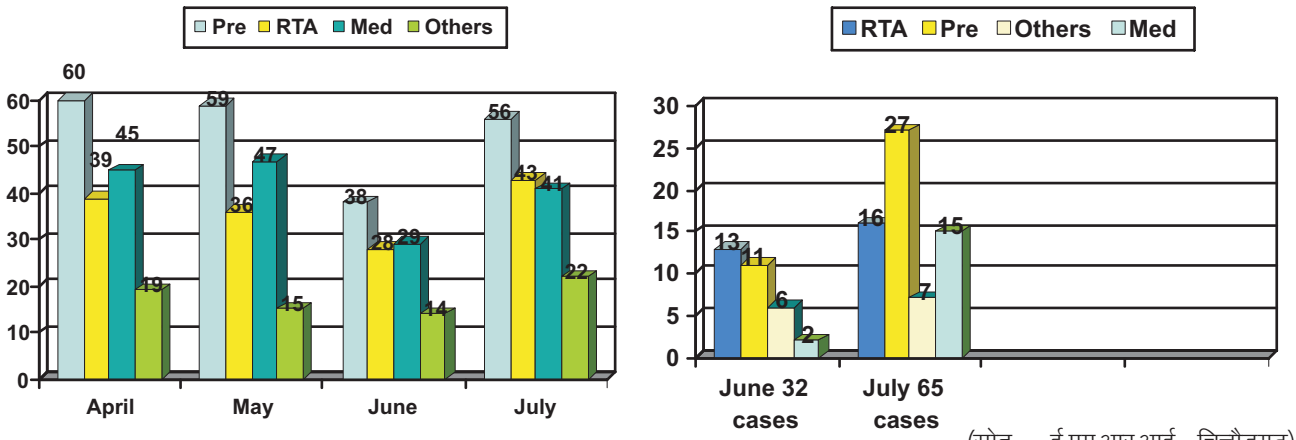

(स्रोत – ई.एम.आर.आई., चित्तौड़गढ)

4.1.9 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

4.1.9.1 संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम

टी.बी. एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हैं, तथा सभी प्रमुख बीमारियों में से मृत्यु का बडा कारण हैं। एक टी.बी. मरीज वर्ष में 10 से 15 नये रोगी पैदा कर सकता हैं। इसी के मद्देनजर संशोधित राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) के अन्तर्गत डॉट्स (डायरेक्टली ऑब्सर्वड ट्रीटमेन्ट शॉर्टकोर्स) की रणनीति इस कार्यक्रम में महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में लाई गई हैं। डॉट्स पद्धति में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में मरीज को दवाई दी जाती हैं एवं समय–समय पर उसकी थूक व बलगम की जाँच की जाती हैं।

चित्तौड़गढ़ जिला 4 टी.बी. यूनिट में विभाजित हैं। प्रत्येक टी.बी. यूनिट पर एक चिकित्सा अधिकारी (एम. ओ.टी.सी.), लेब सुपरवाईजर तथा सुपरवाईजर पदस्थापित हैं। प्रत्येक टी.बी. यूनिट का कवरेज लगभग 2.5 से 5 लाख की जनसंख्या हैं। जिले के 25 से 30 प्रतिशत टी.बी. मरीजों का उदयपुर, भीलवाडा व नीमच में ड्रेनेज हैं। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व कुछ चिह्नित प्राथमिक स्वा. केन्द्र सहित वर्तमान में जिले में 21 चिह्नित माइक्रोस्कोपीक केन्द्र क्रियाशील हैं। इन केन्द्रों पर टी.बी. का निदान कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सारणी 4.9: आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत जिले की प्रगति

क्र. सं	विवरण	2005	2006	2007	2008
1	इलाज शुरू करने वाले मरीजों की संख्या	3052	3175	3432	3642
2	इलाज के दौरान मृत्यु की दर (Death Rate)	3.25	3.37	3.6	4.5
3	डिफाल्टर का प्रतिशत (Defaulter Percentage)	6.5	6.75	4	4.75
4	क्योर दर (Cure Rate)	80.75	83.75	85.25	86
5	नये धनात्मक रोगी (New Sputum Positive cases)	68	68.5	60.75	55.75
6	केस चयन दर (Case Detection Rate)	153	159	169	177

(स्रोत–जिला क्षय अधिकारी)

सारणी में दिए गए आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि चित्तौड़गढ़ टी.बी. की दृष्टि से औसत जिला है, जो राज्य के औसत के लगभग रहता है। जिले की गत 4 वर्षों में केस चयन दर व क्योर दर बढी हैं, तथा नये धनात्मक रोगी कम हुए हैं। डॉट्स का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष, बा्हय देखरेख में मरीज को मानक दवाइयाँ देना हैं, के सन्दर्भ में डिफाल्टर रेट कम हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नीम–हकीमों का फैलाव, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र तथा डॉट्स सेवा उपलब्धकर्ता के स्तर पर कार्यक्रम को सशक्त करना सफलता की निरन्तरता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण चुनौती हैं।

4.1.9.2 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

वेक्टर जनित रोग राज्य की जनसंख्या को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले रोग में से एक है। राज्य में दशकों से मलेरिया मुख्य रोग बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक देखा गया है। पिछले कुछ वर्षों से संभाग के क्षेत्र में डेगूं व चिकनगुनिया नए वेक्टर जनित जानलेवा रोग के रूप में उभरे हैं। जिले में वर्ष 2008–09 के दौरान मलेरिया पी.एफ. के 65, पी.वी. के 1606 तथा डेंगू के 3 केस दर्ज किये गए। जिसमें से डेंगू से ग्रसित एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु भी हो गई।

सारणी 4.10: वर्ष 2006–08 की मलेरिया रोग स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2006	2007	2008
1	मलेरिया (पी.एफ.)	3416	2296	1272
2	मलेरिया (पी.वी.)	506	141	40
3	कुल रक्त पट्टिकाओं का संग्रहण	329733	243998	198797

(स्रोत – उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ)

4.1.9.3 राष्ट्रीय अंधता निवारण व कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम :

हमारे देश में अंधता का एक बड़ा कारण वृद्धावस्था में होने वाला मोतियाबन्द है। जिले में वर्ष 2008–09 के दौरान 12800 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 2513 (19.63 प्रतिशत) ऑपरेशन कर लोगों को लाभान्वित किया गया है। जिसमें एक भी जटिलता रिपोर्ट नहीं की गई हैं। यह बात गौर करने लायक है कि जिले में कुल किये गए मोतियाबिन्द ऑपरेशन में से 2421 (96.33 प्रतिशत) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किये गए।

4.1.10 भविष्य की दिशा

जिले के स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने के लिए फलां एवं गांव स्तर से स्वास्थ्य नियोजन की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण, उनके माध्यम से गांव की स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन और क्रियान्वयन योजना बनाना आवश्यक है। गांव स्वास्थ्य योजनाओं का संकलन उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर हो । इस प्रकार गाँव से जिला स्तर की बनी स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध संसाधन एवं अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन किया जाकर क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए ।

सहस्राब्दी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु चित्तौड़गढ़ में स्वास्थ्य कें क्षेत्र को लम्बी दूरी तय करनी हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सतत उपलब्धता व वंचित वर्ग के लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच की दिशा में प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। भविष्य में जिले में जनसंख्या के भार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक निवेश, संस्थाओं के कुशल प्रबन्धन व स्वास्थ्य कार्यक्रम के बेहतरीन क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी।

राजस्थान हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोगाम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सृजित किये गए आधारभूत ढाँचें का सरंक्षण व विकेन्द्रीकरण उचित होगा। यह एक बड़ा कार्य होगा। हांलाकि जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जा रहे विकास कार्यों का प्रभाव संस्थाओं की अतिरिक्त आर्थिक स्वायतता सुनिश्चित करने की दिशा में काफी सहायक सिद्ध होगा। जिले में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु निम्न कार्य मुख्य रूप से किये जा सकते हैं, –

- जिले के स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने के लिए फलां एवं गांव स्तर से स्वास्थ्य नियोजन की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण, उनके माध्यम से गांव की स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन और क्रियान्वयन योजना बनाना आवश्यक है।

- गांव स्वास्थ्य योजनाओं का संकलन उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर हो । इस प्रकार गाँव से जिला स्तर की बनी स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध संसाधन एवं अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन किया जाकर क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए ।

- स्वास्थ्य संस्थानों के सुनियोजित विकास व देखभाल हेतु लोगों की सहभागिता अपरिहार्य हैं। समुदाय की भागीदारी व निगरानी को प्रोत्साहित करने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लोगों की आवश्यकता अनुरूप बनाया जा सकता हैं।

- जिले में शत–प्रतिशत संस्थागत प्रसव हेतु उपकेन्द्र से लेकर जिला अस्पताल स्तर तक संस्थागत प्रसव को समान रूप बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी संस्थाओं में उनके स्तर के अनुरूप 24 घंटे निःशुल्क व सुरक्षित प्रसव सेवा उपलब्ध होना जरूरी हैं, योगदान दे सकते हैं।

- सभी पंचायत समिति मुख्यालय पर प्रथम सम्प्रेषण इकाई {First Referaal Unit (FRU)} को प्रारम्भ करना आवश्यक है। इसके उपलब्ध होने से समस्त विकास खण्डों में 24 घंटे सामान्य व सिजेरियन प्रसव की सेवा उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढाने हेतु गंभीर व सघन प्रयास जरूरी हैं। विशेषज्ञों की उपलब्धता से संस्थागत प्रसवों की संख्या में भी बढेगी।

- स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संस्थाओं के संचालन के लिए गठित समितियों के कुशल प्रशासन व प्रबन्धन को बढावा देकर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, जो इनके आवश्यकता आधारित विकास में सहायक हो। इसके लिए सभी राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए निवेश की आवश्यकता है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रबन्धकीय क्षमता लाने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए खण्ड से नीचें के स्तर तक अलग से क्रियान्वयन का ढ़ाँचा निर्धारित किये जाने की जरूरत है, जो केवल कार्यक्रम के कियान्वयन एवं मॉनीटरिंग का ही कार्य करें।

- वर्तमान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नियमित व विश्वसनीय आंकड़ों के स्रोत का सर्वथा अभाव हैं। समस्त स्तरों पर सूचना तकनीक तथा आंकड़ों के प्रमाणीकरण को सघन बढावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य की परिवार/व्यक्ति आधारित ट्रेकिंग की दिशा में कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य संस्थाओं पर बढते बोझ को देखते हुए निजी क्षेत्र को बढावा देने की नीति उचित प्रतीत होती हैं। इसके लिए प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों को उपलब्ध कराने वाले निजी चिकित्सालयों को राज्य सरकार की और से आर्थिक रूप से मदद उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। जिले में कार्यरत औद्योगिक घराने भी गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

पोषण

राजस्थान में 0 से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में से 50.6 प्रतिशत बच्चे किसी भी रूप में कुपोषित पाये गये है जिसमें से 20.8 प्रतिशत बच्चे अति कुपोषण के शिकार है, यदि सामाजिक और आर्थिक परिपेक्ष्य में देखा जाये तो SC/ST के बच्चों में कुपोषण की स्थिति सामान्य वर्गो से कम होने की सम्भावना है (मिशन मोड अप्रोच से लिया गया) ।

राज्य में महिलाओं एवं बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करने, इनके संविधान में प्रदत्त अधिकार के संरक्षण तथा विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से विभिन्न विभागों के माध्यम से जोड़ने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यरत है। महिला एवं बाल विकास विभाग दो अलग–अलग योजना में कार्य सम्पादन करता है :–

- ❑ समेकित बाल विकास सेवा योजना ।
- ❑ महिला अधिकारिता ।

समेंकित बाल विकास सेवा योजना के अंर्तगत जिले में कुल 12 बाल विकास परियोजना संचालित हैं। जिनमें 11 ग्रामीण परियोजनाएँ (3 परियोजनाएँ प्रतापगढ़ जिले की है जो TSP है) एवं एक शहरी परियोजना है।

राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नानुसार केलौरी एव प्रोटीन दिया जा रहा है

क्र.सं.	लाभार्थी श्रेणी	उर्जा (किलो कैलोरी मे)	प्रोटिन (ग्राम में)
1	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	500	12–15
2	6 माह से 6 वर्ष तक के अति बच्चे	800	20–25
3	गर्भवती एव धात्री महिलाएँ	600	18–20

विभाग द्वारा बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार हेतु बेबी मिक्स की मात्रा प्रति लाभान्वित प्रति दिन निम्नानुसार हैं–

क्र.सं.	लाभार्थी	पोषाहार की मात्रा	
		प्रतिदिवस	प्रतिसप्ताह
1	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम	750 ग्राम
2	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अति बच्चे	50 ग्राम (केन्द्र पर नास्ते के लिए और गर्म खाना) + 50 ग्राम	300 ग्राम (600 ग्राम का एक पाउच केन्द्र पर 2 सप्ताह उपयोग हेतु)
3	गर्भवती एव धात्री महिलाएँ	150 ग्राम	900 ग्राम
4	6 माह से 3 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चे	200 ग्राम	1200 ग्राम (600 ग्राम के 2 पाउच एक सप्ताह के लिए)
5	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चे	50 ग्राम (केन्द्र पर नाश्ते के लिये गर्म पूरक पोषाहार 75 ग्राम सत्तू)	450 ग्राम

सामान्य ग्रेड, कुपोषित बच्चे (प्रथम और द्वितीय ग्रेड) के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 50 ग्राम गरम खाना एवं 50 ग्राम सत्तू दिया जाता है जो प्रतिदिन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मीठा दलिया एवं खिचड़ी के रूप में बनता है। इसी तरह 6 माह से 3 वर्ष तक के सामान्य एवं कुपोषित बच्चों को 750 ग्राम और अति. कुपोषित बच्चों को 1200 ग्राम तक पंजीरी साप्ताहिक रूप से दी जाती है गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को साप्ताहिक 900 ग्राम पंजिरी दी जाती है।

चित्तौड़गढ़ जिले में 31.14 प्रतिशत कम वजन के बच्चे पाये गये जबकि राजस्थान में इसकी संख्या 48 प्रतिशत है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर साल्टर वजन मशीन एवं एलडर वजन मशीन से उम्र मुताबिक वजन से कुपोषण को नापा जाता है ।

गर्भवती माता का गर्भ ठहरने उपरान्त 9 माह तक वजन देख माँ का कुपोषण एवं बच्चा पैदा होने पर जन्म के एक घण्टे में वजन लेकर देखा जाता है कि बच्चा कुपोषित है या नहीं ।

- बैस लाईन सर्वे अनुसार अति कुपोषित 0 से 36 माह तक के बच्चे – 14.0
- कम वजन के बच्चे – 23.2
- कम वजन के पैदा हुए बच्चे – 29.4
- अति कुपोषित बच्चे 36 माह से 6 माह तक – 13.4
- कम वजन के बच्चे – 24.0
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर रजिस्टर्ड बच्चे – 103677
- अति कुपोषित बच्चे (जो पूरक पोषाहार लेते) – 140
- कम वजन के बच्चे – 30238
- जो पोषाहार लेते हैं – 30238
- गर्भवती/धात्री महिलाएँ जो पूरक पोषाहार प्राप्त करती हैं – 21076

कुपोषण :–

कुपोषण निम्न कारकों से होता है :–

1 बीमारी ।
2 खराब पानी एवं स्वच्छता की कमी ।
3 प्रसव बाद शिशु की देखबाल नहीं होना ।
4 भोजन में प्रर्याप्त पूरक तत्वों का नहीं होना ।
5 रूढ़िवादिता एवं रीति रिवाज ।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिये परिपूर्ण आहार पर ध्यान देना स्वच्छ एवं साफ पानी को काम में लेने हेतु ध्यान देना प्रसव पूर्व एवं प्रसव समय तथा प्रसव बाद शिशु एवं गर्भवती के आहार पर ध्यान देना । पूरक पोषाहार प्रर्याप्त मात्रा में माता एवं बच्चों को मिले इसकी जानकारी महिलाओं को देना ।

NFHS 2 की सर्वे अनुसार अति कुपोषित बच्चे राजस्थान में 14.8 है । जोकि निम्न कारणों से रही–

1 कम उम्र में प्रसव ।
2 कम वजन का बच्चा ।
3 बच्चे का प्रर्याप्त ग्रोथ नहीं होना ।
4 किशोराअवस्था में प्रर्याप्त वजन एवं लम्बाई का न होना ।
5 ठिगने कद की महिला का होना ।

पूरे राजस्थान में 29 लाख बच्चों को पूरक पोशाहार से लाभान्वित किया जा रहा है 83 लाख गर्भवती एवं धात्रि महिलाएँ लाभ प्राप्त कर रही हैं। ST का कवरेज क्षेत्र 34.94 प्रतिशत है । चित्तौड़गढ़ जिले में परियोजना वाईज तुलनात्मक तलपट वजन अनुसार कुपोषण की स्थिति संलग्न है (वर्ष 2005 एवं मार्च 2009 की)।

सर्वे अनुसार शतप्रतिशत बच्चों का वजन लेकर ग्रेड निकाल कुपोषित/अति कुपोषित बच्चों की पहचान की जावेगी, यदि रेफर लायक बच्चा होता है तो महिला एंव बाल चिकित्सालय में रेफर करवाया जाकर कुपोषण सुधारने में ध्यान दिया जावेंगा ।गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें टीकाकरण स्वास्थ्य जाँच एवं संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित किया जावेगा गर्भावस्था के दौरान संकटग्रस्त महिलाओं की पहचान की जावेगी । प्रसव समय, प्रसव बाद संकट ग्रस्त स्थिति क्या हो सकती है पर स्वास्थ्य दिवस के दिन बताया जावेगा । बच्चे का जन्म होते ही एक घण्टे में माँ का प्रथम दूध (खीज) पिलाने हेतु प्रेरित किया जावेगा । समय पर समस्त प्रकार के टीके लगवाये जावेगे एवं छः माह का बच्चा होने पर ऊपरी आहार देना सुनिश्चित करवा स्वच्छता–सफाई के बारे में जानकारी दी जावेगी ताकि मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके । कुपोषण में सुधार लाया जा सके ।

सारणी 4.11: परियोजनावार सर्वेनुसार जनसंख्या का विवरण

क्र. सं.	नाम परियोजना	कुल जनसंख्या											
		अजजा		अजा		अन्य		गर्भवती			धात्री		
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	अजजा	अजा	अन्य	अजजा	अजा	अन्य
1	भदेसर	4122	3960	8804	8571	43272	41360	94	245	545	257	375	333
2	बड़ीसादड़ी	11794	11132	3232	3014	28067	27373	208	52	437	327	102	366
3	बेगू	5859	5471	8578	8444	34728	34113	149	205	762	188	392	538
4	भैंसरोड़गढ़	4037	3781	6255	6031	7145	6263	514	248	342	550	263	661
5	भोपालसागर	6101	5434	8736	7767	26002	25690	153	162	483	218	201	447
6	चित्तौड़गढ़(श.)	2834	2661	9816	9484	35811	33367	54	192	447	59	230	501
7	चित्तौड़गढ़(ग्रा.)	7687	7987	9400	9274	69019	66296	251	306	1155	307	344	1037
8	डूंगला	7764	7651	7581	7674	34999	32952	200	221	515	232	199	536
9	गंगरार	3281	3094	8245	7936	28715	28654	72	164	665	120	216	776
10	कपासन	5491	5032	10399	10070	35747	34481	115	177	1407	166	300	1461
11	निम्बाहेडा	11751	11060	14082	13309	52079	5026	350	329	329	346	359	682
12	राशमी	3714	3667	10994	9848	31969	30636	96	253	704	185	304	643
13	छोटीसादड़ी	21516	21509	7522	7319	25419	26475	560	171	171	627	218	740
14	प्रतापगढ़	60614	59219	10872	10422	44987	43322	1430	183	183	1601	208	1487
15	अरनोद	41386	42587	3038	3186	16975	17356	1019	57	57	977	63	1106
योगः–		197951	194245	127554	122349	514934	453364	5265	2965	8202	6160	3774	11314

सारणी 4.12: परियोजनावार सर्वेनुसार बच्चों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	नाम परियोजना	6 माह से 3 वर्ष						3–5 वर्ष तक						किशोरी बालिका		
		अजजा		अजा		अन्य		अजजा		अजा		अन्य				
		लड़के	लड़की	लड़के	लड़की	लड़के	लड़की	लड़के	लड़की	लड़के	लड़की	लड़के	लड़की	अजजा	अजा	अन्य
1	भदेसर	327	294	661	596	2537	2384	77	62	294	256	1705	1722	88	742	4711
2	बड़ीसादड़ी	990	899	235	215	2869	1870	659	655	130	120	1270	1323	1720	601	4459
3	बेगूं	520	550	668	667	2096	2433	402	428	493	629	1744	1791	1032	1234	4185
4	भैंसरोड़गढ़	398	430	761	713	170	166	1047	1113	475	487	303	211	1454	541	332
5	भोपालसागर	612	548	734	713	1592	1385	379	322	506	417	1034	935	1049	1105	2010
6	चित्तौड़गढ़(श.)	245	226	699	588	2095	1885	148	143	434	432	1457	1322	390	1378	4325
7	चित्तौड़गढ़(ग्रा.)	808	791	1139	1076	3546	3502	508	497	697	695	2305	2174	1132	886	5859
8	डूंगला	658	599	485	456	2273	2017	302	339	267	309	1712	1487	917	1598	2800
9	गंगरार	362	333	652	652	2099	2043	196	159	388	373	1255	1236	320	1356	3599
10	कपासन	612	548	761	713	1576	1668	233	258	428	354	1263	1215	594	871	3419
11	निम्बाहेडा	1015	938	1169	1181	4201	3802	638	648	691	632	1819	1742	1826	1904	5686
12	राशमी	405	380	782	746	2055	1883	253	221	472	454	1429	1389	383	1048	2752
13	छोटीसादड़ी	1812	1717	552	527	1290	1125	1284	1260	381	347	1019	834	2011	744	2502
14	प्रतापगढ़	4943	4816	811	697	2547	2357	3738	3566	529	495	1785	1839	6368	960	5238
15	अरनोद	3054	3100	227	205	955	878	2211	2240	178	197	544	488	3350	341	1850
योगः–		16761	16169	10336	9745	31901	29398	12075	11911	6363	6197	20644	19708	22634	15309	53727

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कुल महिला 769958, पुरूष 840439 कुल 1610397 जनसंख्या पर कार्य कर रही हैं, जबकि 2001 की जनसंख्या महिला 885461, पुरूष 918063 कुल 1803524 हैं। 193127 जनसंख्या छूट गयी है उस पर महिला एवं बाल विकास सेवाएँ देने हेतु 500 केन्द्र की आवश्यकता है, जिसकी मांग और की गयी है, ताकि 2001 की पूरी जनसंख्या पर सेवायें दी जा सके । 2010 में अनुमानतः 1983876 जनसंख्या होने पर भी सारी जनसंख्या का कवर कर दिया जावेगा । बजट मांग अनुसार उपलब्ध होगा। एक बाल विकास परियोजना कार्यालय की और मांग कर दी गई जिससे की छुटी हुई समस्त जंनसंख्या को कवर कर लिया जावेगा

सारणी 4.13: समेंकित बाल विकास परियोजना के लाभान्वित बच्चों का तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	नाम परियोजना	मार्च 2005 की स्थिति										मार्च 2009 की स्थिति									
		6 Month 3 Year Children			3-6 Year Children			Pregnant & Lactating Women	Adole scent Girls	Total	%	6 Month 3 Year Children			3-6 Year Children			Pregnant & Lactating Women	Adole scent Girls	Total	%
		Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total					Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total				
1	भदेसर	1977	1793	3770	1820	1969	3789	1372	180	9111	99	1864	1707	3571	1227	1271	2498	1621	280	7970	79
2	बडीसादडी	1467	1350	2817	1357	1378	2735	1683	280	7515	88	1663	1555	3218	980	967	1947	1516	280	6961	73
3	बेगूं	1841	1787	3628	2487	2476	4963	1411	212	10214	94	2024	1895	3919	1939	1940	3879	1671	272	9741	65
4	भैसरोडगढ	1400	1315	2715	1247	1267	2514	1920	236	7385	84	2074	2094	4168	2250	2252	4502	1962	274	10906	99
5	भोपालसागर	1298	1139	2437	1253	1236	2489	1233	155	6314	95	1437	1300	2737	813	803	1616	1175	156	5684	46
6	चितौडगढ(श.)	1507	1342	2849	3152	3137	6289	1146	162	10446	90	1406	1364	2770	651	646	1297	1167	164	5398	68
7	चितौडगढ(ग्रा.)	2821	2589	5410	2419	2446	4865	2600	356	13231	83	3527	3301	6828	1932	1871	3803	2976	442	14049	75
8	डूंगला	1513	1358	2871	1168	1158	2326	1501	210	6908	98	1909	1759	3668	1024	1061	2085	1671	218	7642	77
9	गंगरार	1412	1433	2845	1488	1364	2852	1422	228	7347	92	1432	1411	2843	1219	1239	2458	1429	230	6960	76
10	कपासन	1377	1330	2707	1165	1142	2307	1761	242	7017	93	1974	1789	3763	1798	1819	3617	1936	258	9574	90
11	निम्बाहेडा	2092	1984	4076	1990	1987	3977	1989	260	10302	90	2459	2337	4796	1540	1600	3140	2330	300	10566	81
12	राशमी	2128	2060	4188	2033	1985	4018	1669	220	10095	92	2118	2013	4131	1337	1314	2651	1690	261	8733	73
13	छोटीसादड़ी	2196	2023	4219	2328	2310	4638	1867	221	10945	95	2475	2360	4835	2031	1998	4029	2282	294	11440	78
14	प्रतापगढ़	4549	4154	8703	4700	4575	9275	3004	458	21440	94	4865	4633	9498	5695	5628	11323	3866	630	25317	84
15	अरनोद	2694	2644	5338	3059	3051	6110	1846	264	13558	102	2784	2773	5557	2929	2860	5789	2519	318	14183	82

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वित मार्च 2005 एवं मार्च 2009 की देखने पर 100 प्रतिशत नहीं होते हैं क्योंकि ग्रामीणों को महिला एवं बाल विकास सेवाओं की जानकारी नहीं होने से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को नहीं भेजा जाता कुछ जगह पर जानकारी होते हुए भी कार्यकर्ता के व्यवहार के कारण लाभान्वित नहीं आते हैं । स्वादिष्ट पूरक पोषाहार एवं गर्म खाना नियमित नहीं बनने से लाभान्वित कम रहे हैं। 100 प्रतिशत लाभान्वित करने हेतु सेवाओं की व्यापक जानकारी ग्राम सम्पर्क के माध्यम से दी जाने हेतु प्रत्येक ग्राम के लिए 1000 रूपये के बजट की आवश्यकता है। साप्ताहिक राशन 6 माह से तीन वर्ष के बच्चों धात्री/गर्भवती माताओं को घर एवं केन्द्रों पर 100 प्रतिशत दिया जावेगा, प्रत्येक दिन स्वादानुसार उचित कैलोरी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वित मार्च 2005 एवं मार्च 2009 की देखने पर

100 प्रतिशत नहीं होते हैं क्योंकि ग्रामीणों को महिला एवं बाल विकास सेवाओं की जानकारी नहीं होने से आंगनवाड़ी केन्द्रो पर बच्चों को एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को नहीं भेजा जाता कुछ जगह पर जानकारी होते हुए भी कार्यकर्ता के व्यवहार के कारण लाभान्वित नहीं आते है । स्वादिष्ट पूरक पोषाहार एवं गर्म खाना नियमित नही बनने से लाभान्वित कम रहे हैं। 100 प्रतिशत लाभान्वित करने हेतु सेवाओं की व्यापक जानकारी ग्राम सम्पर्क के माध्यम से दी जाने हेतु प्रत्येक ग्राम के लिए 1000 रूपये के बजट की आवश्यकता है । साप्ताहिक राशन 6 माह से तीन वर्ष के बच्चों धात्री/गर्भवती माताओं को घर एवं केन्द्रों पर 100 प्रतिशत दिया जावेगा, प्रत्येक दिन स्वादानुसार उचित कैलोरी प्रदान करते हुए 100 प्रतिशत लाभान्वित किया जावेंगें–पोषाहार को सुरक्षित रखने हेतु एक वर्ष में प्रति केन्द्र 1000 रूपये भण्डारण हेतु दिये जावे। ताकि 100 प्रतिशत सुरक्षित व्यवस्था में पूरक आहार केन्द्र पर रहे और नियमित पोषाहार बनाकर दिया जावें ।

सारणी 4.14: ब्लॉकवार बाल कुपोषण का तुलनात्मक विश्लेषण

क्र. सं.	नाम परियोजना	मार्च 2005 की स्थिति										मार्च 2009 की स्थिति									
		Classification of Nutritional Status for 0-5 year Children										Classification of Nutritional Status for 0-5 year Children									
		Normal		Grade-I		Grade-II		Grade-III & IV		Total No. of Children weighted		Normal		Grade-I		Grade-II		Grade-III & IV		Total No. of Children weighted	
		Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
1	भदेसर	1260	1179	1056	998	558	477	0	0	2874	2654	2174	2224	1005	1177	0	0	0	0	3179	3401
2	बडीसादडी	1133	1061	1098	977	1033	1004	1	0	3265	3042	1151	1097	1027	1001	967	938	0	1	3145	3037
3	बेगूं	631	560	519	439	345	272	1	4	1496	1275	1117	1089	1027	1042	981	948	21	20	3146	3099
4	भैंसरोड़गढ़	1130	1102	1274	1151	293	381	0	0	2697	2634	530	583	892	844	628	573	0	0	2050	2000
5	भोपालसागर	1138	1063	902	914	828	904	0	0	2868	2881	1481	1586	1456	1243	1214	1289	0	0	4151	4118
6	चित्तौड़गढ़(श.)	1397	1128	1091	1081	455	447	2	3	2945	2659	1505	1310	1137	1186	288	244	0	4	2930	2744
7	चितौड़गढ़(ग्रा.)	2602	2336	2377	2293	1018	1030	6	9	6003	5668	2036	1674	1859	1721	1044	1009	6	12	4945	4416
8	डूंगला	1100	843	1024	974	630	642	8	5	2762	2464	1140	918	1528	1239	781	830	6	14	3455	3001
9	गंगरार	517	480	498	530	328	326	0	2	1343	1338	673	650	662	649	407	401	1	2	1743	1702
10	कपासन	778	812	599	641	405	476	1	2	1783	1931	1449	1584	1224	1578	987	1064	3	2	3663	4228
11	निम्बाहेडा	887	789	785	684	524	514	5	3	2201	1990	1701	1504	1605	1510	1110	1041	13	16	4429	4071
12	राशमी	2294	2074	1582	1568	1205	1037	1	1	5082	4680	2741	2789	2087	2618	1566	1400	1	2	6395	6809
13	छोटीसादड़ी	1436	1483	1290	1171	874	812	2	6	3602	3472	1085	1004	923	931	651	699	0	3	2659	2637
14	प्रतापगढ़	2698	2223	3408	2709	1990	1903	3	14	8099	6849	2634	2235	2957	2793	2201	2038	6	14	7798	7080
15	अरनोद	574	684	747	554	652	783	2	5	1975	2026	832	874	869	954	895	893	3	4	2599	2725

4.2.1 जिले में कुपोषण की स्थिति का SWOT विश्लेषण

मजबूती	कमजोरी
☺ महिलाओं ने अपने–बच्चों के अधिकारों को समझा है ☺ मां का प्रथम दूध एक घण्टे में पिलाना ☺ साप्ताहिक राशन हर सप्ताह देना सुनिश्चित करना ☺ मीडिया द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सूक्ष्म तत्व एवं पूरक पोषाहार की जनकारी दी जावेगी ☺ पूरक पोषाहार में पौष्टिक तत्व बचाने हेतु महिलाओं को प्रशिक्षत करना	☺ कुछ कार्यकर्ताओं का कार्य के प्रति उदासीन (करीब 30%) ☺ कार्यकर्ता द्वारा गृह सम्पर्क नहीं करना ☺ माता–पिता का कार्यक्रम के प्रति रूझान कम । ☺ जन प्रतिनिधि इस कार्यक्रम को प्रमुखता से न लेकर सिर्फ निम्न श्रेणी का समझते हैं ☺ पोषाहार गुणवत्तापूर्वक नहीं है ☺ आंगनवाड़ी केन्द्र भवन टूटे हुए या नही हैं (50% टूटे हुए 30% नहीं बने) ☺ ग्राम सभा द्वारा योग्य महिला का चयन नहीं होना
अवसर	**चुनौती**
☺ शतप्रतिशत सर्वे ☺ छुटी हुई जनसंख्या को महिला व बाल विकास से जोड़ना ☺ गर्भवती का नामांकन कर बाल विकास की सेवा देना ☺ निरन्तर निरीक्षण ☺ आवश्यकतानुसार सतत् प्रशिक्षण ☺ ग्राम सम्पर्क अभियान द्वारा सेवा का प्रचार–प्रसार	☺ विषय विशेषज्ञों की कमी ☺ पोषाहार गुणवत्ता की जनकारी नहीं ☺ महिलाओं को समय नहीं ☺ अन्धविश्वास, गरीबी, अशिक्षा

4.2.2 भावी योजना

क्र. सं.	प्रमुख क्षेत्र	प्रमुख अवरोध /कमी	कमजोरी को दुर करने की मुख्य रणनीति	गतिविधि
1	पूरक पोषाहार	स्वादानुसार पूरक पोषाहार प्राप्त नहीं	समूह द्वारा साप्ताहिक निमार्ण	लाभान्वितों की संख्या बढेगी
2	स्वास्थ्य व पोषाहार	महिला पर्यवेक्षक का ठहराव नहीं जिससे महिलाओं में समझाईश नहीं होती	केन्द्र को साधन सम्पन्न करना तथा पर्यवेक्षकों का सयुक्त भ्रमण सुनिश्चित करना	महिला समूह व मातृ समिति बैठक कराना

मध्याह्न भोजन

4.2.3 मुख्य उद्देश्य–

- प्राथमिक शिक्षा सार्वजनीकरण को बढावा देने हेतु नामांकन, उपस्थिति में वृद्धि, ड्राप आउट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना, खास तौर से वंचित वर्गों के परिवारों को।
- प्राथमिक स्तर तक छात्रों का पोषण स्तर बढ़ाना
- सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान पोषण सहायता देना।

4.2.4 कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र

जिले में मिड–डे–मील कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 तक के 3053 विद्यालयों के 258401 विद्यार्थियों को मिड–डे–मील का गर्म भोजन दिया जा रहा हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

4.2.4 कार्यक्रम अन्तर्गत देय सहायता

<u>खाद्यान्न</u>

- मिड डे मील कार्यक्रम अर्न्तगत भारत सरकार से खाद्यान्न के रुप में गेहूँ व चावल क्रमशः 70 : व 30 : के अनुपात में निशुल्क आबंटन किया जाता है।
- 100 ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ, चावल) प्रति छात्र प्रति शैक्षणिक दिवस कक्षा 1 से 5 तक के लिए।
- 150 ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ, चावल) प्रति छात्र प्रति शैक्षणिक दिवस कक्षा 6 से 8 तक के लिए।

राज्य सरकार द्वारा सत्र 2008–09 में कक्षा 1–8 के लिए खाद्यान्न के रूप में गेहूँ व चावल क्रमशः 2504.96 तथा 1042.49 मेट्रिक टन का आवंटन किया गया था, खाद्यान्न उठाव हेतु जिला रसद अधिकारी को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है । जिले में खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के डिपो से समस्त विद्यालयों तक परिवहन व वितरण का कार्य सहायक रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार जिले की समस्त क्रय विक्रय सहकारी समितियों के द्वारा सम्बन्धित ब्लॉक में विद्यालयवार मांग के अनुसार किया जाता हैं। सम्बन्धित ब्लॉक का विद्यालयवार मांग पत्र ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समितियों को उपलब्ध करवाया जाता है।

सारणी 4.15 वर्ष 2008–09 में 31 मार्च 09 तक उठाव की स्थिति का विवरण

माह	गेहूँ			चावल		
	आवंटन	उठाव	:	आवंटन	उठाव	:
Jun-08	4062.70	3927.65	96.68	1697.40	1645.52	96.94
Aug-08	4062.70	4045.13	99.57	1697.40	1689.76	99.55
Sep-08	4062.70	4060.45	99.94	1697.40	1691.77	99.67
Nov-08	4062.73	4062.73	100	1697.47	1697.47	100
Dec-08	8798.78	8798.78	100	3635.29	3635.29	100
कुल योग	**25049.61**	**24894.74**	**99.38**	**10424.96**	**10359.81**	**99.38**

(भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त आधार तिथि 31.03.09)

वित्तीय स्थिति

भारत सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न से भोजन पकाने के लिए आने वाली लागत को कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट कहा जावेगा जिसके अन्तर्गत खाद्यान्न के अतिरिक्त आवश्यक दाले, सब्जियाँ, खाना पकाने का तेल एवं मसाले, ईंधन आदि की लागत तथा भोजन पकाने वाले की मजदूरी शामिल है। इस हेतु देय सहायता वर्तमान में निम्नानुसार है :–

- 2.08/– रूपया प्रति छात्र प्रतिदिन कक्षा 1 से 5 तक के लिए।
- 2.60/– रूपया प्रति छात्र प्रतिदिन कक्षा 6 से 8 तक के लिए।

उक्त सहायता में राज्य सरकार का अंश कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट के लिये 0.50 रुपये भी सम्मिलित है। शेष सहायता क्रमशः कक्षा 1–5 व 6–8 के लिये 1.58 रुपये व 2.10 रुपये भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा राशि मदवार जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को उपलब्ध करवाई जाती है। जिला परिषद के द्वारा प्रति त्रैमासिक (अग्रिम) सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को राशि का हस्तांतरण किया जाता है। सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्र के विद्यालयों में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये गये पके हुऐ भोजन के अनुसार राशि व्यय की जाती है। वर्तमान में माह सितम्बर 09 तक कुकिंग कनवर्जन कॉस्ट की राशि 436.00 लाख एवं सत्र 09–10 के लिए एम एम ई मद हेतु 15.25 लाख रूपये का भुगतान सम्बन्धित ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध करवाया हुआ है।

सप्ताह में दिये जाने वाले भोजन का निर्धारण

सारणी 4.16: सप्ताह में दिनवार दिये जाने वाले भोजन का विवरण

क्र.सं.	दिन	भोजन का विवरण	भोजन के अतिरिक्त दिये जाने वाले फल का विवरण
1	सोमवार	रोटी सब्जी	भोजन के साथ सप्ताह में एक दिन (सोमवार को) फल (सेव,केला,अन्य मौसमी फल आदि) का वितरण भी किया जाता है।
2	मंगलवार	दाल सब्जी/चावल	
3	बुधवार	खिचड़ी (दाल,चावल,सब्जी आदि युक्त)	
4	गुरूवार	दाल रोटी	
5	शुक्रवार	दाल बाटी	
6	शनिवार	रोटी सब्जी	

- सप्ताह में दिये जाने वाले भोजन का विवरण, प्रत्येक व्यंजन के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा (परिशिष्ट 1 में अंकित) एवं भोजन बनाने वाले व्यक्ति को देय मानदेय राशि को स्थाई रूप से दर्शाने के लिए प्रत्येक विद्यालय के सूचना पट्ट पर पेन्ट से अंकित करवाया जावे।
- उपर्युक्त वर्णित भोजन के साथ सप्ताह में एक दिन फल (सेव, केला अन्य मौसमी फल आदि) का भी वितरण किया जायेगा।
- किसी भी दानदाता, धर्मार्थ संस्थान अथवा किसी अन्य व्यक्ति /समुदाय द्वारा भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाती है तो उसके उपयोग के सम्बन्ध में निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया जावेगा।
- स्थानीय मांग और सहूलियत की दृष्टि से अथवा जिला स्तरीय समिति द्वारा जो भी व्यंजन तय किया जावे।

4.2.8 शिक्षा की आधारभूत सुविधाएँ एवं नामांकन की स्थिति

सारणी 4.17: जिले के विद्यालयों का ब्लॉकवार संख्या

क्र.सं.	ब्लॉक	विद्यालय का प्रकार – राजकीय				
		प्रा.वि	उ.प्रा.वि	शिक्षाकर्मी	मदरसा	योग
1	बड़ीसादड़ी	63	88	25	0	176
2	बेगूं	163	93	0	2	258
3	भदेसर	103	85	19	0	207
4	भैंसरोड़गढ़	105	80	11	2	198
5	भूपालसागर	71	64	0	0	135
6	चित्तौड़गढ़	143	165	0	3	311
7	डूंगला	109	63	6	0	178
8	गंगरार	79	95	0	0	174
9	कपासन	61	101	0	1	163
10	निम्बाहेड़ा	79	139	0	4	222
11	राशमी	53	84	7	0	144
चित्तौड़गढ़ जिला		**1029**	**1057**	**68**	**12**	**2166**
1	अरनोद	172	79	16	0	267
2	प्रतापगढ़	226	155	30	1	412
3	छोटीसादड़ी	106	94	0	1	201
प्रतापगढ़ जिला		**504**	**328**	**46**	**2**	**880**
महायोग		**1533**	**1385**	**114**	**14**	**3046**

सारणी 4.18: कक्षा 1 से 5 विद्यार्थियों के नामांकन का ब्लॉकवार विवरण

क्र. सं.	ब्लॉक	विद्यालय		शिक्षा कर्मी		मदरसा		योग
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	
1	बड़ीसादड़ी	4756	4391	493	456	0	0	10096
2	बेगूं	6959	6424	0	0	95	87	13565
3	भदेसर	5540	5113	254	234	0	0	11141
4	भैंसरोड़गढ़	5695	5257	206	191	68	62	11479
5	भूपालसागर	3387	3127	0	0	0	0	6514
6	चित्तौड़गढ़	10011	9241	0	0	125	115	19492
7	डूंगला	5064	4674	84	78	0	0	9900
8	गंगरार	4986	4602	0	0	0	0	9588
9	कपासन	4349	4014	0	0	133	122	8618
10	निम्बाहेड़ा,	7456	6882	0	0	115	106	14559
11	राशमी	3718	3432	128	119	0	0	7397
चित्तौड़गढ़ जिला		**61921**	**57157**	**1165**	**1078**	**536**	**492**	**122349**
1	अरनोद	8217	7584	647	598	0	0	16992
2	प्रतापगढ़	13334	12309	977	901	53	48	27622
3	छोटीसादड़ी	6102	5632	0	0	66	61	11861
प्रतापगढ़ जिला		**27653**	**25525**	**1624**	**1499**	**119**	**109**	**56529**
महायोग		**89574**	**82682**	**2789**	**2577**	**655**	**601**	**178878**

सारणी 4.19: कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के नामांकन का ब्लॉकवार विवरण

क्र. सं.	ब्लॉक	उ. प्रा. विद्यालय		मदरसा		योग
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	
1	बड़ीसादड़ी	3090	2853	0	0	5943
2	बेगूं	2828	2611	32	30	5501
3	भदेसर	2404	2220	0	0	4624
4	भैंसरोड़गढ़	1942	1792	0	0	3734
5	भूपालसागर	1594	1471	0	0	3065
6	चित्तौड़गढ़	5026	4640	29	26	9721
7	डूंगला	2206	2036	0	0	4242
8	गंगरार	1635	1510	0	0	3145
9	कपासन	2182	2015	29	26	4252
10	निम्बाहेड़ा,	3941	3637	53	49	7680
11	राशमी	1635	1510	0	0	3145
चित्तौड़गढ़ जिला		28483	26295	143	131	55052
1	अरनोद	3951	3648	0	0	7599
2	प्रतापगढ़	5930	5473	45	41	11489
3	छोटीसादड़ी	2799	2584	0	0	5388
प्रतापगढ़ जिला		12680	11705	45	41	24471
महायोग		41163	38000	188	172	79523

(जिले की 14 पंचायत समिति से प्राप्त आधार तिथि 30.09.08)

वर्तमान में जिले में मिड–डे–मील कार्यक्रम के अन्तर्गत पके हुए भोजन का वितरण विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति, केन्द्रीयकृत व्यवस्था व अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों के द्वारा किया जा रहा है। जिले के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को केन्द्रीयकृत रसोईघर तथा शेष 50 प्रतिशत को एसडीएमसी/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं, –

सारणी 4.20: मध्याह्न भोजन हेतु आधारभूत सुविधाऐं बनाम लाभार्थी

क्र. सं.	भोजन बनाने वाली कार्यकारी संस्था	लाभान्वित विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन	लाभान्वित छात्र–छात्रा	प्रतिशत
1	एस.डी.एम.सी	1497	127815	83079	65
2	नांदी फाउन्डेषन	1503	125612	87928	70
3	अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति	53	4974	3133	63
	योग	3053	258401	174140	67

(जिले की 8 पंचायत समिति से प्राप्त आधार तिथि 30.09.08)

4.2.9 जिले में केन्द्रीयकृत रसोईघर व्यवस्था :

दिनांक 14–1–05 से जिले में मिड–डे–मील कार्यक्रम अन्तर्गत पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाने लगा तब से शिक्षक इस कार्य व्यवस्था में व्यस्त रहने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हुई । इस ओर शिक्षक संगठनों की ओर से भी शिक्षकों को मिड–डे–मील भोजन व्यवस्था से मुक्त करने की मांग की जाने लगी । इस पर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने प्रयास कर दानदाताओं को तैयार किया जिसके तहत इस जिले में सर्वप्रथम सांवलिया जी मंदिर मण्डल मण्डफिया द्वारा तहसील भदेसर के 55 विद्यालयों को भोजन उपलब्ध कराया जाने लगा । उक्त व्यवस्था में आने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर इस दिशा में आगे कदम बढाते हुए हिन्दुस्तान जिंक चन्देरिया (चित्तौड़गढ़) द्वारा सम्पूर्ण जिले में केन्द्रीयकृत रसोईघर निर्माण के लिए राशि रु. 305.52 लाख एवं आदित्य सीमेन्ट लि. सावा द्वारा राशि रु. 75.00 लाख देने की अनूठी पहल की गई । जिसके तहत जिला प्रशासन, हिन्दुस्तान जिंक एवं नांदी फाउण्डेशन के मध्य चार केन्द्रीयकृत रसोईघर तथा जिला प्रशासन, आदित्य सीमेन्ट लि., नांदी फाउन्डेशन के मध्य एक रसोईघर के निर्माण हेतु निम्नानुसार एमओयू हुआ, जिसके तहत पाँच केन्द्रीयकृत रसोईघरों द्वारा वर्तमान में भी प्रारम्भ तिथि से अब तक गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिले में पाँच केन्द्रीयकृत रसोईघर भवानीपुरा (गंगरार), गाँधीनगर (चित्तौड़गढ़), कपासन, निम्बाहेड़ा, मण्डफिया (भदेसर) में हिन्दुस्तान जिंक लि. चन्देरिया से 305.52 लाख रुपये तथा आदित्य सीमेन्ट सावा से 75 लाख रुपये के जनसहयोग एवं जिला प्रशासन के द्वारा जमीन, बिजली व पानी की व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। पाँचों केन्द्रीयकृत रसोईघरों से 1503 विद्यालयों के 125612 छात्र–छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं, जिसका ब्लॉकवार विवरण निम्नानुसार हैं।

सारणी 4.21: जिले में केन्द्रीकृत रसोईघर का विस्तृत विवरण

क्र. सं.	केन्द्रीकृत रसोईघर का नाम	सहयोगी संस्था	रसोई निर्माण हेतु दी गई राशि (रु. लाखों में)	अनुबंध का दिनांक	लाभान्वित होने वाले ब्लॉक का नाम	रसोईघर से लाभान्वित होने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या		रसोईघर प्रारम्भ की दिनांक
						विद्यालय	विद्यार्थी	
1	भवानीपुरा गंगरार	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	65.52	22.11.05	चित्तौड़गढ़	13	1417	28.8.06
					गंगरार	169	12472	
					राशमी	89	6544	
					योग	271	20433	
2	गांधीनगर चित्तौड़गढ़	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	80.00	8.8.06	चित्तौड़गढ़	271	26586	2.7.07
3	निम्बाहेडा	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	80.00	8.8.06	निम्बाहेडा	222	22239	9.7.07
4	कपासन	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	80.00	8.8.06	कपासन	163	12870	16.7.07
					भूपालसागर	135	9579	
					राशमी	55	3998	
					योग	353	26447	
5	मण्डफिया	आदित्य सीमेंट लिमिटेड	75.00	13.10.06	भदेसर	207	15765	27.10.07
					डूँगला	179	14142	
					योग	386	29907	
योग			380.52		महायोग	1503	125612	

जिले की शेष तहसीलों को भी केन्द्रीयकृत रसोईघर से जोड़ने के लिए अब तक निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं,

1– तहसील बेगूँ के 258 विद्यालयों के लिए हिन्दुस्तान जिंक, जिला प्रशासन एवं नांदी फाउण्डेशन के बीच दिनांक 8.8.06 को एमओयू हो चुका लेकिन नांदी फाउण्डेशन हैदराबाद द्वारा परीक्षण के तौर पर 5 केन्द्रीयकृत रसोईघर जिले में स्थापित कर संचालित किये हैं, तथा इस रसोईघर को दूसरे फेज में संचालित करने का लक्ष्य रखा है।

2– तहसील रावतभाटा के 199 विद्यालयों के लिए प्रशासन द्वारा केन्द्रीयकृत रसोईघर निर्माण के लिए रावतभाटा एवं भैंसरोड़गढ़ के मध्य सीआईएसएफ कॉलोनी के पास जमीन चिह्नित कर ली गई हैं, ।

3– तहसील बड़ीसादड़ी के 177 विद्यालयों के लिए बड़ीसादड़ी मुख्यालय पर ही रसोईघर बनाना प्रस्तावित हैं। यदि इन तीनों ही तहसीलों में भी केन्द्रीयकृत रसोईघर का निर्माण हो जाता हैं तो जिले के 95 % विद्यालय इन केन्द्रीयकृत रसोईघरों से लाभान्वित हो सकेंगे।

रावतभाटा तहसील का लगभग 40 % हिस्सा दूरस्थ व दुर्गम पहाडी क्षेत्र जो नदी नालों से घिरा हुआ है। तहसील मुख्यालय से वहाँ तक पहुँचने की दूरी 85 किमी तक है, इसीलिए उक्त दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों के लिए केन्द्रीयकृत रसोईघर से भोजन उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होने के कारण एसडीएमसी से ही उक्त क्षेत्र के विद्यालयों को भोजन उपलब्ध कराया जाता रहेगा ।

4.2.9.1 केन्द्रीयकृत रसोईघर व्यवस्था से लाभ :

1– अध्यापकों को भोजन व्यवस्था कार्य से मुक्ति तथा शिक्षण कार्य सुचारू रूप से होने लगा।

2– जिन विद्यालयों में नामांकन 50 से कम था वहाँ पर भोजन बनाने वाले रसोईये की समस्या से मुक्ति।

3– दोपहर का भोजन सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा गर्म, स्वादिष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण प्राप्त होने लगा ।

4– विद्यालयों में खाद्यान्न भण्डारण, चोरी की समस्या से निजात ।

4.2.9.2 केन्द्रीयकृत रसोईघर व्यवस्था से चुनौतियाँ :

1– जिले में पाँचों केन्द्रीयकृत रसोईघरों हेतु जो मशीने लगाई गई हैं, वे दक्षिण भारतीय भोजन के लिए तो उपयुक्त हैं, लेकिन स्थानीय परिवेश के स्वाद के अनुसार उपयुक्त नहीं हैं, जैसे बाटी व चपाती कच्ची रहना, चावल का अधिक उबलना, दाल व सब्जी सांभर की तरह पतली होना, मैनेजर दक्षिण क्षेत्र के होना, मसाले व तेल का कम मात्रा में उपयोग लिया जाना आदि ।

2– तैयार भोजन को दुर्गम एवं दूरस्थ, पहाड़ी विद्यालयों में समय पर परिवहन व्यवस्था नहीं पहुँच पाने से भोजन का स्वाद बदल जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती हैं।

3– फ्लोर मिल एवं भण्डारण व्यवस्था एक साथ होने से रसद सामग्री खराब होने की संभावना बनी रहती हैं।

4.2.10 विद्यालयों में रसोईघर निर्माण की स्थिति :

सारणी 4.22: जिले में मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत रसाईघरों के विरुद्धप्रगति का विवरण

क्र. सं.	नाम ब्लॉक	कुल विद्यालय सं.	कुल स्वीकृत रसोईघर	पूर्ण	कार्य प्रगति पर	कार्य प्रारम्भ नहीं
1	चित्तौड़गढ़	312	10	10	0	0
2	गंगरार	174	4	4	0	0
3	राशमी	144	7	6	1	00
4	बड़ीसादड़ी	177	82	63	4	15
5	डूंगला	179	23	19	2	2
7	भैंसरोड़गढ़	199	102	92	1	9
8	बेगूँ	258	33	17	4	12
	योग	1443	261	211	12	38
जिला प्रतापगढ़						
1	प्रतापगढ़	414	10	7	3	00
2	छोटीसादडी	202	144	105	28	11
3	अरनोद	267	12	5	5	2
	योग	883	166	117	36	13
महायोग		2326	427	328	48	51

(सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त)

4.2.11 इस कार्यक्रम को और प्रभावी व अच्छा बनाने के लिए सुझाव

- इस योजना के अन्तर्गत देय भोजन को समस्त छात्रों को नहीं खिला कर गरीब तबके के आदिवासी जाति अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके बच्चे रोजगार के कारण विद्यालय नहीं आ पाते है, उनके लिए ही चलाया जाना चाहिए।
- भोजन की गुणवत्ता के लिए विद्यालय परिसर में ही भोजन की तैयार किया जाकर खिलाया जाना उचित होता हैं। ताजा भोजन मे अधिक पौष्टिकता होती हैं।
- गर्म भोजन के बजाय पौष्टिक रेडीमेड फूड दिया जाना चाहिए ताकि इसको बनाने आदि के समय की बचत हो सके।
- पोषाहार कार्यक्रम इस तरह संचालित किया जावे की शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हों।

पेयजल

मानव को जीवित रहने के लिए प्राण वायु के बाद दूसरे स्थान पर जल आता है। इसके बिना घण्टों तक ही जीवित रहा जा सकता है। यदि यह शुद्ध है तो मानव को जीवन प्रदान करता है और अशुद्ध है तो उसकी जान भी ले सकता हैं। जल की शुद्धता का अर्थ केवल साफ दिखने से नहीं होती है वरन् वह भौतिक, रासायनिक व जीवाणु रूप से मानको पर खरा उतरना आवश्यक हैं।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पाईप के जरिये आपूर्ति पेय की गुणवत्ता वर्ष 1991 संशोधन के अनुसार होना आवश्यक है। इसमें न्यूनतम आवश्यक तथा अधिकतम मात्रा निम्नानुसार दी गई हैं।

सारणी संख्या 4.1: जल स्रोतों की गुणवत्ता (BIS STANDARDS: IS 10500:1991Rev-22)

S.No.	Characteristics	Requirement (Desirable limits)	Permissible Limits
1.	PH	6.5 to 8.5	No relaxation
2.	Turbidity(NTU)	5	10
3.	Colour (Hezen Units)	5	25
4.	Odour	Unobjectable	-
5.	Taste	Agreeable	-
6.	Total Alkanity (as $caco_3$)	200	600
7.	Total Hardness (as $caco_3$)	300	600
8.	Chloride(as CI)	250	1000
9.	Sulphate (as SO_4)	200	400
10.	Iron(as Fe)	0.3	1.0
11.	Total Dissolved Solids	500	2000
12.	Calcium(as Ca)	75	200
13.	Magnesium (as Mg)	=30	150
14.	Nitrate (as NO_3)	45	100
15.	Fluoride (as F)	1.0	1.5
16.	Manganese (as Mn)	0.1	0.3
17.	Copper (as Cu)	0.05	1.5
18.	Mercury (as Hg)	0.001	No relaxation
19.	Cadmium (as Cu)	0.01	No relaxation
20.	Selenium (as Se)	0.01	No relaxation
21.	Arsenic (as As)	0.05	No relaxation
22.	Cyanide (as CN)	0.05	No relaxation
23.	Lead (as Pb)	0.05	No relaxation
24.	Zinc(as Zn)	5	15
25.	Chromium (as Cr 6+)	0.005	
26.	Mineral Oil	0.01	0.03
27.	Pesticides	Absent	0.001
28.	Aluminum (as Al)	0.03	0.02
29.	Boron	1.0	5
30.	Anionic Detergents	0.2	1.0
31.	Phenolic Compounds (as $C_{6\,6}0_1$	0.001	0.002

स्रोत – जिला प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

जिले में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के द्वारा आपूर्तित पेय जल गुणवत्ता जाँच बाबत् एक प्रयोगशाला जिला मुख्यालय पर कार्यरत है, जो क्षेत्र के अभियन्ताओं के द्वारा भेजे गये एवं स्वयं प्रयोगशाला द्वारा एकत्रित नमूनों का विश्लेशण कर रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को प्रति उपलब्ध कराती है। जिले के सभी गाँवों के 10 प्रतिशत पेय जल स्रोतों की वर्ष 2002–03 में की गई सर्वे के आधार पर विभिन्न तहसीलों में पानी की गुणवत्ता निम्नानुसार है इसमें मुख्यतः फ्लोराईड, नाईट्रेट, टीडीएस या अन्य कोई दो पैरामीटर मानक मान से अधिक पाये मानकों चिह्नित किया गया उस समय के जिले के जल गुणवत्ता के मानक चिह्न निम्नानुसार है। इसके अनुसार जिन क्षेत्रों में पानी पीने योग्य पाया गया उन्हें हरे रंग से प्रदर्शित किया गया ताकि जहाँ पानी पीने योग्य नहीं पाया गया उन्हें लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। जिले के पीने के पानी में फ्लोराईड, की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई तो उन्हें पीले रंग व नाईट्रेट 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक वालों को नीले रंग से दिखाया गया है।

सारणी संख्या 4.2: ब्लॉकवार जल गुणवत्ता का विवरण (31.03.03 से)

S. N.	Name of Tehsil	Survey Conducted in the no. of			All parameters within permissible limit(Green)			Two or more parameters above permissible (Red)			Only Fluoride >1.5 mg./L(Yellow)			Only T.DS.>1500mg ./ L(Brown)			Only Nitrate>45 mg./ L(Blue)			Total no. of Problematic		
		ViII	Hab	Total	ViII	Hab	Total	ViII	Hab	Total	ViII	Hab	Total	ViII	Hab	Total	ViII	Hab	Total	ViII	Hab	Total
1	Arnod	171	87	258	99	60	159	5	1	6	0	2	2	5	2	7	62	22	84	72	27	99
2	Barisadri	145	151	296	96	97	193	0	6	6	2	0	2	0	0	0	47	48	95	49	54	103
3	Begun	369	198	567	267	170	437	7	4	11	5	1	6	2	5	7	88	18	106	102	28	130
4	Bhadesar	161	18	179	117	14	131	3	0	3	7	1	8	3	0	3	31	3	34	44	4	48
5	Chiittorgarh	218	67	285	189	56	245	1	2	3	4	0	4	1	1	2	23	8	31	29	11	40
6	Chotisadri	143	167	310	88	104	192	0	0	0	0	0	0	0	1	1	55	62	117	55	63	118
7	Dungla	102	76	178	43	25	68	16	8	24	33	33	66	5	0	5	5	10	15	59	51	110
8	Gangrar	129	53	182	62	39	101	4	4	8	3	0	3	1	0	1	59	10	69	67	14	81
9	Kapasan	190	196	386	62	33	95	53	64	117	42	65	107	4	7	11	29	27	56	128	163	291
10	Nimbahera	150	103	253	108	87	195	0	1	1	2	0	2	0	0	0	40	15	55	42	16	58
11	Pratapgarh	323	155	478	167	111	278	21	2	23	12	4	16	9	3	12	114	35	149	156	44	200
12	Rashmi	79	41	120	34	17	51	10	2	12	18	13	31	2	0	2	15	9	24	45	24	69
	Total	**2180**	**1312**	**3492**	**1332**	**813**	**2145**	**120**	**94**	**214**	**128**	**119**	**247**	**32**	**19**	**51**	**568**	**267**	**835**	**848**	**499**	**1347**

स्रोत – जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग प्रयोगशाला से प्राप्त

इसी प्रकार जिले के शहरी क्षेत्रो में विभाग द्वारा आपूर्तित पेयजल की गुणवत्ता वर्ष 2004–05 की निम्नानुसार है जिन्हें तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी संख्या – 4.3

जिले के शहरी क्षेत्रों के जल की गुणवत्ता का विवरण (वर्ष – 2004.2005)

S. No.	Name of the Urbon town	Population	Type of Sources	No. of CWR + SR	Chemical Quality (Min. - Max) Mg/L				Remarks
1	BARISADRI	15001	Ground	1+2	0.68-0.75	546-780	15-25	50-150	Partial Potable
2	BEGUN	19333	Ground	1+3	0.44-0.50	585-702	10-	700-100	Potable
3	CHITTORGARH	96028	Bhoth	2+18	0.48-0.71	390-936	10-95	60-270	Partial Potable
4	KAPASAN	18705	Ground	1+3	1.26-1.80	429-585	15-25	70-180	Unpotable (Fluroride)
5	NIMBAHERA	53323	Ground	5+4	0.56-1.00	312-780	10-90	40-170	Partial Potable
6	PRATAPGARH	35414	Surface	2+4	0.52-0.63	390-420	10-15	30-50	Potable
7	RAWATBHATA	34677	Surface	0+3	0.37-0.56	188-234	10-	40-50	Potable

स्रोत – जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग प्रयोगशाला से प्राप्त

जिले की विगत वित्तीय वर्ष 2008–09 विभाग द्वारा आपूर्तित पेयजल की गुणवत्ता विभिन्न शहरों में निम्नानुसार है–

सारणी संख्या – 4.4

जिले के अलग – अलग ग्रामों में पेयजल आपुर्ति का विवरण (2008-09)

S. N.	Name of the town	Population	Total Supply per day (iac liter)	Type of Sources Suface/Ground/Both (mention Ratio)	No. of CWR + SR	Chemical Quality (Min - Max)				Remarks	% Population Affected by Unpotable water supply
						Fluoride	TDS	Nitrate	Chioride		
1	BARISADRI	15001	9	Ground	1+2	0.2-0.9	210-800	2 to 40	30-170	Within Desirable limits	Note
2	BEGUN	19333	10	Ground	2+3	0.4	560-640	2	180-210	Within Desirable limits	Note
3	CHITTORGARH	96028	97	Bhoth	7+15	0.2-0.6	320-1130	02 to 50	40-390	Within Desirable limits	Note
4	KAPASAN	18705	10	Ground	3+4	1.0-1.8	800-1040	03 to 50	210-280	Unpotable (due to Fluoride, Nitrate	65%
5	NIMBAHERA	53323	35	Ground	5+4	0.7-0.8	720-960	05 to 15	80-150	Within Desirable limits	Note
6	PRATAPGARH	35414	58	Surface	2+3	0.2-0.4	240-480	3	80-130	Within Permissible limits	Note
7	RAWATBHATTA	34677	60	Surface	1+2	0.2	380	2	130	Within Permissible limits	Note
Total :-		**272481**	**279**		**21+33**						

स्रोत – जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग प्रयोगशाला से प्राप्त

जिले में वर्ष 08–09 में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों कि रासायनिक विश्लेषण परिणाम के आधार पर निम्नानुसार है।

सारणी संख्या – 4.5

S. N.	Name of Tehsil	No. of Village (Sample Taken)	No. of Villages under perm linit	Villages have F>1.5	Villages having TDS > 2000	Villages having No3 > 45	Villages having multiple problem
1	Arnod	2	2	0	0	0	0
2	Barisadri	6	4	0	0	1	1
3	Begun	3	3	0	0	0	0
4	Bhadesar	10	8	1	0	1	0
5	Chiittorgarh	41	29	4	3	3	2
6	Chotisadr	3	3	0	0	0	0
7	Dungla	39	23	6	4	3	3
8	Gangrar	4	4	0	0	0	0
9	Kapasan	124	68	37	4	11	4
10	Nimbahera	6	6	0	0	0	0
11	Pratapgarh	52	43	0	0	96	0
12	Rashmi	21	12	9	0	0	0
13	Rawatbhata	45	38	0	2	7	0
Total		**356**	**243**	**57**	**13**	**122**	**10**

स्रोत – जिला प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से प्राप्त

स्वच्छता

ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के अभाव में व्यापक रुप से फैल रही बीमारियों को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों की एक योजना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को स्वच्छ जीवन की और प्रेरित कर उन्हे एक निर्मल जीवन प्रदान किया जाना है। योजना के अन्तर्गत मुख्यतः ग्राम स्तर पर निवास कर रहे ग्रामीण समाज को स्वच्छता के आयाम में ढालने की पहल की गई है, जिसमें ग्रामीणों का अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी में एक स्वच्छ वातावरण के निर्माण हेतु प्रयास किया जाना है। जिससे ग्रामीणों के स्वस्थ एवं स्वच्छ जीवन से सीधा जुड़ाव हो, ऐसा वातावरण निर्माण हो कि जन–जन तक स्वच्छता का संदेश पहुँच सके। जिसके लिए राज्य, संभाग, जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर तक समितिया गठित कर उनके माध्यम से एक सामूहिक पहल कर योजना को सफल बनाए जाने के प्रयास किये जा रहे है।

योजना में जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिले के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े सभी विभागों को जोड़ा गया है एवं सभी को अपने क्षेत्र के अनुसार दायित्व सौंपा गया है। जिला जल एवं स्वच्छता समिति में जिला कलेक्टर को अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, एवं अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को सचिव का पद प्रदान है। ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी को अपने – अपने कार्य स्थल पर ब्लॉक जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करना होता है, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी द्वारा की जाति है। जिला स्तर पर गठीत समिति के समस्त सदस्यों उपस्थिति में प्रति माह मासिक बैठक आयोजित कर योजना की प्रगति की समीक्षा तथा कार्य में आने वाली समस्याओं के समाधान पर चर्चा की जाती है।

पृष्ठभूमि :–

1. व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता मौटे तौर पर पेयजल की उपलब्धता तथा समुचित स्वच्छता पर निर्भर करता है अतः जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है। विकासशील देश में अशुद्ध पेयजल का सेवन, मल–मूत्र का कामचलाऊ ढ़ंग से निपटान, पर्यावरण की अपर्याप्त स्वच्छता तथा व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता का अभाव कई रोगों के प्रमुख कारण हैं।

2. स्वच्छता में तरल और ठोस अपशिष्ट का निपटान–निकास, खाद्य सम्बन्धी साफ–सफाई, व्यक्तिगत और अपने घर–बार सहित आसपास के वातावरण की सफाई शामिल है। समुचित स्वच्छता न केवल सेहत के मामले में जरुरी है बल्कि हमारे व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भी इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वच्छता अच्छे जीवनस्तर और मानव विकास के आधारों में से एक है।

3. संपूर्ण स्वच्छता अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है –

   - ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रहन–सहन में सुधार लाना।
   - ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को और व्यापक बनाने के लिए त्वरित कार्य।
   - जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वच्छतागत सुविधाओं के लिए और मांग पैदा करना और विद्यार्थियों के बीच स्वास्थ्य –शिक्षा को बढ़ावा देना और साफ–सफाई की आदत डालना।
   - स्वच्छता के क्षेत्र में कम लागत वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
   - ग्रामीण क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को फ्लश वाले शौचालयों में बदलना और जहाँ कहीं हो, मनुष्य द्वारा मैला ढ़ोने की प्रथा समाप्त करना।

कार्यनीति :–

कार्यक्रम की कार्यनीति इसे समुदाय–प्रधान एवं जन–केन्द्रित बनाने की हैं। ''मांग आधारित दृष्टिकोण'' को घरों, विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाओं के प्रति और स्वच्छ वातावरण हेतु लोगों में जागरूकता और मांग पैदा करने पर बल देते हुए अपनाया जाना है। समुदाय की जरुरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक सुपुर्दगी प्रणाली को अपनाया जाएगा। निजी परिवारिक शौचालय इकाइयों के लिए सब्सिडी के स्थान पर अत्यधिक गरीब परिवारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं। यह कार्यनीति ग्रामीण आबादी के सभी वर्गों में बेहतर स्वच्छता और साफ–सफाई संबंधी आदतों के लिए प्रासंगिक व्यावहारिक बदलाव लाने और अलग–अलग प्रौद्योगिकी रुचियों का स्तर प्रदान करते हुए सस्ते और सुलभ ढंग से उनकी स्वच्छता हार्डवेयर आवश्यकताओं को पूरा करती है।

स्वच्छता के सात घटक

1.	पेय जल का सुरक्षित रख–रखाव	5.	व्यक्तिगत सफाई
2.	बेकार पानी का सुरक्षित निपटान	6.	घर एवं भोजन की सफाई
3.	मानव मल का सुरक्षित निपटान	7.	सामुदायिक एवं ग्रामीण स्वच्छता
4.	ठोस कचरे का निपटान		

जिले में प्रारम्भ से अब तक सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजना में पारिवारिक शौचालयों के लिए करवाए कार्य प्रगति की वर्ष वार समीक्षा

सारणी संख्या : 4.6

जिले में वर्ष 06–07 से वर्ष 08–09 तक निर्माण किये गए परिवारिक शौचालयों की वस्तु स्थिति

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल जनसंख्या	बेस लाईन सर्वे अनुसार कुल कवरेज	कुल परिवार		2006-07		2007-08		2008-09		कुल	
						APL	BPL	APL	BPL	APL	BPL	APL	BPL	APL	BPL
1	बड़ीसादड़ी	23	143	88841	1057	19552	4892	0	86	1341	126	5092	418	6580	634
2	बेगुं	31	213	99689	1944	21050	3699	0	0	1197	25	1899	50	3111	75
3	भदेसर	25	163	107393	3320	22553	3135	0	0	1715	98	3548	847	5293	945
4	भैंसरोड़गढ़	23	163	82761	493	12984	5437	7	27	294	40	689	95	1013	162
5	भुपालसागर	19	83	73169	889	13943	5085	0	0	782	232	3149	697	3931	929
6	चित्तौड़गढ़	39	218	167960	4846	33913	5115	0	40	13034	5772	5002	529	19674	6413
7	डुंगला	26	102	89975	1904	1981	2533	0	15	1504	90	3688	903	5222	1015
8	गंगरार	21	127	88640	2471	16976	6528	0	269	1904	422	2547	469	4525	1163
9	कपासन	23	107	84037	1190	17297	3821	6	13	909	213	4820	216	5900	463
10	निम्बाहेड़ा	35	152	135391	2194	25928	8334	9	74	1903	173	35	0	2328	351
11	राशमी	23	81	75326	3007	16008	3908	5	0	1433	366	3208	713	4646	1079
12	छोटीसादड़ी	24	330	116703	2573	21706	6236	30	25	1880	48	2774	120	4712	203
13	प्रतापगढ़	49	178	236545	3430	36970	21204	99	32	3194	533	3311	910	6675	1506
14	अरनोद	30	141	112969	2233	18111	9876	0	10	1884	339	0	0	1884	349
कुल योग :–		391	2201	1559399	31557	278972	89803	156	591	32974	8477	39762	5967	75494	15287

स्रोत – सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की वेब साईड – ***www.ddws.nic.in***
पंचायत समिति मासिक प्रगति वर्ष 2006से 09 तक (जिला चित्तौडगढ़)
बेस लाईन सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004 के आधार पर

वर्ष 2005 से 08 तक परिवारिक शौचालयों के निर्माण कार्य ग्राफ संख्या – 4.1

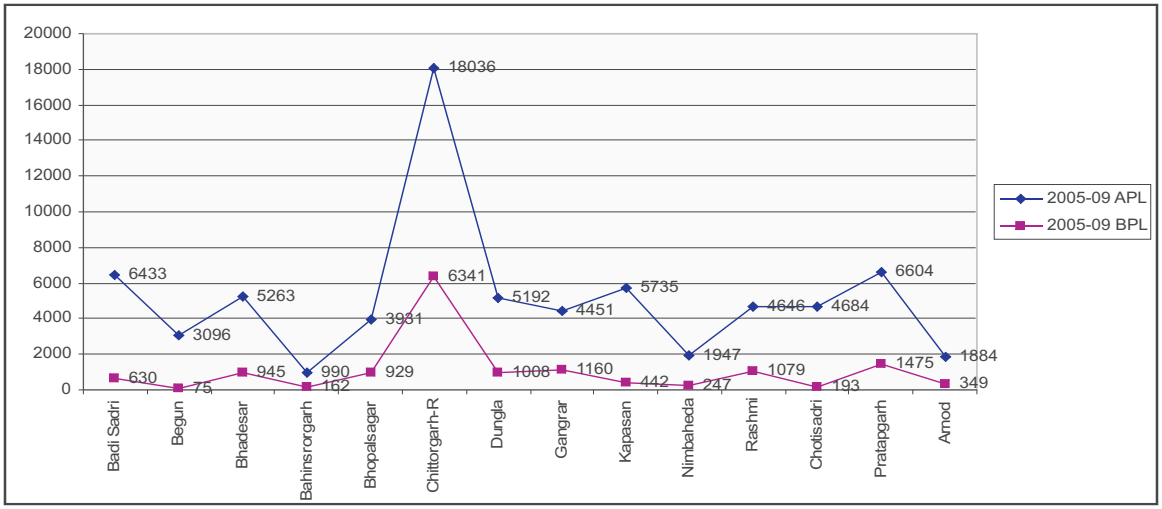

सारणी संख्या – 4.7

जिले में पारिवारिक शौचालय आच्छादन का विवरण

क्र. स.	पंचायत समिति	जिले में स्थापित पारिवारिक शौचालय (वर्ष 2008–10 तक)								
		योजना से पुर्व निर्मित			कुल परिवार			योजना की प्रगति		
		APL	BPL	कुल	APL	BPL	कुल	APL	BPL	कुल
1	बड़ीसादड़ी	889	168	1057	19552	4892	24444	6580	634	7214
2	बेगूं	1894	50	1944	21050	3699	24749	3111	75	3186
3	भदेसर	2913	407	3320	22553	3135	25688	5293	945	6238
4	भैसरोड़गढ़	418	75	493	12984	5437	18421	1013	162	1175
5	भूपालसागर	700	189	889	13943	5085	19028	3931	929	4860
6	चित्तौड़गढ़	4354	492	4846	33913	5115	39028	19674	6413	26087
7	डुंगला	1850	54	1904	1981	2533	4514	5222	1015	6237
8	गंगरार	2062	409	2471	16976	6528	23504	4525	1163	5688
9	कपासन	260	930	1190	17297	3821	21118	5900	463	6363
10	निम्बाहेड़ा	1947	247	2194	25928	8334	34262	2328	351	2679
11	राशमी	2572	435	3007	16008	3908	19916	4646	1079	5725
12	छोटी सादड़ी	2036	537	2573	21706	6236	27942	4712	203	4915
13	प्रतापगढ़	2284	1146	3430	36970	21204	58174	6675	1506	8181
14	अरनोद	1884	349	2233	18111	9876	27987	1884	349	2233
योग :–		26063	5488	31551	278972	89803	368775	75494	15287	90781

स्रोत–जिला परिषद से प्राप्त ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. पारिवारिक सूची विकास अधिकारी से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन

जिले में टी.एस.सी. द्वारा पारिवारिक शौचालयों के निर्माण मे कीया गए कार्य

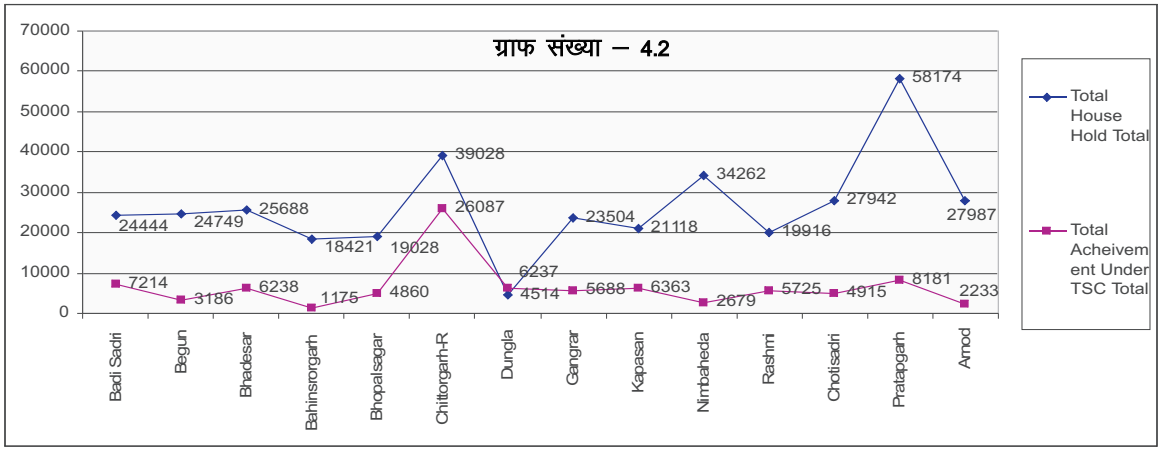

जिले में पारिवारिक शौचालयों के निर्माण कार्य का वर्ष वार विवरण

सारणी संख्या – 4.8

जिले में पारिवारिक शौचालयों की स्थिति			
विवरण	**APL**	**BPL**	योग
कुल परिवार	278972	89803	368775
योजना से पूर्व निर्मित पारिवारिक शौचालय	26063	5488	31551
योजना का लक्ष्य	189366	56149	245515
योजना अन्तर्गत निर्मित कुल शौचालय	75494	15287	90781
वर्ष – 2004-05	0	0	0
वर्ष – 2005-06	0	0	0
वर्ष – 2006-07	156	591	747
वर्ष – 2007-08	32974	8477	41451
वर्ष – 2008-09	39762	5967	45729
वर्ष – 2009-10	2602	252	2854
टी.एस.सी. अन्तर्गत अब तक निर्मित कुल शौचालय	75494	15287	90781
निर्मित किए जाने वाले शौचालय	113872	40862	154734

स्रोत –	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की वेब साईड – ***www.ddws.nic.in***
	पंचायत समिति मासिक प्रगति वर्ष 2006से 09 तक (जिला चित्तौड़गढ़)
	बेस लाईन सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004 के आधार पर

जिले में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजना 11.03.2005 को स्वीकृत होकर दिसम्बर 2005 में योजना अन्तर्गत पदों पर भर्तियाँ/नियुक्तियाँ आदि कार्य प्रारम्भ किये गए थे तथा वर्ष 2006–07 के प्रारम्भ में ब्लॉक स्तर पर कार्मिकों का चयन कर पंचायत समितियों पर नियुक्त किये गए थे। जिससे कि परियोजना अन्तर्गत ब्लॉक स्तर से प्रगति प्राप्त हुई थी। जिसमें सर्व प्रथम ए.पी.एल. के 156 परिवारों तथा बी.पी.एल. के 591 परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया है। अब तक जिले में कुल 90814 परिवारों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका हैं। वर्ष 2008–09 में ए.पी.एल परिवारों में 39762 तथा बी.पी.एल. में 5967 परिवारों में शौचालय का निर्माण हुआ है, यह प्रगति ब्लॉक स्तर से प्राप्त प्रगति तथा ब्लॉक स्तर पर किये गये सर्वे के आधार पर है। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ तथा भदेसर की कुल 4 ग्राम पंचायतों पर वर्ष 08–09 में निर्मल ग्राम परियोजना के तहत परिवारिक शौचालयों का कार्य शत प्रतिशत परिणाम प्राप्त कर जिले में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिसके परिणाम स्वरुप उक्त पंचायत समितियों की स्थिति वर्ष 2008–09 में चयनित तथा सामान्य दोनों परिवारों की प्रगति में अच्छी रही हैं। पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़, अरनोद एवं निम्बाहेड़ा से प्रगति अत्यन्त न्यून रही हैं। जिसके फलस्वरूप उक्त तीन पंचायत समितियों द्वारा लक्ष्य अर्जित करने में कमी आई हैं। वर्ष 2009–10 में शौचालय निर्माण कार्य बजट के अभाव में धीमा है। बजट के अभाव में भी विकास अधिकारियों तथा ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लॉक समन्वयकों के प्रयास से ए.पी.एल. परिवारों में 2602 तथा बी.पी.एल में 252 परिवारिक शौचालयों का निर्माण माह जून तक कर लिया गया है। टी.एस.सी. अन्तर्गत पारिवारिक शौचालयों के लक्ष्य 245515 के विरुद्ध 90781 शौचालयों का निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाया जा चुका है तथा शेष 154734 परिवारिक शौचालयों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, जो परियोजना वर्ष 2012 तक शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जावेगा। इस हेतु ब्लॉक एवं

जिला स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियों प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सभी विकास अधिकारियों के माध्यम से वातावरण निर्माण करवाया जाना है। तथा स्वच्छता संदेश प्रत्येक परिवार में पहुँचे इस हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति प्रयासरत हैं। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ चूंकि यह दोनों पंचायत समितियाँ जिला मुख्यालय पर ही हैं, एवं यहाँ निवास करने वाले नागरिक नगरीय क्षेत्र से वास्ता रखते हैं, अतः उक्त पंचायत समितियों में एपीएल एवं बीपीएल दोनों परिवारों में पारिवारिक शौचालय का आंकडा अधिक हैं। इसके अलावा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में निर्मल ग्राम परियोजना के अन्तर्गत दो ग्राम पंचायतों में निजी संस्थानों के माध्यम से प्रति परिवार चाहे वह एपीएल हो या बीपीएल दोनों ही स्थिति में उन परिवारों को पारिवारिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए अनुदान राशि प्रदान की गई थीं। पंचायत समिति बेगूं, भैंसरोड़गढ़ तथा अरनोद में निवास कर रहे परिवारों के पास पक्के मकान नहीं है, ऐसी स्थिति वहाँ शौचालय निर्माण कार्य प्रभावित रहा है। जिले की पाँच पंचायत समितियाँ यथा – निम्बाहेड़ा, भूपालसागर, अरनोद, बेगूं तथा राशमी में लम्बे समय से स्वच्छता कोर्डिनेटर का पद रिक्त था। जिसे कि हाल ही में भरा गया है इस कारण यहाँ की प्रगति धीमी रही है। जिले की सभी पंचायत समितियों में भौगोलिक स्थिति समान्य नहीं है, पंचायत समिति डूंगला कुछ क्षेत्र कपासन, बेंगूं एवं चित्तौड़गढ़ का भी है जहाँ पर पठारी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। अन्य पंचायत समितियों में पूर्व में किये गए निर्माण कार्य की राशि का भुगतान जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नहीं हो पाना भी निर्माण कार्य में बाधक है। विकास अधिकारियों से प्राप्त बेसलाईन सर्वे प्रतिवेदन अनुसार टी.एस.सी. योजना से पूर्व 27124 परिवारों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है, विकास अधिकारी पंचायत समिति निम्बाहेडा एवं अरनोद में ब्लॉक समन्यक पद रिक्त होने से बेस लाईन सर्वे का डाटा प्राप्त नहीं हो पाया है, जिससे कुल प्रतिशत में कमी आई हैं।

प्रगति के वर्ष 2008–09 में समस्त पंचायत समिति स्तर पर स्वयं सेवी संस्थाए नियुक्त थी, जिनको कि प्रत्येक ब्लॉक में 15 ग्राम पंचायतों पर योजना का पूर्ण कार्य (योजना अन्तर्गत सभी प्रशिक्षण, प्रदत् ग्राम पंचायतों में पारिवारिक शौचालय निर्माण कार्य एवं आई. ई. सी) दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जिले में टी.एस.सी. ने शेष वर्षो के मुकाबले वर्ष 2007–08 में परिणाम दिये जो की उक्त सारणी से प्रतीत होता है। मात्र तीन पंचायत समितियों से प्रगति काफी निम्न थी, क्योंकि इन पंचायत समितियों में ब्लॉक स्तर पर टी.एस.सी. कार्मिक (ब्लॉक समन्वयक) का पद रिक्त था, इस कारण ब्लॉक स्तर पर समन्वय स्थापित न होने का अभाव में प्रगति धीमी बनी रहीं। जिले में वर्ष 2008–09 से ही केन्द सरकार की अंश दान राशि जिले के प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण पारिवारिक शौचालयों में प्रगति अत्यन्त धीमी चल रही है। टी.एस.सी. में ब्लॉक स्तर पर मात्र एक ब्लॉक समन्वयक का पद है जिसे पूरी पंचायत समिति में टी.एस.सी. के समस्त कार्यो का समन्वय करना होता है, जिले की सभी पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों की सख्या सामान्य नहीं है यथा भूपालसागर में 19 ग्राम पंचायत पर भी एक ब्लॉक समन्वयक एवं प्रतापगढ़ की 49 ग्राम पंचायतों पर भी एक जो की लगभग दुगुने से भी अधिक है, इस स्थिति में ऐसे वृहद ब्लॉक में अतिरिक्त स्टॉफ की आवश्यकता होती है, जो की ब्लॉक समन्वयक से समन्वय स्थापित कर कार्य को लक्ष्य तक पहुचाने में सहयोग प्रदान करें। नरेगा कार्यक्रम में कार्य कर रहे श्रमिकों का थोडा श्रमदान भी यदि टी. एस.सी. में शामिल कर यदि सामूहिक कार्य चलाया जावें तो निर्माण कार्य में प्रगति आ सकति है। जिला / पंचायत

स्तर के अधिकारियों द्वारा नरेगा कार्मिको के प्रशिक्षण के दौरान यदि टी.एस.सी. योजना को थोडा समय तथा इस पर प्रभावी ध्यान दिलाया जावें तो प्रगति आना स्वाभाविक है। नरेगा में ग्राम स्तर पर मेट को भी यदि प्रति माह उचित टारगेट दिया जावे तो भी कार्य प्रगति की और बढ़ सकता है। जहाँ पर नरेगा का कार्य चल रहा हो वहाँ माह में एक बार मध्यान्तर के दौरान आई.ई.सी. का आयोजन कर वहाँ कार्य रहे कार्मिकों का ध्यान भी इस ओर बंटाया या योजना की जानकारी उन तक पहुँचाई जा सकती है। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रति वर्ष दिये जाने वाले लक्ष्यों के साथ ही विकास अधिकारी को लक्ष्य के अनुरुप टी.एस.सी. मद की राशि में से 60 से 80 प्रतिशत राशि अग्रिम दे दी जानी चाहिए जिससे की पंचायत समिति स्तर पर बजट के अभाव में कार्य बाधिक ना हो। बेस लाईन सर्वे कार्य जिला साक्षरता समिति को टी.एस.सी. योजना जिले में लागु होने के वर्ष (2004–05) में ही कर लिया गया था। जिसके अनुसार ब्लॉक वार आँकड़ाँ प्राप्त हुआ है। परन्तु इसमें संशोधन की जरुरत महसूस करते हुए इस सर्वे की कोई क्रॉस टेली/क्रोस सर्वे करवाया जाना आवश्यक है। जिससे की वर्तमान स्थिति अवगत करवाई जा सकती है।

योजना में कार्मिकों की कमी शुरुआत से ही रही है जिसका कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया है। यदि ग्राम स्तर पर प्रति 250 परिवारों पर एक प्रेरक नियुक्त कर दिया जावें (जो की मार्ग दर्शिका मार्च 2004 के अनुसार है) जो की अपने कार्य क्षेत्र में स्वच्छता के संदेश को लोगों तक पहुचावें तथा उन्हे शौचालय निर्माण तथा योजना के सातों घटकों के बारे में निरन्तर प्रेरित करें। इस कार्य हेतु ग्राम स्तर पर कार्यरत ए.एन.एम, आशा सहयोगिनी ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया जाना चाहिए तथा इन्हें टी.एस.सी. मद से दिया जाने वाला मासिक मानदेय 300/– या ग्राम स्तर पर ए.एन.एम के पास अनटाईड फंड से प्राप्त 10,000 की राशि के माध्यम से प्रति माह प्रोत्साहित करना चाहिए। पंचायत समितियों के जन प्रतिनिधियों को वर्ष मे दो बार प्रशिक्षण दिलाया जावें जिससे कि वह योजना से जुड सके एवं अपने क्षेत्र में इसका प्रसार कर प्रगति ला सके। स्वयं सेवी संस्था (एन.जी.ओ.) जो की किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका रखता है, उसको फिर से पंचायत समिति वार कार्य दिया जाना चाहिए ताकि जिले से पंचायत समिति एवं पंचायत समिति से ग्राम पंचायत तथा ग्राम पंचायत से प्रत्येक ग्राम ओर ग्रामीणों तक योजना का लाभ पहुँच सकें। मार्गदर्शिका के अनुरुप पंचायत स्तर पर कार्मिक यथा– ग्राम पंचायत समन्वयक एवं ग्राम प्रेरकों का पद जो की योजना के प्रारम्भ से ही रिक्त है। यह एक मुख्य कारण है कि जिले में आज योजना राज्य स्तर से काफी पिछड़ी हुई है, यदि राज्य स्तर पर योजना की प्रगति देखे तो जिला काफी पिछडा हुआ प्रतीत होता है। टी. एस. सी. योजना में ग्राम स्तर पर प्रेरकों के माध्यम से या ए.एन.एम, आशा ताथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आधार पर प्रति परिवार का सर्वे (जो परिवार उनके कार्य क्षेत्र में आते हे, उनकी जिम्मेदारी उक्त कार्यकर्ता को देकर यह कार्य आसानी से सम्पादित किया जा सकता है।) करवाया जा सकता हैं। जिससे कि वर्ष 2004–05 के पश्चात योजना की आज तक की वर्तमान स्थिति का आंकलन कराया जाना चाहिए ताकि योजना की आगामी रुपरेखा तैयार की जा सके।

सारणी संख्या – 4.9

जिले की जनसंख्या का पंचायत समिति वार विवरण						
क्र.सं.	पंचायत समिति	अनुमानित जनसंख्या 2009	APL जनसंख्या	BPL जनसंख्या	SC जनसंख्या	ST जनसंख्या
1	बड़ीसादड़ी	123367	102675	20692	12442	17582
2	बेगूं	141400	125753	15647	20027	11111
3	भदेसर	127582	114321	13261	18037	8369
4	भैंसरोड़गढ़	139460	117950	21510	13690	30836
5	भुपालसागर	कपासन में शामिल	कपासन में शामिल	कपासन में शामिल	कपासन में शामिल	कपासन में शामिल
6	चित्तौड़गढ़	313844	292208	21636	41314	24663
7	डूंगला	106889	96175	10714	13801	12213
8	गंगरार	105303	77690	27613	16122	6171
9	कपासन	208931	169770	39161	30994	18458
10	निम्बाहेड़ा	224196	188943	35253	28188	19523
11	राशमी	89487	72956	16531	15859	4411
12	छोटी सादड़ी	138610	112232	26378	14514	38761
13	प्रतापगढ़	181140	91447	89693	19798	115636
14	अरनोद	142366	100591	41775	6006	80577
योग :–		2042575	1662711	379864	250792	388311

स्रोत–जिला सांख्यिकी विभाग से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर

जिले में कुल 391 ग्राम पंचायतें है तथा 2201 राजस्व गाँव है। 2001 की जनगणना के अनुसार 1559399 तथा वर्ष 2009 में सांख्यिकी विभाग से प्राप्त जिले की जनसंख्या 2042575 है जिसमें एस.सी. 250792 एवं एस.टी. 388311 हैं। क्रम संख्या 5 में दर्शाई गयी पंचायत समिति भूपालसागर की जनसंख्या का विवरण पंचायत समिति कपासन के साथ सांख्यिकी विभाग द्वारा जोड़ दिया गया है, क्योंकि कपासन एवं भूपालसागर दोनों पंचायत समितियों की तहसील कपासन ही हैं।पंचायत समिति प्रतापगढ़ में निवास करने वाले आदिवासी क्षेत्रों के लोगों की मात्रा अधिक होने के कारण उक्त सारणी में प्रतापगढ़ में चयनित परिवारो की संख्या अन्य पंचायत समितियों से अधिक हैं।

जिला चित्तौडगढ़ में वर्ष 2008–09 तक कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का दृश्य

ग्राफ संख्या – 4.3

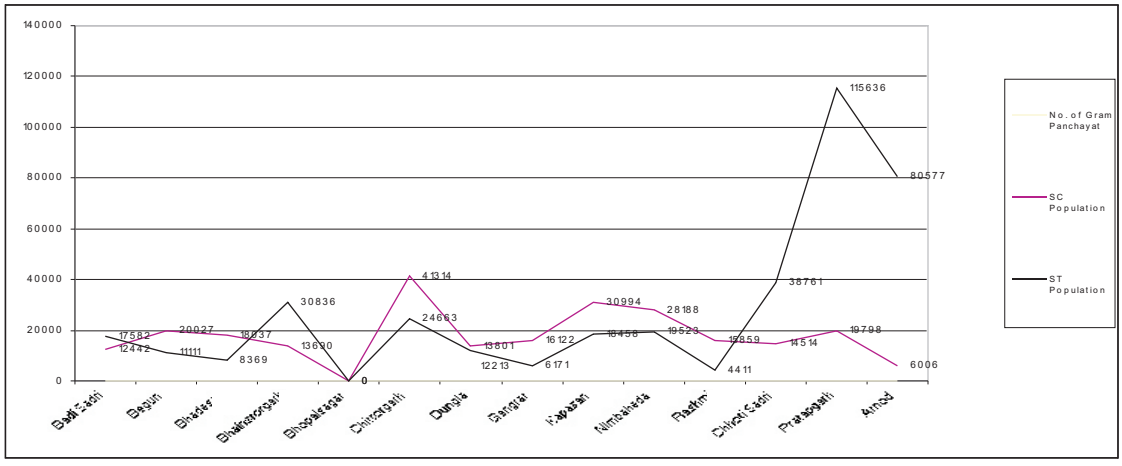

सारणी संख्या – 4.10

जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति						
विवरण	आंगन बाड़ी केन्द्र	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	उच्च माध्यमिक विद्यालय	योग
शिक्षण संस्थानों की कुल संख्या (31st मार्च 2009 तक)	2247	1648	1016	237	116	5264
संस्थानों में योजना पुर्व निर्मित शौचालय की संख्या	0	1223	717	126	56	2122
योजना का लक्ष्य (31st मार्च 2009 तक)	1393	1769	464	111	60	3797
योजना अन्तर्गत स्वीकृत शौचालयों की कुल संख्या	667	1648	1016	126	56	3513
निर्मित किये गए शौचालयों की संख्या						
वर्ष – 2004-05	0	0	0	0	0	0
वर्ष – 2005-06	0	0	0	0	0	0
वर्ष – 2006-07		441		111	58	610
वर्ष – 2007-08	98	1050	443	0	0	1591
वर्ष – 2008-09	104	55	12	0	2	173
वर्ष – 2009-10	274	20	9	0	0	303
टी.एस.सी. के अन्तर्गत अब तक निर्मित कुल शौचालय	191	1566	464	0	2	2223
अन्य स्रोतों से निर्मित शौचालय	0	302	704	22	23	1051
आच्छादन का प्रतिशत	70%	98.36 %	100%	100%	95%	
निर्मित किये जाने वाले शौचालय	0	151	147	0	0	298
शौचालय विहिन कुल शिक्षण संस्थानों की संख्या	0	27	0	0	0	27
संस्थनों की संख्या जहाँ शौचालय निर्माण किया जाना है	0	203	0	0	0	203

स्रोत – जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट
उपनिदेशक आई. सी. डी. एस. चित्तौड़गढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर

टी.एस.सी. योजना अन्तर्गत 1393 आंगनबाड़ी शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित हैं। जिसके अनुरुप अब तक जिले में 476 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका हैं। इस योजना की शुरुआत आंगनबाड़ी केन्द्र से ही है, तथा प्रत्येक बच्चे को शौचालय संबंधी जानकारी एवं उपयोग एवं लाभ के बारे में बचपन से ही स्वास्थ्य शिक्षा माध्यम से दिया जाना ही कार्यक्रम का लक्ष्य हैं। परियोजना अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण का प्रावधान हैं, तथा जिले में टी.एस.सी. योजना अन्तर्गत 1769 के लक्ष्य के विरुद्ध 1566 शौचालयों का निर्माण प्राथमिक विद्यालयों में कर लिया गया है, तथा 664 शौचालयों का निर्माण उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किया जा चुका है। कुल 2030 शौचालयों का निर्माण टी.एस.सी. योजना अन्तर्गत किया जा चुका है, परियोजना अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कुल 171 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें से अब तक 169 शौचालयों का निर्माण विद्यालयों में किया जा चुका है।

आंगनबाड़ी शौचालयों का निर्माण कार्य पंचायत समिति स्तर पर दिया गया है परन्तु कुछ विकास अधिकारी यथा पंचायत समिति राशमी, भूपालसागर, प्रतापगढ़, अरनोद, बेगूं एवं भैंसरोड़गढ़ के द्वारा उक्त कार्य में रुचि नहीं लेने से निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिस कारण विद्यालय की प्रगति के मुकाबले आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी हैं।

आंगनबाड़ी शौचालय चूंकि आंगनबाडी केन्द्र भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए जिन पंचायतों में आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण स्वीकृत है तथा कार्य नहीं हुआ है, वहाँ का कार्य सर्व शिक्षा अभियान को देना उचित रहेगा, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में टी.एस.सी. जिला परियोजना समन्वयक कार्यरत है एवं एस.एस.ए. के तकनीकी अधिकारियों/सहायक के सहयोग से कार्य को जल्द से जल्द सम्पन्न करवाया जा सकता हैं।

जिले में पंचायत समिति वार करवाऐ गये प्रशिक्षणों का विवरण

सारणी संख्या : 4.11

क्र.	पंचायत समिति	ब्लॉक समन्वयक			राज मिस्त्री (कारीगर)			प्रेरक		
		कुल संख्या	प्रशिक्षित	शेष	कुल संख्या	प्रशिक्षित	शेष	कुल संख्या	प्रशिक्षित	शेष
1	बड़ीसादड़ी	1	0	1	69	0	69	81	0	81
2	बेगूं	0	0	1	93	0	93	82	0	82
3	भदेसर	1	0	1	75	0	75	86	0	86
4	भैंसरोड़गढ़	1	0	1	69	0	69	61	0	61
5	भूपालसागर	1	0	1	57	0	57	63	0	63
6	चित्तौड़गढ़	1	0	1	117	70	47	130	93	37
7	डूंगला	1	0	1	78	0	78	42	33	9
8	गंगरार	1	0	1	63	47	16	78	52	26
9	कपासन	1	0	1	69	35	34	70	0	70
10	निम्बाहेड़ा	1	0	1	105	35	70	114	0	114
11	राशमी	1	0	1	69	0	69	66	0	66
12	छोटीसादड़ी	1	0	1	72	23	49	93	35	58
13	प्रतापगढ़	1	0	1	147	35	112	194	0	194
14	अरनोद	1	0	1	90	2	88	93	40	53
योग :–		**13**	**0**	**14**	**1173**	**247**	**926**	**1253**	**253**	**1000**

सारणी संख्या : 4.12

क्र.	पंचायत समिति	सरपंच / वार्डपंच			अध्यापक			ग्राम सेवक		
		कुल संख्या	प्रशिक्षित	शेष	कुल संख्या	प्रशिक्षित	शेष	कुल संख्या	प्रशिक्षित	शेष
1	बड़ीसादड़ी	268	35	233	175	35	140	23	0	0
2	बेगूं	330	35	295	263	0	263	31	0	0
3	भदेसर	304	60	244	206	30	176	26	0	0
4	भैंसरोड़गढ़	252	0	252	195	0	195	23	0	0
5	भूपालसागर	226	0	226	138	0	138	18	0	0
6	चित्तौड़गढ़	472	105	367	308	62	246	35	0	0
7	डूंगला	284	111	173	174	25	149	25	0	0
8	गंगरार	252	204	48	170	25	145	21	0	0
9	कपासन	262	35	227	161	0	161	23	0	0
10	निम्बाहेड़ा	300	0	300	215	0	215	35	0	0
11	राशमी	242	121	121	139	50	89	23	0	0
12	छोटी सादड़ी	292	0	292	197	22	175	23	0	0
13	प्रतापगढ़	566	0	566	411	0	411	47	0	0
14	अरनोद	336	17	319	258	15	243	30	0	0
योग :–		**4386**	**723**	**3661**	**3010**	**264**	**2746**	**383**	**0**	**0**

सारणी संख्या : 4.13

क्र. सं.	पंचायत समिति	ए. एन. एम			आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता			आशा सहयोगिनी		
		कुल संख्या	प्रशिक्षित	शेष	कुल संख्या	प्रशिक्षित	शेष	कुल संख्या	प्रशिक्षित	शेष
1	बड़ीसादड़ी	23	0	23	92	0	92	71	0	71
2	बेगूं	34	0	34	137	35	102	105	0	105
3	भदेसर	31	0	31	118	30	88	110	0	110
4	भैंसरोड़गढ़	27	0	27	103	0	103	82	0	82
5	भुपालसागर	20	0	20	78	0	78	54	0	54
6	चित्तौड़गढ़	42	0	42	194	115	79	179	0	179
7	डूंगला	22	13	9	92	3	89	77	0	77
8	गंगरार	23	0	23	94	92	2	83	0	83
9	कपासन	22	0	22	99	0	99	90	0	90
10	निम्बाहेड़ा	33	0	33	136	0	136	102	0	102
11	राशमी	28	28	0	117	31	86	106	0	106
12	छोटीसादड़ी	0	0	0	0	48	-48	0	0	0
13	प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	अरनोद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग :–		**41**	**41**	**264**	**1256**	**354**	**902**	**1059**	**0**	**1059**

स्रोत – विकास अधिकारी एवं स्वयं सेवी संस्थानों से प्राप्त प्रशिक्षण प्रतिवेदन एवं प्रतियां

जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2005 से वर्ष 2007–08 तक टी.एस.सी. द्वारा करवाए गये प्रशिक्षण

ग्राफ संख्या –4.4

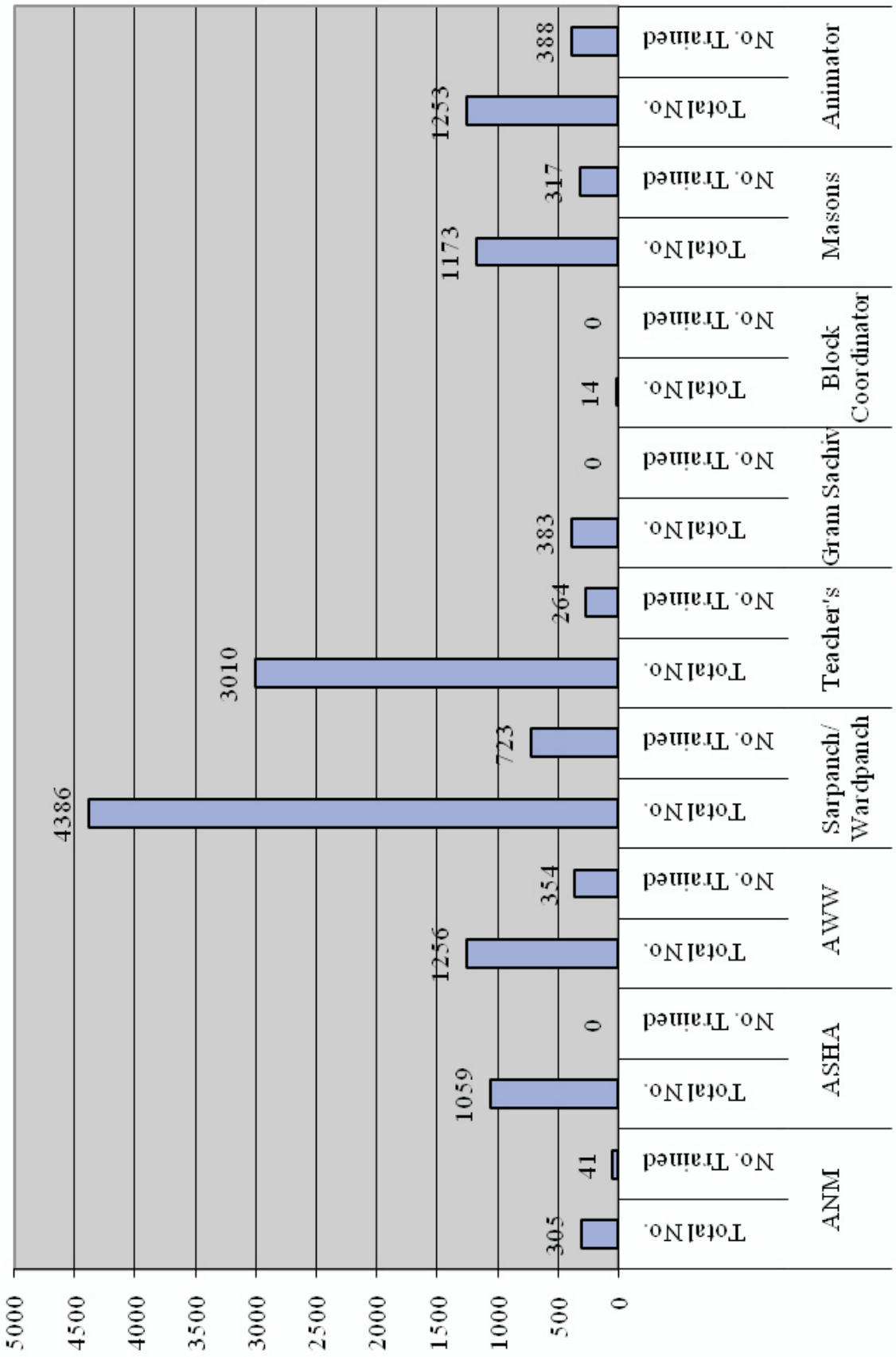

उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला साक्षरता समिति के निर्देशों से विकास अधिकारी के निर्देशन में तथा पूर्व में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अनुबन्ध की शर्तों पर करवाया गया। साथ ही ब्लॉक समन्वयक को प्रत्येक माह जिला जल एवं स्वच्छता समिति के कार्यालय पर माह के द्वितीय सोमवार को बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें परियोजना की प्रगति बढाने के संबंध में चर्चा की जाती है, टी.एस.सी. योजना में हो रहे कार्यों एवं कार्यनीति से अवगत कराया जाता हैं। जिले में योजना अन्तर्गत करवाये गए विभिन्न प्रशिक्षणों की वस्तु स्थिति –

सारणी संख्या – 4.14

ANM		ASHA		AWW		Sarpanch/ Wardpanch		Teacher's		Gram Sachiv		Block Coordinator		Masons		Animator	
War king	Trai ned %	War king	Trai ned %	War king	Trai ned %	War king	Trai ned %	War king	Trai ned %	War king	Trai ned %	War king	Trai ned %	War king	Trai ned %	War king	Traine d %
305	**12%**	1059	**0%**	1256	**12%**	4386	**17%**	3010	**19%**	383	**0%**	13	**0%**	1173	**22%**	1253	**33%**

जिले में वर्ष 2007–08 में गैर सरकारी सस्थाएँ पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत थीं, जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ की 14 पंचायत समितियों में पूर्व में स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन किया गया था, जिन्हे एक वर्ष के अनुबन्ध के आधार पर कुछ ग्राम पंचायतों का कार्य दिया गया था। जिनमें योजना अनुसार संस्थाओं को आई.ई.सी. गतिविधि करवाना, प्रशिक्षण देना, पारिवारिक शौचालय निर्माण का कार्य एवं योजना के सातों घटको के अनुरुप उन्हे कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अनुबन्ध समाप्त होने के पश्चात पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के अनुबंधो का पुनः नवीनीकरण नहीं किया गया। जिले में पंचायत समिति वार जिन संस्थाओं को कार्य दिया गया था उनका विवरण निम्नानुसार है –

1. पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ – अरावली जल एवं पर्यावरण सेवा संस्थान, चित्तौडी खेडा, चित्तौड़गढ़।
2. पंचायत समिति गंगरार – आंचलिक कृषि शोध एवं मानव सेवा संस्थान, जे.के. सर्कल–कांकरोली, जिला–राजसमन्द।
3. पंचायत समिति राशमी – करनी मानव सेवा संस्थान, सिपाहियों का मोहल्ला, मारु दरवाजा देवगढ़ जिला–राजसमन्द।
4. पंचायत समिति कपासन – विकास अधिकारी
5. पंचायत समिति भूपालसागर – जिला साक्षरता समिति चित्तौड़गढ़।
6. पंचायत समिति भदेसर – साँवलिया वेलफेयर सोसायटी, चित्तौड़गढ़।
7. पंचायत समिति डूंगला – पहल संस्थान प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़।
8. पंचायत समिति बड़ीसादड़ी – जिला साक्षरता समिति चित्तौड़गढ़।
9. पंचायत समिति निम्बाहेड़ा – जिला साक्षरता समिति चित्तौड़गढ़।
10. पंचायत समिति छोटीसादड़ी – अनुभूति संस्थान 48 'ए' प्रतपनगर सिंधी कॉलोनी, चित्तौड़गढ़।
11. पंचायत समिति प्रतापगढ़ – जिला साक्षरता समिति चित्तौड़गढ़।

12. पंचायत समिति अरनोद – बहुउद्देशीय आरोग्य सेवा समिति, बांसवाडा रोड, प्रतापगढ़।

13. पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ – एस.आर. सोसायटी, डी–4/105 'ए' चित्रकूट, अजमेर रोड़, जयपुर।

14. पंचायत समिति बेगूं – मानव अधिवास तकनीकी केन्द्र सी–21, विकास मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर।

उक्त गैर सरकारी संस्थाओं को प्रदत्त पंचायत समिति में 15 – 15 ग्राम पंचायतों पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था। संस्थाओं द्वारा योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में से कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला अधिकारियों द्वारा निश्चित समयावधि पर करवाए गए थे, परन्तु संस्था द्वारा करवाऐ गए प्रशिक्षण समस्त कार्यों का भुगतान काफी विलम्ब से हुआ जिस कारण सभी प्रस्तावित प्रशिक्षण नहीं हो सके, संस्थाओं के चयन के समय उनसे यह कहा गया था की उनके द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना (बजट) के अनुरुप उसके 60 प्रतिशत राशि हस्तान्तरित की जाएगी पर बाद में इसमें बदलाव करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही भुगतान हेतु निर्देशित किया गया, जिस कारण बजट के अभाव में कुछ पंचायत समितियों में तो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ ही नहीं हो पाया।

गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया जाना ही सही नीति है, क्योंकि प्रशिक्षण संबंधी दक्ष प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण की जानकारी के लिए एन.जी.ओ. से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, प्रशिक्षण करवा रही संस्थाओं के लिए अग्रिम राशि पंचायत समिति वार विकास अधिकारी को हस्तान्तरित कर दी जानी चाहिए ताकि प्रशिक्षण के दौरान बजट की समस्या ना आए, क्योंकि योजना में अधिकतर प्रशिक्षण आवासीय होते हैं जिनमें काफी बजट खर्च होता है, प्रशिक्षण का समस्त आय व्यय का विवरण पंचायत समिति स्तर पर ही प्रस्तुत कर देवें, ताकि प्रशिक्षण का समस्त रिकार्ड पंचायत समिति स्तर पर ही संधारित हो जाए। प्रशिक्षणों के साथ पंचायत समिति/ग्राम पंचायत वार सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधि का आयोजन ग्राम स्तर पर हो एवं जिले के समस्त विद्यालयों में (मार्गदर्शिका में दिये गए मार्गदर्शन के अनुसार) रैलियों का आयोजन करवाया जाए एवं विद्यार्थियों के विद्यालयों में प्रतिदिन स्वच्छता की जानकारी दि जाए तो प्रशिक्षण के पश्चात ही ग्राम स्तर पर योजना क्रियान्वित हो जाएगी।

- ❖ योजना अन्तर्गत कुछ प्रशिक्षणों का आयोजन जो कि ग्राम पंचायत से जुड़े हों, उनका आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर करवाया जाना चाहिए।
- ❖ कला जत्थों के माध्यम से ग्राम वार रात्रि आयोजन होने चाहिए।
- ❖ स्वास्थ्य चेतना यात्रा या ग्राम पंचायत वार होने वाले वार्षिक आयोजन के अन्तर्गत योजना को जोड़ना चाहिए।
- ❖ प्रशिक्षणों के अन्तर्गत व्यय होने बाले बजट को पंचायत समिति स्तर पर हस्तांतरित करना चाहिए।
- ❖ मार्गदर्शिका के अनुसार प्रति वर्ष समस्त प्रशिक्षणों की पुनः रीफ्रेश ट्रेनिंग का आयोजन आवश्यक रुप से हो ताकि योजना में निरन्तर गति प्रदान होती रहे।
- ❖ ग्राम स्तर से शौचालय निर्माण की मांग बढाने हेतु विशेष प्रयास हो।
- ❖ ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन हो।

जिले में स्वच्छता के जिम्मेदार कार्मिको की स्थिति
सारणी संख्या : 4.15

क्र. सं.	पंचायत समिति	ब्लॉक समन्वयक			अन्य			
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के रिक्त पद	एकल शिक्षक विद्यालय	कुल कार्यरत ग्राम सेवक	स्वयं सेवी संस्थाएं
1	बड़ीसादड़ी	1	1	0	10	22	23	0
2	बेगुं	1	0	1	0	66	31	0
3	भदेसर	1	1	0	2	69	26	0
4	भैंसरोड़गढ़	1	1	0	3	49	23	0
5	भूपालसागर	1	0	1	1	8	18	0
6	चित्तौड़गढ़	1	1	0	3	35	35	0
7	डूंगला	1	1	0	2	66	25	0
8	गंगरार	1	1	0	4	14	21	0
9	कपासन	1	1	0	1	16	23	0
10	निम्बाहेड़ा	1	0	1	0	31	35	0
11	राशमी	1	0	1	0	11	23	0
12	छोटी सादड़ी	1	1	0	3	88	23	0
13	प्रतापगढ़	1	1	0	3	25	47	0
14	अरनोद	1	0	1	0	110	30	0
योग :–		**14**	**10**	**4**	**32**	**610**	**383**	**0**

स्रोत – टी.एस.सी. कार्यालय में प्राप्त रीकॉर्ड के आधार पर

जिलें में पंचायत समिति स्तर पर टी.एस.सी. के कार्यों को सुचारु ढंग से संचालन हेतु 14 पंचायत समितियों में 14 ब्लॉक समन्वयकों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से पंचायत समिति बेगूं को छोडकर 13 पंचायत समितियों में ब्लॉक समन्वयक कार्यरत हैं, जिनको टी.एस.सी. मद से राशि रुपये 3700 रु. संबंधित ब्लॉक समन्वयकों की संस्थान को प्रति माह भुगतान किया जाता है। वर्तमान में जिले में आंगनबाड़ी विहीन केन्द्रों की संख्या 32 है तथा विद्यालयों में ऐसे विद्यालय जिसमें एक अध्यापक है, उनकी संख्या 610 हैं। उपर्युक्त आंकडें महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार हैं। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा टी.एस.सी. योजना अन्तर्गत जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर स्वयं सेवी संस्थान वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं।

पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत कार्मिक (ब्लॉक समन्वयक) जो की मात्र 3000 रु मासिक मानदेय तथा 700 रु. यात्रा भत्ते पर कार्य कर रहे हैं, जबकि मार्गदर्शिका मार्च 2004 के अधार पर इन्हें 4000 रु मासिक मानदेय तथा 1000 रु यात्रा भत्ता दिया जाना के प्रावधान है। मानदेय कम होने के कारण कार्यरत ब्लॉक स्तर के कर्मचारी अन्यत्र योजनाओं अथवा अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। जिस कारण ब्लॉक तथा जिला स्तर पर प्रति वर्ष पद रिक्त हो जाते हैं।

जैसा कि सारणी संख्या 1 में वर्णित है, की योजना में ग्राम स्तर पर प्रेरक एवं ब्लॉक स्तर पर स्वयं सेवी संस्था को नियुक्त करना आवश्यक हैं। जिससे योजना के उद्देश्यों एवं स्वच्छता के सभी घटकों को समुदाय तक प्रचार – प्रसार किया जा सके, चूंकि योजना का उद्देश्य ग्राम स्तर पर ज्यादा प्रभावी है, इस हेतु ग्राम पंचायत तथा ग्राम स्तर पर सभी सरकारी विभागों में योजना अन्तर्गत छपाई गई सूचना एवं संचार सामग्री पहुंचा कर उसके सहयोग से कार्य करवाना अधिक कारगर साबित होगा।

निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना वर्ष 2007 – 08 से वर्ष 2008 – 09 तक

सारणी संख्या – 4.16

क्र.	पंचायत समिति	2007-08		2008-09	
		आवेदित	पुरस्कृत	आवेदित	पुरस्कृत
1	बड़ीसादड़ी	2	0	**1**	-
2	बेगुं	3	0	0	
3	भदेसर	3	**2**	0	
4	भैसरोड़गढ़	2	0	0	
5	भुपालसागर	2	0	0	
6	चित्तौड़गढ़	5	0	**1**	-
7	डूंगला	2	0	0	
8	गंगरार	2	0	**5**	-
9	कपासन	2	0	0	
10	निम्बाहेड़ा	2	**1**	0	
11	राशमी	2	0	0	
12	छोटी सादड़ी	2	0	0	
13	प्रतापगढ़	2	0	0	
14	अरनोद	2	0	0	
योग :–		**33**	**3**	**7**	

स्रोत – टी.एस.सी. कार्यालय के रीकार्ड के आधार पर

जिले से सर्वप्रथम वर्ष 2007–08 निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु आवेदन राज्य स्तर पर किया गया था। जिसमे प्रत्येक पंचायत समिति से प्राप्त ग्राम पंचायतों के आवेदन राज्य स्तर पर प्रेषित किये गये हैं। कुल 33 ग्राम पंचायतों का आवेदन निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु किया गया उसमें से 3 ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित हुई हैं – पंचायत समिति भदेसर से मण्डपिया (कृष्ण धाम सांवलियाजी) और सुखवाड़ा दोनों ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समिति निम्बाहेड़ा से ग्राम पंचायत भावलिया। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा 5 ग्राम पंचायतों में युद्ध स्तर पर कार्य करवाया गया था, जिसके लिए अन्य एजेन्सियों के माध्यम से आर्थिक सहयोग अर्जित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैं –

जिले में स्थापित औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त अनुदान राशि का विवरण
कॉलम चित्र संख्या – 4.17

पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ऐजेन्सी	अनुदान राशि (लाख में)	पुरस्कृत ग्राम पंचायत
चित्तौडगढ़	अरनियापंथ	आदित्य सीमेन्ट वर्क्स	10.23	अपुरस्कृत
	सेमलपुरा	बिडला सीमेन्ट चित्तौडगढ़	7.84	अपुरस्कृत
भदेसर	मण्डपिया	सांवलिया मन्दिर मण्डल ट्रस्ट	5.00	पुरस्कृत
	सुखवाडा	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड चन्देरीया	9.33	पुरस्कृत
निम्बाहेडा	भावलिया	जे.के. सीमेन्ट वर्क्स	6.00	पुरस्कृत
योग :–			**38.40**	

स्रोत – टी.एस.सी. कार्यालय रिकार्ड के अनुसार

उक्त निजी संस्थानों से कुल प्राप्त राशि रुपये 38 लाख 40 हजार का उपयोग जिले में निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु किया गया था। जिस ग्राम पंचायत की सीमा में जो निजी संस्थानों स्थापित है, उस उद्योग की अनुदान राशि उसी ग्राम पंचायत में लगाने का पूर्ण प्रयास किया गया, ग्राम पंचायत सुखवाडा में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड चन्देरिया की राशि का उपयोग सर्व सम्मति से अपने क्षेत्रीय ग्राम पंचायत के बजाय अन्यत्र कराया गया। निजी संस्थानों से प्राप्त राशि को पंचायत समिति वार विकास अधिकारी को प्रदान करायी गयी जिसका उपयोग योजना के निर्माण एवं योजना अन्तर्गत अन्य आवश्यक कार्यों में किया गया। फलस्वरूप जिले ने वर्ष 2008 – 09 में तीन निर्मल ग्राम पुरस्कार अर्जित किये।

निर्मल ग्राम पुरकार योजना में पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ से दो ग्राम पंचायतों का चयन किया गया जिन से एक ग्राम पंचायत सेमलपुरा में तय समयावधि में कार्य कर पाना बहुत ही मुश्किल था यथा वहाँ 7.84 लाख रुपयों के कार्य का कोई अर्थ नहीं निकला यदि ग्राम पंचायत के चयन में अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत पुठोली का चयन किया गया होता, जो कि पंचायत समिति गंगरार से निर्मल ग्राम हेतु आवेदित ग्राम पंचायत थीं। उक्त ग्राम पंचायत में सड़कें, नालियां, पारिवारिक शौचालय निर्माण कार्य, स्कुलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय सुविधा थीं, पुठोली में लगभग 65 से 70 प्रतिशत स्वच्छता के मापदण्डों के अनुरुप कवरेज था एवं ग्राम पंचायत पुठोली के क्षेत्र में ही हिन्दुस्तान जिंक का उद्योग स्थापित है, बावजूद इसके हिन्दुस्तान जिंक प्लांट द्वारा अनुदान राशि ग्राम पंचायत सुखवाड़ा पंचायत समति भदेसर को दी गई जो कि उक्त औद्योगिक इकाई से लगभग 50 की.मी. से अधिक दूरी पर हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु यदि पहले उन ग्राम पंचायतों का चयन किया जाए जिनमें पहले से ही स्वच्छता के सातों घटकों के अनुरुप कुछ कार्य हो चुका हो तो तय समय में कार्य पूर्ण करने में काफी आसानी रहती है, जैसा कि वर्ष 2009 – 10 में किया गया हैं। इस वर्ष राज्य स्तर से 7 ग्राम पंचायतों का आवेदन ही स्वीकृत किया गया जबकी जिले से प्रत्येक पंचायत समिति से 10 आवेदन मांगे गए थे, जो कि पंचायत समिति स्तर से जिला जल एवं स्वच्छता समिति कार्यालय में प्रस्तुत भी कर दिये गए थे, परन्तु राज्य स्तर से वेब साईड पर फीड किये गए आंकड़ों के अनुरूप निर्मल ग्राम के आवेदन हेतु जिले से ग्राम पंचायतों पुठोली, सादी, खारखन्दा, साडास, कांटी, सेमलपुरा एवं बड़वल के आवेदन मंगवाए गये हैं।

जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में प्रति वर्ष पंचायत समिति स्तर से 5 पंचायतों को चुन कर उन पर निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु कार्य करवाया जाना चाहिए, ताकि निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान करने की नियत तिथि को आधार न मानते हुए नित्य ही इस कार्यक्रम में प्रगति तथा शत प्रतिशत परिणाम मिलने की स्थिति पर कार्य होता रहे, जिससे की निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का लाभ प्रति वर्ष जिले को मिलता रहैं। नरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत भी पंचायतों में स्वच्छता के सात घटकों में जो निर्माण कार्य से सम्बन्धित है यथा – नाली निर्माण कार्य, हेण्डपम्प/जल स्रोत के आस पास पक्का कार्य, सड़क निर्माण और विद्यालयों में स्वच्छता आदि कार्यों के माध्यम से कार्य करवाया जाना चाहिए।

सारणी संख्या – 4.18

क्र.सं.	पंचायत समिति	सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का विवरण					
		IEC Activities conducted in no. of Villages	No. of Production Centre	No. of Rural Sanitary Mart	No. of Sanitary Complex	Sanitary Complex in no. of Villages	SLWM in no. of Villages
1	बड़ीसादड़ी	10	0	1	2	2	0
2	बेगुं	2	0	1	0	0	0
3	भदेसर	5	0	1	6	3	0
4	भैंसरोड़गढ़	5	0	1	4	4	0
5	भुपालसागर	5	0	1	3	3	0
6	चित्तौड़गढ़	5	0	1	7	7	0
7	डूंगला	2	0	1	0	0	0
8	गंगरार	5	0	1	6	4	0
9	कपासन	5	0	1	5	4	0
10	निम्बाहेड़ा	1	0	1	5	5	0
11	राशमी	2	0	1	3	3	0
12	छोटी सादड़ी	0	0	1	1	1	0
13	प्रतापगढ़	3	0	1	1	1	0
14	अरनोद	1	0	1	0	0	0
योग :–		**51**	**0**	**14**	**43**	**37**	**0**

स्त्रोत –	टी.एस.सी कार्यालय का रीकार्ड
	विकास अधिकारियों से प्राप्त प्रगति रिर्पोट

जिले में कुल 51 ग्राम पंचायतों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान सम्बंधी जानकारी एवं वातावरण निर्माण हेतु नारा लेखन, विद्यालय रैली, नुक्कड नाटक, प्रदर्शनियों तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि के माध्यम से योजना के उद्देश्य को जन–जन तक पहुँचाया गया। जिलों में प्रोडेक्शन सेन्टर की स्थापना नहीं हो पाई हैं। कारण कि ग्रामीण सेनेट्री मार्ट की स्थापना प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर की जा चुकी हैं। जिलें में ग्रामीण सेनेट्री मार्ट की स्थापना प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर की गई है, जिसके माध्यम से सस्ते एवं कम पानी में भी काम आने वाले रुरल पेन समस्त ब्लॉक में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, समस्त विकास अधिकारियों को रीवोल्वींग फन्ड में राशि उपलब्ध करवा दी गई हैं। जिले में अब तक 43 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है तथा कुल 37 ग्रामों में इसका उपयोग किया जा रहा है, इसकी अधिकतम लागत राशि रुपये 2 लाख हैं। जिले में अब तक कुल 90781 परिवारों में शौचालय निर्माण किया जा चुका हैं, जो कि टी.एस.सी. लक्ष्यों का 36 प्रतिशत हैं। अी.एस.सी. अन्तर्गत ठोस एवं तरल कचरा निस्तारण हेतु कार्य नहीं किया है, परन्तु पूर्व में आवेदित निर्मल ग्राम पंचायतों में गंदे पानी के निस्तारण के लिए सोखते गड्ढे बनाए गये है, जो कि हेण्ड पम्प के घेरों के पास तथा जहाँ बेकार पानी का संग्रह हो रहा था वहाँ भी सोख्ते गड्ढों का निर्माण किया गया हैं।

सुचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधि का क्रियान्वयन जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं के समान है, आई.ई.सी. के नाम पर मात्र निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए आवेदित पंचायतों पर ही कार्य किया जाता रहा है, अन्य पंचायतों पर नहीं, यदि योजना में सूचना व संचार के लिए प्राप्त बजट का पूरा उपयोग हर वर्ष जिले की समस्त ग्राम पंचायतों पर हो तो प्रगति निश्चित ही लक्ष्य तक पहुंच जाएँगी।

आई.ई.सी. का प्रचार प्रत्येक ग्राम स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि आई.ई.सी. ही एक मात्र जरीया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता एवं शौचालय की महत्ता की जानकारी होती हैं। स्वच्छता अपनाने से हम रोगों से भी बच सकते हैं। सूचना, शिक्षा एवं संचार नाम से ही प्रतीत होता है की हर क्षेत्र में इससे योजना की जानकारी सभी तक पहुँचाई जा सकती है, परन्तु जिले में आई.इ.सी. के नाम पर योजना के प्रारम्भ (दिसम्बर 2005) में राज्य सरकार द्वारा छपायी गयी सामग्री प्राप्त हुई थीं। उसके बाद से अब तक निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पाँच ग्राम पंचायतों के अलावा अन्य कोई सामग्री जिलें में ना तो छपवाई गई और ना ही राज्य या केन्द्र स्तर से मांग पत्र भिजवाकर प्राप्त की गई। योजना में संभाग स्तर पर सी.सी.डी.यु. द्वारा स्थापित क्षेत्रीय सहयोग इकाई द्वारा जिले में आई.ई.सी. की कोई मीटींग या कार्यशाला आयोजित नहीं की गई हैं। योजना के प्रारम्भ में आई.ई.सी. के नाम पर मात्र एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करवाई गई थीं। सेनेट्री मार्ट की स्थापना हर पंचायत समिति पर है, परन्तु इसकी जानकारी उस पंचायत के स्टॉफ एवं वहॉ नित्य आने जाने वाले लोगों के अलावा अन्य को नहीं हैं। यह एक सबसे बड़ा बाधक तत्व हैं। सेनेट्री मार्ट के सस्ते रुरल पेन का प्रचार भी ग्राम स्तर तक होना चाहिए जिससे कि ग्राम स्तर पर सस्ते शौचालयों के प्रति लोगों की जागरुकता बढेगी और ग्राम स्तर से शौचालय निर्माण कार्य प्रगति की और बढ़ेगी।

स्थिति विश्लेषण एवं संभावित पहल

क्र.	सहायक कारक	क्र.	बाधक कारक	क्र.	संभावित पहल
1	इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायतों के सरपंचों को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता हैं।	1	यह एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, अतः इस कार्यक्रम के सभी सम्बन्धित विभागों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता है।	1	योजना में कार्मिकों की कमी शुरुआत से ही रही है, जिसका कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया हैं। यदि ग्राम स्तर पर प्रति 250 परिवारों पर एक प्रेरक नियुक्त कर दिया जावे (जो की मार्ग दर्शिका मार्च 2004 के अनुसार है) जो कि अपने कार्य क्षेत्र में स्वच्छता के संदेश को लोगो तक पहुचावें तथा उन्हें शौचालय निर्माण तथा योजना के सातों घटको के बारे में निरन्तर प्रेरित करें। इस कार्य हेतु ग्राम स्तर पर कार्यरत ए.एन.एम, आशा सहयोगिनी ओर आंगनबाडी कार्यकर्ता को शामिल किया जाना चाहिए तथा इन्हे टी.एस.सी. मद से दिया जाने वाला मासिक मानदेय 300/– या ग्राम स्तर पर ए.एन.एम के पास अनटाईड फन्ड से प्राप्त 10,000 की राशि के माध्यम से प्रति माह प्रोत्साहित करना चाहिए। पंचायत समितियों के जन प्रतिनिधियों को वर्ष मे दो बार प्रशिक्षण दिलाया जावें जिससे की वह योजना से जुड सके एवं अपने क्षेत्र में इसका प्रसार कर प्रगति ला सके। स्वयं सेवी सस्था (एन.जी.ओ.) जो की किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका रखता है, उसको फिर से पंचायत समिति वार कार्य दिया जाना चाहिए ताकि जिले से पंचायत समिति एवं पंचायत समिति से ग्राम पंचायत तथा ग्राम पंचायत से प्रत्येक ग्राम और ग्रामीणों तक योजना का लाभ पहुँच सकें।

2	इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते एवं स्वच्छ शौचालय उपलब्ध करवाने का प्रावधान हैं।	2	विकास खण्डों के स्तर विकास अधिकारियों एवं अधीनस्थ स्टॉफ के द्वारा इस योजना की क्रियान्विति हेतु प्राप्त राशि एवं इसका सदुपयोग तथा लेखों का रखरखाव मे एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवाए जाने में कोई रुचि नहीं ली जाती है अतः उक्त कार्य को गंभीरता से सम्पादित किये जाने हेतु विकास अधिकारियों को पाबन्द किया जाना अपरिहार्य हैं।	2	जैसा की पूर्व में सारणी सख्या 1 में भी वर्णित गया है, की योजना में ग्राम स्तर पर प्रेरक एवं ब्लॉक स्तर पर स्वयं सेवी संस्था को नियुक्त करना आवश्यक हैं। जिससे याजना के उद्देश्यों एवं स्वच्छता के सभी घटकों को समुदाय तक प्रचार – प्रसार किया जा सकें, चुकिं योजना का उद्देश्य ग्राम स्तर पर ज्यादा प्रभावी है, इस हेतु ग्राम पंचायत तथा ग्राम स्तर पर सभी सरकारी विभागों में योजना अन्तर्गत छपाई गई सूचना एवं संचार सामग्री पहुंचाकर उसके सहयोग से कार्य करवाना अधिक कारगर साबित होगा।
3	टी.एस.सी. के अन्तर्गत ग्रामीण सहभागिता को जोडते हुए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जो की समस्त ग्राम वासियों हेतु लाभप्रद होता हैं।	3	केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले 60 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति में लेखाकार का पद रिक्त है, जिससे केन्द्र सरकार की अंशदान राशि प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। अतः लेखाकार लगाना अनिवार्य हैं।	3	प्रशिक्षण या आई.ई.सी कार्यक्रम के लिए अग्रिम राशि पंचायत समिति वार विकास अधिकारी को हस्तान्तरित कर दी जानी चाहिए ताकि उसका समस्त रिकॉर्ड पंचायत समिति स्तर पर ही संधारित हो जाए एवं वर्ष वार ऑडीट रिपोर्ट या लेखा नियम के अनुसार कोई नियम तय कर कार्यक्रम में थोडा लचीलापन लाया जावें।
4	इस योजना अन्तर्गत प्रत्येक राजकीय विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में शौचालय निर्माण का प्रावधान हैं।	4	वर्तमान में खण्ड समन्वयक बेगूं का पद रिक्त होने से पंचायत समिति बेगूं की भौतिक प्रगति एवं किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। अतः खण्ड समन्वयक बेगूं को लगाना प्रस्तावित हैं।	4	जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में प्रति वर्ष प्रत्येक पंचायत समिति स्तर से 5 पंचायतों को चुन कर उन पर निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु कार्य करवाया जाना चाहिए ताकि निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान करने की नियत तिथि को आधार न मानते हुए नित्य ही इस कार्यक्रम में प्रगति तथा शत प्रतिशत परीणाम मिलने की स्थिति पर कार्य होता रहे, जिससे की निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का लाभ प्रति वर्ष जिले को मिलता रहैं। नरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत भी पंचायतों में स्वच्छता के सात घटको में जो निर्माण कार्य से सम्बन्धित हैं यथा – नाली निर्माण कार्य, हेण्डपम्प/जल स्त्रोत के आस पास पक्का कार्य, सड़क निर्माण और विद्यालयों में स्वच्छता
5	इस योजना अन्तर्गत समस्त बी.पी.एल. परिवारों में शौचालय निर्माण का प्रावधान हैं।	5	इस योजना अन्तर्गत कार्मिकों का मानदेय अत्यन्त कम है, तथा छठा वेतन आयोग का लाभ एवं वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुबन्ध के आधार पर कार्मिकों का मानदेय 10 से 15 प्रतिशत तक बढाने का प्रावधान है, जिसका लाभ उक्त योजना के कार्मिको को नहीं मिल पा रहा हैं।	5	आई.ई.सी. का प्रचार प्रत्येक ग्राम स्तर पर होना चाहिए, क्योकि आई.ई.सी. ही एक मात्र माध्यम है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता एवं शौचालय की महत्ता की जानकारी होती हैं। स्वच्छता अपनाने से हम रोगो से भी बच सकते है ! सेनेट्री मार्ट की स्थापना हर पंचायत समिति पर हैं। परन्तु इसकी जानकारी उस पंचायत के स्टॉफ के अलावा अन्य का नहीं हैं। यह एक सबसे बड़ा बाधक तत्व हैं। सेनेट्री मार्ट के सस्ते रुरल पेन का प्रचार भी ग्राम स्तर तक होना चाहिए जिससे की ग्राम स्तर पर सस्ते शौचालयों के प्रति लोगो में मानस बनेगा और कार्य प्रगति की और बढेगा।

6	जिले में ग्रामीण सेनेट्री मार्ट की स्थापना प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर है, जिसमें कम पानी के रुरल पेन प्रत्येक शौचालय हेतु उपलब्ध करवाऍ जा रहे हैं।	6	योजना अन्तर्गत परिवारिक शौचालय निर्माण (**BPL**) की प्रोत्साहन राशि रुपये 2200/– अत्यन्त कम है, जिससे गुणवत्ता युक्त एवं स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना संभव नहीं हो पाता हैं।	6	जिले में संचालित नरेगा कार्यक्रम में यदि टी.एस.सी. को भी सम्मिलित कर यदि सामूहिक कार्य चलाया जावें तो निर्माण कार्य में प्रगति आयेगी। नरेगा कार्मिको के प्रशिक्षण के दौरान यदि टी.एस.सी. का विषय को भी थोडा समय तथा जिला/पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा इस पर प्रभावी ध्यान दिलाया जावें तो प्रगति आना स्वभाविक हैं। नरेगा में ग्राम स्तर पर मेट को भी यदि प्रति माह उचित टारगेट दिया जावें तो भी कार्य प्रगति की ओर बढ सकता हैं। जहॉ पर नरेगा का कार्य चल रहा हो वहॉं माह में एक बार मध्यान्तर के दौरान आई.ई.सी. का आयोजन कर वहॉं कार्य कर रहे कार्मिकों का ध्यान भी इस ओर बँटाया या योजना की जानकारी उन तक पहुचाई जा सकती हैं। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रति वर्ष दिये जाने वाले लक्ष्यों के साथ ही विकास अधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप टी.एस.सी. मद की राशि में से 60 से 80 प्रतिशत राशि अग्रिम दे दी जानी चाहीए जिससे की पंचायत समिति स्तर पर बजट के अभाव में कार्य बाधिक ना हो।
7	इस कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तर पर चार पद एवं प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक पद स्वीकृत है, योजना अन्तर्गत कुल 18 पद स्वीकृत हैं।	7	इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ीयों में शौचालय निर्माण हेतु राशी रुपये 5000/– तक स्वीकृत है, जिससे चाइल्ड फ्रेन्डली शौचालय निर्माण में कठीनाई आती हैं।	7	योजना अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु टी.एस.सी. मद से राशि रुपये 160000/– तक का प्रावधान हैं तथा लाभार्थी अंशदान राशि रुपये 40000/– है, इसमें लाभार्थी अंशदान ग्राम पंचायत के द्वारा उपलब्ध नहीं कराने पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाता हैं।

- निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को मात्र राशि रुपये 200000/– तक से ही सम्मानित किया जाता है, जबकी योजना के सातों घटकों को पूर्ण करने में इससे अधिक राशि व्यय होने की सम्भावना रहती हैं।
- जिला जल एवं स्वच्छता समिति चित्तौडगढ़ के अन्तर्गत पी.आई.पी. निर्माण के दौरान विद्यालय शौचालय, प्रशिक्षण एवं कार्मिकों के मानदेय संबंधित अनेक प्रकार की कटौतियां की गई है, जिससे उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के समायोजन तथा कार्मिको को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं।
- इस कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजना प्रारम्भ से लेकर अब तक केवल बी.पी.एल. परिवारों में निर्मित शौचालयों के लिए ही राशि बढायी गई है, शेष परियोजना कार्यों का मद यथावत है, जिससे योजना के संचालन में समस्या आ रही हैं।
- जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सहयोग हेतु संभाग स्तर पर क्षेत्रीय सहयोग इकाई (CCDU) की स्थापना की जा चुकी है, परन्तु उनके द्वारा अपेक्षीत सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा हैं।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों जैसे विद्यालय, आंगनबाड़ी एवं BPL शौचालयों का उपयोग परिवारों एवं छात्र–छात्राओं जहॉं पानी की कमी एवं सफाई की सुनिश्चितता के मद्देनजर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता अथवा अध्यापिकाऍं शौचालय को ताला लगा कर रखती हैं, फलस्वरुप उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता हैं। इस हेतु कार्मिकों को कार्य अवधि दौरान ताला न रखे, इस पर जानकारी दी जानी चाहिए।